



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक
उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I :सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यूज)	1.2	2
कार्यविहीन पी एस यूज	1.3	10
सांविधिक निगमों के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति	1.4	12
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, पुनर्संरचना तथा विनिवेश	1.5	14
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम	1.6	14
पीएसयूज की बन्दी हेतु संस्तुति	1.7	17
निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट पैराग्राफों तथा समीक्षाओं पर अनुक्रिया	1.8	17
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.9	18
619-बी कम्पनियाँ	1.10	18
अध्याय-II : सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें	2	19
उत्तर प्रदेश राज्य एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड		
उत्तर प्रदेश राज्य एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड के क्रियाकलाप	2अ	19
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड		
जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण	2ब	43
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड		
छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं निष्पादन	2स	61
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड		
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड के क्रियाकलाप	2द	79
अध्याय-III : सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक विषय	3	99
सरकारी कम्पनियाँ	3अ	99
सांविधिक निगम	3ब	132

परिशिष्ट	संख्या	पृष्ठ
सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2002 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी	1	141
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी	2	153
प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर बिलम्बन अनुमन्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन और प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को मार्च 2002 की समाप्ति पर दर्शाती हुई विवरणी	3	165
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	4	170
सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	5	174
सांविधिक निगमों की परिचालनात्मक कार्यसम्पादन को दर्शाती विवरणी	6	178
उन कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत 5 वर्षों से 5 करोड़ रुपये से कम था तथा जिनके लेखे प्रमाणित थे, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी	7	181
कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षों से घाटा दे रही हैं, जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी	7अ	182
विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) को दर्शाती विवरणी	8	184
विभागवार ड्राफ्ट प्रस्तारों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, को दर्शाती विवरणी	9	185
अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619-बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं समेकित कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	10	186
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की 1996-97 से 2000-01 तक के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करती हुई विवरणी	11	187
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के 1996-97 से 2000-01 तक के पाँच वर्षों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	12	188
जी आई ट्यूब्स का भार दर्शाने वाले मानक आईएस:1239 के अंश	13	189
राइजर पाइप की विशिष्टतायें प्रदर्शित करने वाले मानक आईएस:9301 के अंश	14	190
हैडपम्प का छाया चित्र (इण्डिया मार्क II)	15	191
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में मानकों से अधिक लाइनों के निर्माण के कारण हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	16	192
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में उच्चतर लागत पर बोल्ट और नट सहित एल टी क्लैम्पस की अधिप्राप्ति को दर्शाने वाली विवरणी	17	193
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में सामग्री की दुलाई पर हुये अधिक व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	18	195
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के सम्बन्ध में समय और लागत अतिक्रमण दर्शाने वाली विवरणी	19	197

परिशिष्ट	संख्या	पृष्ठ
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में समय और लागत अतिक्रमण को दर्शाने वाली विवरणी	20	198
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदन की तिथि से निविदा/अनुबन्ध को अंतिम रूप देने में विलम्ब को दर्शाने वाली विवरणी	21	199
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्षमता उपयोग में गिरावट दर्शाने वाली विवरणी	22	200
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में परियोजना को उसके सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद वाणिज्यिक भार पर रखे जाने में विलम्ब को दर्शाने वाली विवरणी	23	201
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में अत्यधिक आउटेज के कारण उत्पादन की हानि दर्शाने वाली विवरणी	24	202
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त ऋण के कम उपयोजन के कारण परिहार्य ब्याज देयता दर्शाने वाली विवरणी	25	203
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च 2001 तक के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम दर्शाती हुई विवरणी	26	204
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में 2000-2001 तक के पाँच वर्षों के वर्ष-वार वित्तीय आवंटन को दर्शाती विवरणी	27	206
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1996-2001 के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर किये गये व्यय को दर्शाती विवरणी	28	207
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में सामग्री के परिवहन पर अतिरिक्त व्यय को दर्शाती विवरणी	29	208

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

- (i) सरकारी कम्पनियाँ,
- (ii) सांविधिक निगम, एवं
- (iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है तथा यह समय-समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. उत्तर प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप 9.11.2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। वर्ष 2000-01, में 14 सरकारी कम्पनियाँ (7 कार्यरत व 7 कार्यविहीन) उत्तरांचल राज्य को स्थानान्तरित की गई थी। उत्तरांचल हिल इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन लिमिटेड व उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित मामले भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2002 को समाप्त हुये प्रतिवेदन (सिविल), उत्तरांचल सरकार में सम्मिलित किये जायेंगे। इसी तरह, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं निष्पादन की समीक्षा जिसे इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है और जिसमें उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद की स्थिति का कुछ हिस्सा सम्मिलित है, को भी उत्तरांचल सरकार के 31 मार्च 2002 के सिविल प्रतिवेदन के वाणिज्यिक अध्याय में सम्मिलित किया जायेगा।

4. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम जो एक निबंधित संस्था है, की लेखा परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

5. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा उत्तर प्रदेश वन निगम जो सांविधिक निगम है, के सम्बन्ध में सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची में से निगम द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में सीएजी को उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य नियामक आयोग के मामले के भी सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

6. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2001-2002 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2001-2002 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2002 को, राज्य में 84 सरकारी कम्पनियों तथा सात सांविधिक निगमों सहित 91 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे जो पिछले वर्ष भी उतने ही थे। 84 सरकारी कम्पनियों में से 44 सरकारी कम्पनियाँ कार्यरत थीं जबकि 40 सरकारी कम्पनियाँ कार्यविहीन थीं। सभी सात सांविधिक निगम कार्यरत निगम थे।
- कार्यरत पीएसयू में कुल निवेश 31 मार्च 2001 के 14662.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2002 को 16322.83 करोड़ रुपये हो गया। कार्यविहीन पीएसयू में कुल निवेश उसी अवधि के दौरान 851.11 करोड़ रुपये से बढ़कर 864.11 करोड़ रुपये हो गया।
- कार्यरत पीएसयू को वितरित की गई पूँजी, ऋण तथा अनुदानों/उपदानों के रूप में बजट सहायता, 2000-2001 के 5620.38 करोड़ रुपये से घटकर 2001-2002 में 2839.02 करोड़ रुपये हो गयी। राज्य सरकार ने 2001-2002 के दौरान तीन कार्यविहीन कम्पनियों को 3.06 करोड़ रुपये का ऋण भी निर्मुक्त किया। राज्य सरकार ने 2001-2002 के दौरान कार्यरत पीएसयू को कुल 1206.09 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। सभी पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत दिये गये बकाया ऋणों की राशि 31 मार्च 2002 को 2499.97 करोड़ रुपये थी।
- मात्र दो कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2001-2002 के अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया। शेष 42 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2002 को, एक वर्ष से 14 वर्षों तक की आरेखित अवधियों से बकाये में थे। सभी कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों के लेखे 30 सितम्बर 2002 को, एक वर्ष से 27 वर्षों तक की आरेखित अवधियों से बकाये में थे।
- अद्यतन लेखों के अनुसार, 11 कार्यरत पीएसयू (9 सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम) ने कुल 41.57 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। जिनमें से वर्ष के दौरान, दो सरकारी कम्पनियों ने 0.98 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। इसके विरुद्ध, 35 कार्यरत पीएसयू (32 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम) ने अद्यतन लेखों के अनुसार कुल 621.01 करोड़ रुपये की हानि उठाई। हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 22 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ 2192.36 करोड़ रुपये की थीं जो उनकी 913.84 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई। हानि उठाने वाले तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों की संचित हानियाँ कुल

1134.41 करोड़ रुपये की थी जो उनकी 421.37 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थी।

- अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्ष के पश्चात् भी, 16 कार्यरत कम्पनियों में प्रत्येक का व्यवसाय उनके अद्यतन लेखों के अनुसार पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये से कम था। पुनः, 12 कार्यरत कम्पनियाँ, लगातार पाँच वर्षों से हानि उठा रही थी जिससे इनकी निवल परिसम्पत्तियाँ ऋणात्मक हो गई।

(प्रस्तर 1.1 से 1.10)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षाएँ

उत्तर प्रदेश राज्य एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

2अ. उत्तर प्रदेश राज्य एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड के क्रियाकलाप उत्तर प्रदेश राज्य एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड (एगो) की स्थापना राज्य के कृषि उद्योगों के विकास व संवर्धन के मुख्य उद्देश्य से की गयी थी। एगो इन उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबन्धकीय व्यावसायिक दक्षता की कमी एवं प्रबन्ध निदेशकों के बार-बार बदले जाने के कारण असफल रहा और इसलिये वह तकनीकी विकास की गति से मेल नहीं रख सका। कमजोर क्षेत्रों को इंगित न कर पाने और उनमें सुधार न कर पाने, भण्डार रहतिया व देनदारों की वृद्धि, बैंक अवशेषों के मिलान न करने, कार्यों में अधिक लागत आदि के कारण यह प्रत्येक वर्ष हानि उठा रहा था। समीक्षा के कुछ मुख्य बिन्दु जो प्रकाश में आये, नीचे दिये गये हैं:

- एगो ने 1042 अननुमोदित माडल के ट्रैक्टरों की बिक्री के फलस्वरूप कुल 3.13 करोड़ रुपये का अननुमन्य उपदान अग्रसारित कर दिया।

(प्रस्तर 2अ.3.1)

- दोषयुक्त (0.19 करोड़ रुपये) व कम भार (0.46 करोड़ रुपये) के जीआई पाइप के क्रय से एगो को 0.65 करोड़ रुपये व हैण्डपम्पों के अधिक दर पर क्रय से 1.38 करोड़ रुपये की हानि हुई। हैण्डपम्पों का अधिष्ठान, आवरण पाइपों की अधिक खपत (0.69 करोड़ रुपये) व बेसिक शिक्षा परिषद से अधिक मार्जिन (3.93 करोड़ रुपये) के प्रभारण से ग्रसित रहा। पुनः, एगो ने 0.58 करोड़ रुपये के बिक्री कर का दोहरा/परिहार्य भुगतान कर दिया।

(प्रस्तर 2अ.3.2.2 से 2अ.3.4.3 व 2अ.5.1)

- एगो ने आयातित डाई-अमोनियम फास्फेट की बिक्री में दुबई की एक फर्म को एमएमटीसी के माध्यम से 9.49 करोड़ रुपये के उपदान अग्रसारित करने को सुलभ बनाया।

(प्रस्तर 2अ.4.4)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

2ब. जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व औद्योगिक विकास को गति देने के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को सौंपा। मार्च 2001 तक राज्य के मात्र 59 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हो पाये थे। कम्पनी ऐसी समस्याओं जैसे कार्यों पर अधिक लागत, पूर्व विद्युतीकृत ग्रामों का पुनः विद्युतीकरण व असत्य उपयोजन प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण को रोक पाने के लिए उचित अनुश्रवण व नियन्त्रण तन्त्र विकसित करने में असफल रही। समीक्षा के कुछ मुख्य बिन्दु जो प्रकाश में आये, नीचे दिये गये हैं:

- उच्चतर फेज और तारों के उपयोग के कारण 1.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई, जिनमें 35.53 लाख रुपये की उच्च अधिलागत वाले अधिक क्षमता के परिवर्तकों की संस्थापना, 22.02 लाख रुपये की अधिक लागत वाले पोल और कण्डक्टर का उपयोग, एलटी क्लैम्प्स की अधिप्राप्ति और सामग्री की दुलाई पर 0.62 करोड़ रुपये के अधिव्यय शामिल थे।

{प्रस्तर 2ब.3(i से iv एवं vi)}

- एमएलए/एमएलसी कोटा के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना में प्रति पाँच ग्रामों के लिए प्रति एमएलए/एमएलसी के लिए यथा निर्धारित 25.00 लाख रुपये की सीमा का पालन नहीं किया गया जिसके कारण 4.36 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्री व मुख्यमंत्री ने क्रमशः 31 व 5 ऐसे ग्रामों का 1.56 करोड़ रुपये व 16.58 लाख रुपये की लागत पर विद्युतीकरण करवाया जो कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं थे।

{प्रस्तर 2ब.5.2 (i एवं iii)}

- प्रत्याशित और सम्भावित उपभोक्ताओं के बिना ग्रामों के विद्युतीकरण के कारण 31 मार्च 2002 तक 46.67 लाख रुपये की सम्भावित आय की हानि के अतिरिक्त 4.18 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2ब.4.1)

- एमएलए कोटा के अन्तर्गत 18 ऐसे ग्रामों का चयन व जिला योजना निधि से 0.93 करोड़ रुपये की लागत पर पुनः विद्युतीकरण किया गया, जो पहले से ही विद्युतीकृत थे।

{प्रस्तर 2ब.5.3 (i)}

- 5.45 करोड़ रुपये की ग्राम विद्युतीकरण निधि का अन्य उद्देश्यों के लिए अन्तरित किया गया या उपयोग नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2ब.6.4)

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

2स. छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं निष्पादन
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (जेवीएन) की स्थापना, राज्य में छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं व ऊर्जा निष्कर्षण तन्त्र की स्थापना हेतु की गई थी। जेवीएन ने 11 छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं को 17 से 86 महीनों के विलम्ब से 21.42 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत पर पूर्ण किया और नौ परियोजनाएं निर्धारित समय सूची से 3 से 116 महीने पीछे थीं। निर्माण कार्य ऐसी कमियों से ग्रसित थे जैसे परियोजनाओं को नियोजन के अभाव व अव्यवस्थित ढंग से हाथ में लेना जिससे विलम्ब व हानि हुई व व्यावसायिक दृष्टि से अनार्थिक परियोजनायें लेना आदि। नौ पूर्ण की गई परियोजनाओं का क्षमता उपयोजन, अपर्याप्त मूलभूत आंकड़ों के होते गलत नियोजन के कारण कम था। पुनः, वांछित एकल परिपथ लाइन व न्यून विशिष्टि के पोलों की जगह, सम्बन्धित पारेषण तन्त्र दोहरी परिपथ लाइन व उच्च विशिष्टियों के टावर का था। समीक्षा के कुछ मुख्य बिन्दु जो प्रकाश में आये, नीचे दिये गये हैं:

- बेलका तथा बबेल परियोजनाओं में (प्रत्येक 3 मेगावाट की) भूमि की अधिप्राप्ति, आरेखन के अनुमोदन तथा कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ जिसके कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई क्योंकि 1.61 करोड़ रुपये के दावे स्वीकार करने पड़े।

(प्रस्तर 2स.2.2)

- परियोजनाओं के निष्पादन में जेवीएन ने (i) मिट्टी के कार्य में 0.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय (ii) अतिरिक्त लीड पर 0.54 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय (iii) कम बीमा के कारण 4.96 करोड़ रुपये की हानि तथा (iv) अधिक भू-कटाई के कारण 1.04 करोड़ रुपये के निरर्थक व्यय किये।

(प्रस्तर 2स.4.2.1 से 2स.4.2.3 तथा 2स.4.2.5)

- पारेषण कार्यो में, वांछित एकल परिपथ लाइन के स्थान पर दोहरी परिपथ पारेषण लाइन के प्रयोग से 1.53 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय, उच्चतर विशिष्टियों के खम्भों के प्रयोग से 44 लाख रुपये का अधिक व्यय तथा 22 लाख रुपये की लागत पर अस्तित्व विहीन गाँवों के विद्युतीकरण की प्रमुखता रही।

(प्रस्तर 2स.6.2 से 2स.6.4)

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड

2द. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड के क्रियाकलाप

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पीसीएल) की स्थापना, मई 1976 में नये नलकूपों की अवस्थापना एवं विद्यमान नलकूपों में सुधार करने तथा राज्य में लघु सिंचाई की सम्भावनाओं के विकास में सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी।

कोपू ने, जुलाई 1997 में संस्तुति की कि नलकूपों की अवस्थापना से सम्बन्धित कार्य केवल पीसीएल द्वारा ही निष्पादित किया जाय। कोपू की संस्तुतियों के बावजूद, पीसीएल अपने उपरिव्ययों को वहन करने हेतु पर्याप्त कार्य प्राप्त करने में असफल रहा। समीक्षा के कुछ मुख्य बिन्दु जो प्रकाश में आये, नीचे दिये गये हैं:

- मार्च 2001 के अन्त में संचित हानि (12.18 करोड़ रुपये) ने पीसीएल की प्रदत्त पूँजी (6.40 करोड़ रुपये) को पूर्णतः क्षरित कर दिया। इसके अतिरिक्त, अनुपयोजित सरकारी निधि पर ब्याज आय व अतिरिक्त सेन्टेज के अमान्य क्रेडिट आदि से 14.32 करोड़ रुपये तक हानि कम प्रदर्शित की गई।

(प्रस्तर 2द.1.4)

- नाबार्ड योजना के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण में मुख्यतः दरों की पर्याप्तता और औचित्य की जाँच किये बिना कार्यों को स्वीकार करने तथा उन शर्तों को स्वीकार करने के कारण जो पीसीएल के हित में नहीं थीं, इसने 7.20 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

(प्रस्तर 2द.2.1.1)

- ओवार्डटी योजना के अन्तर्गत, पीसीएल ने 30 आंशिक रूप से निर्मित नलकूपों पर 21.60 लाख रुपये का निष्फल व्यय किया।

(प्रस्तर 2द.2.2.1)

3. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक विषय

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड

- कम्पनी ने, वीआरएस के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभों का आगणन करते समय अन्तरिम राहत एवं नगर प्रतिकर भत्ते को गलत रूप से सम्मिलित करके 36.24 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया।

(प्रस्तर 3अ.1)

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

- आगरा के भण्डार परिसर में सेल के भण्डार को संचालित करने हेतु इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज संस्थापित न किये जाने से, कम्पनी को 27.62 लाख रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3अ.3)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

- कम्पनी ने यह सत्यापित किये बिना कि जमा धन का बीमा नहीं किया जा सकता था, 0.55 करोड़ रुपये जमा कर दिये और हानि उठाई।
(प्रस्तर 3अ.7)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

- आबंटी को भूमि का कब्जा देने में परिहार्य विलम्ब के कारण ब्याज की माफी देने से कम्पनी ने 0.87 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि उठाई।
(प्रस्तर 3अ.9)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी ने इस्पात के नलिकाकार खम्भों के क्रयादेश में न्यूनतम गारण्टीयुक्त भार के सम्मिलित न किये जाने के कारण 0.65 करोड़ रुपये की हानि उठाई।
(प्रस्तर 3अ.13)

- कम्पनी, शासन द्वारा न्यूनतम उपभोग गारण्टी के अनियमित माफ किये जाने, नियमों के उल्लंघन में शासन द्वारा किशतों की सुविधा अनुमत किये जाने तथा उसके द्वारा देयों को वापस किये जाने पर शासन की असहमति के कारण 48.53 लाख रुपये के अतिदेयों की वसूली नहीं कर सकी।
(प्रस्तर 3अ.19)

- बकाये को आंशिक रूप से वसूले जाने के मौखिक निर्देशों जिन्हें बाद में अभिपुष्ट नहीं किया गया, के परिणामस्वरूप 7.69 करोड़ रुपये के बकाये का संचयन हुआ तथा 3.28 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रभार का आरोपण नहीं किया गया।
(प्रस्तर 3अ.21)

- कम्पनी ने कण्डक्टर के प्रयोग में अनुमन्य से अधिक अपव्यय होने के कारण 47.48 लाख रुपये की हानि उठाई।
(प्रस्तर 3अ.24)

- कम्पनी ने सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन में और ऊर्जा सचिव की पहल पर एक उपभोक्ता को अनुचित रूप से अधिमान दिये जाने के कारण 0.59 करोड़ रुपये की हानि उठाई।
(प्रस्तर 3अ.27)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

- दोषपूर्ण मूल्यांकन पद्धति के कारण, बिक्री योग्य स्वामित्व न रखने वाली झूठी और जाली प्रतिभूति को स्वीकार किया गया जिसके परिणामस्वरूप 0.72 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।
(प्रस्तर 3ब.5)

अध्याय-I

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2002 को राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन 84 सरकारी कम्पनियाँ (44 कार्यरत कम्पनियाँ तथा 40 कार्यविहीन कम्पनियाँ)¹ तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे जबकि 31 मार्च 2001 को 84² सरकारी कम्पनियाँ (47 कार्यरत कम्पनियाँ एवं 37 कार्यविहीन कम्पनियाँ) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे। तीन³ कार्यरत कम्पनियाँ जो पिछले वर्ष कार्यरत थीं इस वर्ष कार्यविहीन हो गईं। सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) का लेखा-परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा सम्पादित की जाने वाली अनुपूरक लेखा परीक्षा के भी अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्थाएं नीचे प्रदर्शित की गई हैं:

क्र० सं०	निगम का नाम	सी ए जी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सी ए जी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
2.	उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	शासपत्रित लेखाकारों द्वारा तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	राज्य भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	शासपत्रित लेखाकारों द्वारा तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
6.	उत्तर प्रदेश वन निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	वन निगम अधिनियम में संशोधन प्रतीक्षित है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा भी लेखा परीक्षा की जा रही है
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	शासपत्रित लेखाकारों द्वारा तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा

¹ कार्यविहीन कम्पनियाँ वह हैं जो कि परिसमापन अथवा बन्दी अथवा संविलय की प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं।

² 14 सरकारी कम्पनियों को छोड़कर (सात कार्यरत कम्पनियाँ एवं सात कार्यविहीन कम्पनियाँ) जो वर्ष 2000-01 के दौरान उत्तरांचल को अन्तर्गत की गई हैं।

³ परिशिष्ट-1 की क्रम संख्या स-3 (उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टॉक स्पेशलिटीज लिमिटेड), स-36 (दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड) और स-39 (उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग गठित किया था जिसकी लेखा परीक्षा भी सीएजी द्वारा सम्पन्न की जा रही है।

1.2 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

1.2.1 कार्यरत पीएसयू में निवेश

मार्च 2001 के अन्त में 54 कार्यरत पी एस यू (47 सरकारी कम्पनियों एवं सात सांविधिक निगमों) तथा मार्च 2002 के अन्त में 51 कार्यरत पी एस यू (44 सरकारी कम्पनियों एवं सात सांविधिक निगमों) में कुल निवेश निम्न था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यरत पीएसयू की संख्या	कार्यरत पी एस यू में निवेश			योग
		अंशपूर्जी	अंशपूर्जी आवेदन राशि	ऋण ⁴	
2000-01	54	7,155.88	493.58	7,013.50	14,662.96
2001-02	51	7,241.82	1,304.99	7,776.02	16,322.83


कार्यरत पी एस यू में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती प्रस्तारों में दिया गया है।

31 मार्च 2001 और 31 मार्च 2002 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूर्जी और दीर्घाविधि ऋण) और उसके प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दिये गये हैं:

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

2000-01 के अन्त में
(14,662.96 करोड़ रुपये)

2001-02 के अन्त में
(16,322.83 करोड़ रुपये)



(कोष्ठक के आंकड़े निवेश के प्रतिशत को इंगित करते हैं)



⁴ प्रस्तार 1.2.1, 1.2.1.1 एवं 1.2.1.2 में वर्णित दीर्घाविधि ऋणों में उस पर देय और संचित व्याज सम्मिलित नहीं है।

1.2.1.1 कार्यरत सरकारी कम्पनियों

मार्च 2001 के अन्त में 47 सरकारी कम्पनियों तथा मार्च 2002 के अन्त में 44 सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्न था:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कार्यरत सरकारी कम्पनियों की संख्या	कार्यरत पी एस यू में निवेश			योग
		अंशपूँजी	अंशपूँजी आवेदन राशि	ऋण	
2000-01	47	6,723.35	411.51	5,688.09	12,822.95
2001-02	44	6,730.00	1,302.78	6,132.41	14,165.19

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में अंशपूँजी तथा ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में निवेश मुख्यतः ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास, चीनी एवं वित्त पोषण क्षेत्रों में ऋण एवं अंशपूँजी में वृद्धि के कारण बढ़ गया था।

31 मार्च 2002 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश में अंशपूँजी और ऋण, 31 मार्च 2001 के 55.64 प्रतिशत तथा 44.36 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 56.71 प्रतिशत तथा 43.29 प्रतिशत था।

1.2.1.2 कार्यरत सांविधिक निगम

सात कार्यरत सांविधिक निगमों में कुल निवेश मार्च 2002 तथा मार्च 2001 के अन्त में निम्नवत था:

(करोड़ रूपये में)

निगम का नाम	2000-01		2001-02	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	321.37	104.13	321.37	137.68
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	100.00 (79.86)	1,019.82	179.28	1,208.17
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	11.16 (2.21)	10.00	11.17 (2.21)	131.07
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	54.00	-	19.94
उत्तर प्रदेश जल निगम	-	320.14 ⁵	-	130.36
उत्तर प्रदेश वन निगम	-	12.50	-	14.75
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	1.65	-	1.65
योग	432.53 (82.07)	1,522.24	511.82 (2.21)	1,643.62

(कोष्ठक के आंकड़े अंशदान आवेदन राशि को इंगित करते हैं)।

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंशपूँजी और ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

⁵ निगम द्वारा 2001-02 के दौरान अंतिम रूप दिये गये वर्ष 2000-01 के लेखों के अनुसार ।

1.2.2 बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति, देयों की माफी एवं ऋणों का अंशपूर्जी में परिवर्तन

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, देयों की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अंशपूर्जी में परिवर्तन सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 एवं 3 में दिये गये हैं।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को 2001-2002 तक के दो वर्षों में राज्य सरकार से बजट बहिर्गमन (अंशपूर्जी और ऋण के रूप में) तथा अनुदान/उपदान नीचे दिये गये हैं:

(राशि: करोड़ रुपये में)

विवरण	2000-01				2001-02			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से अंशपूर्जी बहिर्गमन	11	2,935.16	1	5.00	8	902.96	-	-
बजट से दिये गये ऋण	12	2,153.57	3	22.50	9	374.66	-	-
अनुदान/ उपदान								
(i) परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ योजनाओं को	5	63.60	2	435.08 ⁶	6	1,176.15 ⁷	2	376.52 ⁸
(ii) अन्य उपदान	2	5.47		-	3	6.68 ⁹	1	2.05
कुल उपदान	7	69.07	2	435.08	6	1,182.83	3	378.57
कुल बहिर्गमन	20 ¹⁰	5,157.80	4 ¹⁰	462.58	18 ¹⁰	2,460.45	3 ¹⁰	378.57

वर्ष 2001-2002 के दौरान, सरकार ने 12 कार्यरत कम्पनियों (1062.08 करोड़ रुपये) तथा चार कार्यरत सांविधिक निगमों (144.01 करोड़ रुपये) द्वारा लिये गये कुल 1,206.09 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अन्त में 18 कार्यरत सरकारी कम्पनियों (1,542.63 करोड़ रुपये) एवं पाँच कार्यरत सांविधिक निगमों (957.34 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 2,499.97 करोड़ रुपये की राशि की प्रत्याभूति बकाया थी। उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड (परिशिष्ट-3 की क्रम संख्या अ-4) वर्ष के दौरान प्रत्याभूति दिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान में दोषी रहा। सरकार ने 2001-2002 के दौरान, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड (38.98 करोड़ रुपये) तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (2.40 करोड़ रुपये) को ऋण

⁶ 0.30 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

⁷ 201.37 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

⁸ 3.62 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

⁹ अनुदान ।

¹⁰ कम्पनियों/निगमों की संख्या को इंगित करते हैं जिन्हें सरकार से संबंधित वर्षों में अंशपूर्जी, ऋण, अनुदान तथा उपदानों के रूप में बजट का सहयोग प्राप्त हुआ ।

के पुनर्भुगतान पर स्थगन प्रदान करते हुए 41.38 करोड़ रुपये का अधित्याग किया। वर्ष के दौरान सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (115.38 करोड़ रुपये) तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (79.86 करोड़ रुपये) में 195.24 करोड़ रुपये की राशि के अपने ऋणों को अंशपूर्जी में भी परिवर्तित कर दिया। 2001-2002 के दौरान 12 सरकारी कम्पनियों एवं चार सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान किया गया/देय प्रत्याभूति कमीशन क्रमशः 2.58 करोड़ रुपये और 1.24 करोड़ रुपये था।

1.2.3 कार्यरत पीएसयू द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कम्पनी के लेखों को, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619-बी सपठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से छः मास के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ माह के अन्दर विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखों को सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण, लेखा परीक्षित तथा विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

तथापि, जैसा कि परिशिष्ट-2 से देखा जा सकता है, 44 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में केवल दो¹¹ कार्यरत कम्पनियों ने तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों में से किसी भी निगम ने वर्ष 2001-2002 के अपने लेखों को संकल्पित अवधि के अन्दर अन्तिम रूप नहीं दिया। अक्टूबर 2001 से सितम्बर 2002 तक की अवधि के दौरान, 33 कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने पूर्व वर्षों के 37 लेखों को अन्तिम रूप दिया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान चार कार्यरत सांविधिक निगमों ने पूर्व वर्षों के छः लेखों को अन्तिम रूप दिया।

30 सितम्बर 2002 को, 42 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 14 वर्षों तक की अवधि से निम्न विवरण के अनुसार बकाये में थे:

क्र० सं०	कार्यरत कम्पनियों/सांविधिक निगमों की संख्या		परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ		वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जबसे लेखे बकाया हैं
	सरकारी कम्पनियों	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियों	सांविधिक निगम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1		26		1988-89	14

¹¹ परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-3 (उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीच एवं विकास निगम लिमिटेड) और अ-22 (उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड) ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	3		11, 19,38		1991-92	11
3	1		42		1994-95	8
4	2		8, 9		1995-96	7
5	2		16, 23		1996-97	6
6	2	2	12, 25	5, 7	1997-98	5
7	5		27, 29, 39, 43, 44		1998-99	4
8	4	1	28, 32, 33, 40	4	1999-00	3
9	7	1	1, 7, 20, 30, 34, 35, 41	2	2000-01	2
10	15	3	2,4,5,6,10,13,14,15, 17,18,21, 24,31,36, 37	1,3,6,	2000-01	1

प्रशासकीय विभागों को यह देखना और सुनिश्चित करना होता है कि पीएसयू द्वारा लेखे निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये गये हैं और अंगीकृत कर लिये गये हैं। यद्यपि, सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों और सरकारी कर्मचारियों को लेखा परीक्षा द्वारा अपूर्ण लेखों के बकाये के बारे में त्रैमासिक रूप से जानकारी दी गई थी, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप इन पीएसयू की निवल परिसम्पत्तियों का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

1.2.4 कार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थितियाँ और कार्यचालन परिणाम

अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, कार्यरत पीएसयू (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यरत सांविधिक निगमों के अद्यतन तीन वर्षों के पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी क्रमशः परिशिष्ट-4 व 5 में दी गयी है।

44 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार, 32 कम्पनियों और तीन निगमों ने क्रमशः 454.30 करोड़ रुपये और 166.71 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई, 12 कम्पनियों और तीन निगमों ने क्रमशः 13.27 करोड़ रुपये और 61.79 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम¹² ने लेखें प्रस्तुत नहीं किये।

1.2.4.1 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.2.4.1.1 लाभार्जन वाली कार्यरत कम्पनियाँ और लाभांश

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-3 और अ-22) जिन्होंने 2001-2002 के अपने लेखों को सितम्बर 2002 तक अन्तिम रूप दे दिया था, ने कोई लाभ अर्जित नहीं किया।

¹² परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या : ब-7

इसी प्रकार, नौ लाभार्जन करने वाली कम्पनियाँ जिन्होंने अक्टूबर 2001 से सितम्बर 2002 की अवधि में अपने पिछले वर्षों के लेखों को अन्तिम रूप दिया था, ने कुल 9.08 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इनमें से सात¹³ कम्पनियाँ दो या दो से अधिक वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रही थीं। इनमें से केवल उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-20 और अ-36) ने कुल 0.98 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। सरकार ने न्यूनतम लाभांश भुगतान के लिये कोई लाभांश नीति नहीं तैयार की है।

1.2.4.1.2 हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

32 हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 22 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ 2,192.36 करोड़ रुपये की थीं, जो उनकी 913.84 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थी।

खराब उपलब्धियों और प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद, राज्य सरकार इन कम्पनियों को पूँजी अंशदान, ऋणों की अतिरिक्त प्रदत्ति, ऋणों का अंशपूँजी, उपदान में परिवर्तन आदि के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान करती रही। राज्य सरकार द्वारा 2001-2002 के दौरान 11 कम्पनियों को अंशपूँजी, ऋणों की अतिरिक्त प्रदत्ति, उपदान तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के रूप में उपलब्ध कराया गया वित्तीय सहयोग 2,541.59 करोड़ रुपये का था।

1.2.4.2 कार्यरत सांविधिक निगम

1.2.4.2.1 लाभार्जन वाले सांविधिक निगम तथा लाभांश

किसी भी कार्यरत सांविधिक निगम ने सितम्बर 2002 तक 2001-2002 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया था।

चार कार्यरत सांविधिक निगमों जिन्होंने सितम्बर 2002 तक अपने पिछले वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप दिया था, में से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या ब-3 और ब-5) ने कुल 32.49 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और यह दोनों निगम दो या अधिक वर्षों तक लगातार लाभार्जन कर रहे थे।

1.2.4.2.2 हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

तीन हानि उठाने वाले कार्यरत सांविधिक निगमों में से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या ब-1 और ब-2) की कुल संचित हानियाँ 1,134.41 करोड़ रुपये की थीं जो उनकी 421.37 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थी।

¹³ परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या : अ-5, 10, 13, 20, 21, 36 और 44 ।

दयनीय कार्य सम्पादन तथा प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद, राज्य सरकार इन निगमों को पूँजी अंशदान, ऋणों की अतिरिक्त प्रदत्ति, ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन, उपदान आदि के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान करती रही। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 2001-2002 के दौरान दो निगमों को अंशपूँजी, ऋण, उपदान और ऋणों को अंशपूँजी में परिवर्तन के रूप में उपलब्ध कराया गया ऐसा वित्तीय सहयोग 82.51 करोड़ रुपये का था।

1.2.4.2.3 कार्यरत सांविधिक निगमों का कार्यचालन सम्पादन

कार्यरत सांविधिक निगमों का कार्यचालन सम्पादन परिशिष्ट-6 में दिया गया है, जिससे निम्न तथ्य उजागर होते हैं:

- (i) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चालू वाहनों की औसत संख्या (किराये की बसों सहित) 1999-2000 की तुलना में 2001-2002 में छः प्रतिशत तक गिर गई थी। औसत खर्च में बढ़ोत्तरी (1128 पैसे से 1247 पैसे) के परिणामस्वरूप प्रति किलोमीटर हानि 1999-2000 की तुलना में 2001-2002 में 116 पैसे से बढ़कर 179 पैसे हो गई। इसी अवधि में धारित अनुपात में कमी (63 प्रतिशत से 57 प्रतिशत) तथा परिचालित यात्री किलोमीटर में कमी (2316 करोड़ से 2043 करोड़ किलोमीटर) रही।
- (ii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के परिप्रेक्ष्य में अतिदेय मूलधन और ब्याज का प्रतिशत 1997-98 की तुलना में 1999-2000 में 41.32 से बढ़कर 84.74 हो गया जो कि खराब वसूली सम्पादन को दर्शाता था।

1.2.5 नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार 44 कार्यरत कम्पनियों में नियोजित पूँजी¹⁴ की गणना 7,734.90 करोड़ रुपये की गई तथा उस पर कुल प्रतिलाभ¹⁵, पूर्व वर्ष के (-)2.73 करोड़ रुपये की तुलना में (-)72.35 करोड़ रुपये रहा। इसी प्रकार, कार्यरत सांविधिक निगमों के प्रकरण में अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार नियोजित पूँजी और उस पर कुल प्रतिलाभ, पूर्व वर्ष के 113.11 करोड़ रुपये (1.94 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ की तुलना में क्रमशः 6,727.86 करोड़ रुपये तथा 130.14 करोड़ रुपये (1.93 प्रतिशत) आगणित किया गया।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के प्रकरण में नियोजित पूँजी और नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के विवरण परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं।

¹⁴ नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को प्रदर्शित करती है सिवाय वित्त पोषण कम्पनियों और निगमों को छोड़कर जहाँ यह कुल प्रदत्त पूँजी के पूर्व एवं अंतिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड, जमा तथा ऋण (पुनर्वित्त-पोषण सहित) प्रदर्शित करती है।

¹⁵ नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के आगणन हेतु, ऋण ली गई निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है/हानि से घटाया जाता है जैसा कि लाभ हानि खाते में प्रदर्शित किया गया।

1.2.6 विद्युत क्षेत्र में सुधार

(क) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

आयोग का गठन 10.09.1998 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अधीन इन मुख्य उद्देश्यों के साथ किया गया कि राज्य में विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा आपूर्ति उचित ढंग से प्रतिपादित की जा सके, राज्य में विद्युत उद्योग तथा विद्युत के क्रय, वितरण, आपूर्ति एवं उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, सेवा का स्तर, दर एवं अन्य भार उपभोक्ता के हित एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाय जिससे ऐसा वातावरण उत्पन्न हो कि निजी क्षेत्र के उद्यमी राज्य में विद्युत उद्योग स्थापित करने के लिये आकर्षित हों। आयोग एक निगमित निकाय है जिसमें सभापति को लेकर तीन सदस्य होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा का दायित्व उपरोक्त अधिनियम की धारा-34 के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। आयोग ने 2000-01 तक के अपने लेखे पूर्ण कर लिये हैं।

(ख) राज्य और केन्द्र सरकार के बीच हुए एमओयू के कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य व केन्द्र सरकार के मध्य एक सम्मिलित मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग (एमओयू) 25 जनवरी 2000 को बनी जिसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों पर इंगित मील के पत्थर पर कार्य किया जा सके जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- अधिक हानि वाले फीडरों को इंगित करना सहज हो सके, इस हेतु इनर्जी आडिट प्रोग्राम की परिकल्पना फीडर-वार इनर्जी लेखों के अनुश्रवण हेतु की गई थी। इस हेतु, सभी 11 केवी 6500 आउटगोइंग फीडर पैनलों पर मीटर लगाकर अनुश्रवण करना था। पुनः, उपभोक्ताओं के घरों में मार्च 2004 तक 100 प्रतिशत मीटर लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध, सितम्बर 2002 तक 27 प्रतिशत मीटर लगाये गये थे।
- लखनऊ शहर के 26 में से 24 केन्द्रों पर आन लाइन कम्प्यूटर बिलिंग की सुविधा दी जा चुकी थी। इसे बाद में 17 अन्य जिलों में भी लगाना था।
- एमओयू का अन्य बिन्दु लाभ वितरण केन्द्रों की स्थापना था। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ऐसे चार वितरण कम्पनियों (लेसा व नोएडा को छोड़कर) की स्थापना का निर्णय लिया (14 नवम्बर 2002)। अन्य कार्यान्वयन बिन्दुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था।
- रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन के अतिदेय को एक्सपर्ट ग्रुप, जिसकी स्थापना होनी थी, के हवाले करना था। पुनः, एमओयू की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय

पीएसयू के अतिदेयों को प्रत्याभूत किया जाना था। किन्तु इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया।

1.3 कार्यविहीन पीएसयू

1.3.1 कार्यविहीन पीएसयू में निवेश

मार्च 2001 के अन्त में 37 कार्य विहीन पीएसयू¹⁶ (सभी सरकारी कम्पनियों) तथा मार्च 2002 के अन्त में 40 कार्य विहीन पीएसयू¹⁶ (सभी सरकारी कम्पनियों) में कुल निवेश निम्न प्रकार रहा:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यविहीन पीएसयू की संख्या	कार्यविहीन पीएसयू में निवेश			
		अंशपूँजी	अंशपूँजी आवेदन राशि	ऋण	योग
2000-01	37	386.60	47.88	416.63	851.11
2001-02	40	390.01	49.06	425.04	864.11

मार्च 2002 के अन्त में कार्य विहीन सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश	
			अंशपूँजी ¹⁷	दीर्घावधि ऋण
(i)	परिसमापन/बन्दी के अन्तर्गत	9	12.94	11.04
(ii)	संविलय के अन्तर्गत	2	0.44	2.09
(iii)	अन्य ¹⁸	29	425.69	411.91
	योग	40	439.07	425.04


उपरोक्त कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों में से नौ सरकारी कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत 6 से 29 वर्षों से परिसमापनाधीन अथवा बन्दी के अन्तर्गत थीं और इन कम्पनियों में 23.98 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश सन्निहित था। उनके त्वरित परिसमापन अथवा पुनर्जीवन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

¹⁶ कार्यविहीन सांविधिक निगम कोई नहीं है।

¹⁷ अन्य में दर्शित कम्पनियों की अंशपूँजी में 49.06 करोड़ रुपये की अंशपूँजी आवेदन राशि भी शामिल है।

¹⁸ बन्द एवं कार्य विहीन कम्पनियाँ।

31 मार्च 2001 और 2002 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋणों) और उनके प्रतिशत को निम्न पाई चार्टों में इंगित किया गया है:



1.3.2 बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

राज्य सरकार द्वारा कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों को बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, बकायों की माफी तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के विवरण परिशिष्ट-1 व 3 में दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने 2001-02 के दौरान तीन¹⁹ कार्यविहीन कम्पनियों को 3.06 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में बजट सहयोग प्रदान किया। 31 मार्च 2001 को छः कार्यविहीन कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गयी 200.15 करोड़ रूपयों की बकाया प्रत्याभूतियों के विरुद्ध, वर्ष के अन्त में पाँच कार्य विहीन कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गयी बकाया प्रतिभूति कुल 36.07 करोड़ रुपये की थी।

1.3.3 कार्य विहीन सरकारी कम्पनियों पर कुल स्थापना व्यय

कार्य विहीन सरकारी कम्पनियों के 2001-02 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल स्थापना व्यय तथा वित्त पोषण के स्रोतों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं:

¹⁹ परिशिष्ट-1 के क्रम संख्या स-32 (मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड), स-36 (दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड), तथा स-40 (उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड)

31 मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

(राशि: करोड़ रुपये में)

वर्ष	पी एस यूज की संख्या	कुल स्थापना व्यय	वित्त पोषण				
			निवेश/परिसम्पत्तियों के निस्तारण द्वारा	निजी पार्टियों से ऋण द्वारा	सरकार द्वारा		अन्य
					ऋण	अनुदान	
1999-00	4	24.18	11.73	-	-	-	12.45
2000-01	4	0.99	0.92	-	-	-	0.07
2001-02	8 ²⁰	0.98	0.34	-	-	-	0.64

1.3.4 कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

30 सितम्बर 2002 को 40 कार्यविहीन कम्पनियों के लेखे 1 से 27 वर्षों तक की अवधि से बकाये में थे जैसा कि परिशिष्ट-2 के उपखण्ड-स से देखा जा सकता है।

1.3.5 कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार, कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं।

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार, कार्य विहीन सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवल पूँजी, नकद हानि/लाभ तथा संचित हानि/लाभ के विवरण नीचे दिये गये हैं:

(राशि: करोड़ रुपये में)

विवरण	प्रदत्त पूँजी	निवल पूँजी ²¹	नकद हानि (-)/लाभ ²² (+)	संचित हानि (-)/लाभ (+)
कार्यविहीन कम्पनियाँ	384.12	(-) 414.82	(-) 71.51	(-) 857.20

1.4 सांविधिक निगमों के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

निम्न तालिका, सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती है:

²⁰ 40 कार्यविहीन कम्पनियों में से केवल 8 कम्पनियों (परिशिष्ट-1 की क्रम संख्या: स-1, 3, 8, 16, 20, 36, 39 तथा 40) ने ही स्थापना व्यय के विवरण उपलब्ध कराये हैं।

²¹ निवल पूँजी, प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित निधि के योग से संचित हानि को घटाकर प्रदर्शित होती है।

²² नकद हानि/लाभ, वर्ष का हानि/लाभ एवं वर्ष के मूल्य ह्रास के योग को प्रदर्शित करती है।

अध्याय-1 सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

क्र० सं०	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जब तक के एसएआर विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिनके एसएआर विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किये गये		
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत किये जाने की तिथि	विधायिका के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1993-94	1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000	08.11.1996 20.01.1998 10.09.1999 12.01.2000 11.10.2001 05.10.2002	सूचना वांछित है
2.	उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	1992-93	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000	07.07.1995 18.04.1996 28.08.1998 17.12.1999 27.07.2000 20.10.2001 25.07.2002	सूचना वांछित है
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	1997-98	1998-99 1999-2000 2000-01	27.07.2000 29.05.2001 29.04.2002	सूचना वांछित है
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम ²³	--	1997-98 1998-99	17.08.2000 23.05.2002	सूचना वांछित है
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-- ²⁴	1990-91 1991-92 1992-93 1993-94	23.02.1998 23.02.1998 27.02.1998 19.08.1999	सूचना वांछित है
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-- ²⁴	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000	21.10.1997 18.02.1999 03.07.2000 19.09.2001 07.02.2002	सूचना वांछित है
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम ²⁵	--	--	--	--

राज्य सरकार ने एसएआर के विधायिका के सम्मुख प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी। अन्य के अलावा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की वर्ष 1993-94 की एसएआर 7.7.1995 को जारी की गई थी लेकिन इसके प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित सूचना अभी तक प्रतीक्षित है।

²³ लेखापरीक्षण 1997-98 से सौपा गया।

²⁴ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 1990-91 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश जल निगम की 1995-96 से पूर्व की सूचना शासन से वांछित है

²⁵ लेखापरीक्षण 1997-98 से सौपा गया, लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2002)।

1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना ²⁶

सरकार द्वारा बनायी गई (जून 1994) पीएसयू के निजीकरण/विनिवेश की नीति में, सभी उपक्रमों (सामाजिक और जन कल्याण की गतिविधियों तथा सार्वजनिक उपादेयता के कार्य में रत उपक्रमों को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा जिन्होंने अपने निवल पूँजी के 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था, की समीक्षा का प्रावधान था। परिसम्पत्तियों और देयताओं के मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों और उनके आधार, उद्यमियों के चयन आदि का विस्तृत विवरण देते हुये एक व्यापक नीति का निर्धारण सरकार को अभी भी करना है।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने तथा निर्णय लेने एवं अन्य विकल्पों जैसे आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि की संस्तुति करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन किया गया (दिसम्बर 1995)। ईसी की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। सरकार ने सूचित किया (मई 2000) कि ईसी की संस्तुतियों पर राज्य विनिवेश आयोग का गठन किया जा चुका है।

1.6 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम

अक्टूबर 2001 से सितम्बर 2002 की अवधि के दौरान, 40 सरकारी कम्पनियों (32 कार्यरत और 8 कार्य विहीन) तथा चार सांविधिक निगमों का समीक्षा हेतु चयन किया गया। पीएसयू की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का कुल प्रभाव निम्न प्रकार रहा:

विवरण	लेखों की संख्या			लाख रुपये में		
	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम
	कार्यरत	कार्यविहीन	कार्यरत	कार्यरत	कार्यविहीन	कार्यरत
(i) लाभ में कमी	5	-	-	1,321.40	-	-
(ii) हानि में वृद्धि	12	5	3	1,247.70	916.89	11,385.42
(iii) हानि में कमी	-	-	2	-	-	94.77
(iv) महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	11	-	4	2,635.05	-	5,53,572.23
(v) वर्गीकरण की त्रुटियाँ	8	-	3	1,739.23	-	32,364.23

नोट: कोई भी सांविधिक निगम कार्यविहीन नहीं है।

उपरोक्त में से कुछ कम्पनियों और निगमों के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गई कुछ मुख्य त्रुटियों और चूकों की चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित पाई गई त्रुटियाँ एवं चूकें

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (1999-2000)

- विविध देनदारों (36.73 करोड़ रुपये) में 4 करोड़ रूपया इण्डियन रोड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन, नई दिल्ली का सम्मिलित है जो कि परिसमापन में है तथा वसूली की सम्भावना संदिग्ध है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (1997-98)

- व्यापारिक रहतिया (476.20 करोड़ रुपये) को 32.62 करोड़ रुपये से कारखाने के मालगोदाम/आबद्ध मालगोदाम में भण्डारित चीनी तथा शीरे के भण्डार पर उत्पाद शुल्क का प्रावधान न किये जाने के कारण, कम दर्शाया गया फलस्वरूप चालू देयता तथा व्यापारिक रहतिया दोनों उस सीमा तक कम दर्शाये गये।
- अन्य स्रोतों से आय (22.72 करोड़ रुपये) में, निगम की दो नियंत्रित कम्पनियों (जिसके परिसमापन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है) को दिये गये ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज की आय 6.81 करोड़ रुपये सम्मिलित है। संदिग्ध ब्याज आय की मान्यता के फलस्वरूप वर्ष की हानि को कम तथा ऋण और अग्रिम को 6.81 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया है।
- बीआईएफआर द्वारा रिहैबिलिटेशन पैकेज स्वीकृत किये जाने तथा परिणामस्वरूप छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड-कम्पनी के नियन्त्रणाधीन कम्पनी के ऋण पर ब्याज के रूप में 1.74 करोड़ रुपये की माफी के निदेशक मंडल के परिणामी निर्णय (30.10.1999) के बावजूद उस राशि को अन्य स्रोतों से आय के रूप में माना गया जिसके परिणामस्वरूप उस राशि से ऋण तथा अग्रिम को अधिक तथा हानि को कम दर्शाया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (1998-99)

- ग्रुप ग्रेच्युटी-कम-लाइफ एश्योरेन्स पालिसी की प्रीमियम धनराशि का प्रावधान न करने के कारण, ग्रेच्युटी को 1.03 करोड़ रुपये से कम दर्शाया गया, परिणामस्वरूप वर्ष की हानि 1.03 करोड़ रुपये से कम दर्शायी गयी।

दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (1999-2000)

- सरकार ने कुल 33.53 करोड़ रूपयों के विभिन्न ऋणों के मूलधन को अंशपूँजी में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की (31.07.2002) लेकिन ब्याज को माफ नहीं किया गया। तथापि, कम्पनी ने 3.72 करोड़ रुपये के ब्याज की राशि का

प्रावधान नहीं किया, परिणामस्वरूप हानि तथा देयता प्रत्येक को 3.72 करोड़ रुपये से कम दर्शाया गया।

- सम्पत्तियों के वर्गीकरण पर प्रावधान (लीज एसिसटेंस और निवेश को सम्मिलित करके: 14.35 करोड़ रुपये) तथा वर्ष की हानि निम्न कारणों से 3.12 करोड़ रुपये से कम दर्शायी गयी:
 - (i) इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया (आईडीबीआई) द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में, एसवीसी सुपरकेम लिमिटेड से सम्बन्धित 15.00 करोड़ रुपये के आवधिक ऋण को गैर प्रमाणिक से प्रमाणिक स्तर पर अवस्थापित करने के परिणामस्वरूप 1.50 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं किया गया।
 - (ii) आईडीबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में, छः सम्पत्तियों को निम्न कोटि से प्रमाणिक घोषित करने पर 1.03 करोड़ रुपये का कम प्रावधान किया गया।
 - (iii) हिन्दुस्तान बायोटेक लिमिटेड में इक्विटी शेयर के रूप में निवेश के मूल्य में स्थायी कमी के लिये 0.59 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं किया गया।

1.6.2 सांविधिक निगमों से सम्बन्धित पाई गई त्रुटियाँ एवं चूकें

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (1998-99)

- वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, उन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन जो 01.01.1996 से 31.12.1998 के दौरान सेवानिवृत्त हुये, में भी संशोधन किया गया। तथापि, वेतन के बकाये के रूप में लेखाओं में 5.63 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, संचित हानि तथा अन्य दायित्व दोनों 5.63 करोड़ रुपये तक कम प्रदर्शित किये गये।

1.6.3 पीएसयू के वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताएं एवं प्रणाली दोष सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड

- कम्पनी के अन्तर्नियम की धारा 21(बी) के प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशक मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित शेयरों के आवंटन/अंतरण के तीन माह के अन्दर शेयर प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाने चाहिये। तथापि, कम्पनी ने अप्रैल 2002 तक शेयर प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये थे यद्यपि आवंटन 1990-91 के दौरान किया जा चुका था।

1.7 पीएसयू की बन्दी हेतु संस्तुति

अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्षों के बाद भी, 16 कार्यरत सरकारी कम्पनियों (परिशिष्ट-7) के कुल टर्न ओवर (बिक्री एवं अन्य आय), अद्यतन लेखों से पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये से कम रही है। इसी प्रकार, 12 कार्यरत सरकारी कम्पनियों (परिशिष्ट-7अ) लगातार पाँच वर्षों तक हानि उठाती रही थी (अद्यतन लेखों के अनुसार) जिससे निवल अचल परिसम्पत्तियाँ ऋणात्मक हो गयीं। क्षीण टर्न ओवर और लगातार हानियों की दृष्टि से, सरकार को उपरोक्त सरकारी कम्पनियों के कार्य सम्पादन में या तो सुधार करना चाहिये या उनके बन्दीकरण पर विचार करना चाहिये।

1.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों तथा समीक्षाओं पर अनुक्रिया

लेखा परीक्षण के दौरान पाई गई और मौके पर समाधान न की गई लेखा परीक्षा आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, पीएसयू के प्रमुख और राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाता है। पीएसयू के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर छः सप्ताहों के अन्दर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रस्तुत करने होते हैं। 66 पीएसयू से सम्बन्धित मार्च 2002 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों ने उजागर किया कि सितम्बर 2000 के अन्त तक 3,384 लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 12,448 प्रस्तर अनिस्तारित पड़े थे।

उनमें से 712 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 3,802 प्रस्तरों के उत्तर पाँच वर्षों से अधिक समय से नहीं दिये गये थे। 30 सितम्बर 2002 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-8 में दिया गया है।

इसी प्रकार, ड्राफ्ट प्रस्तरों और पीएसयू की कार्य प्रणाली पर समीक्षाओं को अर्धशासकीय रूप से प्रमुख सचिव, वित्त तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर उन पर उनकी टिप्पणियों तथा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि हेतु अग्रसारित किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि मई 2002 से अक्टूबर 2002 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित चार ड्राफ्ट समीक्षाओं तथा 34 ड्राफ्ट प्रस्तरों में से शासन ने 25 ड्राफ्ट प्रस्तरों और तीन ड्राफ्ट समीक्षाओं के उत्तर अब तक नहीं दिये हैं जैसा कि परिशिष्ट-9 में दिया गया है।

यह संस्तुत किया जाता है कि (क) सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि उन कर्मचारियों के विरुद्ध जो निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में असफल रहे, कोई कार्यवाही किये जाने की कार्यविधि विद्यमान हो, (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अति भुगतान की

एक समयबद्ध सारणी के अन्दर वसूली करने हेतु कार्यवाही की जाय तथा (ग) लेखा परीक्षा आपत्तियों पर अनुक्रिया देने की पद्धति का पुनोद्धार किया जाना चाहिये।

1.9 सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित कुल समीक्षायें एवं प्रस्तर		चर्चा हेतु लम्बित समीक्षाओं एवं प्रस्तरों की संख्या	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
1976-77	2	53	--	4
1977-78	5	28	--	3
1979-80	6	59	--	7
1980-81	6	30	--	1
1981-82	4	73	2	39
1982-83	5	50	3	16
1983-84	4	60	3	4
1984-85	2	14	1	7
1985-86	6	22	6	9
1986-87	3	28	2	13
1987-88	8	23	6	8
1988-89	5	22	3	10
1989-90	6	14	1	7
1990-91	6	21	4	19
1991-92	4	38	4	35
1992-93	5	33	3	26
1993-94	5	31	5	23
1994-95	5	41	5	23
1995-96	7	39	6	26
1996-97	8	40	8	20
1997-98	5	67	5	63
1998-99	5	26	5	26
1999-2000	4	41	4	41
योग	116	853	76	430

1.10 619-बी कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अन्तर्गत पाँच कम्पनियाँ आती थीं जिनमें से तीन कार्यविहीन थीं। परिशिष्ट-10, इन कम्पनियों के उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी, अंशदान, ऋण एवं अनुदान के माध्यम से निवेश तथा संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करता है।

अध्याय-II

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षणें

उत्तर प्रदेश राज्य एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

2अ. उत्तर प्रदेश राज्य एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड के क्रियाकलाप

मुख्य अंश

मार्च 1967 में स्थापित, उत्तर प्रदेश राज्य एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड (एगो) ने ट्रैक्टरों की बिक्री, हैंड पम्पों की स्थापना, कृषि यन्त्रों व पशु चारे का उत्पादन व बिक्री व कृषि उपादानों के वितरण आदि के क्रियाकलाप हाथ में लिये।

(प्रस्तर 2अ.1.1)

एगो की संचित हानि (मार्च 2001 के अन्त में 61.93 करोड़ रुपये) से उसकी प्रदत्त पूँजी (40 करोड़ रुपये) पूरी तरह क्षरित हो गई। एगो की दयनीय वित्तीय स्थिति के प्रमुख कारणों में कार्यचालन के मद-वार लाभ विश्लेषण का अभाव, उचित क्रय पद्धति का अभाव, क्रियाकलापों के दुष्प्रबन्धन आदि मुख्य हैं।

(प्रस्तर 2अ.1.5)

भारत सरकार द्वारा उपदानित होने वाले बिक्री योग्य ट्रैक्टरों के अनुमोदित माडलों के विरुद्ध, एगो ने 1042 अननुमोदित माडल के ट्रैक्टरों की बिक्री की जिसके फलस्वरूप 3.13 करोड़ रुपये का अननुमन्य उपदान अग्रसारित कर दिया गया।

(प्रस्तर 2अ.3.1)

दोषयुक्त (0.19 करोड़ रुपये) व कम भार (0.46 करोड़ रुपये) के जीआई पाइप के क्रय से एगो को 0.65 करोड़ रुपये व हैंडपम्पों की अधिक दर पर क्रय से 1.38 करोड़ रुपये की हानि हुई। हैंडपम्पों का अधिष्ठान, आवरण पाइपों की अधिक खपत (0.69 करोड़ रुपये) व बेसिक शिक्षा परिषद से अधिक मार्जिन (3.93 करोड़ रुपये) के प्रभारण से ग्रसित रहा। पुनः, एगो ने 0.58 करोड़ रुपये के बिक्री कर का दोहरा/परिहार्य भुगतान कर दिया।

(प्रस्तर 2अ.3.2.1 से 2अ.3.4.3 व 2अ.5.1)

निजी उद्यमियों के माध्यम से उर्वरक विपणन में उन्हें 0.85 करोड़ रुपये का अदेय लाभ पहुँचाया गया। पुनः, एग्रो ने आयातित डाई-अमोनियम फास्फेट की बिक्री में दुबई की एक फर्म को एमएमटीसी के माध्यम से 9.49 करोड़ रुपये के उपदान अग्रसारित करने को सुलभ बनाया।

(प्रस्तर 2अ.4.2 व 2अ.4.4)

पशु आहार भरने के लिए महँगे बोरों का प्रयोग करने से पशु आहार संयंत्र को 18.31 लाख रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2अ.6.2)

2अ.1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड (एग्रो) की स्थापना मार्च 1967 में की गई। इसके प्रमुख उद्देश्यों में, कृषि उद्योगों पर आधारित परियोजना या उद्यम या प्रोग्राम को सहायता देकर संवर्धन करना है जिससे कृषि उद्योग पर आधारित माल या संयंत्रों का निर्माण/उत्पादन सम्भव हो सके जो उत्तर प्रदेश के कृषि उद्योगों की उन्नति व संवर्धन में सहायक हो। उद्देश्य उपबन्ध को फरवरी 2000 में संवर्धित करके (i) कृषि, उद्यान, डेरी, मधुमक्खी पालन, पशुधन आदि में प्रयोज्य औजार/उपादानों का उत्पादन या व्यवसाय, (ii) ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यान, पुष्प संवर्धन, ग्रामीण उद्योग धंधे एवं विभिन्न प्रकृति के अन्य व्यवसाय जो ग्रामीण रोजगार, उत्पादकता, अथवा ग्रामीण क्षेत्रों की आय संवर्धन कर सके, (iii) कोई अन्य क्रियाकलाप या व्यवसाय जो कुल आय को बढ़ाये या वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करे या शासन एवं/अथवा अन्य संस्थानों द्वारा प्रदत्त किये जायें आदि को सम्मिलित कर दिया गया।

राष्ट्रीय कृषि नीति (एनएपी) में कृषि उपादानों व उत्पादों की मूल्य संरचना की ऐसी प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया जो कृषकों के कच्चेमाल व उत्पादों पर अधिक अधिलाभ प्रदान कर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को मूल्य प्रभावी बना सके। इस बात पर भी बल दिया गया कि जाली उपादानों के वितरण की जाँच के साथ-साथ, गुणात्मक उपादानों यथा बीज, उर्वरक, फसल सुरक्षा रसायन, बायो कीटनाशक, कृषि संयंत्र व उचित ब्याज पर कृषि ऋण, मिट्टी जाँच, एवं गुण परीक्षित उर्वरकों की गुणवत्ता जाँच व बीजों का पर्याप्त व समयबद्ध वितरण हो।

इन्हीं उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में, एग्रो ने 1996-97 से 2000-01 के बीच निम्नलिखित कार्य किये जो राज्य सरकार द्वारा समर्थित या वित्तपोषित थे:

कार्यकलाप	कार्य सम्पादन खण्ड का नाम
➤ ट्रैक्टरों की बिक्री, हैण्डपम्पों की स्थापना व कृषि संयंत्रों का निर्माण व बिक्री	✓ सेवा खण्ड
➤ उर्वरक/कृमिनाशक/कीटनाशक/बीज आदि का किसानों को वितरण	✓ विपणन खण्ड

कार्यकलाप	कार्य सम्पादन खण्ड का नाम
➤ कृषि संयंत्रों (टूलकिट, डिस्क हैरो, ग्रेनबिन आदि) का निर्माण	✓ कृषि कार्यशाला खण्ड
➤ पशु आहार का उत्पादन व बिक्री	✓ पशु आहार खण्ड

2अ.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

एमडी बार-बार बदले गये जिससे योजनाओं का नियोजन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण प्रभावित हुआ

एग्रो का प्रबन्धन एक निदेशक मण्डल करता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक (एमडी) एवं छः अन्य सदस्य होते हैं। एमडी, एग्रो का मुख्य कार्यकारी होता है। निदेशक मण्डल में व्यवसायिक दक्षता वाले व्यक्ति नहीं हैं। चार मुख्यमहाप्रबन्धक (विपणन, सेवा, पशु आहार व कार्यशाला खण्ड हेतु एक-एक), राज्य वित्त व लेखा सेवाओं से एक वित्तीय परामर्शदाता सह मुख्य लेखाधिकारी (सभी लखनऊ मुख्यालय में नियुक्त) व एक डिवीजनल अभियन्ता (नोयडा में नान-कन्वेंशनल इनर्जी सोर्सेज खण्ड के नियंत्रण हेतु नियुक्त) एमडी की दिन-प्रतिदिन कार्य निष्पादन में सहायता करते हैं। विपणन एवं सर्विसिंग कार्य सम्पूर्ण प्रदेश में, 13 क्षेत्रीय प्रबन्धकों व 18 डिवीजनल अभियन्ताओं के कार्यालयों के नियंत्रण में फैला हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा जारी (दिसम्बर 1979) निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रमों के उच्च पदों पर नियुक्ति कम से कम तीन वर्षों की होनी चाहिये। परन्तु यह पाया गया कि मार्च 2001 तक के पाँच वर्षों में आठ व्यक्ति एमडी रहे, जिनकी नियुक्ति 10 दिन से 213 दिनों (श्री सिराज हुसेन के 550 दिन के कार्यकाल को छोड़कर) के बीच रही। इससे, कम्पनी द्वारा अंगीकृत योजनाओं के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु नेतृत्व निरन्तरता सम्भव नहीं हो पाई।

2अ.1.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

एग्रो की 1987-88 से 1991-92 तक के क्रियाकलापों की समीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश शासन (वाणिज्यिक), 1992-93 में उल्लिखित किये गये थे (समीक्षा पर कोपू द्वारा चर्चा की जा रही है)। दिसम्बर 2001 से मई 2002 में की गई वर्तमान समीक्षा 1996-97 से 2000-2001 के पाँच वर्षों से सम्बन्धित है। इसमें, प्रधान व क्षेत्रीय कार्यालयों के टेण्डर, क्रयादेश, भुगतान, इनवाइस, बिक्री/एडजस्टमेंट बिल, कास्टिंग डाटा, ड्राइंग व डिजाइन आदि की जाँच की गई। कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयत्नों को गति देने वाले एग्रो के मुख्य क्रियाकलापों²⁷ के परिणामों की चर्चा नीचे की गई है।

²⁷ समीक्षा में (i) गेहूँ व धान की खरीद जो मुख्य कार्य नहीं है, (ii) फ्री बोरिंग व (iii) नोयडा स्थित नान-कन्वेंशनल इनर्जी सोर्सेज डिवीजन के क्रियाकलाप बहुत कम होने के कारण सम्मिलित नहीं किये गये।

2अ.1.4 एगो की उत्तरोत्तर तकनीकी विकास से सामंजस्य में विफलता

अन्य सदृश निगमों/शोध संस्थानों के साथ संवाद के अभाव में कृषि उद्योगों की प्रोन्नति व संवर्धन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका

एगो के क्रियाकलाप, कृषि उद्योग क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकसित होती तकनीक की गति से अलग मात्र परम्परागत क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। देश के अन्य कृषि औद्योगिक निगमों के क्रियाकलापों की तुलना में यह ज्ञात हुआ कि केंचुआ खाद²⁸ व मधुमक्खी पालन को छोड़कर एगो, अन्य क्रियाकलापों²⁹ का अधियोजन नहीं कर पाया। ये हैं (i) कृषि/औद्योगिकी उत्पादों में नई तकनीक से मूल्य वृद्धि कर कृषि/खाद्य आधारित उद्योगों की प्रोन्नति (ii) निर्यात (iii) फसल कटाई के बाद का प्रबन्धन (समुचित क्रमबद्धता, पूर्व शीतन, निधाय-आयु वृद्धि आदि) (iv) संविदा-कृषि (लैब-से लैण्ड से फैंक्ट्री से बाजार तक जोड़ने की एक छतरी के नीचे समन्वित प्रयास (v) प्रसंस्करित खाद्य की प्रोन्नति (vi) फूलों की खेती आदि। इसमें, देश में तकनीकी विकास का लाभ लेने हेतु नव प्रवर्तित सोच का अभाव दृष्टिगोचर होता है।

एगो अन्य सदृश्य कम्पनियों/निगमों, शोध संस्थानों से तालमेल न रख सकी, परिणामस्वरूप वह राज्य में कृषि उद्योग विकास की प्रोन्नति एवं प्रसारण के अपने प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त न कर सकी।

2अ.1.5 वित्तीय स्थिति व कार्यचालन परिणाम

2000-01³⁰ तक के पाँच वर्षों की अवधि में एगो की वित्तीय स्थिति दयनीय रही (परिशिष्ट 11 व 12 में विस्तारित)। संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01 (अनन्तिम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नियोजित पूँजी	(-)5.85	(-)3.07	(+)8.35	(+)1.35	(+)15.10
निबल मूल्य	(-)29.06	(-)25.82	(-)12.04	(-)14.81	(-)21.93
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम	69.49	77.29	112.48	109.63	97.69
चालू देयतायें	70.48	75.13	101.18	105.46	78.76
कार्यचालन हानि/लाभ	(-)1.96	(+)0.49	(+)2.79	(+)0.53	(-)3.17

दयनीय वित्तीय स्थिति के निम्न घटक थे:

²⁸ कम्पोस्ट खाद बनाने की विधि जिसमें आयातित केंचुए गोबर में पाले जाते हैं, जो उसे खाकर खाद में परिवर्तित कर देते हैं।

²⁹ स्रोत: 1995-96 से 1999-2000 तक की पंजाब एगो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ की वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे।

³⁰ 2000-01 के ऑकड़े अनन्तिम हैं।

- नियोजित पूँजी जो 1996-98 में नकारात्मक थी, बाद के वर्षों में सकारात्मक हो गई व निबल मूल्य सभी वर्षों में नकारात्मक रहा जो कार्यशील पूँजी का अभाव प्रदर्शित करता है।
- मार्च 1997 के अन्त में 70.48 करोड़ रुपये की चालू देयतायें बढ़कर मार्च 2000 के अन्त में 105.46 करोड़ रुपये हो गईं। वर्ष 2000-01 में यह घटकर 78.76 करोड़ रुपये हो गईं।
- एग्री, 1996-97 व 2000-01 में संचालन हानि में था जो बीच के तीन वर्षों में लाभ में रहा।

गिरते हुए वित्तीय स्वास्थ्य के प्रमुख कारण, जो लेखा परीक्षा जाँच से संज्ञान में आये, निम्नलिखित थे:

कार्यचालन के घटक-वार लाभ विश्लेषण न किये जाने, कय पद्धति के अभाव, क्रियाकलापों के कुप्रबंधन आदि, दयनीय वित्तीय स्वास्थ्य के मुख्य कारण थे

- (i) कमजोर क्षेत्रों की पहचान व सुधार हेतु एग्री ने घटक-वार लाभ विश्लेषण नहीं किया,
- (ii) सेवा, विपणन, कृषि कार्यशाला व पशु आहार डिवीजनों के क्रियाकलापों के कुप्रबंधन से हानि हुई। कुछ मामले उदाहरणार्थ नीचे दिये गये हैं:
 - समुचित क्रय प्रक्रिया का अभाव (प्रस्तर 2अ.2),
 - कम/खराब आपूर्तियों के कारण हानि (प्रस्तर 2अ.3.2.1),
 - हैण्डपम्पों का अधिक मूल्य पर क्रय (प्रस्तर 2अ.3.2.2),
 - आवरण पाइपों के उपभोग पर अतिरिक्त लागत (प्रस्तर 2अ.3.3.1),
 - व्यापार कर का अधिक/परिहार्य भुगतान (प्रस्तर 2अ.3.4.1 से 2अ.3.4.3 व 2अ.5.1),
 - उद्यमियों के माध्यम से उपदानों की गैरकानूनी बिक्री (प्रस्तर 2अ.4.2),
 - पशु आहार खण्ड द्वारा पैकिंग हेतु महँगे बोरों के प्रयोग से परिहार्य हानि (प्रस्तर 2अ.6.2)।
- (iii) कर्मचारी देनदारी (गबन, कमी आदि) 2.49 करोड़ रुपये (मार्च 1997 के अन्त में) से बढ़कर 3.06 करोड़ रुपये (मार्च 2000 के अन्त में) हो गई, इसमें 0.52 करोड़ रुपये उन कर्मचारियों से उगाही योग्य थे जो या तो मृतक हैं या एग्री के कर्मचारी नहीं रह गये हैं, मार्च 2000 के अन्त में मनी-इन-ट्रॉजिट (1.80 करोड़ रुपये व ओवर ड्राफ्ट का 0.31 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत मिलान न किया गया अवशेष, (ख) विविध अग्रिम के अन्तर्गत मार्च 2000 के अन्त में पड़ा सस्पेंस (4.88 करोड़ रुपये) जिसका मिलान व समायोजन नहीं हो पाया है, तथा (ग) पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी व अत्यधिक हानि उठा चुकी उत्तर प्रदेश राज्य हार्टिकल्चर प्रोड्यूस एन्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में किया गया 0.64 करोड़ रुपये का निवेश।

विभिन्न कार्यक्षेत्रों में कुप्रबंधन की चर्चा अग्रेतर प्रस्तारों में की गई है:

2अ.2 वांछित क्रय प्रणाली का अभाव

एग्रो ने पहली बार जनवरी 2000 में क्रय नियमावली (भण्डार क्रय की नियमावली) तैयार की जो अप्रैल 2000 से लागू की गयी। तदनुसार, 15000 रुपये तक के क्रय, मार्केट सर्वे के आधार पर बिना कोटेशन प्राप्त किये, 15000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का क्रय सील किये हुए कोटेशन के आधार पर व 5 लाख रुपये के ऊपर का क्रय निविदा द्वारा, जिसे मुख्यालय की एक समिति द्वारा खोलना व तय करना था व प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदन करना था, किये जा सकते थे।

क्रय व निविदाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में वांछित प्रणाली का अभाव था

लेखापरीक्षा के यह संज्ञान में आया कि भण्डार क्रय की छोटी सी पुस्तिका में, विपुल भण्डार क्रय हेतु एक मार्ग दर्शक का प्रयोजन पूर्ण नहीं कर सकी। इसमें निम्न मुख्य कमियों का कोई समावेश नहीं था:

(i) पुस्तिका में प्रस्ताव माँगने व निविदाओं के मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया नहीं दी गई थी। परिणामतः, आपूर्तिकर्ता की स्थिति को चिन्हित करने के लिये मूल दर, उत्पाद कर, बिक्री कर आदि अलग-अलग दर्शाते हुए तथा उत्पाद कर/बिक्री कर के सम्बन्ध में संग्रह किये गये कर की हेराफेरी अथवा अनुचित उपयोग पर नियन्त्रण रखने तथा सम्बन्ध स्थापित करने हेतु तुलनात्मक विवरण तैयार नहीं किये जा रहे थे। इन्हें समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं कराया जा रहा था।

(ii) एग्रो के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु न कोई सुरक्षात्मक उपाय अपनाये गये और न ही इन तुलनात्मक विवरणों की निविदा को खोलने व अन्तिम रूप देने वाले कर्मचारियों को छोड़कर आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा/अन्य अधिकृत कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्र जाँच कराई जा रही थी। एक ही व्यक्ति भण्डार क्रय व सम्बन्धित भुगतान दोनों कार्य करता था। अतः, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली इसी सीमा तक दोषयुक्त थी।

(iii) निविदा फार्मों को क्रमांकित नहीं किया गया था एवं निविदा फार्मों के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किये गये, निविदा फार्मों की प्राप्ति, बिक्री, वापसी व उनके अवशेष पर परिरक्षक के नियन्त्रण हेतु कोई नियन्त्रण पंजिका नहीं बनाई जा रही थी जिससे गड़बड़ी व अनदेखी त्रुटियों का खतरा बना रहा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि सुझावों के अनुपालन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रखण्ड-वार कार्यकलापों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गई है:

2अ.3 सेवा खण्ड

सेवा खण्ड, ट्रैक्टरों की उपदानित दर से बिक्री, हैण्डपम्पों की प्रस्थापना एवं कृषिजनित औजारों के निर्माण एवं बिक्री आदि का कार्य करता है। प्रखण्ड के कार्यकलापों में अनियमितताओं के विस्तृत विवरण निम्न प्रस्तारों में दिये गए हैं:

2अ.3.1 ट्रैक्टरों के अननुमोदित माडलों पर उपदान का स्थानान्तरण

भारत सरकार ने, केन्द्र प्रायोजित योजना 'लघु किसानों हेतु कृषि में यन्त्रीकरण की प्रोन्नति³¹' के क्रियान्वयन, को अनुमोदित किया (अगस्त 1996)। योजना के अनुसार, एगो के माध्यम से लघु एवं अर्द्ध-मध्यम कृषकों को विक्रय किये गये छोटे ट्रैक्टरों (रिअर पावर टेक आफ शैफ्ट पर 30 अश्व शक्ति तक चलने वाले) की कीमत की 30 प्रतिशत सीमा तक (अधिकतम 30000 रुपये तक) उपदान की स्वीकृति अनुमन्य थी। अक्टूबर 1996 व जुलाई 2000 के मध्य भारत सरकार ने एक सूची भी जारी की थी जिसमें उन ट्रैक्टरों के मेक व मोडेल का वर्णन था, जिन पर उपदान अनुमन्य था। पुनः, ट्रैक्टरों के मेक व लाभार्थी के चयन हेतु जिम्मेदार जिलास्तरीय समिति में एगो की स्थानीय इकाई से एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया गया था।

अननुमोदित माडल के ट्रैक्टरों पर कम्पनी ने 3.13 करोड़ रुपये का उपदान अग्रसारित कर दिया

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि वर्ष 1996-97 से वर्ष 2000-01 के पाँच वर्षों में बेचे गये 2995 ट्रैक्टरों में से, एगो ने 1042 ऐसे अननुमोदित माडल के ट्रैक्टर³² बेचे और कुल 3.13 करोड़ रुपये (8.96 करोड़ रुपये में से) का अदेय उपदान अग्रसारित कर दिया। लेखापरीक्षा द्वारा संदर्भित करने पर भारत सरकार ने भी यह पुष्टि की (मार्च 2002) कि उनके द्वारा जारी की गई सूची में केवल 20 निर्दिष्ट मेकों पर ही उपदान अनुमन्य था।

इस प्रकार, एगो द्वारा अनिर्दिष्ट मेक के ट्रैक्टरों की बिक्री करने से 3.13 करोड़ रुपये का अननुमन्य उपदान निर्मुक्त किया गया। इस अननुमन्य उपदान को वापस लेने का विहित दायित्व एगो पर था।

प्रबन्धन द्वारा बताया गया (जुलाई 2002) कि सभी ट्रैक्टर 30 अश्वशक्ति के अन्दर की क्षमता के थे, एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित माडलों एवं जिन पर उपदान दिया गया, में कोई अन्तर नहीं था। उत्तर इस कारण स्वीकार्य नहीं है कि सूची में सम्मिलित ऐसे ही माडलों पर उपदान अनुमन्य था जो मध्यप्रदेश स्थित सेन्ट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग व टेस्टिंग संस्थान, बुड़नी, जिला-सिहोर द्वारा की गई न्यूनतम कार्य सम्पादन मानक जाँच में सफल हो गये थे।

2अ.3.2 आईएसआई इण्डिया मार्क II हैडपम्पों की अधिप्राप्ति एवं प्रस्थापना

दसम् वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इंडिया मार्क II हैडपम्प में प्रयुक्त हिस्सों के क्रय एवं उनके प्रस्थापना का कार्य एगो को सौंपा गया। एगो को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी), जिला योजना वितरण के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि जैसी योजनाओं के अन्तर्गत, हैडपम्पों की प्रस्थापना का कार्य भी दिया गया।

³¹ अब मैक्रो मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर सप्लीमेंटेशन/काम्प्लीमेंटेशन आफ स्टेट्स में सम्मिलित।

³² आइसर 242 एनसीडीबी, टैफे 30डीआई (जे), महिन्द्रा 275 डीआई, इस्कोर्ट 325 एन व 335 एन।

एग्रो ने, 1996-97 से 2000-01 तक के पाँच वर्षों में 105.33 करोड़ रुपये के मूल्य के 75556 हैडपम्पों की प्रस्थापना की और 19.76 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जिसका ब्यौरा निम्न है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रस्थापित हैडपम्पों की संख्या	लागत	प्राप्त राजस्व	अर्जित लाभ
1996-97	5417	7.23	8.54	1.31
1997-98	14453	19.66	22.91	3.25
1998-99	19970	27.87	32.92	5.05
1999-00	22577	31.87	38.28	6.41
2000-01	13139	18.70	22.44	3.74
योग	75556	105.33	125.09	19.76

क्षेत्रीय कार्यालयों ने, दिशानिर्देशों के अभाव में, अपना लाभांश बढ़ाने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न दरों से बीजक बनाये

भण्डार क्रय (हैडपम्प, पाइप आदि) केन्द्रीय स्तर पर किया गया एवं आपूर्ति क्षेत्रीय इकाइयों को दी गयी। क्षेत्रीय इकाइयों ने इन हैडपम्पों की प्रस्थापना कराई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्यालय ने कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये एवं सरकारी निर्देशों का उचित अनुपालन न करके मनमानी तौर पर प्रत्येक सामग्री एवं पुर्जों की दरें निश्चित की गईं। बदले में, केन्द्रों ने अपने लाभांश बढ़ाने के उद्देश्य से बीजक तैयार करते समय विभिन्न दरों का प्रभारण किया।

हैडपम्पों की खरीद व प्रस्थापना में पाई गई गड़बड़ियों की चर्चा नीचे की गई है:

2अ.3.2.1 दोषयुक्त व कम भार के जीआई पाइपों की अधिप्राप्ति पर हानि

महानिदेशक, आपूर्ति एवं निस्तारण निदेशालय की दर संविदाओं में भार के आधार पर ही पाइपों के अधिप्राप्ति की व्यवस्था होती है। किन्तु, एग्रो ने आपूर्तिकर्ताओं को अनुमन्य अन्तरों का लाभ लेने तथा एक समान न्यूनतर भार के पाइपों की आपूर्ति स्वीकार करते हुए, उनका क्रय किया जिससे आपूर्ति किया गया औसत भार निर्धारित औसत भार से अत्यन्त कम रहा। कम्पनी के हितों की अनदेखी कर, पाइपों की लम्बाई के आधार पर अधिप्राप्ति इस कारण अनुचित हो जाती है कि मूल्य विचलन (यदि कोई) का आगणन केवल भार पर आधारित है एवं जीआई पाइपों के उपादानों, जैसे एचआर क्वायल/स्केल्प एवं जिंक का मापन भी भार पर आधारित है।

(अ) आईएस कोड 1239 (परिशिष्ट-13) के अनुसार, निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किये गये मध्यम श्रेणी के पाइपों के भार में एक पाइप पर ± 10 प्रतिशत एवं 10 टन भार की प्रत्येक मात्रा पर ± 7.5 प्रतिशत विचलन अनुमन्य है। पुनः, इस कोड के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि निर्माता के विकल्प पर न्यूनतम 10 टन भार को सुविधाजनक ढेरों में तौला जा सकता है। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि एग्रो द्वारा 2000-01 के दौरान जारी 74 आदेशों के विरुद्ध अग्रवाल आयरन एण्ड स्टील, दिल्ली ने 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के पाइपों की आपूर्ति की जो -7.5 प्रतिशत भार से कम थे जैसा नीचे इंगित किया गया है:

लम्बाई (मीटर में)	2.54 किग्रा प्रति मीटर पर हल्की श्रेणी (95% व 105 %) के ढेरों की भार श्रेणी (किग्रा में)		3.13 किग्रा प्रति मीटर पर मध्यम श्रेणी (92.5% व 107. 5 %) के ढेरों की भार श्रेणी (किग्रा में)		खरीदे गये पाइपों का भार किग्रा में (श्रेणी)
	95 %	105%	92.5%	107.5%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,150	2,807.725	3,103.275	3,329.538	3,869.463	3,310
1,200	2,895.600	3,200.400	3,474.300	4,037.700	3,420
1,250	3,051.875	3,373.125	3,669.063	4,205.938	3,595
1,800	4,394.700	4,857.300	5,211.450	6,056.550	5,101
2,000	4,883.000	5,397.000	5,790.500	6,729.550	5,660-5,775
2,100	5,127.150	5,666.850	6,080.025	7,065.975	5,935-6,010
2,200	5,308.600	5,867.400	6,369.550	7,402.450	6,290
2,400	5,858.600	6,476.400	6,948.600	8,075.400	6,650-6,920
2,514	6,066.280	6,704.840	7,278.66	8,458.980	7,210
2,600	6,347.900	7,016.100	7,527.650	8,748.350	7,315-7,480
2,700	6,592.050	7,285.950	7,817.175	9,084.825	7,665-7,810
3,000	7,324.500	8,095.500	8,685.750	10,094.250	8,470-8,655

2.06 करोड़ रुपये मूल्य के जीआई पाइप न केवल दोषयुक्त थे बल्कि कम भार के कारण 18.77 लाख रुपये का अधिक भुगतान भी हुआ

लेखापरीक्षा की जाँच में पता चला कि -7.5 प्रतिशत विचलन (कालम-4) अनुमन्य करने के पश्चात भी आपूर्तियों के भार (कालम-6) कम पाये गये जिससे 18.77 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। पुनः, आपूर्ति किये गये पाइपों का भार जहाँ एक ओर मध्यम श्रेणी के पाइपों के न्यूनतम अनुमन्य भार (कालम-4) से कम था, वहीं हल्की श्रेणी के अधिकतम अनुमन्य भार (कालम-3) से अधिक था और इसीलिये परिशिष्ट-14 में दिखाए गए आईएस कोड 9301 के अनुसार कार्य निष्पादित करने के अभिप्राय से दोषयुक्त पाये गये।

इस प्रकार, आईएस कोडों के अनुसार, देयकों के भुगतान के समय भार जाँचने की विफलता से 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के दोषयुक्त पाइपों की खरीद हो गई। प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2002) कि आपूर्तिकर्ता एवं भारतीय प्रमाणन ब्यूरो से स्पष्टीकरण माँगे गए हैं जिसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भार के स्थान पर लम्बाई के आधार पर जीआई पाइप खरीदने से 46.15 लाख रुपये की कम भार की आपूर्तियाँ हुईं

(ब) इसके अतिरिक्त, एग्री ने 7.66 करोड़ रुपये मूल्य के 10.16 लाख मीटर पाइपों की आपूर्ति हेतु सात फर्मों के पक्ष में औसत भार का उल्लेख किये बिना, आपूर्ति आदेश जारी किए। आपूर्ति की गई वास्तविक सामग्री, अनुमन्य औसत मानक भार से 191.498 एमटी मात्रा तक कम भार की थी जिसके विरुद्ध 46.15 लाख रुपये मूल्य के 61176 मीटर पाइप अधिक खरीदे जा सकते थे।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि डीजीएस एण्ड डी/राइट्स द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप जाँच के बाद ही पाइपों की खरीद की जा रही थी। पुनः, इन पाइपों की खरीद में कोई हानि नहीं है। उत्तर इस कारण से मान्य नहीं है कि सामान्य निर्धारित भारों से कम भार की आपूर्ति से होने वाली हानि से बचने के लिए ही डीजीएस एण्ड डी ने भार आधारित आपूर्ति प्राप्त की थी।

2अ.3.2.2 उच्च दरों पर हैड पम्पों की खरीद

हैडपम्पों के समग्र तुलनात्मक दरों के मूल्यांकन में असफलता से 1.38 करोड़ रुपये की हानि हुई

तुलनात्मक दरों के सही मूल्यांकन के अभाव में एग्री द्वारा हैड पम्पों की खरीद पर 1.38 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी जिसका ब्यौरा निम्न है:

(i) 1998-2000 के दौरान एग्री ने उत्तर प्रदेश के बाहर की फर्मों से 26837 हैण्डपम्प, प्रति पम्प 3208 रुपये (6735 पम्प), 3199 रुपये (16930 पम्प) व 2700 रुपये (3172 पम्प) की दर से खरीदे जिनमें 4 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय बिक्री कर सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, राज्य के अन्दर इनकी बाद की बिक्री पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर का भुगतान 7.5 अथवा 8.0 प्रतिशत की दर से करना पड़ता है जिस पर प्रस्ताव के मूल्यांकन में विचार नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 0.84 करोड़ रुपये का अपरिहार्य व्यय करना पड़ा जिसका ब्यौरा निम्न है:

वर्ष	पम्प	केन्द्रीय बिक्री कर युक्त इकाई दर (रुपया)	पम्पों की लागत (लाख रुपये में)	भुगतान किया गया यूपीटीसी ³³ (लाख रुपये में)	कुल योग	उ.प्र. के अन्दर उ. प्र. व्यापार कर युक्त कोटेड दर (रुपये)	कुल लागत (लाख रुपये में)	हानि (लाख रुपये में)
1	2	3	4 (2X3)	5	6 (4+5)	7	8 (2X7)	9 (6-8)
1998-99	6735	3208	216.06	36.94	253.00	3283.43	221.14	31.86
1998-99	16930	3199	541.59	48.46	590.05	3283.43	555.88	34.17
1999-00	3172	2700	85.65	21.56	107.21	2830.00	89.77	17.44
योग	26837		843.30	106.96	950.26		866.79	83.47

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि उन्होंने निम्नतम दरों पर हैडपम्पों की खरीद की थी। उत्तर इस कारण से मान्य नहीं है कि प्रस्ताव के मूल्यांकन के समय उत्तर प्रदेश के बाहर से खरीद व तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के अन्दर बिक्री पर 7.5 प्रतिशत की दर पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर के दायित्व पर ध्यान नहीं दिया गया और अन्ततः अधिक व्यय किया गया।

(ii) सिंहल स्टील ट्यूब्स (प्रा.) लिमिटेड, कानपुर (226.29 रुपये प्रति पम्प उ.प्र. व्यापार कर युक्त 3283.43 रुपये प्रति पम्प) उ.प्र. व्यापार कर से मुक्त थे। दरों के मूल्यांकन के समय 226.29 रुपये के व्यापार कर की छूट को शामिल नहीं किया गया। फलस्वरूप, 1998-99 के दौरान 23665 (6735+16930) हैड पम्पों की खरीद पर 0.54 करोड़ रुपये की अधिक लागत आई।

³³ कालम-3 में प्रति यूनिट बिक्री मूल्य 3210 से 4169 रुपये के मध्य था जिस पर कालम-5 के अनुसार बिक्री कर का भुगतान किया गया।

2अ.3.3 हैड पम्पों का संस्थापन

2अ.3.3.1 आवरण पाइपों के उपभोग पर अधिक लागत

आवरण पाइपों की अधिक खपत से 0.69 करोड़ रुपये का अपरिहार्य व्यय हुआ

आईएस कोड 9301:1990 में विनिर्दिष्ट गहरे कुओं वाले हैडपम्पों³⁴ की विशिष्टताओं के अनुसार, 'प्रस्थापना चिन्ह' (भूमि स्तर) से जीआई पाइप के तल में स्थापित एसेम्बली सिलिंडर की तली तक 100 एमएम से 150 एमएम के सामान्य व्यास वाले आवरण पाइप उपयोग में लाने चाहिए। एग्रे 110 एमएम माप वाले पीवीसी पाइप (केसिंग पाइप) प्रयोग में लाता है। पीवीसी पाइप के अन्दर जीआई पाइप प्रयुक्त होता है जो पानी को भूमि स्तर तक उठाने के लिये तल स्थित सिलिंडर एसेम्बली से जुड़ा होता है। जीआई पाइप की लम्बाई 15 मीटर, 18 मीटर, 21 मीटर व 24 मीटर तक होती है जो स्थल के जल स्तर पर निर्भर करता है। हैड पम्पों की प्रस्थापना लागत कम करने के लिए 110 एमएम वाले पीवीसी पाइप का प्रयोग जीआई पाइप की लम्बाई के बराबर किया जाना चाहिए और इसके बाद कम व्यास (63 एमएम) वाले पीवीसी पाइप का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु एग्रे द्वारा हमेशा 24 मीटर लम्बाई वाले पीवीसी पाइप का प्रयोग किया जाता रहा है। इस प्रकार हमेशा 24 मीटर लम्बाई के 110 एमएम व्यास वाले पीवीसी पाइपों के प्रयोग से एग्रे हैड पम्पों की प्रस्थापना लागत में अपरिहार्य व्यय कर रहा है और लेखापरीक्षा को उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 1996-97 से 2000-01 के दौरान 0.69 करोड़ रुपये³⁵ का ऐसा व्यय किया गया।

यह अपरिहार्य व्यय उन मामलों के सम्बन्ध में है जहाँ पीवीसी पाइप का उपभोग जीआई पाइप के उपभोग से ज्यादा रहा। लेखापरीक्षा के गहन अनुश्रवण के बाद भी वाटर टेबुल व स्ट्रैटा चार्ट सम्बन्धी सूचना उपलब्ध न होने से विशेष लम्बाई के जीआई पाइप एवं पीवीसी पाइप के उपभोग के औचित्य का सत्यापन नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि प्रकरण की छानबीन की जा रही थी।

2अ.3.3.2 अत्यधिक लाभ की वसूली

एग्रे ने हैड पम्पों का प्रस्थापन निक्षेप कार्य के रूप में लिया था। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्कूलों में आईएसआई इंडिया मार्क II हैड पम्पों के प्रस्थापन के लिए मैदानी क्षेत्रों में 15000 रुपये एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 20000 रुपये लागत सीमा रखी गयी थी। फरवरी 1997 की राजाज्ञा के अनुसार कार्यरत संस्थाओं को 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्जेज अनुमन्य थे किन्तु एग्रे मुख्यालय ने अपने

³⁴ राइजर पाइप की विशिष्टियों के लिए परिशिष्ट-14 व इण्डिया मार्क-II हैडपम्प का छायाचित्र परिशिष्ट-15 पर देखिये।

³⁵ विवरण उपलब्ध न होने से क्विटी बोरिंग को अलग नहीं किया जा सका।

अधीनस्थ फील्ड इकाइयों को इस सम्बन्ध में किये गये कार्यों के मूल्य निर्धारण हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये।

क्षेत्रीय कर्मियों के पास दिशानिर्देशों के अभाव के कारण 3.93 करोड़ रुपये का अधिक लाभ प्रभारित किया गया

लेखापरीक्षा द्वारा 13 प्रखण्डों³⁶ के लागत खर्चों एवं राजस्व प्राप्तियों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 1996-97 से 2000-01 के पाँच वर्षों के खण्ड काल में निम्न विवरणानुसार अधिक लाभ वसूले:

(क) वसूली योग्य 12.5 प्रतिशत सेन्टेज जोड़कर मूल्य	65.09 करोड़ रुपये
(ख) वास्तविक वसूली	69.02 करोड़ रुपये
(ग) 12.5 प्रतिशत सेन्टेज से अधिक वसूली	03.93 करोड़ रुपये
(घ) अधिक वसूली का हैडपम्पों की बराबरी में मूल्य	2469 पम्प

मुख्यालय के नियंत्रण के अभाव के कारण केन्द्रों ने तरह-तरह की सेन्टेज की दरें (2 से 25 प्रतिशत तक) अधिभारित की।

प्रबन्धन ने बताया कि लागत प्राक्कलन शासन द्वारा अनुमोदित था एवं तदनुसार बढ़ी दरों पर देयक बनाये गये। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्च 1998 के राजाज्ञा के स्पष्टीकरण के अनुसार अग्रिम निर्मुक्त करने के लिए ही लागत प्राक्कलनों को बनाया जाता है। सेन्टेज लगाकर वास्तविक लागत पर समायोजन बिलों को प्रस्तुत किया जाना था और आधिक्य, यदि हो, को शासन को वापस लौटाने का प्रावधान था।

इसी प्रकार, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत, एग्री द्वारा किये गये कार्यों में क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रारम्भिक कार्यों, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण आदि की सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का प्रशासनिक व्यय, सेन्टेज आदि, वसूलने की रोक थी। वर्ष 2000-01 तक के पाँच वर्षों में 8.59 करोड़ रुपये की लागत के स्थान पर संस्थापित 6121 पम्पों के लिए 10.03 करोड़ रुपये वसूल किये। अधिक वसूली हैड पम्पों में प्रयुक्त सामान की लागत में 1.44 करोड़ रुपये के लाभ जोड़ देने के कारण थी। यह अननुमन्य वसूली 14030 रुपये प्रति पम्प की औसत दर पर 1026 अतिरिक्त हैड पम्पों की लागत के बराबर था।

प्रबन्धकों ने लागत से अधिक वसूली के लिए कोई टिप्पणी नहीं दी। परन्तु यह बताया (जुलाई 2002) कि प्राप्त अग्रिमों का समायोजन क्षेत्रीय स्तर पर किया गया था।

2अ.3.4 उत्तर प्रदेश व्यापार कर का परिहार्य/अधिक भुगतान

2अ.3.4.1 उत्तर प्रदेश व्यापार कर का दोहरा भुगतान

उप्र व्यापार कर अधिनियम 1946 की धारा 3एएए (i) में व्यवस्था है कि उप्र में निर्माता के स्तर से विक्रय बिन्दु पर कर भारित हैड पम्पों पर कोई कर देय नहीं

³⁶ नवसृजित उत्तरांचल राज्य के प्रखण्डों को छोड़कर

है और एग्रो के कर सलाहकार ने भी ऐसी ही राय दिसम्बर 1996 में दी थी। इन प्रावधानों के विरोध में व इस तथ्य की जानकारी के बाद भी कि क्रय दरों में उग्र व्यापार कर जुड़ा है, एग्रो ने 1996-97 से 2000-01 के पाँच वर्षों में 3191 हैड पम्पों पर 9.50 लाख रुपये का गलत भुगतान कर दिया।

इस प्रकार वैधानिक प्रावधानों एवं अपने सलाहकार की राय को मानने में एग्रो की असफलता से उग्र व्यापार का दोहरा भुगतान हुआ जिसके लिए माह मई 2002 तक कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि विभागीय अभियन्ताओं को मुख्यालय को स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किये गये हैं। यह लेखापरीक्षा में सितम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

2अ.3.4.2 उत्तर प्रदेश व्यापार कर का अधिक भुगतान

एग्रो को हैण्डपम्प व सेन्टेज के बीजक अलग-अलग बनाकर दावे प्रस्तुत करना चाहिए था। परन्तु, एग्रो ने शासन को 2000-01 तक के पाँच वर्षों में 46729 हैड पम्पों की संस्थापना पर संस्थापना तथा सेन्टेज मिलाकर बीजक बनाये व लाभ पर भी 17.96 लाख रुपये का उग्र बिक्री कर का भुगतान कर दिया। जब कि एग्रो के मउ केन्द्र ने शासन पर सही बीजक बनाये जिसमें माल की लागत व सेन्टेज अलग-अलग दिखाये।

इस प्रकार एग्रो अपनी पहचान क्रियान्वयन संस्था के रूप में (न कि विक्रेता के रूप में) कर पाने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप माह मई 2002 तक उग्र व्यापार कर का भुगतान करना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि इसे अपने किये गये कार्यों के लिए देयक/कैश मेमो जारी करना पड़ता है। एग्रो का उत्तर इस बात पर मौन था कि मऊ क्षेत्र की भाँति उसने उग्र बिक्री कर से बचने के लिये बीजक क्यों नहीं बनाये।

2अ.3.4.3 मान्यता प्रमाणपत्र के अभाव में उग्र व्यापार कर राहत को न लेने से हानि

एग्रो के प्रखण्ड कृषि उपकरण, टूल किट, ग्रेन बिन, पशु आहार आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल का क्रय करते हैं। ऐसे क्रय पर 2 प्रतिशत (25 प्रतिशत अधिभार यदि अनुमन्य हो) की रियायती दर मान्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने (यूपीटीटी एक्ट की धारा-4 बी के अनुसार) पर अनुमन्य है। अपने कर सलाहकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने की राय (मार्च 1996) के बावजूद (प्रार्थना पत्र एवं प्रक्रिया भी उपलब्ध करा दी गयी थी) मुख्यालय ने लखनऊ सेवा प्रखण्ड को इन प्रपत्रों को अग्रसारित नहीं किया जब कि मार्च 1996 में कानपुर, आगरा, बरेली एवं गोरखपुर के सेवा प्रखण्डों को अग्रसारित किया

गया, किन्तु किसी ने भी मान्यता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया (मई 2002)।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि केवल कृषि कार्यशाला प्रखण्ड ने (2 प्रतिशत की रियायती दर के लिए पंजीकृत) इस सुविधा का यदा कदा लाभ लिया (कुल खरीद 2.49 करोड़ रुपये में 0.55 करोड़ रुपये की सामग्री क्रय में प्रमाण पत्र का उपयोग हुआ) जब कि अन्य इकाइयों ने इस सुविधा का लाभ नहीं लिया। एग्रो ने इस प्रकार 2 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत का यूपीटीटी दिया, परिणामस्वरूप, खण्डों की मान्यता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की असफलता से 21.79 लाख रुपये (अधिभार अलग करते हुए) का अपरिहार्य भुगतान करना पड़ा।

एग्रो ने माह मई 2002 तक अनियमितता के लिए जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं किया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि इस सुविधा को न उठाने के कारणों पर खण्डीय अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण माँगे जा रहे हैं।

2अ.3.5 डिस्क हैरो का उत्पादन एवं अत्यधिक उच्च दर पर बिक्री

बैल द्वारा खींचे जाने वाले डिस्क हैरो (छः एवं आठ डिस्क वाले आफसेट व ट्रेलिंग टाइप के सेट) का निर्माण बरेली कार्यशाला द्वारा किया जाता है एवं पूरे राज्य में सेवा केन्द्रों द्वारा किसानों को बेचा जाता है। मुख्यालय ने विभिन्न उत्पादों की लागत निर्धारण के लिए कोई प्रमाणीकृत प्रणाली नहीं तैयार की थी। लेकिन कार्यशाला द्वारा अधिव्यय के लिए, 20 प्रतिशत एवं लाभ सीमा के लिए 10 प्रतिशत लागत पर भारित किया जाता था एवं इन दरों को मुख्यालय की अंतिम अनुमति के लिए भेजा जाता था। डिस्क हैरो पर शासन द्वारा विक्रय मूल्य पर 50 प्रतिशत की दर से उपदान अनुमन्य था।

वर्ष 1996-97 से 2000-01 के पाँच वर्षों के दौरान कार्यशाला ने 3.94 करोड़ रुपये मूल्य के 20904 हैरो का उत्पादन किया एवं 4.80 करोड़ रुपये का विक्रय मूल्य प्राप्त किया।

2अ.3.5.1 अत्यधिक दर पर किसानों हेतु डिस्क हैरो की व्यवस्था

राष्ट्रीय कृषि नीति में किसानों को उपकरण इनपुट उचित एवं न्यायपूर्ण दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था के बावजूद मुख्यालय ने बरेली कार्यशाला द्वारा प्रस्तावित दर (1890 रुपये, 2200 रुपये एवं 2480 रुपये प्रति हैरो) से अधिक (20 प्रतिशत अधिव्यय एवं 10 प्रतिशत लाभ सीमा शामिल करते हुए) ऊँची दर (2200 रुपये, 2450 रुपये एवं 2700 रुपये प्रति हैरो) अनुमोदित की। परिणामस्वरूप, 60 लाख रुपये का अधिक लाभ अधिभारित किया गया। इसका 50 प्रतिशत उपदान के रूप में माँगा जाना था एवं शेष 30 लाख रुपये उच्च लागत के रूप में किसानों द्वारा वहन किये जाने थे।

इससे न केवल राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसार किसानों को उचित दर पर कृषि सामग्री उपलब्ध कराने का उद्देश्य ही विफल हुआ बल्कि उपदान भी 30 लाख रुपये ज्यादा दिया गया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि दरों में 20 प्रतिशत ओवरहेड के अतिरिक्त कार्यशाला से केन्द्रों को भेजने के यातायात व्यय भी शामिल थे। यह भी कि एक समिति द्वारा अनुमोदित ये दरें अधिक नहीं थीं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दरों में लाभ एवं ओवरहेड पहले ही शामिल थे एवं बिना स्पष्टीकरण के बढ़ा दिये गये थे।

2अ.4 विपणन खण्ड

2अ.4.1 कृषि सामग्रियों (खाद³⁷, कीटनाशक आदि) का विपणन

राज्य में एगो की खाद, उर्वरक कीटनाशक आदि की बिक्री के लिए लगभग 288 बिक्री केन्द्र (फुटकर शाखाएँ) फैली हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धकों के नियन्त्रणाधीन जिला विक्रय अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में ये केन्द्र होते हैं। केन्द्र किसानों को मुख्यतः यूरिया व डीएपी बेचता है। सामग्रियों की अधिकतम खुदरा खरीद एवं बिक्री मूल्य का निर्धारण भारत सरकार करती है।

वर्ष 1996-97 से वर्ष 2000-2001 के पाँच वर्षों के दौरान एगो ने 526.47 करोड़ रुपये मूल्य की कृषिजन्य कच्चे माल की अधिप्राप्ति की एवं 542.65 करोड़ रुपये में बेची (प्रारम्भिक अवशेषों को मिलाकर)।

यूरिया एवं डीएपी बिक्री की संवीक्षा में पाया गया कि केन्द्र प्रभारी ने निजी व्यक्तियों³⁸ द्वारा केन्द्र का संचालन किया, केन्द्रों से निजी माल³⁹ बेचा गया व प्रभारी एक ही स्थान पर 5 से 15 वर्षों से कार्यरत थे। निजी व्यक्तियों को इन बिक्री केन्द्रों से उनके निजी सामानों को बेचने के लिए रखा गया था।

2अ.4.2 उद्यमियों के माध्यम से कच्चे माल की अवैध बिक्री

खाद नियंत्रण आदेश (एससीओ 1985) के अनुसार खाद के व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक है और इनके नियमों में व्यवस्था है कि एक खुदरा व्यापारी द्वारा दूसरे खुदरा व्यापारी को बिक्री प्रतिबन्धित एवं पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अवैध है। इस कानूनी

³⁷ खाद का तात्पर्य ऐसे तत्वों से है जो मिट्टी या फसल की खाद में प्रयुक्त होते हैं जैसा कि अनुसूची-I के भाग-क में विनिर्दिष्ट है। इसमें खाद का मिश्रण या विशेष मिश्रण सम्मिलित है (एफसीओ की धारा 2-एच)। इसमें यूरिया व डीएपी सम्मिलित है।

³⁸ श्री सहदेव सिंह, जिला विक्रय अधिकारी, पीलीभीत का मदनापुर केन्द्र (शाहजहाँपुर) का दिनांक 26.12.2001 (12.30 बजे) का जाँच प्रतिवेदन।

³⁹ श्री सहदेव सिंह, जिला विक्रय अधिकारी, पीलीभीत का मदनापुर केन्द्र (शाहजहाँपुर) का दिनांक 24.12.2001 के खूटा केन्द्र (शाहजहाँपुर) का जाँच प्रतिवेदन।

स्थिति⁴⁰ के बावजूद, एग्रो ने अगस्त 1999⁴¹ में अपने निदेशक मण्डल से विक्रय कार्यकलाप में तेजी लाने के लिए निजी उद्यमियों के द्वारा कृषि सामग्री (खाद, उर्वरक, कीटनाशक बीज आदि) की बिक्री कराने हेतु अनुमति माँगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 1999 में हुई संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्ताव पर अनुमोदन की कार्यवाही टाल दी गयी।

कृषि उत्पाद आयुक्त (एपीसी) ने एग्रो के अध्यक्ष की हैसियत से (सितम्बर 1999) दोषप्राय खादों के बिक्री, एवं होने वाली हानि के विरुद्ध योग्य वैज्ञानिक फार्मूला तलाशने एवं कार्योपरांत अनुमोदन प्राप्त करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये। किन्तु कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। यह योजना अवैध एवं अनाधिकृत रूप में संचालित रही जिसके अंतर्गत अक्टूबर 1999 से अक्टूबर 2001 तक 543 करोड़ रुपये की बिक्री की गई। यद्यपि, 28.8.1999 को हुई संचालक मण्डल की 142वीं बैठक में इस योजना को अनुमोदित नहीं किया गया था तथापि, 30.10.2001 को हुई संचालक मण्डल की 151वीं बैठक के मद संख्या 4 के अनुसार अक्टूबर 2001 में इस योजना को निलम्बित कर दिया गया। दिनांक 22.03.2002 को हुई संचालक मण्डल की 152वीं बैठक में इस बात की असत्य सूचना देकर कि अगस्त 1999 की मण्डल की बैठक में इस योजना को अनुमोदित कर दिया गया था, इसे पुनः चालू कराने का निर्णय लिया गया।

संचालक मंडल को असत्य सूचना देने के बारे में प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि एक वाक्य गलती से जोड़ा जाने से रह गया था। इस गलती की जानकारी मिलने के बाद भी संचालक मण्डल की अगली बैठक में आवश्यक सुधार नहीं कराये गये (अगस्त 2002)।

लेनदेनों की और जाँच में निम्न तथ्य आये:

- एग्रो की अपनी बिक्री को प्रभावित किये बिना बिक्री बढ़ाना इस योजना का मूल उद्देश्य था किन्तु पूर्व वर्ष (158841 एमटी) की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान एग्रो की अपनी बिक्री (117391 एमटी) 41450 एमटी⁴² घट गई फलस्वरूप, एग्रो की अपनी बिक्री में 23.30 करोड़ रुपये का क्षरण हुआ। इस प्रकार इस योजना का मूल उद्देश्य असफल हो गया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि बिक्री में कमी का कारण धान खरीद के लिए शासन का प्रथम बार दबाव रहा। खाद के व्यापार में लगे कर्मचारियों को

⁴⁰ 1996 (3) एएलटी-16, बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी बनाम लिंगय्या एण्ड कम्पनी, फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर 1985 (एशिया लॉ हाउस, हैदराबाद का 5वाँ संस्करण) के पृष्ठ 10 पर उद्धृत।

⁴¹ 28 अगस्त 1999 को सम्पन्न 142वीं मीटिंग की मद संख्या-7।

⁴² एमआईएस पर आधारित, 1999-2000 की एग्रो व निजी उद्यमियों की अलग-अलग बिक्री की सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस हेतु लगाया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार के खरीद काल में सामान्यतः खाद का व्यापार निम्नतम होता है।

एग्रो की अपनी बिक्री में क्षरण के कारणों पर आगे चर्चा की गई है:

कम्पनी ने निजी उद्यमियों को 0.85 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया

➤ एपीसी ने लेनदेनों पर हानि को रोकने हेतु लाभार्जन सीमा की सहभागिता के लिए वैज्ञानिक फार्मूला निकालने हेतु निर्देशित किया था किन्तु नियम एवं शर्तों के उचित प्रकार से लाभार्जन सीमा की भागिता को परिभाषित नहीं किया गया। एक शर्त⁴³ में यह व्यवस्था थी कि यातायात व्यय, गोदाम किराया एवं पूँजी पर ब्याज की पूर्ति के लिए फुटकर विक्रेता के लाभ का एक भाग (30 से 50 रुपये प्रति टन तक) एग्रो को हस्तांतरित होगा एवं शेष उद्यमियों को यातायात पर व्यय गोदाम किराया व पूँजी पर ब्याज की पूर्ति हेतु हस्तांतरित होगा। एग्रो ने इस तथ्य को अनदेखा कर समय-समय पर निर्माता/स्थल आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित खरीद हेतु रेट स्ट्रक्चर में सेकण्डी यातायात, गोदाम किराया एवं पूँजी पर ब्याज (30 दिन की साख समय के लिए) हेतु रिबेट व छूट की व्यवस्था थी, निहित वितरण लाभांश में उद्यमियों को यातायात, गोदाम किराया व पूँजी पर ब्याज के लिए अतिरिक्त सुविधा दी। फलस्वरूप, 2000-01 के दौरान 56786 एमटी यूरिया के व्यापार में (एमआईएस ऑकड़ों पर आधारित) उद्यमियों की लाभ सीमा से हस्तांतरित 150 रुपये की दर से 0.85 करोड़ रुपये की सीमा तक अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

उद्यमियों की नियुक्ति में क्षेत्रीय इकाईयों ने विहित प्रक्रिया का हर स्तर पर दुरुपयोग किया

➤ आगरा, कानपुर एवं बरेली क्षेत्रों में उद्यमियों की नियुक्ति की जाँच में पता चला कि योजना के कार्यकाल के दौरान 502 नियुक्तियों में (आगरा:202, कानपुर:69 एवं बरेली:231) से 251 नियुक्तियाँ (आगरा:77, कानपुर:124 व बरेली:50) योजना में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करके की गई थी जिनका ब्यौरा निम्न था:

(i) विज्ञापन जारी करके आवेदन पत्र प्राप्त करने की शर्त के बावजूद विज्ञापन जारी नहीं किये गये;

(ii) शर्त संख्या 3.6 के अनुसार एग्रो के अपने केन्द्रों से 10 किमी से अधिक की अर्द्धव्यासीय दूरी पर उद्यमियों के विक्रय केन्द्र स्थापित होने थे। किन्तु 78 ऐसे केन्द्र 5 से 10 किमी की दूरी के अन्दर स्थित थे। इस प्रकार, एग्रो की अपनी बिक्री में कमी का कारण एग्रो के अपने बिक्री बिन्दु के पास ही उद्यमियों का बिक्री बिन्दु होना था।

(iii) यह योजना इण्टरमीडिएट तक शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए थी। किन्तु 29 उद्यमी (आगरा में 22 एवं कानपुर में 07) ऐसे थे जिनका अपना व्यापार (खाद

⁴³ एग्रो कृषक केन्द्र की नियमावली की शर्त संख्या 3.14 ।

सहित) पहले से ही चल रहा था एवं 47 मामलों में (आगरा में 2 एवं कानपुर में 45) योग्यता हेतु कोई परिपत्र नहीं माँगे गये थे।

(iv) एग्री ने बिक्री के कोई प्रमाण पत्र नहीं माँगे जिससे यह नहीं जाँचा जा सका कि बिक्री किसानों को हुई थी या नहीं और इसीलिए ऐसी मात्रा पर दिया गया उपदान संदेहात्मक रहा।

प्रबन्धन ने इस बिन्दु का उत्तर नहीं दिया है।

2अ.4.3 खाद की बिक्री में खाद नियन्त्रण आदेश 1985 का उल्लंघन

(i) खाद नियन्त्रण आदेश 1985 (एफसीओ) के उपबन्ध 7 में निहित है कि कोई व्यक्ति जिनमें निर्माता, आयातक, पूल हैडलिंग एजेंसी, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी एवं औद्योगिक व्यापारी शामिल हैं, पंजीकरण प्रमाण पत्र में निहित शर्तों से हटकर, किसी भी स्थान पर खाद का कोई व्यापार व बिक्री नहीं करेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को इन शर्तों से इतर खाद बिक्री हेतु अधिसूचना द्वारा विमुक्त न किया गया हो। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एग्री के पास ऐसा पंजीयन प्रमाण-पत्र⁴⁴ जिला बिक्री कार्यालय (उद्यमियों द्वारा बिक्री का बिन्दु) हेतु नहीं था जिसके द्वारा वर्ष 2000-01 में 38.53 करोड़ रुपये मूल्य के 74980 मीट्रिक टन⁴⁵ खाद (यूरिया, डीएपी आदि) बेचा गया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि उद्यमियों को खाद की बिक्री करने के लिए अलग अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं थी एवं यह बिक्री जिस भवन में जिला बिक्री प्रबन्धक का कार्यालय था, वहाँ से की गयी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इनके पास फुटकर बिक्री केन्द्रों से, न कि जिला बिक्री कार्यालय से, बिक्री करने की अनुज्ञप्ति थी और उद्यमियों को बिक्री फुटकर बिक्री नहीं थी। ऐसे अलग किस्म की बिक्री के लिए एफसीओ 1985 के प्रस्तर 8 (पंजीकरण हेतु आवेदन) के नीचे लिखी टिप्पणी के अनुसार अलग पंजीकरण आवश्यक था।

(ii) एफसीओ के उपबन्ध 3(3) में आगे व्यक्त किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अथवा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर खाद की बिक्री नहीं की जा सकती। पुनः, राष्ट्रीय कृषि नीति में ऐसी नीति विकसित करने पर बल था जिससे समग्र अर्थव्यवस्था में प्रभावशीलता लाने हेतु प्रभावी नियन्त्रण कर किसानों को अधिक लाभ दिलाया जा सके। इसके विपरीत, एग्री ने वर्ष 2000-01 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 8998 रुपये प्रति मीट्रिक टन के अधिकतम खुदरा मूल्य से (8900 रुपये व राज्य कर 98 रुपये प्रति मीट्रिक टन) अधिक दरों (9000 रुपये से 9300 रुपये प्रति मीट्रिक टन) पर डीएपी की बिक्री की।

⁴⁴ वार्तालाप में बताया गया। लेखापरीक्षा द्वारा माँगे जाने पर कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिखाया गया।

⁴⁵ एमआईएस पर आधारित, लेखों के अनुसार वास्तविक बिक्री की सूचना नहीं दी गई।

इस आपत्ति का उत्तर प्रबन्धन ने नहीं दिया।

(iii) एफसीओ के उपबन्ध 5 के अनुसार फुटकर बिक्री के लिए प्रारूप-एम में नकद या उधार में जारी होगा जिस पर पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या, क्रेता का नाम व पता, मात्रा, दर, बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर की रकम अलग-अलग प्रदर्शित हो। किन्तु एगो के बिक्री केन्द्रों में बहुधा दिनभर की पूरी बिक्री के लिए समेकित कैंश में तैयार किये थे (जिन्हें क्रेता को जारी नहीं किये गये थे) और ये निर्धारित कालम पर नहीं थे। क्योंकि प्रबन्धतंत्र अलग से कर एवं समेकित फुटकर बिक्री दरों को जारी करने में असफल रहा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि फुटकर कैंश में जारी करने हेतु पुनः निर्देश दिये जायेंगे।

(iv) एफसीओ के उपबन्ध 25 के प्रावधानों के विपरीत, एगो ने औद्योगिक प्रयोग हेतु अपने पशु आहार संयंत्र के लिए 770 मीट्रिक टन 'उपदानित' यूरिया आपूर्ति की थी।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि अपने पशु आहार कारखानों को बिक्री में आर्थिक अनियमितता नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि औद्योगिक उद्देश्य हेतु उपदान वाली यूरिया प्रयोग नहीं की जा सकती।

2अ.4.4 आयातित डीएपी के विपणन में हानि

वर्ष 1992 से डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) एक अनियन्त्रित उर्वरक है। यदि इनका आयात एमएमटीसी या राज्य व्यापार निगम या भारतीय पोटैश निगम या केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के मार्फत किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा किसानों को आयातित डीएपी के वितरण पर दरों में रियायत प्रति मीट्रिक टन आधार पर (निश्चित रकम) जारी की जाती है।

एगो ने अप्रैल 1999 में डीएपी खरीद के लिए निविदा जारी की एवं मई 1999 में बोली को खोला किन्तु रियायत (उपदान दर) में कमी की आशा की वजह से उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इस निविदा में, एमएमटीसी ने भाग लिया एवं अन्य किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित शर्तों से अच्छे प्रस्ताव की पेशकश की। निविदा, पुनः (02 जून 1999) आमंत्रित की गई एवं 11 जून 1999 को खोली गयी इस निविदा में एक नयी फर्म ग्रीनलैंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, लखनऊ (जीएफएल) ने भी भाग लिया और आयातित डीएपी के लिए 8000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर 30 दिन की साख समय के साथ उद्धृत किया। एमएमटीसी ने (अपने पत्र दिनांक 10.06.1999 द्वारा) वही शर्तें जो मई 1999 के पहले की निविदा के विरुद्ध थी, दीं। एगो ने एमएमटीसी के प्रस्ताव (जिन्होंने किन्हीं अन्य आपूर्तिकर्ताओं की अतिअनुकूल शर्तों से मेल करती हुई शर्तें दी थीं) पर विचार करने के बजाय जीएफएल के साथ एक समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया जो 28000 मीट्रिक टन आयातित डीएपी की आपूर्ति हेतु 01.08.1999 से

31.12.1999 तक के लिए वैध था। एमीरेट्स ट्रेडिंग एजेंसी (ईटीए), दुबई के विशेष अनुरोध पर जीएफएल को एमएमटीसी की सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। जीएफएल को, ईटीए से एमएमटीसी द्वारा आयातित डीएपी का भारत में विपणन करना था। एमओयू में साफ-साफ वर्णित था कि नियन्त्रणमुक्त उर्वरक की बिक्री के लिए सभी दावे एमएमटीसी द्वारा प्रस्तुत होंगे एवं जीएफएल द्वारा एगो को बेची गयी मात्रा के विरुद्ध आवश्यक उपयोजन प्रमाण पत्र, एगो द्वारा एमएमटीसी को निर्गत किये जायेंगे। एमएमटीसी एवं जीएफएल के मध्य हुए समझौता करार के अनुसार बिक्री रकम की प्राप्ति एवं उपदान की वसूली के बाद एमएमटीसी को 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेवा व्यय एवं अन्य अनुपातिक खर्चों का समायोजन करने के बाद शेष धन को ईटीए को प्रेषित करना था।

इस लेन देन में लेखा परीक्षा द्वारा निम्न अनियमिततायें देखी गईं:

(i) एगो ने न तो सीधा आयात किया और न एमएमटीसी को हाई-सी-सेल आधार पर डीएपी के आयात हेतु एमएमटीसी से प्रार्थना की।

(ii) एगो द्वारा खुली सूची के अन्तर्गत डीएपी का आयात एवं विपणन किया जा सकता था। किन्तु एगो ने जीएफएल के माध्यम से एमएमटीसी द्वारा एमीरेट्स ट्रेडिंग एजेंसी से डीएपी के आयात करने पर सहमति दी। एमओयू में उल्लिखित था कि आपूर्ति की जाने वाली सम्पूर्ण डीएपी एमएमटीसी एवं जीएफएल के मध्य हुए संयुक्त साहस करार के अंतर्गत थी जिसके अनुसार भारत में एमएमटीसी आयातक एवं जीएफएल विपणक था। यद्यपि, आयातित डीएपी हेतु उपदान जारी करने सम्बन्धी विस्तृत प्रावधानों के अनुसार विशेष रूप में (एमएमटीसी अथवा आईपीएल अथवा एसटीसी) संस्थाओं को नामित किया गया था तथापि एगो ने जीएफएल के साथ सम्पन्न एमओयू में ईटीए में एमएमटीसी द्वारा आयातित डीएपी के लिए भारत में विपणक के रूप में कार्य करने को कहा। इस प्रक्रिया द्वारा निर्यातक यानि ईटीए को उपदान (9.49 करोड़ रुपये) के स्थानान्तरण में सुविधा हो गई।

(iii) 22.11.1999 को निर्गत जाँच प्रमाण पत्र के अनुसार नवम्बर 1999 में आयातित 16858 मीट्रिक टन डीएपी की मात्रा मानक से कम थी। उपदान लेने के लिए आयातित उर्वरक की जाँच एवं स्तर प्रमाणित होने का प्रमाण पत्र आवश्यक था। उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार अप्रमाणिक उर्वरक की बिक्री तब तक प्रतिबन्धित थी जब तक कि दूसरे जाँच प्रमाण पत्र द्वारा अप्रमाणिक को प्रमाणिक नहीं कर दिया जाता। दूसरे जाँच प्रमाण पत्र द्वारा 16858 मीट्रिक टन को प्रमाणित किये जाने का प्रमाण पत्र 09.03.2000 को मिला जबकि एगो ने आपूर्तिकर्ता के विशेष अनुरोध पर दिसम्बर 1999 से फरवरी 2000 के मध्य अधिदेश द्वारा आवश्यक गुण प्रमाण पत्र को प्राप्त किये बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया। इससे आपूर्तिकर्ता को 2150 रुपये प्रति मीट्रिक टन (उपदान फरवरी 2000

तक 3200 रुपये प्रति मीट्रिक टन एवं मार्च 2000 से घटकर 1050 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गया था) की दर से 16858 मीट्रिक टन पर 3.62 करोड़ रुपये की उच्च रियायत (उपदान) लेना आसान हो गया।

(iv) खरीफ मौसम 1999-2000 हेतु 70,000 मीट्रिक टन डीएपी खरीद का जीएफएल ने प्रस्ताव रखा। किन्तु एमओयू की शर्तों के आधार पर 7950 रुपये के शुद्ध मूल्य पर (8000 रुपये घटाया भाड़ा उपदान 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन) 28000 मीट्रिक टन खरीदा गया। इससे 5 अन्य पक्षों से 28139 मीट्रिक टन डीएपी 7996 रुपये से 8098 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर श्रृंखला पर खरीदना आवश्यक हो गया। परिणामस्वरूप, 36 लाख रुपये का अधिक व्यय हो गया। प्रबन्धन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2002) कि बाजार की हालत के कारण मात्रा को कम कर दिया गया था। यह तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि एग्री ने 28139 मीट्रिक टन बाद में अन्य पाँच पक्षों से खरीदा।

(v) प्रारम्भ में, जीएफएल ने बिना बिक्री कर (यूपीटीटी) 8000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर उद्धरित की किन्तु क्रय समिति ने उग्र व्यापार कर (अतिरिक्त) जोड़ दिया। इसके फलस्वरूप 29658 मीट्रिक टन सम्पूर्ण मात्रा पर 29 लाख रुपये का अनुचित लाभ हो गया।

(vi) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित अनियमितताएँ देखने में आईं:

- (अ) बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के, जीएफएल को भुगतान जारी हो गए;
- (ब) एमएमटीसी द्वारा जीएफएल को 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दी गई छूट एग्री को हस्तांतरित नहीं की गई इससे जीएफएल को 0.74 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ;
- (स) यद्यपि, उपदान केवल किसानों को बिक्री पर अनुमन्य थी, एग्री ने सामग्री के प्राप्ति की तिथि को एमएमटीसी द्वारा आर्थिक सहायता (उपदान) लेने के लिए बिक्री की तिथि मान ली थी।

2अ.5 कृषि कार्यशाला प्रखण्ड के कार्यकलाप

यह प्रखण्ड जो पहले शासन के कृषि विभाग के अधीन था, मई 1968 में एग्री को हस्तांतरित किया गया। जीटर ट्रैक्टर के हिस्सों को जोड़ने वाले काम को एचएमटी लिमिटेड, पिंजौर को हस्तांतरित होने पर 1974-75 से इसके पास केवल कृषि संयंत्र का निर्माण अनुभाग रह गया। 1996-97 से 2000-2001 के पाँच वर्षों के दौरान 4.81 करोड़ रुपये मूल्य के कल्टीवेटर्स की नौ किस्में, डिस्क हैरो की सात किस्में, ट्रैक्टर ट्रेलर की पाँच किस्में एवं छः घनफुट क्षमता वाले हथठेला का निर्माण इसने क्रिया एवं सेवा प्रखण्ड के माध्यम से बेचा।

कार्यशाला निरन्तर हानि उठा रहा था जो वर्ष 1996-97 से 2000-01 के पाँच वर्षों के दौरान 0.89 करोड़ रुपये से 3.40 करोड़ रुपये के बीच थी।

2अ.5.1 अन्तर्इकाई हस्तांतरण में उ.प्र.व्यापार कर का परिहार्य भुगतान

उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास आयुक्त ने 48 जिलों में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत टूल किट वितरण हेतु एग्री को नोडल संख्या के रूप में नामित किया। पैकिंग केस के रूप में टिन के डिब्बे में टूल किट संग्रह का कार्य कार्यशाला प्रखण्ड को सौंपा गया। टूल किट उत्तर प्रदेश व्यापार कर मुक्त है एवं उ.प्र.व्यापार कर अधिनियम की धारा 3एबी (बी) के अनुसार ऐसी पैकिंग सामग्री, जो सामान के साथ बेची जाती है, भी कर से मुक्त होती है। किन्तु कार्यशाला ने सेवा प्रखण्ड जो पैकिंग डिब्बे प्राप्त किये उस पर वर्ष 1996-97 से 2000-01 के दौरान सेवा प्रखण्ड ने कार्यशाला प्रखण्ड पर उ.प्र.व्यापार कर हेतु 8.95 लाख रुपये का एक देयक बना दिया जिसका भुगतान व्यापार कर विभाग को कर दिया गया। यदि सेवा प्रखण्ड के माध्यम की जगह कार्यशाला प्रखण्ड से सीधे खरीदता तो इस प्रकार के भुगतान से बचा जा सकता था। सेवा प्रखण्ड ने डिब्बों को बाजार से खरीदकर कार्यशाला प्रखण्ड को आपूर्ति की थी।

2अ.5.2 टूल किट वितरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त लोक निधि का दुरुपयोग

टूल किट वितरण योजना में कम्पनी के अधिकारियों ने 1.82 लाख रुपये का दुरुपयोग किया

एग्री ने वर्ष 2000-01 में समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान बढ़ई, मोची, राजमिस्त्री, लोहार आदि को 22.04 करोड़ रुपये मूल्य के टूल किट वितरित किये। राज्य सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निधि प्राप्ति या आदेश प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन वितरण इस योजना में निहित नहीं था। किन्तु कार्यशाला प्रखण्ड के श्री ए.के.गौण, सहायक अभियंता एवं श्री डी.डी.अग्रवाल, खण्डीय अभियन्ता ने क्रमशः 40,000 रुपये एवं 1,42,000 रुपये कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन वितरित करने हेतु निकाले। श्री अग्रवाल ने बी.के.गर्ग, सामान्य प्रबन्धक की स्वीकृति पर वाउचर पास कर दिये एवं कर्मचारियों में बाँटने हेतु स्वयं को भुगतान दिखाया लेकिन वाउचर के साथ नत्थी किये गये प्राप्त पत्रक पर कर्मचारियों से पावती नहीं प्राप्त की। भुगतान हेतु जिम्मेदार श्री गजराज सिंह लेखा अधिकारी ने भी भुगतान के पूर्व कोई सावधानी नहीं बरती।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2002) कि इन भुगतानों को आदेश प्राप्त करने, अग्रिम भुगतान एवं समायोजनों के लिए किये गये अतिरिक्त प्रयत्नों के लिए किया गया था। उत्तर लोक धन के दुरुपयोग हेतु अवसर प्रदान करने व वित्तीय अनुशासन का अभाव दर्शाता है।

2अ.6 पशु आहार प्रखण्ड

2अ.6.1 पशु आहार प्रखण्ड के कार्यकलाप

पशु आहार प्रखण्ड के तीन पशु आहार कारखाने लखनऊ, गोरखपुर एवं मुरादाबाद में स्थित हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 3000 मीट्रिक टन (सितम्बर 1998 से जो

बढ़कर 6000 मीट्रिक टन हो गई), व 1500 मीट्रिक टन (जो वर्ष 1998-99 से बढ़कर 3000 मीट्रिक टन हो गई) थी। इन प्रखण्डों ने भारतीय मानक के किस्म II के आहार उत्पादित किये जिनमें राज्य सरकार के पशुपालन विभाग की माँगों को पूरी करने हेतु मिश्रित पशु आहार, मुर्गी आहार, राशन आदि सम्मिलित थे।

वर्ष 1998-99 तक इन प्रखण्डों ने लाभ अर्जित किये किन्तु तत्पश्चात् हानि में चले गये। वर्ष 2000-01 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के दौरान हानि का कारण निम्न क्षमता उपयोग व कम बिक्री रही।

निम्न क्षमता उपयोग का कारण एग्री का अकेले पशुपालन विभाग की माँगों पर आश्रित होना था। विपणन नीति को मजबूत कर निजी बाजारों पर कब्जा करने के प्रयत्नों का एवं पूरे राज्य में फैले अपने सेवा/उर्वरक केन्द्रों से बिक्री करने का अभाव रहा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि निम्न क्षमता उपयोग पशुपालन विभाग के पशुपक्षियों की जनसंख्या में कमी के कारण हुआ। उत्तरांचल राज्य के सृजन से जो अपनी आवश्यकता के लिए उत्तरांचल राज्य में स्थित सहकारी कारखानों से खरीद करती है, यह और प्रभावित हुआ।

2अ.6.2 पैकिंग हेतु अधिक मूल्य वाले थैलों के उपयोग में परिहार्य हानि

आईएस कोड के एचडीपीई बैग की जगह महँगे जूट बैग के प्रयोग से कम्पनी को 18.31 लाख रुपये की हानि हुई

आईएस कोड 2052: 1979 के उपबन्ध 4.1 (पैकिंग) में वर्णन है कि मिश्रित पशु आहार साफ एवं मजबूत सादे अथवा पॉलिथीन स्तर वाले जूट के या लैमिनेटेड कागज के थैलों में पैक किये जायेंगे। जुलाई 1990 में पैकिंग सामग्री में एचडीपीई थैलों को शामिल करने के लिए इस कोड में परिवर्तन किया गया। एग्री किफायती एचडीपीई थैलों (50 किलो पैकिंग हेतु उपलब्ध) के विरुद्ध 70 किलोग्राम पैकिंग वाले अधिक मूल्य वाले जूट के थैलों को उपयोग में लाता है इसके फलस्वरूप वर्ष 2000-01 तक के पाँच वर्षों के दौरान 18.31 लाख रुपये की हानि हुई।

एग्री ने पशु आहार की पैकिंग हेतु विभिन्न किस्म के थैलों के लागत लाभ विश्लेषण को नहीं किए। प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि किसी निर्माता ने ग्राहकों से एचडीपीई थैलों में पशु आहार खरीदने हेतु दबाव नहीं बनाया क्योंकि जूट के थैलों की पुनः बिक्री होती है और जूट थैलों में आहार जीवनकाल भी अधिक होता है उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जूट के थैलों में पशु आहार आपूर्ति करने के लिए किसी ग्राहक से कोई विशेष माँग नहीं थी।

निष्कर्ष

संचालक मण्डल के सदस्यों के व्यवसायिक विज्ञता के अभाव एवं प्रबन्ध निदेशकों के बार-बार बदले जाने से एग्री उत्तरोत्तर होते तकनीकी विकास की गति से अपने को जोड़ नहीं सका। कमजोर क्षेत्रों की पहचान हेतु घटक वार विश्लेषण का अभाव, स्कन्ध में बढ़ोत्तरी, कर्मचारी देनदारी में

बढ़त, बिना समाधान किये बैंक अवशेषों, बिना समाधान एवं बिना समायोजन के विविध अग्रिमों और अत्यधिक हानि के कारण संचालन में न रहने वाली सहायक कम्पनी में निवेश आदि से एग्री की हानि द्वारा उसकी वित्तीय स्थिति परिलक्षित होती है। अननुमोदित ट्रैक्टरों की बिक्री पर अननुमन्य उपदान देने, दोषयुक्त/कम वजन वाले पाइपों की खरीद के कारण हानि, उच्च दरों पर हैंडपम्पों की खरीद, हैंडपम्पों के प्रतिस्थापन में आवरण पाइपों के अधिक उपयोग एवं उग्र व्यापार कर के अधिक/परिहार्य/दोहरे भुगतान आदि गतिविधि संचालन से सम्बन्धित बिन्दु थे। निजी पक्षों के द्वारा अनाधिकृत बिक्री, उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन एवं दुबई की एक फर्म को एमएमटीसी द्वारा डीएपी खरीद में प्रचुर उपदान हस्तान्तरण आदि बिन्दु समीक्षा में पाये गये।

अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एग्री को अधिक व्यवसायी व व्यापारिक तरीके में काम करने की जरूरत है।

इन मामलों को शासन को जुलाई 2002 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर की प्रतीक्षा है (सितम्बर 2002)।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

2ब. जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

मुख्य अंश

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व औद्योगिक विकास को गति देने हेतु राज्य सरकार (शासन) ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उप्रपाकालि) को सौंपा।

(प्रस्तर 2ब.1.1)

31 मार्च 2002 तक राज्य के कुल ग्रामों का मात्र 59 प्रतिशत का ही विद्युतीकरण किया गया। वर्ष 1997-98 से 2000-01 की अवधि में उप्रपाकालि ने 8822 ग्रामों के विद्युतीकरण में बिना औचित्य के 228.21 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया।

(प्रस्तर 2ब.2.2)

उच्चतर फेज और तारों के उपयोग के कारण 1.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई, जिनमें 35.53 लाख रुपये की उच्च अधिलागत वाले अधिक क्षमता के परिवर्तकों की संस्थापना, 22.02 लाख रुपये की अधिक लागत वाले पोल और कण्डक्टर का उपयोग, एलटी क्लैम्स की अधिप्राप्ति और सामग्री की दुलाई पर 0.62 करोड़ रुपये का अधिव्यय शामिल थे।

{प्रस्तर 2ब.3(i से iv एवं vi)}

प्रत्याशित और सम्भावित उपभोक्ताओं के बिना ग्रामों के विद्युतीकरण के कारण 31 मार्च 2002 तक 46.67 लाख रुपये की सम्भावित आय की हानि के अतिरिक्त 4.18 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2ब.4.1)

एमएलए/एमएलसी कोटा के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना में प्रति पाँच ग्रामों के लिए प्रति एमएलए/एमएलसी के लिए यथा निर्धारित 25.00 लाख रुपये की सीमा का पालन नहीं किया गया जिसके कारण 4.36 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्री व मुख्यमंत्री ने क्रमशः 31 व 5 ऐसे ग्रामों का 1.56 करोड़ रुपये व 16.58 लाख रुपये की लागत पर विद्युतीकरण करवाया जो कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं थे।

{प्रस्तर 2ब.5.2 (i एवं iii)}

एमएलए कोटा के अन्तर्गत 18 ऐसे ग्रामों का चयन व जिला योजना निधि से 0.93 करोड़ रुपये की लागत पर पुनः विद्युतीकरण किया गया जो पहले से ही विद्युतीकृत थे।

{प्रस्तर 2ब.5.3 (i)}

5.45 करोड़ रुपये की ग्राम विद्युतीकरण निधि का अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया या उपयोग नहीं किया गया तथापि, उपयोजन प्रमाण-पत्र में असत्य रूप से उपयोजित सूचित किया गया।

(प्रस्तर 2ब.6.4)

2ब.1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार की कृषि नीति में अन्तर्निहित ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व औद्योगिक विकास की गति में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए राज्य योजनाओं में विद्युत के तीव्र विस्तार की आवश्यकता को सार्वभौम महत्व का माना गया। तदनुसार, राज्य सरकार (शासन) ने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उप्रपाकालि), लखनऊ⁴⁶ को सौंपा।

परम्परागत परिभाषा के अनुसार, एक ग्राम जिसमें एकमात्र विद्युत संयोजन, चाहे वह गैर आवासीय क्षेत्र में हो, को विद्युतीकृत माना जाता है। इस परिभाषा के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तमिलनाडु राज्यों ने शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 मार्च, 2001 को प्राप्त कर लिया था। उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल केवल असम, उड़ीसा, अरूणाचल प्रदेश व मेघालय से ऊपर ग्यारहवें स्थान पर थे (बिहार की स्थिति अनुपलब्ध)। अक्टूबर 1997 से ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा संशोधित की गई और तदनुसार आवासीय क्षेत्र में एकमात्र विद्युत संयोजन वाले ग्राम को भी विद्युतीकृत माना जाता है।

2ब.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

उप्रपाकालि के 119⁴⁷ विद्युत वितरण खण्डों (विविख) ने 14⁴⁸ महाप्रबन्धकों के कार्यात्मक नियन्त्रणाधीन 41⁴⁹ सम्बन्धित उप महाप्रबन्धकों के पर्यवेक्षण में ग्राम विद्युतीकरण का कार्य संचालित किया। उप्रपाकालि के ग्रामीण विद्युतीकरण व द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो)⁵⁰ ने कार्य के मानक व विशिष्टतायें निर्धारित की। कार्य के अनुमोदन, अनुश्रवण और शासन को प्रगति आख्या हेतु भी रेस्पो उत्तरदायी था। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तरांचल नामक एक नये राज्य का

⁴⁶ 14.1.2000 तक तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद)।

⁴⁷ उत्तरांचल के 14 विविख सहित।

⁴⁸ उत्तरांचल के 2 महाप्रबन्धक सहित।

⁴⁹ उत्तरांचल के 5 उप-महाप्रबन्धक सहित।

⁵⁰ उप्रपाकालि के मुख्यालय पर मुख्य महाप्रबन्धक के नेतृत्व में।

सृजन 9 नवम्बर 2000 से प्रभावी हुआ। उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड का निगमन भी 12 फरवरी 2001 को हो गया था परन्तु 31 मार्च 2001 तक उत्तरांचल राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के विद्युतीकरण पर व्यय उप्रपाकालि द्वारा किया गया।

2ब.1.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण की कमियों से सम्बन्धित उद्धरण 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश शासन, में किया गया था। सितम्बर 2002 तक सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा परिचर्चा लम्बित थी।

वर्तमान समीक्षा 1997-98 से 2000-2001 तक के 4 वर्षों की अवधि में जिला योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधियों से निष्पादित ग्राम विद्युतीकरण के कार्यों को आच्छादित करती है। समीक्षा, अगस्त 2001 से जनवरी 2002 तक सम्पन्न की गई। रेस्पो, तीन महाप्रबन्धकों (वाराणसी, बरेली और गोरखपुर मण्डल) और 18 विवि खण्डों (11 उप महाप्रबन्धकों के अधीन) के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित जाँच परिणामों का उल्लेख आगे किया गया है। आठ विवि खण्डों⁵¹ के 39 अवर अभियन्ताओं के अभिलेखों और दो विवि खण्डों के द्वारा किये गये अनुबन्धों/कार्यदेशों आदि की सम्प्रेक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार और उप्रपाकालि के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक से बार-बार अनुरोध के बावजूद भी ये अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

2ब.2 कार्यों का निष्पादन

उप्रपाकालि ने 1997-98 तक ग्राम विद्युतीकरण का कार्य अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत सम्पन्न किया था। योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा उप्रराविप को 14.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दिये गये ऋण द्वारा किया गया, जो कि जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा विवि खण्डों को अवमुक्त किया जाता था। 1998-99 से योजना संशोधित की गई और प्रत्येक विधान सभा/विधान परिषद सदस्य को अपने पूर्ण विवेकानुसार प्रति वर्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच ग्रामों (पूर्व में विद्युतीकृत नहीं) का चयन करना होता था। प्रत्येक विधान सभा/विधान परिषद सदस्य को प्रति वर्ष 25.00 लाख रुपये की सीमा के साथ प्रत्येक ग्राम के लिए 5.00 लाख रुपये अनुमन्य था। विविख इन कार्यों के लिए निधियों भी जिलाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त करते थे। 15 जनवरी 2000 से उप्रपाकालि के सृजन के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा जिला योजनान्तर्गत उप्रपाकालि को समता पूँजी के रूप में निधियाँ अवमुक्त की गई। राज्य सरकार से निधियों की प्राप्ति के उपरान्त प्राक्कलन तैयार किये गये और कार्य हाथ में लिये गये।

⁵¹ बलिया-I, बरेली, शाहजहाँपुर, बहराइच, गोरखपुर-II, बस्ती, कुशीनगर और इलाहाबाद-II।

2ब.2.1 कार्य निष्पादन की प्रणाली

0.10 लाख रुपये से अधिक के कार्यों के निष्पादन के लिये, ठेकेदारों से अनुबन्ध (न्यूनतम निविदा दरों के आधार पर) किये गये (इससे नीचे के कार्य कायदेशों के माध्यम से)। ग्राम विद्युतीकरण कार्यों को चलाने के लिए विवि खण्डों को सामग्री निर्गत करने के लिये, विद्युत भण्डार खण्ड (विभख) उत्तरदायी थे। विविख इन कार्यों के लिये प्राप्त निधियों का 80 प्रतिशत विभ खण्डों को सामग्री की आपूर्ति के लिये अन्तरित करते हैं। सम्बन्धित अवर अभियन्ता (जेई) सीधे कार्य को सामग्री निर्गत करते हैं। कार्य समाप्ति पर अवर अभियन्ता कार्य का मापन करते हैं और खण्ड ठेकेदारों को भुगतान करते हैं। लेखों में प्रविष्टियाँ लोनिवि लेखांकन पद्धति के अनुसार मासिक स्कन्ध और रोकड़ लेखे से की जाती है। स्कन्ध, रोकड़ और समायोजन लेखों के उचित मिलान के उपरान्त कार्य समाप्ति प्रतिवेदन भी तैयार किये जाने की आवश्यकता होती है।

यह देखा गया कि (i) विवि खण्डों द्वारा अन्तरित राशियों और उनके विरुद्ध विभ खण्डों द्वारा प्राप्त सामग्रियों का मिलान नहीं किया जा रहा था (ii) विवि खण्डों द्वारा लम्बे समय से अर्द्धवार्षिक स्कन्ध पंजिकाओं (4-एस) में प्रविष्टियाँ व बन्दी नहीं की गई थी।

2ब.2.2 प्रगतिमान उपलब्धियाँ

मार्च 2001 के अंत तक प्रगतिमान उपलब्धियाँ 59 प्रतिशत थी

मार्च 1997 के अन्त में राज्य के 112804 आवासीय ग्रामों में से 57734 (51 प्रतिशत) ग्राम विद्युतीकृत किये गये। 1997-98 से 2000-2001⁵² तक के चार वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त निधियों, व्यय की गई राशियाँ, निर्धारित लक्ष्य और उनके विरुद्ध वास्तविक उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य ⁵³	वास्तविक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (वार्षिक उपलब्धियों का प्रतिशत)	प्रगतिमान विद्युतीकरण की संख्या (प्रगतिमान उपलब्धियों का प्रतिशत)	बजट आवंटन के सापेक्ष प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि	प्रति ग्राम औसत लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1997-98	6194	2078 (34)	59812 (53)	100.24 (110.48)	181.54	0.09
1998-99	5302	2389 (45)	62201 (55)	88.76 (109.27)	186.86	0.08
1999-2000	6121	2670 (44)	64871 (58)	127.72 (166.35)	192.13	0.07
2000-01	2565	1685 (66)	66556 (59)	186.14 (186.14)	108.78	0.06
योग	20182	8822 (44)		502.86	669.31	

⁵² तत्पश्चात् न तो निधियाँ प्राप्त हुईं और न कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये।

⁵³ पूर्व वर्षों 1997-98 से 1999-2000 के दौरान छूटे हुए कार्य सम्मिलित।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

प्रति ग्राम लागत 5.00 लाख रुपये की सीमा का उल्लंघन करते हुये 228.21 करोड़ रुपये अधि-व्यय किये गये

(i) 1997-98 से 2000-2001 तक की अवधि में समग्र उपलब्धि मात्र 44 प्रतिशत थी और समीक्षा की अवधि के दौरान यह 34 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक विस्तृत थी;

(ii) प्रति ग्राम व्यय की गई राशि, निर्धारित सीमा 5.00 लाख रुपये के विरुद्ध 6.46 लाख रुपये से 8.74 लाख रुपये के बीच रही। अतः, कम्पनी ने 8822 ग्रामों के विद्युतीकरण पर 228.21⁵⁴ करोड़ रुपये का अधि-व्यय किया जिसका अभिलेखों में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं था।

ऐसी अतिरिक्त लागत के कारकों की, जैसा कि सम्प्रेक्षा के विश्लेषण से स्पष्ट हुए, अनुवर्ती प्रस्तरो में चर्चा की गई है।

2ब.3 अत्यधिक अधिप्राप्ति और उपभोग लागत

(i) लो-टेंशन वितरण लाइनों का निर्माण

सात विद्युत वितरण खण्डों ने उच्चतर फेज और तारों का उपयोग करके 421 ग्रामों का विद्युतीकरण किया

घरेलू उद्देश्यों के लिए ग्रामों में लो-टेंशन (एलटी) वितरण लाइनों के निर्माण के लिए उपप्राकालि ने कोई विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किया था। क्षेत्रीय इकाइयों के लिये बेंच मार्क की तरह उपयोग में ला सकने वाले निर्देशों की नियमावली भी संकलित नहीं की गई। यह देखा गया कि सात वि वि खण्डों ने वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान, 421 ग्रामों का एकल फेज दो तार के मानक के विरुद्ध दो फेज तीन तार और तीन फेज चार तार से विद्युतीकरण किया जिसका तकनीकी स्पष्टीकरण अभिलेखों में नहीं पाया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल 1.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-16 में दिया गया है।

(ii) उच्चतर क्षमता वाले परिवर्तकों की संस्थापना

173 ग्रामों में उच्चतर क्षमता के परिवर्तकों के उपयोग के कारण 35.53 लाख रुपये की अधिक लागत आई

रेस्पो द्वारा विनिर्दिष्ट (अप्रैल 1997) मानकों के अनुसार ग्रामों के विद्युतीकरण में 25 केवीए क्षमता के परिवर्तकों की संस्थापना की जानी थी, जब तक कि भार की आवश्यकतानुसार उच्चतर क्षमता वाले परिवर्तकों की संस्थापना आवश्यक न हो। वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान, छः विवि खण्डों ने 173 ग्रामों के विद्युतीकरण में 63 केवीए क्षमता के 176 परिवर्तकों और 100 केवीए क्षमता के तीन परिवर्तकों की संस्थापना की, जैसा कि नीचे वर्णित है, जिसका औचित्य सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया:

⁵⁴ 669.31 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) घटाओ 441.10 करोड़ रुपये (5.00 लाख रुपये X 8822 विद्युतीकृत ग्राम) ।

खण्ड	वर्ष	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	संख्या/क्षमता	25 केवीए परिवर्तक की लागत की तुलना में अधिक लागत (लाख रुपये में)
विविध, इटावा	1998-99	33	33/63 केवीए	6.76
	1999-00	42	42/63 केवीए	7.91
	2000-01	22	22/63 केवीए	4.67
	1998-99	02	2/100 केवीए	1.06
विविध-II, गाजीपुर	1999-00	03	3/63 केवीए	0.38
विविध-I, जौनपुर	1998-99	04	4/63 केवीए	0.85
विविध-I, गोरखपुर	1998-99	09	9/63 केवीए	1.66
	1999-00	05	6/63 केवीए	1.13
विविध-II, गोरखपुर	1999-00	24	24/63 केवीए	4.52
	1999-00	01	1/100 केवीए	0.38
विविध, बस्ती	1999-00	28	33/63 केवीए	6.21
योग		173	179	35.53

इसके कारण 35.53 लाख रुपये की अधिक लागत आई

(iii) पीसीसी पोल और कन्डक्टर का अत्यधिक प्रयोग

रेस्पो के लागत मानकों के अनुसार 11 क वी हाई टेंशन (एचटी) लाइन (जिसमें लम्बे पाट होते हैं) के निर्माण हेतु एसीएसआर वीजल कन्डक्टर सहित प्रति किलोमीटर नौ पीसीसी पोल और झोल के लिये 3 प्रतिशत कण्डक्टर के अतिरिक्त उपभोग की आवश्यकता होती थी। फिर भी, विविध, इटावा ने 120 ग्रामों के विद्युतीकरण में मानकों से अधिक 691 पीसीसी पोल व सम्बन्धित सामग्री निर्गत की और 5 प्रतिशत कण्डक्टर अनुमन्य किया (1997-98 से 2000-2001 तक)। इस प्रकार अधिक उपयोग के कारण 22.02 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि इटावा जिले की लगभग 70 प्रतिशत भूमि घाटीदार क्षेत्र होने के कारण पीसीसी पोल के उपभोग के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उसी क्षेत्र में लो टेंशन लाइनों (जिसमें छोटे पाट होते हैं) के निर्माण में रेस्पो के मानकों का पालन किया गया था।

(iv) एलटी क्लैम्स की उच्चतर दरों पर अधिप्राप्ति

कम्पनी ने एल टी क्लैम्स की अधिप्राप्ति में 27.92 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया

उप्राकालि द्वारा एलटी क्लैम्स की वार्षिक आवश्यकता का आगणन नहीं किया जा रहा था यद्यपि यह पर्याप्त महत्वपूर्ण था (1997-98 से 2000-2001 के दौरान मात्र 16 विवि खण्डों द्वारा 1.76 करोड़ रुपये मूल्य के 290877 एलटी क्लैम्स की अधिप्राप्ति की गई) और इस मद की केन्द्रित अधिप्राप्ति भी नहीं की गई ताकि बड़ी खरीद का लाभ उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त, कुछ विवि खण्डों द्वारा उच्चतर दरों पर भुगतान को रोकने के उद्देश्यों से एलटी क्लैम्स की अधिप्राप्ति की दरों के मिलान की कोई प्रणाली नहीं थी। वर्ष 1997-98 से

2000-2001 के दौरान वि वि खण्डों ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर (यूपीटीटी) रहित भिन्न-भिन्न दरों पर एलटी क्लैम्स (नट बोल्ट सहित) की अधिप्राप्ति की जो कि 1997-98 में 38.00 रुपये से 67.00 रुपये, 1998-99 में 52.80 रुपये से 68.00 रुपये, 1999-2000 के दौरान 48.90 रुपये से 68.00 रुपये और 2000-2001 के दौरान 52.00 रुपये से लेकर 68.00 रुपये प्रति क्लैम्स के मध्य आरेखित थी। 38.00 रुपये, 52.80 रुपये, 48.90 रुपये और 52.00 रुपये की न्यूनतम दरों के आधार पर, वर्ष 1997-98 से 2000-2001 के दौरान 16 वि वि खण्डों द्वारा 264877 एल टी क्लैम्स (नट बोल्ट सहित) की अधिप्राप्ति पर 27.92 लाख रुपये (यूपीटीटी सहित) की अतिरिक्त लागत आई परिणामतः लागत आधिक्य रहा जैसा कि परिशिष्ट-17 में दर्शाया गया है।

(v) शैकल स्ट्रेप्स की अनावश्यक अधिप्राप्ति

कम्पनी द्वारा जारी स्थायी निर्देशों के अनुसार, सामग्रियों की अधिकतम अधिप्राप्ति छः माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। वि वि खण्ड-II, हरदोई ने 6 अप्रैल 1999 (15,000), 28 अप्रैल 1999 (15,000), 26 दिसम्बर 1999 (20,000) और 5 फरवरी 2000 (20,000) को चार फर्मों को क्रयादेश जारी कर 70,000 शैकल स्ट्रेप्स की अधिप्राप्ति की। इस तथ्य के बावजूद कि 2000-2001 के दौरान शैकल स्ट्रेप्स का उपभोग मात्र 5404 की संख्या में रहा, 70,000 शैकल स्ट्रेप्स की अधिप्राप्ति (1999-2000: 50,000 और 2000-2001: 20,000) के कारण अनावश्यक क्रय हुआ और 31 मार्च 2001 को 122823 संख्या के असामान्य उच्च स्कन्ध के कारण निधियाँ अवरूद्ध रही।

(vi) सामग्री की ढुलाई पर अधिक व्यय

उच्चतर दरों पर सामग्री की ढुलाई के कारण 0.62 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ

उत्पादक इकाइयों से उपप्राकालि के अस्थायी गोदाम/कार्य स्थलों तक पीसीसी पोल, परिवर्तकों और अन्य लाइन सामग्रियों की ढुलाई विभिन्न विभ खण्डों द्वारा ठेकेदारों से वार्षिक अनुबन्ध के माध्यम से संचालित की जाती है। ढुलाई की दरें मुख्य महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्धन) द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों को प्रतिवर्ष इस निर्देश सहित प्रसारित की जाती है कि क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा ढुलाई की दरों का निर्धारण इन दरों को ध्यान में रखकर किया जाय। तथापि, विभ खण्डों की अनुशंसित दरों का पालन करने की बजाय, छः वि वि खण्डों ने ठेकेदारों को उच्चतर दरें अनुमन्य की जिसके कारण वर्ष 1997-98 से 2000-2001 के दौरान परिशिष्ट-18 में दिये गये विस्तृत विवरणानुसार 0.62 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(vii) पूर्ण हुये कार्यों से सामग्री वापस प्राप्त न होना

दो विद्युत वितरण खण्डों द्वारा क्रमशः 23.96 लाख रुपये व 25.68 लाख रुपये मूल्य की सामग्री वापस नहीं ली गई

ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए सामग्रियों का आहरण अनुमोदित प्राक्कलनों के आधार पर किये जाते थे। 1997-98 से 1999-2000 के दौरान, चार विद्युत वितरण खण्डों (विविख-II इलाहाबाद, विविख-I गोरखपुर, विविख बरेली और

विविख राबर्ट्सगंज) ने 65 ग्रामों के संबंध में कार्यों का निष्पादन किया। यह जानकारी में आया कि लाइनों की अनुमोदित लम्बाई, लाइनों की वास्तविक निर्मित लम्बाई से अधिक थी। तदनुसार, विभख से आहरित किये गये 23.96 लाख रुपये मूल्य के 147.367 किलो मीटर कण्डक्टर वापस नहीं लौटाये गये। इसी प्रकार विविख, बाराबंकी में अप्रैल 1998 से अगस्त 2001 के दौरान, 22 ग्रामों के विद्युतीकरण में 1.72 लाख रुपये मूल्य के 164 पीसीसी पोल कम लगाए गये (2033 पोल की प्राप्ति के विरुद्ध 1869 पोल लगाये गये) वे भी ग्राम विद्युतीकरण के स्थलों से वापस प्राप्त नहीं हुए। इसके परिणामस्वरूप, 25.68 लाख रुपये मूल्य की सामग्री का अल्प लेखांकन हुआ। अवर अभियन्ताओं द्वारा स्थल पर सामग्री (एमएस) लेखे न बनाये जाने के कारण इनके दुर्विनियोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

2ब.3.1 विद्युत भण्डार खण्डों को अन्तरित सामग्री की अधिक घटक लागत

विद्युत भण्डार खण्डों को 7.37 करोड़ रुपये की अधिक निधियाँ अन्तरित की गईं

(i) यह देखा गया कि उपरपाकालि के निर्देशानुसार विद्युत वितरण खण्डों, को ग्राम के विद्युतीकरण में सामग्री घटक के वास्तविक आंकलन को ध्यान में रखे बिना, प्राप्त निधियों का 80 प्रतिशत विभ खण्डों को अन्तरित करना चाहिए। इन निर्देशों में निहित तर्क स्पष्ट नहीं था क्योंकि निम्नलिखित मात्र तीन वि वि खण्डों में 7.37 करोड़ रुपये की निधि, सामग्री घटक की मद में विभख की आवश्यकता से अधिक अन्तरित की गई, जिसके कारण ग्राम विद्युतीकरण के कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जैसा की नीचे वर्णित है:

(करोड़ रुपये में)

खण्ड	वर्ष	विद्युतीकरण किये जाने वाले ग्रामों की संख्या	प्राक्कलन के अनुसार सामग्रियों का मूल्य	विभ खण्डों को अन्तरित राशि	अधिक अन्तरित राशि
विविख-I, इलाहाबाद	1998-2000	92	2.36	7.90	5.54
विविख, यस्ती	1998-2000	67	1.30	2.70	1.40
विविख, कुशीनगर	1999-2000	43	1.19	1.62	0.43
	योग	202	4.85	12.22	7.37

ये अतिरिक्त निधियाँ 184 अन्य ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य के लिये पर्याप्त थीं।

1.80 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री विद्युत भण्डार खण्डों से प्राप्त नहीं हुई

(ii) विविख-I शाहजहाँपुर ने अक्टूबर 1995 से जून 1998 के दौरान विभख, बरेली को अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए सामग्री की व्यवस्था के लिए 4.13 करोड़ रुपये की राशि अन्तरित की जिसके विरुद्ध 2.33 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री ही प्राप्त हुई। अतः, सामग्री के अभाव में ग्राम विद्युतीकरण की योजना प्रभावित हुई और 1.80 करोड़ रुपये की धनराशि (45 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये पर्याप्त) अवरूद्ध रही (मार्च 2002)।

विवि खण्डों और विभ खण्डों के मध्य सामग्री लेखों के मिलान की अनुपस्थिति अवशेष सामग्री की प्राप्ति में कमी को इंगित करती है और विभ खण्डों में निधियों की अवरूद्धता के साथ-साथ दुर्विनियोग की सम्भावना भी हो सकती है।

2ब.3.2 बिना प्रतिभूति के ठेकेदारों को सामग्रियों के निर्गमन के कारण उसकी वापसी न होना

बिना प्रतिभूति के दो ठेकेदारों को निर्गत 22.58 लाख रुपये मूल्य की सामग्री, एफआईआर दर्ज करवाये जाने के बावजूद वापस प्राप्त नहीं हुई

बिना प्रतिभूति के ठेकेदारों को सामग्री निर्गत न करने के मई, 1989 के निर्देशों के उल्लंघन में, विविख-I, इलाहाबाद के दो अवर अभियन्ताओं ने पाँच ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए बिना प्रतिभूति प्राप्त किये लक्ष्मी ट्रेडर्स, इलाहाबाद को 21.41 लाख रुपये मूल्य की सामग्री निर्गत कर दी (मार्च और अप्रैल 1998)। ठेकेदार ने इन ग्रामों के आंशिक विद्युतीकरण में 1.71 लाख रुपये मूल्य की सामग्री का उपयोग कर लिया और 19.70 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियों को अपने पास रोकते हुए कार्य को छोड़ दिया। परिणामतः, इनमें से किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण पूर्ण न किया जा सका। यद्यपि सामग्री वापस न किये जाने की एफआईआर दर्ज करवाई गई (नवम्बर 2000) परन्तु इस पर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। उसी प्रकार, उसी खण्ड के एक अन्य अवर अभियन्ता ने पड़ोखर ग्राम के विद्युतीकरण के लिये 2.88 लाख रुपये मूल्य की सामग्री अवध इण्टरप्राइसेस, इलाहाबाद को बिना प्रतिभूति प्राप्त किये जारी कर दी (मार्च 1997)। ठेकेदार ने न तो ग्राम का विद्युतीकरण किया और न ही सामग्री वापस लौटाई। परिणामस्वरूप, 2 जुलाई 2001 को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई।

2ब.4 परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

2ब.4.1 संभावित और वास्तविक उपभोक्ताओं के बिना विद्युतीकरण

उप्रपाकालि ने निर्देश जारी किये (जुलाई 1997) कि प्रत्येक ग्राम में कम से कम 10 सेवा संयोजन अवमुक्त किये जाने चाहिए। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं (सीजेडई) को भी 1995-96 से विद्युतीकृत सभी ग्रामों के संबंध में इसका अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। कम्पनी ने पुनः निर्देश जारी किये (जून 1999) कि किसी भी ग्राम के विद्युतीकरण से पहले कम से कम 15 उपभोक्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय। शासन ने आगे यह निर्देश जारी किया (जून 2000) कि किसी ग्राम का विद्युतीकरण केवल संभावित उपभोक्ताओं से 25 आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए।

4.18 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा क्योंकि सम्भावित उपभोक्ता उपलब्ध नहीं थे

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच से यह प्रकट हुआ कि सात विद्युत वितरण खण्डों (विविख-I शाहजहाँपुर, विविख बाराबंकी, विविख बस्ती, विविख-II इलाहाबाद, विविख-I गोरखपुर, विविख-बहराइच और विविख-बरेली) ने इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जिन्होंने 1997-98 से 2000-2001 के दौरान 4.18 करोड़ रुपये की लागत से 106 ग्रामों का बिना किसी उपभोक्ता के विद्युतीकरण किया।

उनके विद्युतीकरण पर व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, उप्रपाकालि 31 मार्च 2002 तक 46.67 लाख रुपये के राजस्व से वंचित रह गया।

पुन, पाँच विद्युत वितरण खण्डों (विविख-I शाहजहाँपुर, विविख, बाराबंकी, विविख-II इलाहाबाद, विविख-I गोरखपुर और विविख-बरेली) द्वारा अप्रैल, 1997 से मार्च, 2001 के दौरान 2.16 करोड़ रुपये की लागत से विद्युतीकृत 76 ग्रामों में मात्र एक से नौ उपभोक्ता थे। अतः इन ग्रामों का विद्युतीकरण उनकी वाणिज्यिक जीव्यता को आंकलित किये बिना किया गया।

2ब.4.2 निर्मित लाइनों के ऊर्जाकृत न किये जाने के कारण सामग्रियों की चोरी

निर्मित लाइनों के ऊर्जाकरण में हुए विलम्ब और परिणामतः लाइन सामग्रियों के चोरी का कोई विवरण, खण्डों द्वारा न रखे जाने के कारण उप्रपाकालि को भारी हानियाँ उठानी पड़ी। यह देखा गया कि विविख-I, शाहजहाँपुर ने जिला योजनान्तर्गत 1997-98 के दौरान 5 ग्रामों (रामपुर ननकारी, बिलिन्दापुर, पड़ारा सिकन्दरा, रामपुर बरकतपुर और हुसैनापुर) के विद्युतीकरण के लिये 23.15 लाख रुपये के प्राक्कलन तैयार किये परन्तु कार्य पूर्ण नहीं किया गया और लाइनों को ऊर्जाकृत नहीं किया गया। ऊर्जाकरण न किये जाने के कारण, ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये निर्गत सामग्री चोरी हो गई। कथित ग्रामों के विद्युतीकरण में हुई अनियमितताओं के बारे में स्थानीय विधान सभा सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर, खण्ड द्वारा प्रकरण की जाँच की गई और यह पाया गया (फरवरी 2000) कि बिना कार्य पूरा हुए मापन दर्ज कर लिया गया और ठेकेदारों को भुगतान अवमुक्त कर दिया गया और चोरी गई सामग्रियों के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं करायी गई। जिला योजना के अन्तर्गत 1999-2000 में इन पाँच ग्रामों के पुनः विद्युतीकरण हेतु 6.73 लाख रुपये के नये प्राक्कलन तैयार किये गये। प्राक्कलनों के विरुद्ध किये गये कार्य के विवरण संसूचित नहीं किये गये।

2ब.5 एमपी/एमएलए/एमएलसी कोटा के अधीन ग्रामों के विद्युतीकरण में कमियाँ

2ब.5.1 एमपी कोटा

एमपी कोटा के अन्तर्गत, ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना शासन की पहल पर मई 1999 में प्रारम्भ की गई। योजना के अन्तर्गत, एक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक वर्ष में 20 ग्रामों के विद्युतीकरण की अनुशंसा करने की अर्हता थी। पुन, कार्य का संचालन, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) से ऋण के रूप में प्राप्त निधियों से किया जाना था। चूंकि शासन ने प्रत्याभूति उपलब्ध नहीं करायी, आरईसी द्वारा कुछ भी राशि अवमुक्त

नहीं की गई और जनवरी 2001 तक उप्रपाकालि द्वारा स्वयं के संसाधनों से व्यय वहन किया गया। फरवरी 2001 से योजना बन्द कर दी गई।

मात्र पाँच विद्युत वितरण खण्डों द्वारा 1999-2000 से 2001-2002 तक 57 ग्रामों के विद्युतीकरण पर नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 2.04 करोड़ रुपये व्यय किये गये:

खण्ड	विद्युतीकरण का वर्ष	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	व्यय (लाख रुपये में)
विविख, बरेली	1999-2000	18	53.45
विविख, बाराबंकी	1999-00 व 2000-01	12	50.80
विविख, बस्ती	1999-00 व 2000-01	8	30.79
विविख-I, इलाहाबाद	1999-00 से 2001-02	11	46.40
विविख-I, गाजीपुर	2000-01	8	22.75
	योग	57	204.19

लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जाँच से परिलक्षित हुआ कि यद्यपि रेस्पो ने योजना के अध्यक्षीन विद्युतीकृत ग्रामों का और उन पर व्यय की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराने के लिये निर्देश, विवि खण्डों, को जारी किये थे (फरवरी/अगस्त 2001) ताकि शासन से व्यय की गई राशि अनुदान के रूप में प्राप्त की जा सके परन्तु क्षेत्रीय इकाइयों से वांछित पूर्ण सूचनायें प्राप्त न होने के कारण उप्रपाकालि योजना के अन्तर्गत कुलविद्युतीकृत ग्रामों और उन पर हुये व्यय का विवरण संकलित और सूचित नहीं कर सका और एमपी कोटा के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण पर व्यय की गई राशि को शासन से अनुदान के रूप में प्राप्त करने में असफल रहा (मार्च 2002)।

रेस्पो में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, एमपी कोटा के अन्तर्गत 358 अन्य ग्रामों का भी विद्युतीकरण किया गया परन्तु उन पर हुये व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं था।

2ब.5.2 एमएलए/एमएलसी कोटा

उप्रपाकालि ने ग्राम विद्युतीकरण के लिये निर्धारित प्रति एमएलए/एमएलसी 25 लाख रुपये की कुल सीमा का उल्लंघन किया और 4.36 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया

(i) एमएलए/एमएलसी कोटा के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना जिला योजना के अध्यक्षीन 1998-99 के दौरान लागू की गई। इसके अनुसार, प्रत्येक एमएलए/एमएलसी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकतम 5 ग्रामों के विद्युतीकरण की अनुशंसा करने की अर्हता थी और कुल व्यय 25.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होना था (प्रति ग्राम 5.00 लाख रुपये की औसत लागत पर)। सदस्य (वितरण) ने भी निर्देश जारी किये (दिसम्बर 1999) कि व्ययों को कड़ाई से इन मानकों की सीमा में रखा जाना चाहिये जिसके लिए महाप्रबन्धकों के स्तर पर अनुश्रवण किया जाना चाहिये।

लेखा परीक्षा में अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 1998-99 और 1999-2000 के दौरान, 203 ग्रामों के विद्युतीकरण में 5.00 लाख रुपये प्रति ग्राम प्रतिवर्ष की औसत दर के आधार पर 25.00 लाख रुपये की कुल सीमा, 10 विवि खण्डों⁵⁵ में 34 एमएलए/एमएलसी के सम्बन्ध में अधिक हुई जिसके परिणामस्वरूप, एमएलए/एमएलसी कोटा की योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों से 4.36 करोड़ रुपये अधिक व्यय हुआ।

विविख, बाराबंकी ने बताया कि मानकों से अधिक व्यय, उप महाप्रबन्धकों से प्राक्कलनों की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया गया। उत्तर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकार्य नहीं था कि उप महाप्रबन्धक शासकीय निर्देशों से अधिक व्यय/उल्लंघन के लिये अधिकृत नहीं थे।

उप्रपाकालि ने बिना जनगणना कोड वाले 19 ग्रामों के विद्युतीकरण पर 0.69 करोड़ रुपये का अनाधिकृत व्यय किया

(ii) शासनादेश (दिसम्बर 1998) में निर्दिष्ट था कि जनगणना कोड (1991) वाले ग्रामों का विद्युतीकरण होना था। तथापि 1998-99 से 1999-2000 के दौरान चार वि वि खण्डों द्वारा 19 ऐसे ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया जिनके जनगणना कोड (1991) नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप 0.69 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय अनुपलब्ध) का अनाधिकृत अनुमानित व्यय हुआ जिसका विवरण निम्न है:

खण्ड	वर्ष	ग्राम की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
विविख-II, इलाहाबाद	1998-99	1	4.22
विविख, बाराबंकी	1999-2000	6	26.73
विविख, बरेली	1998-99	4	10.20
	1999-2000	6	15.88
विविख, कुशीनगर	1998-99	2	12.21
योग		19	69.24

ऊर्जा मंत्री (राज्य) ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में न आने वाले 31 ग्रामों का 1.56 करोड़ रुपये की लागत से विद्युतीकरण कराया

(iii) शासकीय नीति (मार्च 1999) के अनुसार किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के एमएलए/एमएलसी की संस्तुति पर होना था। तथापि, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान छः विवि खण्डों⁵⁶ में अयोध्या निर्वाचन क्षेत्र के श्री लल्लू सिंह और चिरईग्राम (वाराणसी) निर्वाचन क्षेत्र के वीरेन्द्र सिंह, (ऊर्जा मंत्री, राज्य) द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर 31 ग्रामों का चयन किया गया, जिनका विद्युतीकरण 1.56 करोड़ रुपये की लागत पर किया गया। विविख बाराबंकी ने उत्तर में बताया कि ऊर्जा मंत्री(राज्य) के निर्देशों पर ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया।

⁵⁵ विविख, इटावा, विविख-प्रथम, बलिया, विविख-प्रथम, जौनपुर, विविख-द्वितीय, गाजीपुर, विविख-द्वितीय, बलिया, विविख, राबर्टसगंज, विविख-प्रथम, इलाहाबाद, विविख, कुशीनगर, विविख-द्वितीय, गोरखपुर और विविख, बाराबंकी।

⁵⁶ विविख-I जौनपुर, विविख-II गाजीपुर, विविख-II गोरखपुर, विविख-राबर्टसगंज, विविख, बाराबंकी और विविख, इटावा।

मुख्यमंत्री ने 16.58 लाख रुपये की लागत से पाँच ग्रामों का विद्युतीकरण करवाया जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं थे

इसके अलावा, तत्कालीन मुख्यमंत्री (श्री राजनाथ सिंह) की संस्तुति पर 2001-02 के दौरान विविख-द्वितीय, वाराणसी द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में न आने वाले पाँच ग्राम (भबुवार, भागूपुर, सरगुजिया, मुधुवा और कुडरा) का 16.58 लाख रुपये की लागत पर विद्युतीकरण कराया गया। कम्पनी, जिला योजना के अन्तर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि विद्युतीकृत ग्राम सम्बन्धित एमएलए के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर था।

(iv) शासनादेशों (जुलाई 1998 और जनवरी 1999) के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत शहरी निर्वाचन क्षेत्र के एमएलए को ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिये किसी ग्राम को संस्तुत करने की अर्हता नहीं थी। लेखा परीक्षा में नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि इस नीति के उल्लंघन में, शहरी निर्वाचन क्षेत्र (कन्नौज) के एक एमएलए श्री बनवारी लाल दोहरे ने 1998-99 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के पाँच ग्रामों का चयन किया जिनमें से चार ग्रामों का विद्युतीकरण विविख, कन्नौज द्वारा 9.83 लाख रुपये की लागत से किया गया।

2ब.5.3 पूर्व में ही विद्युतीकृत ग्रामों का एमएलए/एमएलसी कोटा जिला योजना के अन्तर्गत पुनः विद्युतीकरण

उप्रपाकालि ने पूर्व में ही विद्युतीकृत 18 ग्रामों का 0.93 करोड़ रुपये की लागत से पुनः विद्युतीकरण किया

(i) उप्रपाकालि के आदेश (दिसम्बर 1998) में निर्दिष्ट था कि किसी योजना के अन्तर्गत पहले से विद्युतीकृत ग्रामों का जिला योजना के अन्तर्गत पुनः विद्युतीकरण नहीं किया जाना था। लेखा परीक्षा में एक नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि गोरखपुर में 1977 से 1987 के दौरान पहले से विद्युतीकृत 18 ग्रामों का 1998-99 से 1999-2000 के दौरान एमएलए कोटा के अन्तर्गत पुनः चयन किया गया और विविख-I, गोरखपुर और विविख बाराबंकी द्वारा जिला योजना की निधियों से 0.93 करोड़ रुपये का अपरिहार्य व्यय करते हुये (1998-99 से 2000-01) पुनः विद्युतीकरण किया गया।

पूर्व में ही विद्युतीकृत ग्रामों के पुनः विद्युतीकरण के कारण/औचित्य न तो अभिलेखों में पाये गये और न ही खण्ड द्वारा सूचित किये जा सके।

(ii) ऐसे ग्रामों के मामलों में जहाँ एलटी/एचटी लाइन इत्यादि की चोरी/क्षति के कारण पुनः विद्युतीकरण की आवश्यकता थी, "विशेष मरम्मत और अनुरक्षण" (स्पेशल एमएण्डआर) के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार किये जाने थे और निधियों उप्रपाकालि द्वारा अपने संसाधनों से उपलब्ध करवाई जानी थी। इसके विपरीत, विविख, राबर्ट्सगंज ने (जनवरी 1996 से मई 2001) के दौरान आरईसी योजना के अन्तर्गत पूर्व में विद्युतीकृत (1980 से 1987) छः ग्रामों (बहौर, जुडौली, रघुनाथपुर, कुन्डाडीह, खोटी महुआ और परनी) का, उन ग्रामों से कण्डक्टर चोरी हो जाने के कारण, जिला योजना के अन्तर्गत 34.82 लाख रुपये की लागत से पुनः विद्युतीकरण किया। उसी प्रकार, विविख-I, शाहजहाँपुर ने जिला योजना की निधियों

से 14 ग्रामों का, जहाँ लम्बे समय से लाइन क्षतिग्रस्त पड़ी हुई थी, 34.12 लाख रुपये की लागत पर 1997-98 के दौरान पुनः विद्युतीकरण किया।

(iii) उप्रपाकालि के आदेशों (दिसम्बर 1996) में निर्दिष्ट था कि 8.00 लाख रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाले, दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य को गैर-परम्परागत तरीकों से करवाने हेतु गैर-परम्परागत ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) को स्थानान्तरित किया जाना था। तदनुसार, सोनभद्र जिले के नौडिहा (ब्लाक-नगवा) ग्राम का विद्युतीकरण, नेडा द्वारा 17 सोलर पावर पैक स्थापित करके किया गया (नवम्बर 1997)। नेडा द्वारा इसके विद्युतीकरण के उद्देश्यों को विफल करते हुये, इस ग्राम का विविख राबर्ट्सगंज द्वारा एमएलए कोटा के अन्तर्गत 15.83 लाख रुपये की लागत से पुनः विद्युतीकरण किया गया (दिसम्बर 1999) और इस पर हुआ व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ।

2ब.6 ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के प्रतिवेदन देने में कमियाँ

उ प्र पा का लि ने 94 ग्रामों के सम्बन्ध में मिथ्या उपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये यद्यपि वे वास्तव में विद्युतीकृत नहीं थे।

प्रक्रियाओं का उचित ध्यान रखे बिना, ग्राम विद्युतीकरण कार्यों की गतिविधियाँ जल्दबाजी में प्रारम्भ की गईं। उप्रपाकालि के मई 1999 के निर्देशों में प्रावधान के बावजूद, सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से वास्तविक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों के प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किये गये। 94 ग्रामों के सम्बन्ध में, जो कि वास्तव में विद्युतीकृत नहीं थे, मिथ्या उपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के कारण योजना में भी कमियाँ पाई गईं, जैसा कि प्रस्तर 2ब.6.4 में चर्चा की गई है। इन कमियों को नीचे चर्चा की गई है।

2ब.6.1 योजना की हानियों की प्रतिपूर्ति प्रस्तुत करने में विफलता

जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण के लिए निधियाँ अवमुक्त करने के नियमों व शर्तों के अनुसार, उप्रपाकालि को ग्राम विद्युतीकरण से सम्बन्धित हानियों का आंकलन करना था और जिला योजना के अन्तर्गत अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उन हानियों का पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत करना था। तथापि, उन हानियों के आगणन में अपनी विफलता के कारण वह मार्च 2002 तक हानियों की प्रतिपूर्ति प्रस्तुत नहीं कर सका।

2ब.6.2 विद्युतीकरण की संसूचित तिथि के काफी बाद भी सामग्री का निर्गत किया जाना

ग्रामों के विद्युतीकृत सूचित हो जाने के बाद सामग्री का निर्गमन

(i) कार्यों के निष्पादन हेतु सामग्रियों को निर्गत किये बिना किसी ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य संचालित नहीं किया जा सकता। तथापि, निम्न तीन विवि खण्डों ने 1995-96 से 2000-2001 के दौरान 155 ग्रामों की विद्युतीकरण के संसूचित तिथि से एक से 61 माह बाद सामग्री निर्गत की:

खण्ड	ग्रामों की संख्या	संसूचित विद्युतीकरण की अवधि	सामग्री निर्गत करने की अवधि	विलम्ब (माह में)
विविख-I, शाहजहाँपुर	60	9/1995 से 01/2001	12/1996 से 3/2001	1 से 30
विविख-II, गोरखपुर	73	3/1996 से 12/2000	05/1997 से 6/2001	1 से 61
विविख, बस्ती	22	3/1998 से 6/2000	05/1998 से 10/2000	1 से 17
योग	155			

विविख-II गोरखपुर ने इस मिथ्या प्रतिवेदन को स्वीकार किया और बताया कि यह स्थानीय प्रशासन के दबाव के कारण था। अन्य खण्डों के उत्तर सितम्बर 2002 तक प्राप्त नहीं हुये थे।

लेखों, उपयोजन प्रमाण-पत्रों और प्रगति प्रतिवेदनों के बीच व्यय के विवरण मेल नहीं खाते थे

(ii) इसके अतिरिक्त, विविख-I इलाहाबाद में 15 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये, अन्तिम मापन दर्ज करने (नवम्बर 1996 से अगस्त 2001) के 2 से 105 दिनों बाद सामग्री निर्गत की गई (फरवरी 1997 से अगस्त 2001)।

(iii) विविख-I तथा विविख-II बलिया ने 11 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये, विद्युतीकरण की संसूचित तिथि (मार्च 1998 से मार्च 2000) से 4 से 16 माह बाद अनुबन्ध निष्पादित किये (सितम्बर 1998 से अगस्त 2000)।

(iv) प्राप्त ऋणों, क्रमशः वार्षिक लेखों, उपयोजन प्रमाण-पत्रों और आर-7 विवरणों (लक्ष्यों/उपलब्धियों के विरुद्ध प्राप्त/उपयोग की कई निधियों के सम्बन्ध में रेस्पो द्वारा तैयार किये गये) में दर्शायी गयी उनके व्यय की राशियों में पर्याप्त अन्तर प्रकट हुआ, जिसका विवरण निम्न है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	लेखों के अनुसार		उपयोजन प्रमाण-पत्रों के अनुसार		आर-7 ⁵⁷ के अनुसार	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
1997-98	17066.54	18153.68	18000.00	18000.00	18423.00	20454.00
1998-99	13081.40	18686.20	24000.00	24000.00	17151.00	17500.00
1999-2000	18972.44 ⁵⁸	19212.97	18000.00	18000.00	15543.00	15859.00
2000-01	2027.84	10878.38	5000.00	5000.00	7500.00	28500.00

इन तीनों राशियों के समूह के मध्य कोई मिलान नहीं किया गया, जो उपप्राकालि की विभिन्न शाखाओं के मध्य समन्वय की कमी को प्रतिबिम्बित करता है।

2ब.6.3 भौतिक सत्यापन में पाई गई ग्राम विद्युतीकरण की मिथ्या सूचनाएँ

भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि बहुत से ग्राम जो विद्युतीकृत दिखाये गये, वास्तव में विद्युतीकृत नहीं थे

उपप्राकालि और शासन ने जिला/मंडल स्तरीय दलों द्वारा प्रत्येक माह विद्युतीकृत ग्रामों के नियमित भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे (मई 1996, अक्टूबर 1998 तथा जून 2000)। विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के रूप में

⁵⁷ ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में रेस्पो द्वारा शासन को प्रस्तुत किया जाने वाला मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

⁵⁸ 15.01.2000 के बाद के आंकड़े अनन्तिम हैं।

राज्य स्तरीय दल द्वारा. आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाना था। एकीकृत अभिलेखों के अभाव में, भौतिक सत्यापन किये गये ग्रामों की संख्या से सम्बन्धित वर्ष-वार विवरण और उनमें पाई गई विसंगतियों को लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, भौतिक सत्यापन में पाई गई मिथ्या सूचनाओं के कुछ मामले नीचे वर्णित हैं:

(i) दस ग्राम (विविख इटावा के अन्तर्गत) 1995-96 में विद्युतीकृत संसूचित किये गये थे, परन्तु भौतिक सत्यापन में जिलाधिकारी, इटावा ने पाया कि कुछ ग्राम में केवल पोल खड़े किये गये थे। उसी प्रकार, सात ग्राम (विविख-I, बलिया के अन्तर्गत) 1995-96 तक विद्युतीकृत संसूचित किये गये थे परन्तु जिलाधिकारी के निर्देशों (14.07.1997) के अन्तर्गत भौतिक सत्यापन में वे गैर-विद्युतीकृत पाये गये।

तथापि, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई जाँच प्रारम्भ किये बिना, दोनों ही खण्डों ने 1997-98 के दौरान, इन 17 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 48.96 लाख रुपये की लागत के मात्र नये प्राक्कलन तैयार किये। अभिलेखों के अभाव में सम्प्रेक्षा द्वारा इन प्राक्कलनों के विरुद्ध निष्पादित कार्य सुनिश्चित नहीं किये जा सके।

(ii) जाफराबाद (बहरिया ब्लाक), वीरापुर (बहरिया ब्लाक) तथा बुकाजी (फूलपुर ब्लाक) ग्राम (विविख-II इलाहाबाद के अन्तर्गत) 1974-75 के दौरान लो-टेंशन मेन्स बिछाकर विद्युतीकृत दिखा दिये गये थे परन्तु एसटीएफ द्वारा 1997 के दौरान किये गये भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि यह ग्राम विद्युतीकृत नहीं किये गये थे। अभिलेखों के अभाव में आगामी प्रगति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(iii) शासन के निर्देश पर, एसटीएफ ने झुगिया (पिपरौली ब्लाक) और रामडीह तोरनी (पाली ब्लाक) ग्रामों (विविख-II गोरखपुर के अन्तर्गत) का निरीक्षण किया (फरवरी 2001) और पाया कि 53 एवं 60 पीसीसी पोल की आवश्यकता के विरुद्ध, इन ग्रामों में क्रमशः केवल 39 और 37 पोल खड़े किये गये थे। उप्रपाकालि के मुख्य महाप्रबन्धक, जाँच समिति-द्वितीय द्वारा जाँच में पाया गया कि बिना किसी सर्वेक्षण के अवास्तविक प्राक्कलन बनाये गये थे तथा ग्रामों का विद्युतीकरण 25 सम्भावित उपभोक्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त किये बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त, 25 केवीए परिवर्तकों के बजाय 63 केवीए के परिवर्तकों की संस्थापना की गई थी और एक फेज दो तार लाइनों के स्थान पर दो फेज तीन तार/तीन फेज चार तार की लाइनों का निर्माण किया गया था। इन सभी विसंगतियों के कारण दोनों कर्मचारियों को फरवरी 2001 से निलम्बित कर दिया गया तथा मामला उप्रपाकालि की जाँच समिति द्वारा अन्वेषण के अन्तर्गत था, (मार्च 2002) जबकि कम्पनी के निर्देशों (जुलाई 1997) में त्रुटि करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भारतीय दण्ड संहिता (भादंसं) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान था।

2ब.6.4 मिथ्या उपयोजन प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

उप्रपाकालि ने सभी चार वर्षों (1997-98 से 2000-01 तक) के लिए ग्राम विद्युतीकरण से सम्बन्धित उपयोजन प्रमाण-पत्र (650.00 करोड़ रुपये) जून 2001 में शासन को प्रस्तुत किये जबकि इन्हें प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाना था। उपयोजन प्रमाण-पत्र वास्तविक कार्य निष्पादन का उचित ध्यान रखे बिना प्रस्तुत किये गये जैसा कि नीचे इंगित है:

5.45 करोड़ रुपये की ग्राम विद्युतीकरण निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग किया गया या उपयोग ही नहीं किया गया यद्यपि विद्युतीकरण हेतु उपयोग किये जाने की गलत सूचना दी गई

(i) विविख बस्ती में, 1999-2000 के दौरान विद्युतीकरण के लिए 37 ग्रामों का चयन किया गया जिसके लिए 2.86 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। इसमें से, 1.70 करोड़ रुपये विभख, गोरखपुर को स्थानान्तरित किये गये और 0.89 करोड़ रुपये अनाधिकृत रूप से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान में प्रयुक्त कर लिये गये। निधियों के अनाधिकृत उपयोग के कारण 1999-2000 के दौरान विद्युतीकरण के लिए चयनित 37 ग्रामों में से 17 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका। साथ ही, विभख गोरखपुर से इन 17 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए अगस्त से नवम्बर 1999 के दौरान प्राप्त 46.05 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियाँ भी मार्च 2002 तक अप्रयुक्त पड़ी रही।

(ii) विविख-I इलाहाबाद ने 1997-98 के दौरान जिला योजना के अन्तर्गत 79 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 1.63 करोड़ रुपये प्राप्त किये। इसमें से, 39.43 लाख रुपये (13 ग्राम), 36.06 लाख रुपये (6 ग्राम) और 4.90 लाख रुपये (3 ग्राम) मूल्य की सामग्रियाँ क्रमशः विभख, इलाहाबाद, सम्बन्धित अवर अभियन्ता और ठेकेदार के पास पड़ी थी। इसके फलस्वरूप 22 ग्राम मार्च 2002 तक अविद्युतीकृत रहे।

(iii) विविख-I शाहजहाँपुर ने 40.53 लाख रुपये की ग्रामीण विद्युतीकरण निधियों को ग्रामों के विद्युतीकरण में प्रयुक्त करने के स्थान पर 9.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दो वर्ष के लिए सावधि खाते में जमा कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि उप्रपाकालि ने शासन से ये निधियाँ 1999-2000 के दौरान 14.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण के रूप में प्राप्त की थी।

(iv) विविख कुशीनगर ने 1999-2000 के दौरान जिला योजना के अन्तर्गत 43 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 2.03 करोड़ रुपये प्राप्त किये थे। तथापि, खण्ड ने विभख गोरखपुर को सामग्री लागत की मद में 1.62 करोड़ रुपये और ठेकेदार को 8 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 5.38 लाख रुपये भुगतान करने के बाद अवशेष राशि (35.20 लाख रुपये) परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) कार्यों पर व्यय कर दी। इसके फलस्वरूप शेष 35 ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च 2002 तक पूर्ण नहीं किया जा सका।

(v) अकेले वाराणसी मण्डल के छः विवि खण्डों (जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और मिर्जापुर) में 1996-97 से 1999-2000 के दौरान प्राप्त 3.00 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ी रही, यद्यपि उपयोजन प्रमाण-पत्रों में व्यय न की गई राशि का अवशेष शून्य दिखाया गया था।

निष्कर्ष

जिला योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण में विफलता को चिन्हित करते थे। कार्य निष्पादन, अधिक कण्डक्टर और उच्चतर आकार के परिवर्तकों के उपयोग, सम्भावित उपभोक्ताओं के बिना विद्युतीकरण, मानकों से अधिक किया गया पर्याप्त उच्चतर व्यय, कार्यस्थलों से अप्रयुक्त सामग्री का वापस न होना, कोषों के दुरुपयोग इत्यादि की प्रकृति वाला था। साथ ही इसमें पहले से विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, एमएलए इत्यादि के प्रभार में न आने वाले अनाधिकृत विद्युतीकरण सम्मिलित थे। ग्रामों को विद्युतीकृत संसूचित करने, यद्यपि वे वास्तव में विद्युतीकृत नहीं थे और मिथ्या कोष उपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के कारण, सूचना देने की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। विभिन्न स्तरों पर कमजोर अनुश्रवण तंत्र के परिणामस्वरूप ग्रामवार लागत विवरणों को संकलित करने और ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में हानियों का आकलन करने, ताकि वह शासन से योजना की हानियों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम हो, में उप्रपाकालि की विफलता के कारण, यह अनियमिततायें और भी जटिल हो गयी थीं।

उप्रपाकालि को, निधियों के दुरुपयोग को रोकने में अक्षमताओं को इंगित करने हेतु उपयुक्त उत्तरदायित्व के साथ युक्तियुक्त अनुश्रवण एवं नियंत्रण तंत्र की अभिकल्पना करने की आवश्यकता थी।

यह प्रकरण, कम्पनी और शासन को जुलाई 2002 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2002)।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

2स. छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं निष्पादन

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (जेवीएन) की स्थापना अप्रैल 1985 में जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों, टाइ लाइनों, उप केन्द्रों आदि की स्थापना/परिचालन/अनुरक्षण हेतु की गई थी। जेवीएन ने 11 परियोजनाओं को 17 से 86 महीनों के विलम्ब के पश्चात् 49.58 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत पर पूर्ण किया। नौ परियोजनाएं पूर्ण होने की समय सूची से 3 से 116 महीने पीछे थीं।

(प्रस्तर 2स.1.1 तथा 2स.2.1)

बेलका तथा बबेल परियोजनाओं में (प्रत्येक 3 मेगावाट की) भूमि की अधिप्राप्ति, आरेखन के अनुमोदन तथा कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ जिसके कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई क्योंकि 1.61 करोड़ रुपये के दावे स्वीकार करने पड़े।

(प्रस्तर 2स.2.2)

परियोजनाओं के निष्पादन में (i) मिट्टी के कार्य में 0.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय (ii) अतिरिक्त लीड पर 0.54 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय (iii) कम बीमा के कारण 4.96 करोड़ रुपये की हानि तथा (iv) अधिक भू-कटाई के कारण 1.04 करोड़ रुपये के निरर्थक व्यय की प्रमुखता रही।

(प्रस्तर 2स.4.2.1 से 2स.4.2.3 तथा 2स.4.2.5)

नौ पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में क्षमता उपयोग में 3 तथा 61 प्रतिशत के मध्य गिरावट थी जिसके कारण ऊर्जा के उत्पादन में 690.89 लाख यूनिटों की गिरावट हुई। 3 प्रतिशत के प्रकल्पित आउटेज के विरुद्ध वास्तविक आउटेज अधिक थे फलतः 0.88 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2स.5.3)

वांछित एकल परिपथ लाइन के स्थान पर दोहरी परिपथ पारेषण लाइन के प्रयोग से 1.53 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय, उच्चतर विशिष्टियों के खम्भों के प्रयोग से 44 लाख रुपये का अधिक व्यय तथा 22 लाख रुपये की लागत पर अस्तित्व विहीन गाँवों का विद्युतीकरण किया गया।

(प्रस्तर 2स.6.2 से 2स.6.4)

कार्यकलापों का कुप्रबन्धन, उपदान की वापसी हेतु परिहार्य देयता (40.53 लाख रुपये), परिहार्य ब्याज देयता (7.21 करोड़ रुपये) तथा विक्रीत ऊर्जा की वसूली (10.90 करोड़ रुपये) में फलित हुआ।

(प्रस्तर 2स.7.1 से 2स.7.3)

2स.1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (जेवीएन)⁵⁹ की स्थापना अप्रैल 1985 में राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में हुई थी। जेवीएन का मुख्य उद्देश्य, राज्य में⁶⁰ विद्युत के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु जल विद्युत उत्पादक केन्द्रों, टाइ लाइनों, उपकेन्द्रों तथा सम्बद्ध पारेषण लाइनों की स्थापना/संचालन/अनुरक्षण करना था।

छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत, निम्न विनिवेश, निम्न उत्पादन लागत, अल्प सगर्भता अवधि तथा पर्वतीय क्षेत्रों⁶¹ की परियोजनाओं हेतु उपदानित पूँजीगत लागत के कारण कम है। इसे परिस्थितिकी एवं पर्यावरण को विक्षोभित किए बिना उपलब्ध जलस्रोतों का आवक के रूप में उपयोग करने का अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त है। इस दृष्टि से जेवीएन ने, दिसम्बर 1987 से कुल 35.55 मेगावाट क्षमता वाली 7 छोटी⁶² (2 मेगावाट से अधिक) तथा 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं (2 मेगावाट तक की) का निर्माण हाथ में लिया। इसके अलावा, 1.20 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की तीन अति लघु परियोजनायें (हरसिल, गौरी तथा सुरिनगढ़) पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अधिकार में ली गयीं (1999-00)। इस प्रकार, जेवीएन के पास मार्च 2000 को 23 परियोजनाएं थीं।

2स.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

वर्तमान में, जेवीएन का सम्पूर्ण प्रबन्ध, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी), दो पूर्णकालिक निदेशक (तकनीकी तथा वित्त) तथा सात अल्पकालिक निदेशकों से गठित एक निदेशक मण्डल में निहित है। सीएमडी, दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों का प्रबन्ध करने वाला जेवीएन का प्रमुख कार्यकारी है तथा उसकी सहायता तकनीकी (डीटी) तथा निदेशक वित्त (डीएफ)⁶³ द्वारा की

⁵⁹ जेवीएन नवम्बर 1998 तक उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता था।

⁶⁰ 23 परियोजनाओं में से 20 लघु जल विद्युत परियोजनाएं नवगठित (9.11.2000) उत्तरांचल राज्य को स्थानान्तरित कर दी गईं और इस प्रकार उसके पश्चात् केवल 3 छोटी परियोजनाएँ (बेलका, बबेल तथा शीतला) ही जेवीएन के पास रह गईं। इसके अतिरिक्त 14.01.2000 से 13 वृहद जल विद्युत परियोजनाएँ जेवीएन को अन्तर्गत की गईं तथा देवखेत लघु परियोजना बीच रास्ते में छोड़ दी गई।

⁶¹ मैदानों की ऐसी परियोजनाओं के प्रकरण में उपदान उपलब्ध नहीं है।

⁶² मैदानों की बेलका, बबेल तथा शीतला परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए।

⁶³ 14.01.2000 से नियुक्त।

जाती है। लखनऊ स्थित मुख्यालय सहित एक महाप्रबन्धक (जीएमएच) तथा देहरादून स्थित मुख्यालय सहित एक अन्य महाप्रबन्धक (डीटी) को क्रमशः नियोजन, कार्यान्वयन एवं संचालन कार्यों तथा सिविल कार्यों में सहायता प्रदान करता है। 13 जनवरी 2000 तक, जीएमएच द्वारा लेखा कार्यों को भी देखा जा रहा था।

2स.1.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

अगस्त 2001 से फरवरी 2002 के दौरान 20 छोटी व लघु जल विद्युत परियोजनाओं (23 में से) के कार्यान्वयन एवं संचालन संपादन की समीक्षा 1996-97 से 2000-2001 तक की पाँच वर्षों की अवधि के लिए की गई। लेखापरीक्षा के दौरान एमआईएस सहित कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित डीपीआर एवं अन्य अभिलेखों (रोकड़ बही, भुगतान वाउचर, मेजरमेंट बुक, भण्डार अभिलेख, आरेख एवं अभिकल्प, प्रगति रिपोर्ट आदि) की जाँच की गई। मुख्य निष्कर्ष है:

- नियोजन की कमी से विलम्ब एवं हानियाँ (प्रस्तर 2स.2.1 से 2स.2.5);
- वाणिज्यिक रूप से घाटे की परियोजनाओं को हाथ में लेना (प्रस्तर 2स.3.1);
- परिहार्य निर्माण लागत (प्रस्तर 2स.4.2);
- एमआरसी प्रणाली की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति (प्रस्तर 2स.6.1);
- एकल परिपथ लाइन के स्थान पर दोहरी परिपथ लाइन का निर्माण (प्रस्तर 2स.6.2); तथा
- कुप्रबन्धन से वित्तीय हानियाँ (प्रस्तर 2स.7)

इन बिन्दुओं पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

2स.2 परियोजनाओं का नियोजन एवं कार्यान्वयन

स्पष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दी हुई समय सीमा के अन्दर तथा लागत प्रभावी ढंग से परियोजना का उचित नियोजन आवश्यक है। इसमें संभाव्यता अध्ययन, निष्पादक अभिकरणों का चयन, समय सारणियों को सुनिश्चित करना, तथा भौतिक प्रगति का अनुश्रवण करने की युक्ति की रचना करना तथा स्तर पर नियंत्रण को सुनिश्चित करना सन्निहित है। इसमें एक परियोजना का समय से आरम्भ तथा पूर्ण होने को सुनिश्चित करने के लिए भूमि के अधिग्रहण की अग्रिम योजना, आरेखों और निविदाओं को शीघ्रता से अंतिम रूप देना भी सन्निहित है।

2स.2.1 नियोजन की कमी के कारण विलम्ब तथा हानियाँ

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया है कि 11 परियोजनाएँ 49.58 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्ण की गई (दिसम्बर 1992 तथा जून 1999 के मध्य) और 9 परियोजनाएँ (57.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सितम्बर 1991 से प्रारम्भ) जून 2001 को पूर्ण होने की प्रक्रिया में थीं। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि पूर्ण हो गई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि 67 तथा 83 प्रतिशत के

नियोजन की कमी तथा अव्यवस्थित ढंग से परियोजनाओं को हाथ में लेने के कारण 11 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के प्रकरण में 17 एवं 86 माह के मध्य विलम्ब हुआ

बीच थी। इन परियोजनाओं की स्थिति जैसा कि परिशिष्ट-19 तथा 20 में वर्णित है, को संक्षिप्त रूप से नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	परियोजनाओं की संख्या	विनिवेश (करोड़ रुपये में)			मार्च 2001 तक लागत में वृद्धि (प्रतिशत)
		प्रकल्पित	वास्तविक	आधिक्य	
पूर्ण परियोजनाएं (परिशिष्ट-19)					
छोटी	2	12.36	20.59	8.23	67
लघु	9	15.80	28.99	13.19	83
उप-योग	11 ⁶⁴	28.16	49.58	21.42	76
		प्रकल्पित	वास्तविक	आधिक्य	
प्रगतिगत परियोजनाएं (परिशिष्ट-20)					
छोटी	5	43.02	53.31	10.29	24
लघु	4	14.73	12.46	(-) 2.27	--
उप-योग	9 ⁶⁵	57.75	65.77	8.02	14
कुल योग	20	85.91	115.35	29.44	34

नौ अपूर्ण परियोजनाएँ समय सारणी से 3 से 116 माह पीछे थीं

पुनः, जैसा कि परिशिष्ट-19 से देखा जा सकता है, पूर्ण हो गयी परियोजनाओं के प्रकरण में (समय से पूर्ण हो गई दो परियोजनाओं को छोड़कर) विलम्ब 17 तथा 86 महीनों के मध्य आरेखित रहा। अपूर्ण परियोजनाएँ (परिशिष्ट-20) समय सारणी से 3 से 116 महीने पीछे थीं। विलम्ब के मुख्य कारण थे, परियोजनाओं को अव्यवस्थित ढंग से हाथ में लेना, समय सारणी में अनुक्रम की कमी तथा निष्पादन के सफलता पूर्वक तथा समय से पूर्ण होने हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रत्येक खण्ड का अनुश्रवण करने के लिए पर्ट तथा सीपीएम⁶⁶ तकनीकी का अभाव। यह भी परिहार्य व्यय में फलित हुआ जैसा नीचे चर्चा की गई है:

2स.2.2 भूमि की अधिप्राप्ति में विलम्ब, आरेखों आदि के विलम्बित अनुमोदन के कारण हानि तथा कार्यों का परिणामी विलम्बित आरम्भ

बेलका⁶⁷ तथा बबेल परियोजनाएँ (प्रत्येक 3 मेगावाट तथा प्रगतिगत) एक वन क्षेत्र में स्थित थीं। इस तथ्य के बावजूद कि शासन ने इन परियोजनाओं का अनुमोदन काफी पहले सितम्बर 1986 में ही कर दिया था, जेवीएन ने 1988 से अर्थात् लगभग 2 वर्ष के विलम्ब के पश्चात् वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने की

⁶⁴ छोटी-सोबला I (6मेगावाट) एवं उरगम (3 मेगावाट), लघु-कंचौटी (2 मेगावाट), कुलागढ़ (1.2 मेगावाट), छिरकिला (1.5 मेगावाट), बरार (0.75 मेगावाट), छरनदेव (0.4 मेगावाट), तालेश्वर (0.6 मेगावाट), गरॉव (0.3 मेगावाट), सप्तेश्वर (0.3 मेगावाट) तथा कोटाबाग (0.2 मेगावाट)।

⁶⁵ छोटी-बेलका I (3 मेगावाट), बबेल (3 मेगावाट), रीलागढ़ (3 मेगावाट), पिलानगढ़ (2.25 मेगावाट), व शीतला (3.6 मेगावाट), लघु-जुमागढ़ (1.2 मेगावाट), सोनप्रयाग (1.5 मेगावाट), सोबला II (1.5 मेगावाट) व बद्रीनाथ (1.25 मेगावाट)।

⁶⁶ प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एण्ड रिव्यू टेक्निक तथा क्वांटिकल पाथ एनालिसिस।

⁶⁷ 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तर 4अ.6 में चर्चित।

प्रक्रिया आरम्भ की। वन विभाग से अनापत्ति के पहले ही जेवीएन ने क्रमशः एफसीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर (एफसीसी) तथा पंजाब पावर जनरेशन मशीन्स लिमिटेड, चंडीगढ़ (पीजीएम) के साथ जुलाई 1988 में बेलका परियोजना हेतु 1.55 करोड़ रुपये (सिविल कार्य) तथा 4.11 करोड़ रुपये (वैद्युत यांत्रिकी कार्य) तथा पीजीएम के साथ बबेल परियोजना के लिए सितम्बर 1988 में 6.22 करोड़ रुपये के (वैद्युत यांत्रिक कार्यों सहित टर्न-की आधार पर) अनुबन्ध निष्पादित कर लिये।

बेलका परियोजना के प्रकरण में निर्माण कार्य एक अन्य सिविल ठेकेदार द्वारा (जैसे त्रिलोक चंद गुप्ता, हरिद्वार द्वारा 3.60 करोड़ रुपये पर) दिसम्बर 1996 से ही आरम्भ किया जा सका क्योंकि सिविल कार्यों के लिए पुराने अनुबन्ध को, जेवीएन द्वारा वन विभाग से शीघ्रता से अनापत्ति प्राप्त करने (अप्रैल 1990 में प्राप्त की गई) एवं तत्पश्चात् भू-अधिग्रहण (नवम्बर 1990 में) तथा आरेख उपलब्ध कराने में 18 माह के विलम्ब (15 नवम्बर 1988 से 26 अप्रैल 1990) की चूकों के कारण निरस्त करना पड़ा (नवम्बर 1991)। विलम्ब के कारण, एफसीसी ने विभिन्न क्षतियों के लिए 64.25 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत किया (तिथि सूचित नहीं की गई) जिसके विरुद्ध 9.83 लाख रुपये का दावा स्वीकार किया गया और भुगतान किया गया (22 जनवरी 1997)। ठेकेदार ने छोटे मिट्टी के कार्य तथा नलकूपों के लिए बोरिंग की थी (किये गये कार्य का मूल्य सूचित नहीं किया गया)। पीजीएम इस परियोजना की आपूर्ति, संस्थापना, प्रचालन, चालन तथा अनुरक्षण का कार्य सिविल कार्यों को पूरा करने के पश्चात् कार्य स्थल का हस्तांतरण करने में विलम्ब करने के कारण जनवरी 1999 से ही आरम्भ कर सकी। जेवीएन द्वारा निरीक्षण कार्य न किये जाने, प्रेषण प्रमाण-पत्र के निर्गमन, फार्म 31 के निर्गमन, आगे के आपूर्ति आदेशों को लगभग 4 वर्षों तक निलम्बित रखने, आरेखन आदि के अनुमोदन में विलम्ब के कारण, उपकरणों के प्रेषण में विलम्ब हुआ। इन चूकों के कारण, जेवीएन को बीमा तथा भण्डारण प्रभार, स्थापना प्रभार, लम्बे समय के भण्डारण तथा मूल्य वृद्धि के कारण मरम्मत प्रभार आदि के रूप में 0.55 करोड़ रुपये का दावा स्वीकार करना पड़ा (6 मई 1999)। परिणामतः परियोजना की कुल लागत 0.65 करोड़ रुपये से बढ़ गई। इसके विरुद्ध, जेवीएन ने 22 लाख रुपये का भुगतान किया (26 अक्टूबर 1999)। शेष भुगतान अभी भी किया जाना था (सितम्बर 2002)।

इसी प्रकार, बबेल परियोजना के प्रकरण में 0.96 करोड़ रुपये का दावा स्वीकार करना पड़ा (मार्च 2001)। इसमें बीमा, स्थापना, विदेशी विनिमय परिवर्तन, बैंक गारण्टी में वृद्धि आदि के कारण 30 लाख रुपये तथा कार्य स्थल को हस्तांतरित करने में विलम्ब, विद्युत संयोजन में विलम्ब तथा निर्माण आरेख की अनुपलब्धता (27 माह का विलम्ब) के कारण मूल्य वृद्धि के रूप में 0.66 करोड़ रुपये

सम्मिलित थे। परिणामतः, परियोजना की पूरी लागत 96 लाख रुपये से बढ़ गयी। भुगतान अभी भी किया जाना था (जून 2001)।

2स.2.3 जल निष्कासन आँकड़ों का अप्रमाणीकरण

कार्य आरम्भ करने के पूर्व जल निकासी की वास्तविक उपलब्धता पर विचार करने में असफल रहने के कारण विद्युत का कम उत्पादन हुआ

जल विद्युत केन्द्रों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी का आरेखण पर्याप्त स्रोत (झरने की उँचाई) तथा जल निकासी पर निर्भर करता है। सप्तेश्वर में 300 किलोवाट के ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति मार्च 1989 में दी गई। यह 0.48 क्यूमेक (क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड-एमकेएस प्रणाली) जल निकासी हेतु आरेखित किया गया था। कार्य, अक्टूबर 1991 से प्रारम्भ किया गया और संयंत्र मार्च 1994 में चालू किया गया। यह 2.77 करोड़ रुपये की लागत पर केवल 251 दिनों (09.08.1986 से 31.05.1987) की जल-वृष्टि आँकड़ों पर ही निर्मित किया गया। उक्त अवधि में जल निकासी 0.26 क्यूमेक से 0.48 क्यूमेक के मध्य रही। उन जल-वृष्टि के आँकड़ों के आधार पर जो 4 वर्ष से अधिक पुराने थे, 300 किलोवाट की क्षमता के विद्युत केन्द्र के निर्माण का निर्णय मूलतः त्रुटिपूर्ण था।

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि जब संयंत्र को वाणिज्यिक भार पर रखा गया, यह 1994-2001 के दौरान जल निकासी की 0.48 क्यूमेक की नियोजित उपलब्धता के विरुद्ध 0.03 से 0.40 क्यूमेक (जून/जुलाई 2000 के माह में 0.50 क्यूमेक को छोड़कर) की जल निकासी की निम्नतर उपलब्धता के कारण 7 से 20 प्रतिशत तक की आरेखित क्षमता पर ही प्रचालित हो सका।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि संयंत्र, जल की उपलब्धता (वर्षा द्वारा प्राप्त) पर ही 300 किलोवाट का उत्पादन कर सकता था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जून 2000 में मूसलाधार वृष्टि तथा मशीन के प्रचालन के लिए अपेक्षित जल पोषण हेतु निर्मित बाँध (1 मीटर उँचाई का) की उपलब्धता के बावजूद, संयंत्र 300 किलोवाट विद्युत का उत्पादन न कर सका। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन के उत्तर ने पुष्टि भी कर दी कि संयंत्र नियमित रूप से 300 किलोवाट विद्युत का उत्पादन नहीं कर सकता था।

2स.2.4 निविदाओं को प्रदान करने/अनुबन्धों को अंतिम रूप देने में विलम्ब

12 अन्य परियोजनाओं में जहां भूमि की उपलब्धता में कोई विवाद नहीं थे, जेवीएन ने, राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि से (मार्च 1986 और नवम्बर 1998 के मध्य) निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में 14 से 87 माह लगाये। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए 10 माह प्रकल्पित थे जिसके विरुद्ध वस्तुतः 4 से 87 माह लिए गए जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

विवरण परिशिष्ट-21 में दिये गये हैं।

2स.3 परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता

वाणिज्यिक संगठन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह केवल वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं का ही क्रियान्वयन करे। यह देखा गया कि सरकार द्वारा उपदानित केवल ऐसी परियोजनाएँ ही वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य थीं। उपदान, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के प्रकरण में ही उपलब्ध है।

2स.3.1 वाणिज्यिक रूप से घाटे की परियोजनाओं को हाथ में लेना

उपदान हेतु वित्तीय उपलब्धता का आश्वासन लिये बगैर कम्पनी ने दो अव्यवहार्य परियोजनाएँ हाथ में लीं

दो परियोजनाओं (बेलका: पीआईबी द्वारा 18.09.1986 को अनुमोदित तथा शीतला: पीआईबी द्वारा 25.11.1998 को अनुमोदित, मैदानी क्षेत्रों में स्थित) की लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जाँच में प्रगट हुआ कि ये परियोजनाएँ इस परिकल्पना पर योजनाबद्ध की गई थी कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं पर उपदान देगी यद्यपि उपदान पर्वतीय क्षेत्रों की परियोजनाओं पर ही उपलब्ध था। पुनः बेलका के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में 3.78 प्रतिशत प्रतिफल (परियोजना की व्यवहार्यता के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 11.56 प्रतिशत के विरुद्ध) की प्रकल्पना की गई थी, शीतला की डीपीआर में (3.6 मेगावाट, प्रगतिगत) किसी प्रतिफल की प्रकल्पना नहीं की गई थी (सितम्बर 1998) परन्तु इसमें 75 प्रतिशत जल निर्भरता पर प्रति इकाई 3.93 रुपये की उत्पादन लागत तथा 50 प्रतिशत जल निर्भरता पर 3.33 रुपये इंगित किया गया था (2.25 रुपये प्रति इकाई की बिक्री दर के विरुद्ध, जो बाद में 2000-01 से 1.70 रुपये तक घटा दी गई)। यह दोनों योजनाएँ केवल तभी व्यवहार्य थी जब उनकी पूँजीगत लागत पर उपदान दिया जाता। इसके लिए, जेवीएन ने उन्हें समुचित उपदान दिये जाने की प्रार्थना सहित प्रस्तुत किया।

तथापि, इन परियोजनाओं को राज्य सरकार के 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के ऋणों⁶⁸ द्वारा हाथ में लेना पड़ा। (बेलका हेतु 16.19 करोड़ रुपये तथा शीतला हेतु 1.94 करोड़ रुपये)।

यह परियोजनाएँ प्रारम्भ से ही अव्यवहार्य थीं तथा बिलकुल ही हाथ में नहीं ली जानी चाहिए थी और तब जबकि इन परियोजनाओं के लिए उपदान उपलब्ध नहीं था।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि मैदानी क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के किसी उपदान का प्रावधान नहीं था। पुनः इन परियोजनाओं को हाथ में लेने का उद्देश्य, वितरण संजाल को सुदृढ़ करना तथा विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना था। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को हाथ में लेना जेवीएन के हितों के लिए हानिकारक था।

⁶⁸ जून 2001 तक किये गये व्यय के बराबर ।

2स.3.2 सड़क द्वारा अगम्य परियोजना को हाथ में लेना

जुमागढ़ परियोजना (1.2 मेगावाट, प्रगतिगत) की स्थिति चमोली जिले की उपरी क्षेत्रों में धौलीगंगा नदी पर थी। परियोजना की रूपरेखा दूरस्थ पर्वतीय भू-भाग में बनाई गई थी जो भारी हिमपात के कारण 6 माह से अधिक अवधि तक सड़क द्वारा गम्य था। सरकार को प्रस्तुत डीपीआर में इस अति महत्वपूर्ण तथ्य को दबा दिया गया था जिसमें यह कहा गया कि परियोजना सभी मौसम में चालू राजपथ पर स्थित थी।

कम्पनी ने सड़क द्वारा अगम्य एक परियोजना हाथ में ली जिससे न केवल इसमें विलम्ब हुआ बल्कि लागत में 131 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई

इस तथ्यात्मक विसंगति के कारण सितम्बर 1991 से हाथ में ली गई परियोजना (राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 1990 में अनुमोदित) जून 2001 तक पूर्ण नहीं की जा सकी। डीपीआर में प्रकल्पित 3.12 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत जो उपदान से पूरी की जानी थी, के विरुद्ध 7.19 करोड़ रुपये की राशि (131 प्रतिशत की वृद्धि) जुलाई 2001 तक पहले ही व्यय की जा चुकी थी और प्रबन्धन को परियोजना अक्टूबर 2001 तक पूर्ण हो जाने की आशा थी। तथापि, परियोजना अभी भी पूर्ण की जानी है (सितम्बर 2002)।

2स.4 परियोजनाओं का निष्पादन

2स.4.1 कार्य का अनुचित निलम्बन

शासन ने 27 मार्च 1989 को 1.45 करोड़ रुपये की कुल लागत पर क्षरणदेव जल विद्युत योजना का अनुमोदन किया जिसमें उत्पादन की लागत 0.68 रुपये प्रति यूनिट प्रकल्पित की गई। जेवीएन ने 2.06 करोड़ रुपये की लागत पर 30 माह की पूर्णता अवधि सहित सिविल तथा वैद्युत यांत्रिकी कार्यों के निष्पादन हेतु दो अनुबन्ध (नवम्बर 1991 तथा मार्च 1992) निष्पादित किये।

सिविल कार्य दिसम्बर 1991 में आरम्भ किया गया। तथापि, ठेकेदार ने मार्च 1993 में सूचित किया कि पेन स्टॉक पाइप निरीक्षण हेतु तैयार थे। निदेशक मण्डल ने स्वतःस्फूर्त आकलित किया (दिसम्बर 1993) कि उत्पादन की लागत 6 रुपये से 10 रुपये प्रति यूनिट के बीच आरेखित रहेगी और परियोजना को अव्यवहार्य माना। निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में उत्पादन की लागत 1.68 रुपये प्रति यूनिट आगणित की गई थी। अंततः, जेवीएन ने उत्पादन की उच्चतर लागत के बहाने क्षरणदेव के कार्य को निलम्बित करने का निर्णय लिया (अगस्त 1994)। अतः, कार्य का निलम्बन अवांछनीय था।

मार्च 1996 में, ऊर्जा विभाग ने निर्णय लिया कि जेवीएन को कार्य पूर्ण करना चाहिये था और तदनुसार उसे संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया। शासन द्वारा संशोधित डीपीआर का अनुमोदन जून 1996 में 1.97 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर किया गया तथा उत्पादन की लागत 40 प्रतिशत भार कारक पर 0.97 रुपये प्रति यूनिट नियोजित की गई। परियोजना 2.20 करोड़ रुपये का व्यय करने के पश्चात् जून 1999 में पूर्ण की गई। क्षरणदेव परियोजना के कार्य में

18 माह का विलम्ब हुआ जिसके कारण पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों में लक्षित आबादी विद्युत की उपलब्धता से वंचित रही, उनके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में विलम्ब हुआ तथा महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन की हानि हुई।

2स.4.2 परिहार्य निर्माण लागत

2स.4.2.1 अतिरिक्त मिट्टी कार्य

कम्पनी ने निर्धारित गहराई से अधिक अतिरिक्त मिट्टी के कार्य पर 0.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया

सिंचाई विभाग (आईडी) द्वारा प्रस्तुत (दिसम्बर 1999) बबेल परियोजना के संशोधित प्राक्कलन में, जैसा कि कम्पनी द्वारा मार्च 2001 के संशोधित डीपीआर में सम्मिलित किया गया था, पूर्वी यमुना नहर की तलहटी में 32.23 किलोमीटर से 34.53 किमी की श्रंखला तक (2300 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर) 2.7 मीटर की गहराई में रि-ग्रेडिंग का प्रावधान था। तथापि, कम्पनी के देहरादून खण्ड ने गलत ढंग से 3.5 मीटर की गहराई तक रि-ग्रेडिंग का निष्पादन किया (0.8 मीटर गहराई तक अधिक मिट्टी की कटाई)। इस प्रकार, कम्पनी ने निर्धारित गहराई से अधिक किये गये 73600 घनमीटर { (2300×40×3.5) घटाया (2300×40×2.7)} अतिरिक्त मिट्टी के कार्य के कारण 0.82 करोड़ रुपये (111.53 रुपये प्रति घनमीटर की दर पर) का अतिरिक्त व्यय किया।

2स.4.2.2 अतिरिक्त लीड पर परिहार्य भुगतान

कम्पनी अतिरिक्त लीड पर 0.54 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान किया

बेलका परियोजना में सिविल कार्य के निष्पादन से निकली अतिरिक्त मिट्टी का निस्तारण 6 जुलाई 1988 तथा 14 नवम्बर 1996 के अनुबन्धों के अनुसार केवल 100 मीटर की लीड तक ही करना था (मिट्टी कटाई के स्थान से मिट्टी के निस्तारण स्थान तक)। ये दोनों अनुबन्ध केवल थोड़े से मिट्टी के कार्य निष्पादित किये जाने के पश्चात् ही त्याग दिये गये। अन्त में, कार्य को टुकड़ों में बाँट दिया गया और छः अनुबन्धों, मार्च 1999 तथा सितम्बर 1999 में तीन-तीन, द्वारा निष्पादित कराया गया जिसमें 2 किमी की एक उच्च लीड की अनुमति दी गई। पुनः, ऐसी लीड की माप मेजरमेंट बुक में अभिलिखित नहीं पाई गई। इस प्रकार जेवीएन ने, पूर्ववर्ती अनुबन्धों में सम्मिलित न की गई तथा वास्तविक निष्पादन के समय मापी न गई अतिरिक्त लीड के लिए 0.54 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान किया।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि 1-2 किमी की लीड इसलिए सम्मिलित की गई थी क्योंकि मिट्टी के निस्तारण के लिए भूमि भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी। उत्तर, मेजरमेंट बुक में वास्तविक निस्तारण/लीड के मापन की अनुपस्थिति में मान्य नहीं है।

2स.4.2.3 अपर्याप्त बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा कम बीमा के कारण हानि

शासन द्वारा 1988-89 में सोबला-1 परियोजना (6 मेगावाट, नवम्बर 1998 में चालू) का डीपीआर 7.47 करोड़ रुपये की कुल लागत पर अनुमोदित किया गया। परियोजना की रूपरेखा, 91 क्यूमेक के अधिकतम जल निष्क्रमण तथा सोबला नदी

के जल स्तर में इसकी तली से 2 मीटर उँचाई तक की वृद्धि मानते हुए बनायी गयी थी। डीपीआर में, परियोजना को आकस्मिक बाढ़ से सुरक्षित रखने हेतु 14.36 लाख रुपये के बाढ़ सुरक्षा कार्य का प्रावधान था। तथापि, परियोजना पर 5.48 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात् डीपीआर को 1993-94 में 16.11 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर पुनः संशोधित कर दिया गया। संशोधित डीपीआर में, सोबला नदी का अधिकतम जल स्तर 1.5 मीटर लेते हुए बाढ़ सुरक्षा कार्य 8.68 लाख रुपये तक घटा दिया गया। पुनः, जुलाई 1971 की बाढ़ में, बाढ़ स्तर नदी की तलहटी के 2 मीटर उपर तक सूचित किया गया। मशीन कक्ष के फर्श का स्तर भी समुद्र तल से 1748 मीटर ऊपर से समुद्र तल से 1732.12 मीटर ऊपर तक घटा दिया गया। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में कम जल स्तर मान लेने के कारण उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, नदी की तलहटी से जल स्तर को 2 मीटर से उपर उठाने वाली बाढ़ों के इतिहास के बावजूद, जैसा कि बाद में देखा गया, परियोजना को हानि पहुंचाने की सीमा तक मशीन कक्ष का स्तर तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य कम कर दिये गये।

कम्पनी ने परियोजना का कम बीमा होने के कारण 4.96 करोड़ रुपये की हानि उठाई

यह देखा गया कि 15.08.1994 को एक आकस्मिक बाढ़ आई जिसमें 4.5 मीटर की उँचाई का एक पुल बह गया और अधिकतम जल स्तर नदी के तल से 2.3 मीटर उँचाई तक तथा अधिकतम निकासी 375 क्यूमेक तक पाई गई। 08.06.2000 की अगली मूसलाधार वृष्टि से आई आकस्मिक बाढ़ ने संयंत्र एवं मशीनरी सहित परियोजना को भारी क्षति पहुंचाई और 4.96 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार प्रबन्धन द्वारा बाढ़ स्तरों को निम्नतर मानकर लागत बचाने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण जेवीएन को 4.96 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

परियोजना को पुनर्जीवित करने की प्राक्कलित लागत 8 करोड़ रुपये थी, परियोजना का बीमा 12.19 करोड़ रुपये की वास्तविक सम्पूर्ण लागत के विरुद्ध केवल 5 करोड़ रुपये का था। प्रबन्धन ने बताया कि बीमा कम्पनी से 3 करोड़ रुपये प्राप्त किये जाने के प्रयास किये गये थे। तथापि, बीमा कम्पनी ने अब तक केवल 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया (अक्टूबर 2001)। क्षतिग्रस्त कार्य की मरम्मत जून 2001 तक प्रतीक्षित थी।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि अब पूरी लागत को बीमा के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया गया है (सितम्बर 2000)।

2स.4.2.4 पेन स्टॉक पाइप का अधिक बिछाया जाना

कुमार उद्योग, वाराणसी को 2.01 करोड़ रुपये के मूल्य पर टर्न की आधार पर कुलागढ़ स्थित 1200 किलोवाट की जल विद्युत परियोजना की डिजाइन और चालू करने सहित वैद्युत यांत्रिकी का कार्य प्रदान किया गया (मई 1991)। परियोजना में पेन स्टॉक पाइप की लम्बाई, टरबाइन तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों की डिजाइन

को देखते हुए प्रारम्भ में 460 मीटर के लिए डिजाइन की गई थी। तथापि, निष्पादन के समय टरबाइन तथा अन्य संबंधित उपस्करों की डिजाइन में बिना किसी समरूप संशोधन के पेन स्टॉक पाइप की लम्बाई 600 मीटर तक बढ़ा दी गई। परियोजना प्रचालन के समय यह अपनी संस्थापित क्षमता तक नहीं चल सकी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि पेन स्टॉक पाइप की अधिक लम्बाई ने टरबाइन तथा संबंधित यंत्र की क्षमता पर नकारात्मक बहाव उत्पन्न करते हुए अवरोधक का कार्य किया। इस नकारात्मक बहाव की समस्या पर विजय पाने के लिए जेवीएन को दीवार की व्यवस्था के साथ एक पाइप की संस्थापना करनी पड़ी (उसकी लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकी)। अधिक पेन स्टॉक पाइप की संस्थापना से 5 लाख रुपये का एक परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, परियोजना में परिकल्पित 50 प्रतिशत पीएलएफ के विरुद्ध 31 प्रतिशत से अधिक पर न चलाई जा सकी जिससे 1.14 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट-22 का क्रमांक-1)।

2स.4.2.5 अत्यधिक मिट्टी की कटाई

बेलका परियोजना (प्रगतिगत) की दो टरबाइनें (प्रत्येक 1500 किलोवाट की) 5.20 मीटर के न्यूनतम हेड⁶⁹ हेतु की गई थी। हेड की उँचाई को 22.51 किमी की श्रृंखला पर 2.94 मीटर के बेलका झरने, 22.64 किमी की श्रृंखला पर 1.66 मीटर के दयालपुर झरने को तोड़कर तथा 0.60 मीटर की पूर्वी यमुना नहर को 22.54 से 27.30 किमी श्रृंखला के मध्य विद्यमान 0.375 मीटर/किमी की ढाल को 0.25 मीटर/किमी तक घटाते हुए री-ग्रेडिंग करके (ढाल में परिवर्तन नहर की तली में मिट्टी की कटाई अथवा मिट्टी भराई द्वारा) प्राप्त किया जाना था।

अत्यधिक मिट्टी की कटाई के कारण 1.04 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल हो गया

तथापि, ढाल को 0.25 मीटर/किमी तक घटाने के स्थान पर, जेवीएन ने मिट्टी की अधिक कटाई के कारण 0.51 मीटर/किमी की ढाल प्राप्त की। इस प्रकार, यह कार्य निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि किये गये हेड तथा प्राप्त हेड के असंगत होने के कारण टरबाइनों को उपयोग में नहीं लाया जा सका। इससे 1.04 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण व्यय व्यर्थ हो गया। परियोजना जून 2001 तक भी प्रगतिगत थी।

2स.5 कार्यचालन परिणाम

2स.5.1 क्षमता उपयोग में गिरावट

क्षमता उपयोग, संस्थापित क्षमता का वास्तविक उत्पादन से अनुपात है। नौ पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं⁷⁰ के क्षमता उपयोग में चालू होने की तिथि से मार्च 2001 तक गिरावट 3 से 61 प्रतिशत के मध्य आरेखित रही जैसा कि नीचे वर्णित है:

⁶⁹ झरने की उँचाई जहाँ से टरबाइन को गति देने के लिए जल निकासी उपलब्ध है।

⁷⁰ 11 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में से, एक कोटाबाग परियोजना पूर्ववर्ती उपराविप से स्थानान्तरित की गई थी और एक गैरोन, यद्यपि जून 1999 में पूर्ण हो चुकी थी, परन्तु वाणिज्यिक भार पर अक्टूबर 2001 में रखी गई, अतः दोनों परियोजनाएं सम्मिलित नहीं की जा सकी।

वर्ष	कार्यशील परियोजनाओं की संख्या	क्षमता उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
1996-97	4	4-37
1997-98	5	18-45
1998-99	6	10-61
1999-00	7	13-58
2000-01	9	3-54

क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण, जेवीएन 1415.87 लाख यूनिटों (जैसा कि डीपीआर में प्रकल्पित था) के संभाव्य उत्पादन के विरुद्ध केवल 724.98 लाख यूनिटों का उत्पादन ही कर सका जिससे ऊर्जा की 690.89 लाख यूनिट (परिशिष्ट-22) की गिरावट आई। निम्न क्षमता उपयोग से संबंधित अन्य कमियों पर पूर्ववर्ती प्रस्तर 2स.2.3 एवं 2स.4.2.5 में चर्चा की गई है।

प्रबन्धन ने निम्न पीएलएफ, ग्रिड की अनुपलब्धता, बाध्यकारी कारक आदि को गिरावट का कारक माना (जनवरी 2002)।

2स.5.2 परियोजना को वाणिज्यिक भार पर रखने में देरी

किसी बाध्यकारी उपबन्ध की अनुपस्थिति में ठेकेदारों को परियोजनाओं को वाणिज्यिक भार पर रखने में विलम्ब के कारण हुई क्षतियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका

परियोजनाओं के निर्माण हेतु लगाये गये ठेकेदार, परियोजनाओं को पूरा करने तथा जेवीएन को हस्तगत किये जाने के पूर्व उन्हें वाणिज्यिक भार पर रखे जाने के लिए उत्तरदायी थे। पुनः, सिवाय दोषों के निवारण के, यदि कोई था, ठेकेदारों के साथ हुए अनुबन्धों में मशीनों को वाणिज्यिक भार पर लाने के लिए कोई गारण्टीयुक्त समय सीमा की शर्त नहीं रखी गयी थी। सात परियोजनाओं को उनके सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात् वाणिज्यिक भार पर रखने में विलम्ब, 5 और 37 माह के बीच आरेखित रहा (अन्य परियोजनाओं में विलम्ब नगण्य था), जिसके कारण 6.11 करोड़ रुपये मूल्य की (1.70 रुपये प्रति यूनिट की बिक्री दर पर) ऊर्जा की 359.66 लाख यूनिटों के संभावित उत्पादन की हानि हुई। विवरण परिशिष्ट-23 में दिये गये हैं।

प्रबन्धन ने इसका कारण, नियंत्रण उपकरण अर्थात् गवर्नर्स (पाँच परियोजनाओं में) में समस्याओं, वैद्युत यांत्रिकी कार्य (एक परियोजना में) और विद्युत निष्कासन तंत्र (एक परियोजना में) में विलम्ब को माना (जनवरी 2002)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदागत दायित्व अवधि की शर्तानुसार संयंत्र वाणिज्यिक भार पर रखने में ठेकेदारों की असफलता के प्रकरण में, किये गये अनुबन्धों में किसी अर्थदण्ड के उपबन्ध की अनुपस्थिति के कारण जेवीएन न तो इन दोषों का ठेकेदार द्वारा निराकरण करवा सका और न ही विलम्ब के लिए कोई क्षतिपूर्ति की वसूली कर सका।

2स.5.3 अत्यधिक आउटेज

कुछ डीपीआर में, रख-रखाव तथा आवधिक मरम्मत के लिए तीन प्रतिशत आउटेज का प्रावधान था। इसके विरुद्ध 6 परियोजनाओं में आउटेज 4 तथा 22 प्रतिशत के मध्य आरेखित रहा। इसके कारण 0.88 करोड़ रुपये मूल्य की 51.56 लाख यूनिटों के सम्भावित उत्पादन की हानि हुई। विवरण परिशिष्ट-24 में दिये गये हैं।

प्रबन्धन ने अत्यधिक आउटेज का कारण, ग्रिड/रोस्ट्रिंग प्रोग्राम की अनुपलब्धता, उपराविप द्वारा 11/33 केवी लाइनों का खराब रख-रखाव, शीर्ष समय में मशीनों की पोस्ट आउटेजेज आदि को माना (जनवरी 2002)। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्रिड में कोई रोस्ट्रिंग सम्भव नहीं है। पुनः, उपराविप/ उपपाकालि के उच्चतर प्रबन्धन से सम्पर्क करके ग्रिड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती थी। जहाँ तक ग्रिड एवं विद्युत केन्द्रों के मध्य फ्रीक्वेंसी के असंगत होने की बात है, असंगति से बचने हेतु उपयुक्त उपस्करों की संस्थापना की जा सकती थी।

2स.6 विद्युत निष्कासन तन्त्र-पारेषण एवं वितरण संजाल

2स.6.1 विद्युत निष्कासन हेतु अनुश्रवण एवं दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली पर निरर्थक व्यय

रुग्ण कम्पनी से अनुश्रवण एवं नियंत्रण प्रणाली की अधिप्राप्ति के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण 25 लाख रुपये की हानि हुई

अनुश्रवण एवं दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली (एमआरसी) को यूपीपीसीएल के ग्रिड तक आगे पारेषित किये जाने हेतु उत्पादन बिन्दु से धारचुला उपकेन्द्र तक चार परियोजनाओं (कंचौटी, छिरकिला, सोबला-I तथा कुलागढ़) के अनुश्रवण एवं नियंत्रण यांत्रिकी के रूप में कार्य करना था। प्रणाली का प्रचालन इन विद्युत ग्रहों को जोड़ने वाली दोहरी परिपथ लाइन के द्वारा किया जाना था तथा यह केवल विद्युत निष्कासन प्रणाली सहित परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही सम्भव था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि विद्युत ग्रहों, विद्युत निष्कासन प्रणाली के पूर्ण होने के पूर्व ही तथा बिना तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता की जाँच किये जेवीएन ने अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ से 35 लाख रुपये की लागत पर एमआरसी यन्त्र की अधिप्राप्ति कर ली (दिसम्बर 1989 तथा नवम्बर 1992 के मध्य) जबकि परियोजनाएँ एमआरसी की आपूर्ति तिथि से 14 से 70 माह की अवधि के बाद वास्तविक रूप से पूर्ण हुईं। तत्पश्चात्, प्रणाली को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि आपूर्तिकर्ता कम्पनी 1992-93 में रुग्ण हो गई। 10 लाख रुपये मूल्य का प्रणाली का एक हिस्सा दिसम्बर 1999 में एबीबी के माध्यम से पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के रूप में उपयोग में लाया जा सका।

इस प्रकार, इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक प्रचालन से 14 से 70 माह पूर्व, एमआरसी की अधिप्राप्ति करने के जेवीएन के अविवेकपूर्ण निर्णय से 25 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि अपट्रान द्वारा आपूर्तित यन्त्र किसी उपयोग का नहीं था, अतः संस्थापित नहीं किया जा सका।

वांछित एकल के स्थान पर दोहरी परिपथ लाइन के निर्माण से 1.53 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ

2स.6.2 एकल परिपथ लाइन के स्थान पर दोहरी परिपथ लाइन का निर्माण

इन परियोजनाओं के मूल डीपीआर में (जैसा उपर प्रस्तर 6.1 में वर्णित है), विद्युत निष्कासन हेतु केवल एकल परिपथ 33 केवी पारेषण लाइन का निर्माण प्रकल्पित था (मार्च 1986 और अप्रैल 1987)। तथापि, एमआरसी के माध्यम से नियंत्रण करने के उद्देश्य से दोहरी परिपथ पारेषण लाइन (डीसीटीएल) के निर्माण की रूपरेखा बनाई गई (1989)। परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में चालू किये जाने में प्रबन्धन की असफलता के कारण, एमआरसी के अनुपयोगी हो जाने पर (1992) डीसीटीएल के निर्माण का कार्य नहीं लिया जाना चाहिए था।

तथापि, जेवीएन ने 3.07 करोड़ रुपये की लागत पर उच्चतर विशिष्टीकृत टावरों वाली दोहरी परिपथ लाइन (एकल परिपथ के स्थान पर) का निर्माण किया (1991-97)। दूसरी परिपथ लाइन जून 1993 के बाद ही निर्मित की जा सकी। समय के इस बिन्दु पर जेवीएन पूरी तरह अवगत था कि एमआरसी उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी और इसलिए दूसरी परिपथ लाइन के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतैव, दूसरे परिपथ के निर्माण पर हुआ 1.53 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल हो गया।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि ब्रेक डाउन के प्रकरणों में विद्युत के उपयोजन से बचने के लिए, दूसरी परिपथ लाइन का निर्माण आवश्यक था। उत्तर, इस तथ्य को इंगित करता है कि दूसरी परिपथ लाइन का निर्माण यह जानने के बावजूद किया गया कि यह केवल ब्रेक डाउन के प्रकरणों में यदाकदा उपयोग को छोड़कर निष्क्रिय पड़ी रहेगी।

2स.6.3 उच्चतर विशिष्टीकरण के पोलों पर अधिक व्यय

यूपीपीसीएल के मानकों के अनुसार 33 केवी लाइन के निर्माण के लिए एसपी-55 श्रेणी के पोलों की आवश्यकता होती है जो 6.113 मीटर ग्राउण्ड क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में भी सड़क के किनारे तथा आर-पार न्यूनतम 6.1 मीटर ग्राउण्ड क्लीयरेंस का प्रावधान था। तथापि, जेवीएन ने एसपी-55 पोलों पर 23.77 लाख रुपये की स्वीकार्य लागत के विरुद्ध उच्चतर विशिष्टीकरण के 342 टावरों पर 68.14 लाख रुपये का व्यय किया (1997-2000)। संयोगवश यूपीपीसीएल उसी भू-भाग में एसपी-55 पोलों पर 33 केवी लाइनों का निर्माण पहले कर चुकी थी (1997-2000)। इससे 44 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि उच्चतर विशिष्टीकरण के टावर दुर्गम पर्वतीय भू-भाग के कारण प्रयुक्त किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यूपीपीसीएल उसी क्षेत्र में एसपी-55 पोलों पर 33 केवी लाइनों का निर्माण पहले ही कर चुका था।

2स.6.4 अस्तित्वविहीन ग्रामों का विद्युतीकरण

1991 की जनगणना द्वारा अधिसूचित ग्रामों में विद्युतीकरण किया जाना था। तथापि, अनुबन्ध संख्या 34/1994-95 दिनांक 15.3.95 के अन्तर्गत जेवीएन ने कश्मीरी लाल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (केसीपीएल), रानीखेत द्वारा 11/96 से 6/98 की अवधि में 1.80 करोड़ रुपये की लागत पर 22 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया (नवम्बर 2001)। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि जनगणना/पूर्ववर्ती उपराविप/यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गई ग्रामों की सूची में नारायण आश्रम, खेलाछुरा तथा तवाघाट विद्यमान नहीं थे। पुनः, तंतागाँव तथा रोटों को केसीपीएल द्वारा 2 गाँवों के रूप में दर्शाया गया था जबकि जनगणना की सूची ने दर्शाया कि तंता गाँव रोटों दो के स्थान पर एक ही गाँव था।

1.80 करोड़ रुपये की लागत में से 1.21 करोड़ रुपये का व्यय परिवर्तनीय था तथा 22 लाख रुपये के कपटपूर्ण दावे के अवसरों से इन्कार नहीं किया जा सकता था (चार अस्तित्वविहीन ग्रामों पर किया बताया गया)।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि नारायण आश्रम, खेलाछुरा, रौतंग तथा तवाघाट जैसे ग्राम ग्रामों के पुरवे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध, ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए था, न कि पुरवों के लिए।

2स.7 वित्तीय हानियों की ओर ले जाने वाला कुप्रबन्धन

जेवीएन ने न तो परियोजना वार निधि की प्राप्ति तथा उपयोजन को अवस्थित किया और न ही परियोजना वार आवंटन को अवस्थित किया तथा निधियों का अनियमित ढंग से उपयोग किया गया। इसने व्यय के लिए अपेक्षित निधि को सुनिश्चित करने के लिए कैश-फ्लो विश्लेषण नहीं बनाया। इसके परिणामस्वरूप, उपदान की वापसी, ब्याज का परिहार्य दायित्व, ऊर्जा की लागत की वसूली न होना, दर-सूची के संशोधित न होने से हानि, बिक्री कर का अधिक भुगतान, अग्रिमों की वसूली नहीं हुई, जिससे 18.85 करोड़ रुपये की हानि हुई जैसा आगे के प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

2स.7.1 उपदान की वापसी हेतु देयता

जेवीएन, कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण नहीं कर सका जिसके कारण तीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं, (शासन द्वारा क्रमशः 3/89, 3/89 तथा 10/93 में संस्वीकृत क्षरणदेवः 400 किलोवाट जून 1999 में पूर्ण हुई, तालेश्वरः 600 किलोवाट जून 1999 में पूर्ण हुई और पिलानगढ़ः 2250 किलोवाट प्रगतिगत) के प्रकरण में उपदान की वापसी हुई। गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के मंत्रालय

(एमएनईएस) ने इन परियोजनाओं के लिए 40.53 लाख रुपये का उपदान अनुमोदित किया (मार्च 1994)। प्रथम किस्त (4.05 लाख रुपये) मार्च 1994 में अवमुक्त की गई। जून 1994 में शासन ने कार्य को बन्द करने तथा निजी क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया। तब तक दो परियोजनाओं (क्षरणदेव: 37.19 लाख रुपये तथा तालेश्वर: 43.17 लाख रुपये) पर 0.80 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका था। चूँकि कोई उद्यमी सामने नहीं आया (अप्रैल 1995), शासन ने कार्य को जेवीएन के माध्यम से पुनः आरम्भ करने का निर्णय लिया (मार्च 1996)। तदनुसार, शासन को मई 1996 में अनुमोदन के लिए संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किये गये। इसे आगे उपदान निर्मुक्त नहीं किया गया।

इस बीच, एमएनईएस ने शर्त रखी (अप्रैल 1996) कि यदि जेवीएन सिविल तथा वैद्युत यांत्रिकी कार्यों के आदेशों को 30.06.1996 तक आगे बढ़ाने/पुनर्वैध करने में असफल रहता है, उसको उपदान ब्याज सहित वापस करना चाहिए। पुनः, मई 2001 में, एमएनईएस ने दण्ड ब्याज सहित वापसी की माँग की क्योंकि जेवीएन निर्धारित तिथि तक कोई भी अनुबन्ध निष्पादित करने में असफल रहा। इस प्रकार, ब्याज सहित 40.53 लाख रुपये के उपदान की वापसी की देयता जेवीएन पर पड़ गई। दिसम्बर 2001 तक कोई वापसी नहीं की गई थी।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि एमएनईएस से निर्देश की प्राप्ति के पश्चात् उपलब्ध तीन माह की छोटी अवधि में निविदा तथा बोली की प्रक्रिया पूर्ण करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिल आफ क्वांटिटी, कार्य के विशिष्टीकरण आदि, निलम्बित कार्य की निविदा/संविदा के अनुसार ज्ञात थे और तीन माह की अवधि, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु एक माह तथा बोलियों को अंतिम रूप देने हेतु एक अतिरिक्त माह की अवधि जैसा कि वित्तीय नियमों में प्रावधान था, से अधिक थी।

2स.7.2 परिहार्य ब्याज देयता

बेलका परियोजना हेतु, जेवीएन ने 14.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर 3.58 करोड़ रुपये का एक ऋण लिया (1986-87)। इसके विरुद्ध, दो वर्षों अर्थात् 1986-87 तथा 1987-88 में कोई व्यय नहीं किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि एक कैशफ्लो विश्लेषण तैयार किया जाना चाहिए था और ब्याज की हानि को बचाने हेतु ऐसे पूर्व अनुमानित व्यय के आधार पर ऋण प्राप्त किये जाने चाहिये थे, जेवीएन ने प्रतिवर्ष ऋण आहरित किये जो अपेक्षित व्यय से अधिक थे। इसका एक हिस्सा अल्पावधि जमा के रूप में रखा जा रहा था, जिसके विवरण ऋणों हेतु अलग से उपलब्ध नहीं थे। मार्च 2001 के अंत में, 14.70 करोड़ रुपये के व्यय के विरुद्ध कुल 17.43 करोड़ रुपये के ऋण देय थे।

बगैर यह सुनिश्चित किये कि ऋण, व्यय आवश्यकता के आधार पर आहरित किये गये थे, लचर वित्तीय प्रबन्धन के कारण जेवीएन ने 7.21 करोड़ रुपये की परिहार्य ब्याज देयता वहन की। विवरण परिशिष्ट-25 में दिये गये हैं।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि वन विभाग ने भूमि की अनुमति काफी विलम्ब से दी जिससे ब्याज देयता बढ़ गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जेवीएन के पास विकल्प था कि वह इस बात को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही ऋण आहरित करे। यह परियोजना हेतु उपयोग किये जाने के लिए अपेक्षित था। पुनः, वन विभाग से अनुमति अप्रैल 1990 में प्राप्त हुई परन्तु जेवीएन ने अपने कार्य की योजना नहीं बनाई ताकि ब्याज देयता को जहाँ तक सम्भव हो कम किया जा सके।

2स.7.3 ऊर्जा के बिक्री लाभों की वसूली न होना

एमओयू/पीपीए की अनुपस्थिति में कम्पनी 10.90 करोड़ रुपये की वसूली नहीं कर सकी

जेवीएन अपने द्वारा उत्पादित ऊर्जा से उपराविप को 1990-91 से ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा था जिसके लिए कोई औपचारिक अनुबन्ध नहीं किया गया था। उपराविप ने 1998-99 तक 10.90 करोड़ रुपये के अवशेष को रखते हुए देय 12.50 करोड़ रुपये में से 1.60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त (प्राप्ति की तिथि उपलब्ध नहीं) कोई भुगतान नहीं किया। मिलान की कमी के कारण उसके बाद की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

मार्च 2000 में एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया जो जनवरी 2000 से प्रभावी किया गया। एमओयू के अनुसार, तीन महीने के अन्दर एक औपचारिक पीपीए हस्ताक्षरित किया जाना था और तब तक 1.70 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाना था। तथापि, जून 2001 तक कोई औपचारिक पीपीए हस्ताक्षरित नहीं किया गया और न ही उपराविप/उप्रपाकालि से कोई भुगतान प्राप्त हुआ (जून 2001)।

2स.7.4 ग्रामों हेतु दर-सूची के संशोधन न होने के कारण हानि

जेवीएन धारचुला तहसील के गाँवों के 516 उपभोक्ताओं को अपने पारेषण एवं वितरण तन्त्र के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति के अधीन उप्रपाकालि के समकक्ष दर-सूची के अनुसार 50 रुपये प्रतिमाह प्रति संयोजन की एकमुश्त दर पर विद्युत आपूर्ति कर रहा था। इस बीच राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसआरसी) का गठन किया गया (14 जनवरी 2000) जिसने 9 अगस्त 2000 से दर-सूची को 154.60 रुपये प्रति माह प्रति संयोजन की दर पर संशोधित कर दिया (अमीटरीकृत पूर्ति हेतु 25 रुपये का फिक्स्ड प्रभार तथा न्यूनतम 72 यूनिट प्रति माह हेतु 1.80 रुपये प्रति यूनिट)। तथापि, जेवीएन ने अपनी दर-सूची को 9 अगस्त 2000 से उप्रपाकालि के समकक्ष संशोधित नहीं किया। दर-सूची संशोधित न किये जाने के कारण 9 अगस्त 2000 से 8 नवम्बर 2001 तक 8.10 लाख रुपये की हानि हुई।

जेवीएन ने न तो विद्युत के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त की और न ही एसआरसी द्वारा अनुमोदित दर-सूची को क्रियान्वित ही किया। इस प्रकार, एसआरसी अधिनियम के अधीन इसने स्वयं को अर्थदण्ड हेतु उत्तरदायी बना लिया।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2002) कि संशोधित दर-सूची प्राप्त न होने के कारण वह एसआरसी के आदेशों का अनुपालन नहीं कर सका।

निष्कर्ष

जेवीएन के कार्यकलाप, अत्यधिक मिट्टी का कार्य, सामग्री की अधिप्राप्ति तथा विद्युत केन्द्रों के निर्माण में परिहार्य एवं निरर्थक व्यय द्वारा हानियों और विलम्ब की ओर उन्मुख नियोजन की कमी द्वारा अभिचिन्हित थे। प्रचालन कार्य, क्षमता उपयोग में गिरावट तथा अत्यधिक आउटेज द्वारा अभिचिन्हित किया गया। पुनः, विद्युत निष्कासन प्रणाली में जेवीएन ने अनुश्रवण एवं दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली तथा उच्चतर विशिष्टीकरण की पारेषण लाइन के निर्माण पर निष्फल व्यय किया।

जेवीएन को केवल उन्हीं परियोजनाओं को हाथ में लेने की आवश्यकता है जो व्यवहार्य हैं और परियोजना के निष्पादन के सघन अनुश्रवण द्वारा परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने के प्रयास करने चाहिए।

कुछ प्रस्तरों के उत्तर प्रबन्धन से प्राप्त हो चुके हैं, तथापि, संवीक्षा का उत्तर कम्पनी तथा शासन से प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2002)।

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड

2द. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड के क्रियाकलाप

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पीसीएल) का एक सरकारी कम्पनी के रूप में निगमन मई 1976 में नये नलकूपों की अवस्थापना एवं विद्यमान नलकूपों में सुधार करने तथा राज्य में लघु सिंचाई की सम्भावनाओं को विकास में सहायता करने के उद्देश्य से किया गया था। मार्च 2001 के अन्त में संचित हानि (12.18 करोड़ रुपये) ने पीसीएल की प्रदत्त पूँजी (6.40 करोड़ रुपये) को पूर्णतः क्षरित कर दिया। इसके अतिरिक्त, अनुपयोजित सरकारी निधि पर ब्याज आय व अतिरिक्त सेन्टेज के अमान्य क्रेडिट आदि से 14.32 करोड़ रुपये तक हानि कम प्रदर्शित की गई।

(प्रस्तर 2द.1.1 एवं 2द.1.4)

नलकूपों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य केवल पीसीएल के माध्यम से ही निष्पादित किया जाय ऐसी कोष की संस्तुतियों के बावजूद पीसीएल पर्याप्त कार्य प्राप्त करने में असफल रहा जिससे अपने उपरिव्ययों को वहन कर सके।

(प्रस्तर 2द.1.3)

नाबार्ड योजना के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण में मुख्यतः दरों की पर्याप्तता और औचित्य की जाँच किये बिना कार्यों को स्वीकार करने तथा उन शर्तों को स्वीकार करने के कारण जो पीसीएल के हित में नहीं थीं, इसने 7.20 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

(प्रस्तर 2द.2.1.1)

ओवाईटी योजना के अन्तर्गत, पीसीएल ने 30 आंशिक रूप से निर्मित नलकूपों पर 21.60 लाख रुपये का निष्फल व्यय किया।

(प्रस्तर 2द.2.2.1)

पीसीएल ने निक्षेप कार्यों पर 27 लाख रुपये के अमान्य लाभ को ग्राहक को अनुमन्य कर हानि उठाई। इसने आंकलन में सम्मिलित न किये गये अतिरिक्त कार्यों पर 54.59 लाख रुपये का व्यय भी किया।

(प्रस्तर 2द.2.4.2, 2द.2.4.3 एवं 2द.2.4.4)

2द.1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (पीसीएल) की स्थापना, पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में मई 1976 में, नवीन नलकूपों की संस्थापना, विद्यमान नलकूपों में सुधार, राज्य में लघु सिंचाई की संभावनाओं के विकास में सहायता तथा अन्य विविध कार्यों के निष्पादन के के मुख्य उद्देश्य से की गई थी।

2द.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

पीसीएल का सम्पुट प्रबन्धन, एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक (प्रतिनियुक्ति पर पदासीन सिंचाई विभाग के एक मुख्य अभियन्ता) एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त छः अन्य अकार्यकारी निदेशकों⁷¹ से गठित एक निदेशक मण्डल (बीओडी) में निहित है। दिन-प्रति-दिन के कार्यों के प्रबन्धन में प्रबन्ध निदेशक (एमडी) की सहायता दो वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, छः महाप्रबन्धक तथा एक वित्तीय सलाहकार-सह-मुख्य लेखाधिकारी करते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण प्रदेश में फैली हुई क्षेत्रीय इकाइयों में 22 परियोजना प्रबन्धक हैं।

दिसम्बर 1979 के सरकारी निर्देशों के न्यूनतम तीन वर्ष के कार्यकाल की अवहेलना में 7 से 24 माह तक की कार्यावधि सहित एम डी पाँच बार बदल दिये गये। मुख्य कार्यकारियों के बार-बार बदलने के फलस्वरूप प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन तथा नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुसरण के लिये पर्याप्त समय नहीं मिल पाया।

2द.1.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

कम्पनी, कोपू की संस्तुतियों के बावजूद पर्याप्त कार्यदेश प्राप्त करने में असफल रही

पीसीएल के कार्यकलापों की समीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1988 को समाप्त प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में उल्लिखित की गई थी। कोपू द्वारा समीक्षा पर चर्चा जुलाई से नवम्बर 1992 के दौरान की गई तथा संस्तुतियाँ जुलाई 1997 में की गई थीं। संस्तुतियों के अनुसार सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले नलकूपों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य वापस लेकर केवल पीसीएल को सौंप दिये जाने चाहिये। तथापि, प्रबन्धन सरकार से सम्पर्क करके पर्याप्त कार्य प्राप्त करने में असफल रहा।

नवम्बर 2001 से अप्रैल 2002 के दौरान सम्पन्न की गई वर्तमान समीक्षा में, 1996-97 से 2000-2001 तक के पाँच वर्षों की अवधि के सम्पुट कार्य सम्पादन सम्मिलित है तथा लखनऊ स्थित निगम कार्यालय एवं 20 खण्डों (22 में से) की योजना कार्य के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है।

2द.1.4 वित्तीय स्थिति, कार्यचालन परिणाम और वित्तीय परिव्यय

परिशिष्ट-26 में 2000-2001 तक के पिछले पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम दिये गये हैं।

- पीसीएल ने पूर्ववर्ती वर्षों में 2.73 करोड़ रुपये (1999-2000) से 4.04 करोड़ रुपये (1998-99) तक आरेखित भारी हानि की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान 1.81 करोड़ रुपये का असाधारण भारी लाभ अभिलेखित किया। यह, सिंचाई विभाग (आईडी) द्वारा नाबार्ड-प्रायोजित कार्यों पर अस्वीकृत, वर्ष 1999-2000 के दौरान अपलिखित 1.41 करोड़ रुपये के अग्राह्य दावों के अपलेखन के कारण था। पुनः, कुल 12.18 करोड़ रुपये की संचित हानि से न केवल प्रदत्त पूँजी (6.40 करोड़ रुपये) का पूर्ण क्षरण अपितु वह 1996-97 से 2000-2001 से सम्बन्धित अनुपयोजित सरकारी निधि पर अननुमन्य ब्याज की क्रेडिट (4.70 करोड़ रुपये), सिविल कार्यों पर अधिक सेन्टेज (0.89 करोड़ रुपये) का क्रेडिट (12.5 प्रतिशत के विरुद्ध 15 प्रतिशत), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) कार्यों पर 7.59 करोड़ रुपये का अनियमित समायोजन तथा कर्मचारियों के संचित अर्जित अवकाश (1.14 करोड़ रुपये) का प्राविधान न किये जाने के कारण 14.32 करोड़ रुपये से कम प्रदर्शित की गई।
- पीसीएल ने 1994-95 से सरकारी अनुमोदन की प्रत्याशा में लम्बित 4.47 करोड़ रुपये (वर्ष 1993-94 तक अनुपयोजित सरकारी निधि पर संचित ब्याज) को शेयर एप्लीकेशन मनी के रूप में गलत क्रेडिट किया। पीसीएल ने न तो अनुमोदन ही प्राप्त किया और न ही उसे सरकार को वापस किया।
- वर्ष 2000-2001 में चालू देय व प्राविधान 1996-97 की तुलना में 205 प्रतिशत तक बढ़ गये जो सरकारी विभागों से कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त अग्रिमों के असमायोजन से हुआ क्योंकि बिलों को फाइनल नहीं किया गया।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि 1.41 करोड़ रुपये की एक राशि को राइट बैक कर लिया गया था क्योंकि बीओडी ने उसे आईडी से वसूली योग्य मान लिया था। शेयर एप्लीकेशन मनी के सम्बन्ध में शासन को अनुमोदन देना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि को, आईडी द्वारा दावे की अस्वीकृति के पश्चात बीओडी द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान अपलिखित किया जा चुका था। इसलिए धनराशि को राइट बैक करना उचित नहीं था।

कार्यों के निष्पादन हेतु निधि की प्राप्ति पीसीएल मुख्यतः राज्य सरकार के आईडी, डीआरडीए तथा अन्य सरकारी विभागों से करती है। 1996-97 से 2000-2001 तक के पाँच वर्षों की अवधि के वित्तीय परिव्यय के विवरण परिशिष्ट-27 में दिये गये हैं। विवरण इंगित करते हैं कि भारी धनराशि अनुपयोजित पड़ी रही और अन्तिम अवशेष, कुल उपलब्ध निधि के 15 और 41 प्रतिशत के मध्य रहा। पुनः,

संचित हानियाँ 14.32
करोड़ रुपये कम
प्रदर्शित की गईं

नीतियों का निर्धारण करने और फील्ड इकाइयों के कार्यकलापों पर निगाह रखने हेतु उत्तरदायी मुख्यालय के उच्च स्तरीय प्रबन्धन का निधि की उपलब्धता और उपयोजन पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि फील्ड इकाइयाँ ग्राहकों से सीधे धनराशि ले रही थीं व मात्र व्यय के विवरण ही प्रस्तुत कर रही थीं।

2द.1.4.1 भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

पीसीएल ने मशीनों और जन शक्ति की उपलब्धता के संदर्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये। पीसीएल अपनी निष्कार्य क्षमता को पहचान नहीं पाई और इसलिये अधिक कार्यों की प्राप्ति के लिये योजना नहीं बना पाई।

2द.2 क्रियाकलाप

पीसीएल ने 2000-2001 तक के पाँच वर्षों के दौरान निम्न मुख्य कार्यों को हाथ में लिया:

क्रियाकलाप	निधि पोषक अभिकरण
(i) गहरे और उथले नलकूपों का निर्माण	✓ सिंचाई विभाग के माध्यम से निधि पोषित नाबार्ड द्वारा प्रायोजित योजनाएँ ✓ सरकारी उपदान और किसानों के अंशदान से निधि पोषित ओन योर ट्यूबवेल (ओवाईटी) योजना (उपरोक्त सभी कार्य विभागीय रूप से निष्पादित किये गये)
(ii) सम्पर्क मार्ग, पुलिया, प्राथमिक स्कूल भवन आदि का निर्माण	जिला प्राधिकारियों द्वारा निधि पोषित तथा लघु पंजीकृत/अपंजीकृत ठेकेदारों तथा मस्टर रोल पर श्रमिकों के सेवायोजन द्वारा निष्पादित डीआरडीए कार्य
(iii) अन्य सिविल कार्य जैसे ड्रेनेज कास चैनल, कैनल लाइनिंग कार्य, लालियों में सुधार तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग के भवन	सिंचाई और अन्य सरकारी विभागों द्वारा निधि पोषित तथा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता/पीस रेट कर्मियों द्वारा निष्पादित निक्षेप कार्य

प्रत्येक कार्य पर वर्ष-वार व्यय का विवरण परिशिष्ट-28 में दिया गया है।

2द.2.1 गहरे और उथले नलकूपों का निर्माण

पीसीएल ने गहरे और उथले नलकूपों का निर्माण कार्य (i) नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यों; (ii) राज्य की योजना तथा (iii) आईडी द्वारा निधि पोषित राज्य की स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत हाथ में लिया। इस कार्य में वेधन के चरण, विकास, पम्प सेटों को उतारना, पम्प गृह, वितरण जलाशयों एवं संयोजी नालियों का निर्माण, फील्ड जल वाहिकाओं (चैनलों) एवं सेवा पथों को सुदृढ़ करना तथा नलकूपों का विद्युतीकरण निहित है। आईडी ने निर्माण कार्य स्थल की पहचान की और नलकूपों का निर्माण एवं अन्य सम्बन्धित कार्य पीसीएल को सौंप दिये गये। इन कार्यों का सर्वेक्षण किया गया और पीसीएल द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्भाव्यता को सुनिश्चित किया गया।

इसने, उपदान और किसानों के अंशदान से निधि पोषित ओवाईटी योजना के अन्तर्गत उथले नलकूपों का निर्माण भी किया। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित योजना, राज्य की योजना तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूप एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों को निष्पादन-उपरान्त उनके संचालन सम्पादन सम्बन्धी किसी प्रतिसंभरण के बिना आईडी को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि पीसीएल ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यों को आईडी की आंकलित दरों पर निष्पादित किया। आईडी की दरों में उनकी आंकलित दरों पर सेन्टेज का प्रावधान नहीं था। पीसीएल ने निश्चित उपरिव्यय को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिये ऐसी दरों की पर्याप्तता और औचित्य की जाँच किये बिना ही कार्यों को स्वीकार कर लिया।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि बीओडी की प्रस्तावित दरों में सेन्टेज के सम्मिलित न किये जाने के बारे में सूचना दी गई थी। इससे, इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बीओडी ने उन दरों के औचित्य का विश्लेषण नहीं किया जिस पर इन कार्यों को स्वीकार किया गया।

इससे भारी हानि उठानी पड़ी जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2द.2.1.1 नाबार्ड द्वारा प्रायोजित योजना के अध्यक्षीन नलकूपों के निर्माण पर हानि

(i) आईडी ने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राज्य के लघु सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत गहरे नलकूपों के निर्माण का कार्य सौपा (मार्च 1996) जिसके लिये आईडी और पीसीएल के मध्य सहमति हुई (अगस्त 1996)। कार्यविधियों में (i) परियोजना आँकलन पर कार्य निष्पादित किया जाना, (ii) आईडी को संचालन हेतु हस्तांतरित करने से पूर्व नलकूपों का विद्युतीकरण, (iii) कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की अधिप्राप्ति (यदि आईडी द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती है), (iv) बिलों में उसकी लागत का प्रभारण वास्तविक आधार पर किया जाना, (v) कार्य को दो वर्ष अर्थात् मार्च 1998 के अन्दर ही पूर्ण किया जाना तथा (vi) खण्ड स्तर पर ही लेखों के आधार पर व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावे का प्रस्तुतीकरण किया जाना था।

कार्य का निष्पादन 'रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड (आरआईडीएफ)' के अन्तर्गत तीन चरणों में हुआ (1996-99)। चरण- I एवं II के अन्तर्गत सम्बद्ध कार्यों सहित 150 राज्य नलकूपों (एसटीडब्ल्यू) जिन्होंने अपना लाभप्रद आर्थिक जीवनकाल पूर्ण कर लिया था, के पुनर्निर्माण का कार्य मार्च 1996 में प्रदान किया गया था और पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मार्च 1998 थी। सम्बद्ध कार्यों सहित 20 बीएचपी के पम्प सेट और 145 मीटर की औसत गहराई के पुनर्निर्मित नलकूपों का आंकलित मूल्य, वर्ष 1996-97 हेतु 5 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि के प्रावधान

सहित 6.21 लाख रुपये प्रति नलकूप (1995-96 की दरों पर आधारित) आगणित किया गया। इसके अतिरिक्त, पीसीएल द्वारा साथ ही 3.76 करोड़ रुपये के मूल्य पर 194 उथले नलकूपों का नवीकरण भी साथ ही साथ कराया गया।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि पीसीएल ने सम्बद्ध कार्यों सहित मार्च 1999 तक के तीन वर्षों के दौरान 23.58 करोड़ रुपये के मूल्य पर (6.68 करोड़ रुपये के उपरिव्यय सहित) 140 एसटीडब्ल्यू जिनका लाभप्रद आर्थिक जीवन काल समाप्त हो गया था, के पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण किया और 194 नये उथले नलकूपों का नवीकरण किया। इसके विरुद्ध, पीसीएल ने खण्डीय लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय पर आधारित प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के स्थान पर आंकलित दरों पर आंकलित मात्रा के आधार पर देय 20.08 करोड़ रुपये का एक दावा प्रस्तुत किया। ग्राहक ने पूर्ण और अन्तिम निपटारे के रूप में केवल 18.44 करोड़ रुपये के दावे स्वीकार किये व उसका भुगतान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, सेन्टेज बिना काम लेने तथा (क) पुरानी निष्कर्षित सामग्री (यद्यपि वास्तविक रूप से निष्कर्षित नहीं की गई) पर रिबेट हेतु कटौती, (ख) 1995-96 की दरों पर मात्र 5 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि सहित 1996-97 के मूल्य पर एवं (ग) मूल्य में भविष्य में होने वाले समायोजन/वृद्धि हेतु किसी प्रावधान के न होने से सम्बन्धित अलाभकारी शर्तों के कारण 5.14 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि 27.59 करोड़ रुपये⁷² के व्यय (राज्य योजना कार्यों और उस पर 7.94 करोड़ रुपये के उपरिव्यय सहित) के विरुद्ध, पीसीएल ने 24.66 करोड़ रुपये के देयक जारी किये और 23.26 करोड़ रुपये प्राप्त किये। जिससे 4.33 करोड़ रुपये (27.59 करोड़ रुपये - 23.26 करोड़ रुपये) की हानि हुई।

उत्तर, उठाई गई आपत्ति को संतुष्ट नहीं करता है। यह प्रदर्शित करता है कि पीसीएल क्रियाविधि के अनुसार वास्तविक मात्रा का देयक देने में विफल रहा। पुनः, वास्तविक उपरिव्ययों की पूर्ति, दरों की पर्याप्तता और औचित्य की जाँच किये बिना कार्यों को हाथ में लेने के कारण वास्तविक खर्चों की आपूर्ति नहीं की जा सकी।

(ii) चरण-III के अन्तर्गत, संयोजी नालियों और पीवीसी पाइप लाइनों में सुधार करके रिक्त पड़े वितरण तंत्रों के आधुनिकीकरण और नवीन पम्पिंग सेटों का संस्थापन सन्निहित करते हुये 2614 एसटीडब्ल्यू का काम 20 करोड़ रुपये के मूल्य पर प्रदान किया गया (मार्च 1998)। कार्य जिसके लिये सितम्बर 1998 और जून 1999 के मध्य 16.18 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गये, को उन्हीं शर्तों पर जैसी चरण-I एवं II में थी, 2 वर्षों में अर्थात् मार्च 2000 तक पूर्ण किया जाना था।

⁷²

इस समीक्षा में केवल नावार्ड कार्यों में हुई हानियों की चर्चा की गई है जबकि शासन ने उत्तर में राज्य योजना को मिला दिया है, इसीलिये आँकड़ों में अन्तर है।

जिसके लिये सितम्बर 1998 से जून 1999 के बीच 16.18 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये।

पीसीएल ने कार्य अक्टूबर 1998 में प्रारम्भ किया और सितम्बर 2002 तक 2614 में से केवल 2311 एसटीडब्ल्यू के कार्य ही पूर्ण किया। 31 मार्च 2001 तक, 14.99 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय के विरुद्ध, 14.21 करोड़ रुपये के दावे (आंकलित मात्रा पर देयकीकृत) ही प्रस्तुत किये गये थे। अतः, पीसीएल को 0.78 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी। आईडी द्वारा बारम्बार अनुस्मारकों तथा निधि की उपलब्धता के बावजूद, पीसीएल ने 303 एसटीडब्ल्यू के शेष कार्य का निष्पादन नहीं किया।

चरण-III के अन्तर्गत, दरों की पर्याप्तता और औचित्य की जाँच तथा सेन्टेज के रूप में किसी लाभ को सुनिश्चित किये बिना कार्य का स्वीकारा जाना एक अलाभकारी व्यवसाय था, जैसा निम्न तथ्यों से प्रत्यक्ष है :

- विभिन्न नलकूपों हेतु शैतिज स्तर, वेधन की गहराई तथा संस्थापित किये गये पम्प सेटों की क्षमता आदि में अन्तर होने के बावजूद, देयकीकरण आंकलित दरों पर समान आंकलित मात्रा पर किया गया।
- पीसीएल ने चरण-III में प्रति नलकूप 0.082 लाख रुपये की छूट की शर्त को स्वीकार किया। यद्यपि, निष्कर्षण का कार्य पीसीएल द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था, आईडी द्वारा आंकलित दरों पर निष्कर्षित सामग्री के मूल्य के रूप में कटौती कर ली गई जिससे 0.84 करोड़ रुपये की हानि हुई।
- चरण-III के अन्तर्गत, पीसीएल द्वारा व्यवस्थित की गई सामग्री के लदान प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु किसी शर्त के सम्मिलित न किये जाने के फलस्वरूप 1998-99 से 2001-2002 के दौरान व्यवस्थित सामग्री के लदान प्रभारों के रूप में 44 लाख रुपये की राशि के दावे अस्वीकृत हो गये।

कम्पनी ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यों पर 7.20 करोड़ रुपये की हानि उठाई

अतः, आईडी ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यों को, उनके आर्थिक पहलू के उचित विश्लेषण के बिना स्वीकार कर लिये जाने और समय-सीमा के अतिक्रमण के साथ-साथ अन्य वित्तीय शर्तों के प्रभाव जो पीसीएल के हित के लिये हानिकारक थे जैसे मूल्य वृद्धि को मूल्य सूचक में वृद्धि के साथ सम्बद्ध रखने के बजाय 5 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने तथा पुरानी निष्कर्षित सामग्री के कारण छूट दिये जाने को उचित विश्लेषण के बिना स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप कुल 7.20 करोड़ रुपये की हानि हुई।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि कार्य बिना सेन्टेज के इसलिए लिया गया क्योंकि पर्याप्त कार्य की उपलब्धता नहीं थी तथा मद-वार दरों में लाभ अन्तर्निहित कर, आंकलन के कारण लिया गया था। पुनः, कार्य लेने से उपरिव्यय की 1.97 करोड़ रुपये तक की आंशिक वसूली हो गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य बिना किसी विश्लेषण/विचार-विमर्श के ले लिया गया था। यदि प्रबन्धन इसी प्रकार निर्णय लेता रहा, तो वह हानियों से उबरने में सफल नहीं हो सकेगा। वह, राज्य में नलकूपों के समस्त निर्माण कार्य को निष्पादित किये जाने की कोपू की संस्तुतियों का लाभ उठाने तथा अपने उपरिव्यय का भार उठाने के लिये पर्याप्त कास्ट-प्लस कार्य हासिल करने में असफल रहा।

2द.2.2 “ओवाईटी” योजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

विद्युत ऊर्जा की अनुपलब्धता और एसटीडब्ल्यू के संस्थापन की उच्च लागत को देखते हुये, पीसीएल ने किसानों के लाभार्थ “ओन योर ट्यूबवेल” (ओवाईटी) नामक उथले श्रेणी के नलकूपों के निर्माण की एक योजना बनाई (1993-94)। राज्य सरकार द्वारा योजना का अनुमोदन, वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 30,000 रुपये (मैदानी क्षेत्र) या 50,000 रुपये (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), जो भी कम था, तक उपदान के रूप में देते हुये कर दिया गया (मार्च 1994)। इसके लिए, राज्य सरकार ने 1,000 नलकूपों के निर्माण हेतु (1.17 लाख रुपये की औसत लागत पर) 5.14 करोड़ रुपये (अंशपूँजी के रूप में : 1.50 करोड़ रुपये और उपदान : 3.64 करोड़ रुपये) निर्मुक्त कर दिये (मार्च 1995 से मार्च 1997)। यह लाभ लेने के लिये, किसानों को 1,000 रुपये प्रति नलकूप प्रारम्भ में जमा करने के पश्चात् पीसीएल में अपना पंजीकरण कराना था और तत्पश्चात् माँग पर प्रति नलकूप 0.15 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था। आंकलन को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात्, किसानों द्वारा लागत-अन्तर या तो अपने स्रोतों से अथवा पीसीएल के माध्यम से बैंक ऋण की व्यवस्था करके जमा किया जाना था। ऋण के प्रकरण में पीसीएल किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करती थी और ऋण राशि के भुगतान किये जाने से सम्बन्धित किसानों के सहमति पत्र सहित उसे सीधे सम्बन्धित बैंक को अग्रसारित कर देती थी। बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति के पश्चात्, पीसीएल को अपने स्रोत से व्यय करना होता था और नलकूप की संस्थापना एवं पूर्ण होने पर विद्युतीकृत करके व किसानों की पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् हस्तांतरित करके व्यय की प्रतिपूर्ति बैंक ऋण (स्वीकृत) से करनी होती थी। पीसीएल ने कार्य आरम्भ करने से पूर्व, नलकूपों के निर्माण की सम्भाव्यता निश्चित करने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण किया।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि योजना के अन्तर्गत मार्च 1995 से आरम्भ किया गया कार्य निम्नलिखित प्रगति के पश्चात् रोक दिया गया (मार्च 1999):

कार्य के मद	नलकूपों की संख्या
लक्ष्य	1000
पूर्ण किया गया वेधन कार्य	832
विकसित किया	793
नलकूपों का विद्युतीकरण	629

कार्य के मद	नलकूपों की संख्या
किसानों को हस्तांतरित	789
अविकसित पड़े नलकूप	39
विकसित किये गये परन्तु हस्तांतरित नहीं किये गये	04
उपरोक्त के अतिरिक्त प्रगतिगत कार्य के रूप में पड़े हुये आंशिक रूप से निर्मित नलकूप	28

जैसा कि उपरोक्त विवरण से देखा जा सकता है, 39 नलकूप अविकसित पड़े थे और इसलिये प्रयोग में लाने योग्य नहीं थे तथा चार नलकूप कुछ प्रत्यक्ष तकनीकी समस्याओं के कारण पीसीएल के पास ही पड़े थे। इसके अतिरिक्त 28 आंशिक रूप से पूर्ण नलकूपों को प्रगतिगत कार्य के रूप में (14.25 लाख रुपये) प्रदर्शित किया गया था, जिसका विवरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि केवल 823 नलकूप ही हस्तांतरित किये जाने थे (9 वेधनों का परित्याग किया गया।) इसमें से 818 नलकूप हस्तांतरित किये जा चुके थे और शेष 5 को हस्तांतरित नहीं माना गया था क्योंकि इनके विरुद्ध बैंक ऋण प्राप्त नहीं हुये थे।

उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि पीसीएल समर्थन में अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं कर सकी।

इस सम्बन्ध में निम्न कमियाँ पाई गई :

2द.2.2.1 निष्फल व्यय

अपूर्ण 39
नलकूपों पर
किया गया 21.60
लाख रुपये का
व्यय निष्फल हो
गया

(i) अविकसित पड़े 39 नलकूपों में से 9 का परित्याग वेधन की प्रक्रिया में कर दिया गया था (किया गया व्यय : 3.55 लाख रुपये) और उन पर किये गये व्यय का समायोजन उपदान और किसानों के प्राथमिक अंशदान से किया गया। 5 नलकूपों जो विकसित करने के दौरान असफल हो गये (5.85 लाख रुपये) तथा 25 जिनमें वेधन किया गया परन्तु विकसित नहीं किये गये (15.75 लाख रुपये) पर किया गया 21.60 लाख रुपये का समस्त व्यय (11.60 लाख रुपये का किसानों का अंशदान) न केवल निष्फल हो गया अपितु इसने किसानों को उस लाभ से भी वंचित कर दिया जिसमें लिये उन्होंने अंशदान दिया था। पीसीएल के पास किसानों द्वारा जमा की गई धनराशि को उन प्रकरणों में जहाँ वह उनके लिये नलकूपों का निर्माण नहीं कर सकी, वापस करने की कोई नीति नहीं थी।

(ii) किसानों को अहस्तांतरित चार नलकूपों पर पीसीएल ने प्रति नलकूप 1.17 लाख रुपये की दर से 4.68 लाख रुपये की लागत लगाई। उपदान और किसानों के अंशदान से वित्त पोषित नलकूप के समस्त व्यय निष्फल सिद्ध हुये व उनसे किसानों को कोई लाभ नहीं मिला।

प्रबन्धन ने उल्लिखित कमियों हेतु कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया।

शासन ने 9 नलकूपों के परित्याग की स्वीकारोक्ति करते हुए इन विशिष्ट आपत्तियों के उत्तर नहीं दिये।

2द.2.2.2 अपूर्ण नलकूपों पर निष्फल व्यय

28 नलकूपों के आंशिक निर्माण के विरुद्ध (बांदा में 23 तथा हमीरपुर जिले में 5), कानपुर इकाई ने उपदान की राशि (14.25 लाख रुपये) का उपयोजन किया और किसानों से पुनः अंशदान प्राप्त किये बिना 14.25 लाख रुपये का व्यय किया। इन नलकूपों को केवल वेधन करके छोड़ दिया गया। लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण की छानबीन नहीं की जा सकी क्योंकि विवरण और प्रकरण की पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि उपरोक्त कार्य को गलती से प्रगतिगत कार्य के रूप में दिखाया गया था जिन्हें अन्यथा पूर्ण कर लिया गया था और आवश्यक समायोजन वर्ष 2001-2002 में कर लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पीसीएल उत्तर के समर्थन में कार्य समाप्ति रिपोर्ट, विद्युतीकरण प्रमाण-पत्र और हस्तांतरण सूचना प्रस्तुत नहीं कर सकी।

2द.2.3 डीआरडीए योजना के अन्तर्गत कार्यों का निष्पादन

सम्पर्क मार्गों, पुलियों आदि का निर्माण

1996-97 से पीसीएल की गतिविधियों में अधिकांश डीआरडीए के कार्य थे। विभिन्न योजनाओं जैसे विधायक निधि, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) एवं अन्य विकास निधि के अन्तर्गत वित्त पोषित इन कार्यों (खड़जा और कच्चे सम्पर्क मार्ग, पुलियाँ, प्राथमिक विद्यालय भवन आदि) हेतु निधि क्षेत्र के परियोजना प्रबन्धकों द्वारा डीआरडीए से सीधे प्राप्त की जाती थी। डीआरडीए ने कोई भी सेन्टेज अथवा आकस्मिक प्रभारों की अनुमति नहीं दी। पीसीएल को व्यापार कर की देयताओं को भी चुकाना था। पीसीएल ने पाँच वर्षों (1996-2001) के दौरान इन कार्यों पर 141.22 करोड़ रुपये का व्यय किया (126.33 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष व्यय, उपरिव्यय 13.75 करोड़ रुपये एवं व्यापार कर 1.14 करोड़ रुपये) और 133.92 करोड़ रुपये का समायोजन अग्रिमों से किया।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि:

- (i) पीसीएल ने डीआरडीए के कार्यों के निष्पादन हेतु, ठेकेदारों के चयन की कोई पद्धति विकसित नहीं की और कार्यों का निष्पादन पंजीकृत/अपंजीकृत छोटे ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से करती रही थी;
- (ii) पीसीएल ने डीआरडीए के कार्यों के लिये नये खण्डों की स्थापना करके अपने उपरिव्ययों में वृद्धि कर ली थी। यह औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि कार्यों का निष्पादन सेन्टेज के बिना किया गया था;

(iii) चूँकि कोई सेन्टेज/आकस्मिक प्रभार प्राप्त नहीं होना था, 1.14 करोड़ रुपये की राशि के व्यापार कर के भुगतान के फलस्वरूप पीसीएल को हानि हुई;

(iv) कार्य के पूर्व और समापन के पश्चात, कार्य स्थल के छायाचित्रों के न होने से कार्यों की वस्तुस्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका, तथा

(v) पीसीएल ने डीआरडीए की अनुपयोजित निधि पर 1.59 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित किया जिसे ग्राहक को वापस नहीं किया गया।

यह इंगित करता था कि पीसीएल में नये खण्डों की स्थापना करने और कार्यों का सेन्टेज के बिना निष्पादित करने में वित्तीय दूरदर्शिता का अभाव था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि इन कार्यों को हाथ में लेने से उपरिव्ययों 7.30 करोड़ रुपये (141.22 करोड़ रुपये घटाया 133.92 करोड़ रुपये) की आंशिक वसूली हुई। उत्तर, डीआरडीए की निधि का अनियमित समायोजन करके ग्राहकों के साथ लेन-देन करने में पारदर्शिता के अभाव को ही इंगित करता है।

2द.2.4 अन्य सिविल कार्य

पीसीएल सिंचाई एवं अन्य सरकारी विभागों के सिविल कार्यों का निष्पादन, वास्तविक लागत और सेन्टेज (12.5 प्रतिशत) के आधार पर निक्षेप कार्यों के रूप में करता रहा था। इन कार्यों में नाली, क्रास चैनल्स, कैनल लाइनिंग, भूमि सुधार निगम के नाली सम्बन्धी सुधार कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के भवन आदि सम्मिलित थे। 31 मार्च 2001 तक के पाँच वर्षों के दौरान इसने अपने चार सिविल खण्डों के माध्यम से कुल 63.47 करोड़ रुपये के ऐसे कार्यों (परिशिष्ट-28) का निष्पादन किया। सिविल कार्यों के निष्पादन में देखी गई अनियमितताओं को नीचे बताया गया है:

2द.2.4.1 कार्य का उच्च दरों पर निष्पादन किये जाने से हानि

कम्पनी ने अतिरिक्त व्यय के दावों के अस्वीकार हो जाने के कारण 13.96 लाख रुपये की हानि उठाई

ओखला इकाई ने शारदा सहायक फीडर चैनल (पहुंच 63 से 64 किमी) पर लाइनिंग कार्य के निष्पादन हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये (मार्च 1997)। कार्य, 1.98 करोड़ रुपये की आंकलित लागत पर जून 1998 तक पूर्ण किया जाना था। एमओयू के अनुसार, इसकी कार्यावधि के दौरान लागत में वृद्धि, यदि कोई अनुमन्य थी। तदनुसार, टाइलों की अधिप्राप्ति (400⁷³ रुपये प्रति हजार की अन्तर दरों पर 9.74 लाख टाइलें) तथा मिट्टी के कार्य (22.85⁷⁴ एवं 21.10⁷⁵ रुपये प्रति घनमीटर की अन्तर दरों पर क्रमशः 11977.69 घन मीटर एवं 27403.15 घन मीटर) का निष्पादन (मार्च 1999 से जून 1999), एमओयू की अवधि के पश्चात उच्च दरों पर ग्राहक से विशिष्ट रूप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही किया

⁷³ 2700 रुपये घटाया 2300 रुपये

⁷⁴ 69.20 रुपये घटाया 46.35 रुपये

⁷⁵ 67.45 रुपये घटाया 46.35 रुपये

गया। दावे को बाद में ग्राहक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, पीसीएल को इकाई द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय के दावे के अस्वीकार हो जाने के कारण 13.96 लाख रुपये की हानि (सेन्टेज सहित) उठानी पड़ी।

शासन का उत्तर (अक्टूबर 2002) दावों की अनुमन्यता पर मौन है।

2द.2.4.2 प्रस्तुत किये गये कम दावों के कारण हानि

कम्पनी ने ग्राहक को अग्रसारित किये गये अनुमन्य लाभ के कारण 27 लाख रुपये की हानि उठाई

भूमि सुधार निगम, लखनऊ के साथ निष्पादित एमओयू (फरवरी 1997) की शर्तों के अनुसार, पीसीएल को निक्षेप कार्यों के रूप में नाली सुधार कार्यों को किया जाना था जिसके लिये 1999-2000 तक 13 प्रतिशत तथा 2000-01 से 10 प्रतिशत की दर पर सेन्टेज और वास्तविक रूप से आरोपित व्यापार कर का भुगतान ग्राहक द्वारा किया जाना था। 6.92 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय पर 0.85 करोड़ रुपये की राशि के अनुमन्य सेन्टेज के विरुद्ध, पीसीएल ने 0.63 करोड़ रुपये के सेन्टेज का प्रभारण किया जिससे 22 लाख रुपये की सीमा तक के सेन्टेज का अवप्रभारण हुआ। इसके अतिरिक्त, यह 5 लाख रुपये की राशि के व्यापार कर की वसूली करने में भी असफल रही। इसके परिणामस्वरूप कुल 27 लाख रुपये की हानि हुई।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि 13 प्रतिशत के सेन्टेज में 2 प्रतिशत के सर्वेक्षण प्रभार सम्मिलित थे और इसलिये सेन्टेज का कोई अवप्रभारण नहीं था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि पीसीएल, समझौते के उपबन्ध की गलत व्याख्या करने के कारण सर्वेक्षण प्रभारों के व्यय को घटाकर गलती कर गई थी क्योंकि एक अन्य प्रकरण में (अलीगढ़ इकाई) सर्वेक्षण प्रभारों सहित सेन्टेज की राशि का सही प्रभारण किया गया था।

2द.2.4.3 मिट्टी की भराई पर उच्चतर व्यय

मिट्टी भराई कार्य पर कम्पनी ने 32.43 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया

शासन ने 0.83 करोड़ रुपये की आंकलित लागत पर राज्य सरकार के स्वस्थ विभाग के अन्तर्गत भांगेल (गौतमबुद्ध नगर) में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) का निर्माण किये जाने के लिये प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (अप्रैल 1996)। इसमें गैर आवासीय प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन, कार्य स्थल विकास व्यय एवं अन्य सिविल व विद्युत कार्य की लागत सम्मिलित थी। इसने नवम्बर 1996 से मार्च 1998 के दौरान पीसीएल को समस्त निधि (0.83 करोड़ रुपये) निर्मुक्त कर दी। तथापि, निर्माण स्थल का हस्तांतरण जुलाई 1997 में किया गया। आंकलित लागत वर्ष 1995-96 की लोनिवि की दर सूची पर आधारित थी अतैव 1997 की दर-सूची पर आधारित 1.88 करोड़ रुपये का एक संशोधित आंकलन सीएमओ, गाजियाबाद के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 1999) संशोधित आंकलन का अनुमोदन प्रतीक्षित था (सितम्बर 2002)। कार्य जुलाई 1997 में आरम्भ किया गया और निधि के अभाव में रोक

दिया गया (मार्च 2002) परन्तु तब तक आंशिक रूप से निर्मित सीएचसी पर 0.69 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका था। 0.69 करोड़ रुपये के प्रथम क्रमिक बिल में 38.61 लाख रुपये की मिट्टी की भराई सम्मिलित थी जिसकी संशोधित योजना को ग्राहक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया (अक्टूबर 2002)। अतः 6.18 लाख रुपये की मूल प्राक्कलित लागत के विरुद्ध, ग्राहक के अनुमोदन तथा अतिरिक्त निधि की नियुक्ति के बिना 38.61 लाख रुपये की मिट्टी की भराई के परिणामस्वरूप 32.43 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि संशोधित आंकलन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है (अक्टूबर 2001)।

2द.2.4.4 अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने आंकलन में सम्मिलित न किये गये कार्यों पर 22.16 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

पीसीएल की गोण्डा इकाई को 3.14 करोड़ रुपये की आंकलित लागत पर निक्षेप कार्य के रूप में तरबगंज, गोण्डा का साइफन और एक्वाडक्ट के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया (मार्च 1998)। एमओयू में अन्मायों सहित स्पष्ट किया गया था कि कुल वास्तविक लागत, श्रम और सामग्री की अद्यतन दरों पर वास्तविक रूप से निष्पादित और आगणित कार्य के अनुसार संशोधित आंकलित लागत से अधिक नहीं होना चाहिये था। यदि वास्तविक लागत, संशोधित आंकलित लागत से अधिक हो जाए, अतिरिक्त व्यय को पीसीएल को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना होगा। कार्य का आरम्भ नवम्बर 1999 में और समापन मार्च 2001 में किया गया। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया कि इकाई ने बिलों का प्रस्तुतीकरण, संशोधित आंकलित दरों से बहुत अधिक दरों पर किया और कार्य अतिरिक्त मदों का अनुमोदन ग्राहक द्वारा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, कार्यों के निष्पादन पर 22.16 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि पीसीएल और आईडी के मध्य मदों और दरों से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं था। अन्तिम बिल अप्रैल 2001 में प्रस्तुत किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पीसीएल द्वारा निष्पादित कार्य के अतिरिक्त मदों का अनुमोदन, एमओयू की शर्तों के अनुसार संशोधित आंकलन में नहीं किया गया था (अक्टूबर 2002)।

इसी प्रकार, अपर राजघाट कैनल के रवेदार एक्वाडक्ट के शेष कार्य निर्माण (कार्यारम्भ नवम्बर 1999 में तथा समापन मार्च 2001 में) हेतु 26.01 लाख रुपये की कुल आंकलित लागत (3.33 लाख रुपये के सेन्टेज सहित) के विरुद्ध, ललितपुर इकाई द्वारा 45.33 लाख रुपये की राशि का अन्तिम बिल प्रस्तुत किया गया जिसके परिणामस्वरूप आंकलित लागत से 19.22 लाख रुपये अधिक का व्यय हुआ। अतिरिक्त व्यय का मुख्य कारण, कार्य के अतिरिक्त मदों और अतिरिक्त मात्रा का निष्पादन था जिसके लिए ग्राहक से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया था (अक्टूबर 2002)।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि 45.23 लाख रुपये में से 41.06 लाख रुपये प्राप्त हो गये थे। 19.22 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिये इसने कोई टिप्पणी नहीं प्रस्तुत की।

उपरोक्त से यह प्रत्यक्ष है कि आईडी ने निष्पादित किये गये अतिरिक्त मदों का उचित अनुमोदन किये बिना तदर्थ आधार पर अग्रिम भुगतान की निर्मुक्ति की थी।

2द.3 सामग्री की अधिप्राप्ति

पीसीएल ने किसी क़य नियमावली की रचना नहीं की थी। तथापि, इसने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की नियमावली में निर्धारित, सामग्री की अधिप्राप्ति की कार्यविधि का अनुसरण किया था। नियमावली के अनुसार, निर्माण सामग्रियों की अधिप्राप्ति, क़य प्रणाली के अनुसरण के पश्चात सम्बन्धित इकाई प्रभारियों की अध्यक्षता के अन्तर्गत इकाई स्तर पर गठित क़य समिति द्वारा निश्चित की हुई दरों पर सीधे बाज़ार से की जाती है।

सामग्री की अधिप्राप्ति में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

2द.3.1 सीमेन्ट के क़य पर परिहार्य व्यय

एक सिस्टर कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई निर्माता की तय की गई दरों की तुलना में, कम्पनी ने उच्चतर दरों पर सीमेन्ट की अधिप्राप्ति पर 18.18 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया

पीसीएल ने अपनी गतिविधियों को, विशालकाय द्रवचलित संरचनाओं जैसे नाली, कास चैनेल्स, अकुआ डक्ट, नहरों के कंक्रीट लाइनिंग के कार्य, गाद निष्कर्षक आदि जिनमें सीमेन्ट का उपभोग बहुतायत में होता है, के निर्माण तक फैला रखा था। सामान्यतः, सीमेन्ट और स्पात की आपूर्ति आईडी द्वारा की जाती थी परन्तु अलीगढ़ और सहारनपुर इकाइयों द्वारा किये गये कार्यों में सीमेन्ट की आपूर्ति आईडी द्वारा नहीं की गई और सम्बन्धित इकाइयों ने सीमेन्ट की अधिप्राप्ति, निर्माता की व्यापक पैमाने पर खरीद की दरों की तुलना में अत्यन्त उच्च दरों पर अधिकृत डीलरों से की। इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसी) ने निर्माता के साथ अनुबन्ध दरें निश्चित की और सीमेन्ट की अधिप्राप्ति में हुये व्यय को कम किया। यदि, इसी पद्धति का अनुसरण किया जाता तो पीसीएल, अप्रैल 2001 से मार्च 2002 के दौरान 5050 मीटन सीमेन्ट की अधिप्राप्ति पर (अलीगढ़: 355⁷⁶ रुपये प्रति मीटन की दर से 2375 मीटन तथा सहारनपुर: 364.60⁷⁷ रुपये प्रति मीटन की दर से 2675 मीटन) 18.18 लाख रुपये की बचत कर सकती थी (सम्बन्धित स्थानों हेतु लागू यूपीएसबीसी की अनुबन्ध दरों के अनुसार अन्तर-मूल्य)।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि यूपीएसबीसी की दरों की तुलना पीसीएल की अलीगढ़ और सहारनपुर इकाइयों से नहीं की जा सकती। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पीसीएल ने निर्माता से सीमेन्ट की एकीकृत अधिप्राप्ति में मितव्ययिता का मूल्यांकन नहीं किया जैसा यूपीएसबीसी द्वारा किया गया था।

⁷⁶ 2580 रुपये घटाया 2225 रुपये (एफओआर कार्यस्थल)

⁷⁷ 3076.20 रुपये घटाया 2711.60 रुपये (एफओआर कार्यस्थल)

2द.3.2 सामग्रियों के परिवहन पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने उच्च दरों पर सामग्री के परिवहन में 29.14 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया

गोण्डा और ललितपुर इकाइयों, 2000-01 और 2001-02 के दौरान एक साथ डीआरडीए और आईडी के कार्यों का निष्पादन करती रही थी। इकाई प्रभारियों ने डीआरडीए की सस्ती दरों की तुलना में (लोनिवि की दर-सूची के आधार पर) आईडी के कार्यों हेतु परिवहन प्रभारों (आईडी की दर-सूची के आधार पर) की उच्च दरें प्रदान कीं। इसके परिणामस्वरूप 29.14 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा परिशिष्ट-29 में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि आईडी के कार्यों में सम्पर्क मार्ग न होने के कारण उसे लोनिवि की दरों पर निष्पादित नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक ही इकाई ने तुलनात्मक कार्यों हेतु दोनों अनुबन्धों (डीआरडीए और आईडी) को साथ-साथ ही प्रदान किया था। समान कार्यस्थलों हेतु उच्च दरों पर परिवहन प्रभारों का भुगतान किये जाने में विवेक की कमी प्रदर्शित होती थी।

2द.4 भण्डार नियन्त्रण

पाँच वर्षों के दौरान पीसीएल के पास 2 से 9 माहों के उपभोग के समतुल्य भण्डार था और इसने रख-रखाव पर 1.07 करोड़ रुपये से 1.16 करोड़ रुपये के मध्य आरेखित व्यय किया जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

वर्ष	अन्तिम भण्डार कार्यस्थल की सामग्री सहित (करोड़ रुपये में)	उपभोग वर्ष के दौरान (करोड़ रुपये में)	अन्तिम भण्डार माह के उपभोग के संदर्भ में	भण्डार ⁸ रख-रखाव मूल्य (करोड़ रुपये में)
1996-97	7.10	9.64	9	
1997-98	7.15	10.28	8	1.07
1998-99	7.36	13.40	7	1.09
1999-00	7.51	34.52	3	1.12
2000-01	7.99	54.44	2	1.16

भण्डार नियंत्रण तन्त्र, मद और आयु-वार विश्लेषण जैसी कमियों से पीड़ित था

भण्डार नियंत्रण तन्त्र में कमियाँ थीं जैसे निस्तारण अथवा उचित उपयोग हेतु ध्यान दिये जाने की आवश्यकता वाले मदों का निर्धारण करने के लिए मद-वार और आयु-वार विश्लेषण का अभाव था। अतः, भण्डार से सम्बन्धित उचित अभिलेखों के अभाव जिसे प्रबन्धन द्वारा अपने उत्तर में भी पुष्ट किया गया, प्रतिकूल प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल की सामग्री (एमएएस) के भौतिक सत्यापन का नितांत अभाव था। अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान वर्ष 2000-01 में बस्ती इकाई में 1 करोड़ रुपये की राशि के भण्डार को बस्ती यूनिट के एमएएस खाते के रूप में प्रदर्शित न कर उपभोग किया हुआ दर्शाया गया था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि मदों के आयु-वार विश्लेषण करने और वर्ष के अन्त पर कार्य स्थल की सामग्री का भौतिक सत्यापन करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

2द.4.1 अनुपयोजित भण्डार सामग्रियों पर निधि की अवरुद्धता

भौतिक सत्यापन की पद्धति के अभाव में 49 लाख रुपये की भण्डार सामग्री 18 से अधिक वर्षों तक अवरुद्ध पड़ी थी

पीसीएल ने फैजाबाद खण्ड में, गण्डक नहर परियोजना हेतु 1983-84 के दौरान अधिप्राप्त किये गये 0.64 करोड़ रुपये की सामग्रियों (49 लाख रुपये मूल्य के 125 संख्या में 30 बीएचपी क्षमता के पम्प सेटों सहित) को प्रतिधारित किया। इन सामग्रियों को न तो आईडी को वापस किया गया और न ही अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोजित किया गया जिससे उस सीमा तक सरकारी निधि अवरुद्ध रही। 18 वर्ष से अधिक बीत जाने के साथ ही भण्डार में पड़े पम्प सेटों का प्रयोग संदिग्ध था। तथापि, भौतिक सत्यापन की किसी पद्धति के अभाव में उपरोक्त भण्डार मदों की स्थिति का विनिश्चयन लेखा परीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में, इन सामग्रियों के निष्कारण हेतु जून 2002 में एक समिति गठित की गई थी। जिसकी संस्तुतियाँ अब तक प्रतीक्षित थीं।

2द.4.2 भण्डार से गायब भण्डार सामग्रियाँ

पीसीएल ने 1988-89 से 1993-94 के दौरान इण्डो-डच योजना के अन्तर्गत 38.10 करोड़ रुपये की लागत पर 462 नलकूपों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया। पीसीएल द्वारा आईडी के सम्मुख दायर किये गये 2.69 करोड़ रुपये के अन्तिम दावे के विरुद्ध, उपरोक्त दावे की समीक्षा करने के लिये गठित एक समिति ने निम्न कारणों से मात्र 0.83 करोड़ रुपये के शुद्ध भुगतान की संस्तुति दी (मार्च 1997):

- (i) भण्डार-अभिलेखों से गायब आईडी की सामग्री के कारण 0.74 करोड़ रुपये की कटौती।
- (ii) 1.12 करोड़ रुपये के शेष दावे की अस्वीकृति अग्रतर कारणों से (क) सामग्री के उपभोग का अन्तर: 0.78 करोड़ रुपये, (ख) वेधन परित्याग पर अतिरिक्त व्यय: 0.18 करोड़ रुपये एवं (ग) संयोजक नालियों के सुधार पर अतिरिक्त दावा: 0.16 करोड़ रुपये।

इसके अतिरिक्त, बकाया दावों पर 0.83 करोड़ रुपये के विरुद्ध, सितम्बर 1999 में केवल 0.55 करोड़ रुपये की वसूली ही की जा सकी। शेष धनराशि की वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि भण्डार का मिलान किया गया था जिसका सत्यापन किया जा सकता है। पुनः, बकाया दावों की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पीसीएल, मिलान के विवरण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करने में असफल रहा (अक्टूबर 2002)।

2द.5 विविध देनदार एवं वसूली योग्य अग्रिम

देनदारों से वसूली योग्य धनराशि 1996-97 के 2.60 करोड़ रुपये से बढ़कर अक्टूबर 2002 में 4.67 करोड़ रुपये हो गई थी। इसी प्रकार, वसूली योग्य अग्रिम 1996-97 के 0.57 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000-01 में 1.32 करोड़ रुपये हो गई। पीसीएल ने वसूली योग्य धनराशि के लाइलाज प्रकरणों को सबल अनुसरण हेतु चिन्हित करने के लिये उनके आयु-वार विवरण नहीं तैयार किये।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि अग्रिमों की वसूली की कार्यवाही अक्टूबर 2002 तक प्रगति में थी।

कुछ प्रकरणों में, जैसा लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया निम्न बिन्दु प्रगट हुये:

(i) लखनऊ विश्वविद्यालय के सिविल कार्य

यह देखा गया कि इकाई-I, लखनऊ ने मार्च 1995 से फरवरी 1996 के दौरान सीपीएमटी भवन (भूमि तल और प्रथम तल) तथा लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) के कैलाश महिला छात्रावास भवन का कार्य पूर्ण किया उपरोक्त कार्यों के अन्तिम बिल मई 1995 से मार्च 1996 के दौरान एलयू प्राधिकारियों को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये। प्रस्तुत किये गये बिलों में से, 31.94 लाख रुपये की राशि को मुख्यतः कैलाश छात्रावास के प्रखण्ड-II में कार्यों के अतिरिक्त मदों के निष्पादन, अन्य भवनों में कार्य मदों की अतिरिक्त मात्राये तथा अमान्य मूल्य-वृद्धि के प्रस्तुतीकरण जिन्हें एलयू प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित/सत्यापित नहीं किया गया, के कारण रोक लिया गया था।

छः वर्षों से ग्राहक का अनुमोदन प्राप्त न कर पाने के कारण 31.94 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई

अतः, छः वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी एलयू प्राधिकारियों से सिविल कार्यों के अतिरिक्त मद एवं अन्य दावों का अनुमोदन प्राप्त करने में इकाई की असफलता के परिणामस्वरूप 31.94 लाख रुपये की राशि के दावों की वसूली नहीं हुई।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि मेजरमेंट बुक्स (एमबी) और बिलों में उल्लेख किये गये कार्यों की मात्रा के मध्य कुछ अन्तर थे और कुछ मूल्य वृद्धि थी जिन्हें ग्राहक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और बिलों की जाँच/संशोधन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(ii) एसजीपीजीआई, लखनऊ में नलकूपों का निर्माण

इसी प्रकार, पीसीएल ने अपनी लखनऊ इकाई-I के माध्यम से भी मई 1993 से दिसम्बर 1995 के दौरान 1.03 करोड़ रुपये की लागत पर जल आपूर्ति प्रणाली के आवर्धन तथा एक 1000 लीटर क्षमता की 25 मीटर अवस्थान की शिरोपरि टंकी (ओएचटी) के निर्माण कार्य का निष्पादन किया। बिलों का प्रस्तुतीकरण दिसम्बर/जनवरी 1996 के दौरान किया गया। तथापि, ग्राहक ने अतिरिक्त के बिलों के बिछाये जाने, इस्पात और सीमेन्ट के मूल्य-अन्तर, गाद की सफाई के अमान्य दावे तथा सुरक्षा कर्मियों, जीप एवं अन्य सम्बन्धित व्ययों आदि पर अतिरिक्त व्यय के कारण जिनका अनुमोदन अभी तक नहीं किया गया था (अक्टूबर 2002) बिलों से 14.31 लाख रुपये की कटौती कर ली।

अतः लम्बित दावे का अनुसरण न किये जाने के कारण वसूली की सम्भावनायें क्षीण हो गई हैं और जिसके लिये हानि के उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई उत्तरदायित्व अभी तक (अक्टूबर 2002) निर्धारित नहीं किया गया था। शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि बिल में कुछ त्रुटियाँ थीं और निगम स्तर पर, अभिलेखों की जांच के पश्चात् बिलों में संशोधन करने के लिये एक समिति का गठन किया जा चुका था।

(iii) पीएचईडी, राजस्थान में नलकूपों का निर्माण

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने जून 1993 में पीसीएल की इटावा इकाई को 170 नलकूपों के निर्माण का काम सौंपा जिनका निर्माण 1995-96 से 1998-99 के दौरान 3.68 करोड़ रुपये के व्यय पर किया गया जिसके विरुद्ध पीएचईडी, राजस्थान से अब तक (अक्टूबर 2002) केवल 3.41 करोड़ रुपये की राशि के प्रतिपूर्ति दावों की वसूली हुई थी और 27.11 लाख रुपये का बकाया शेष था।

बकाया दावों के एक विश्लेषण ने प्रगट किया कि 27.11 लाख रुपये के बकाया दावों में 20.70 लाख की लागत पर निर्मित किये गये 12 नलकूपों के दावे सम्मिलित थे जिसका ग्राहक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था। 6.41 लाख रुपये की शेष धनराशि नौ नलकूपों से सम्बन्धित थी जिनकी कटौती बिलों से कर ली गई थी और जिनके कारण अभिलेखों पर नहीं थे।

प्रबन्धन द्वारा हानि/लम्बे समय से बकाया दावों की वसूली न किये जाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रगति में है।

2द.6 न्यायालय प्रकरण

पीसीएल ने कोई अभियोग पत्र दिये बिना अपने कम्पनी सचिव की सेवाओं को समाप्त कर दिया (नवम्बर 1995)। तथापि, उच्च न्यायालय ने सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगा दी (अक्टूबर 1996) और कार्य सहित अथवा बिना कार्य के वेतन दिये जाने के निर्देश दिये। पीसीएल ने नवम्बर 1996 से अक्टूबर 2002 तक बिना कोई कार्य सौपे 10.53 लाख रुपये का भुगतान किया।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि कम्पनी सचिव की निष्ठा और विश्वसनीयता चिन्तनीय रूप से संदिग्ध थी जैसा कि उसकी वार्षिक गोपनीय आख्या में कई वर्षों से प्रदर्शित किया जा रहा था। उन्हें इनका संप्रेषण किये जाने के बावजूद, उन्होंने न ही प्रत्युत्तर दिया और न ही अपनी कार्यविधि में सुधार किया। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना अभियोग पत्र आदि दिये जाने की सेवाओं की समाप्ति करने में पीसीएल की कार्यवाही पर उत्तर मौन है, जो अन्ततः सेवा समाप्ति आदेश पर रोक लगाये जाने में परिणामित हुई। न्यायालय की कार्यवाहियों का अपर्याप्त अनुसरण किया गया और प्रथम सुनवाई भी नहीं हो सकी (अक्टूबर 2002)।

2द.7 आन्तरिक लेखा परीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, 25 लाख रुपये एवं उससे अधिक की प्रदत्त पूँजी वाली कम्पनी को एक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली रखना अपेक्षित होती है। निदेशक मण्डल ने आन्तरिक लेखापरीक्षा खण्ड हेतु लेखापरीक्षा अधिकारी के एक पद तथा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक की स्वीकृति प्रदान की (1987)। तथापि, कोई भर्ती नहीं की गई और आन्तरिक लेखा परीक्षा का प्रभार उसे निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाते हुये जुलाई 1992 से एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में एक लेखाकार को (संप्रति लेखापरीक्षा अधिकारी) दे दिया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की कमी पर टिप्पणियाँ की (1996-99) और इसके सुधार की आवश्यकता की पुनरोक्ति की (1999-2000)।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि पीसीएल ने काम को 2001-02 से शासपत्रित लेखाकारों की फर्मों को सौपे जाने का निर्णय लिया है (अक्टूबर 2002)।

निष्कर्ष

कम्पनी स्थिर उपरिव्ययों का पूर्ण रूप से शमन करने के लिये पर्याप्त अंशदान के बिना कार्यों का निष्पादन कर रही थी। कोपू की इस संस्तुति के बावजूद कि नलकूपों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य का निष्पादन केवल पीसीएल के माध्यम से किया जाना चाहिये, अपने उपरिव्ययों का वहन करने के लिये पर्याप्त कार्यदेशों को

सुनिश्चित नहीं कर सकी। इसने उपरिव्ययों की वसूली सुनिश्चित किये बिना विभिन्न निर्माण गतिविधियों के जोखिम भरे कार्य लेती रही।

कार्य सम्पादन में सुधार लाने के लिये प्रबन्धन को (i) नियत उपरिव्ययों में कमी लाने, (ii) पर्याप्त कास्ट प्लस कार्यों को प्राप्त करने तथा (iii) स्रोतों के उपयोग में मितव्ययिता लाने के लिये समन्वित प्रयास करने के की आवश्यकता है।

अध्याय-III

3. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक विषय

3अ. सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड

3अ.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को अति-भुगतान

कम्पनी ने, वीआरएस के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभों का आगणन करते समय अन्तरिम राहत एवं नगर प्रतिकर भत्ते को गलत रूप से सम्मिलित करके 36.24 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निगमों के कर्मचारियों हेतु एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू की (जून 1993)। सेवा निवृत्ति के सामान्य लाभों के अतिरिक्त वीआरएस में यह भी प्रावधान था कि प्रतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिये डेढ़ माह की परिलब्धि (मूल वेतन+महँगाई भत्ता) की दर से एक अनुग्रह राशि का भुगतान भी परिकल्पित था। पुनः, राज्य सरकार ने जनवरी 1994, सितम्बर 1995 एवं अक्टूबर 1996 में अन्तरिम राहत (आईआर) की स्वीकृति देते समय निर्देश दिया कि सेवा निवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं पेंशन आदि के आगणन में आईआर की राशि को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार ने वस्तु स्थिति को पुनः स्पष्ट करते हुये कहा (जून 1999) कि सेवानिवृत्ति लाभ में आईआर की राशि को नहीं जोड़ना है।

कम्पनी ने सितम्बर 1998 और मई 2001 के मध्य 487 कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति अनुमत/स्वीकार की। कर्मचारियों को किये गये भुगतानों की संवीक्षा में यह पाया गया कि:

- जून 1999 तक किये गये अनुग्रह राशि के भुगतान में आईआर को सम्मिलित किया गया जिससे 26.22 लाख रुपये का अति-भुगतान हुआ;
- आगे भी आईआर को मई 2001 तक नोटिस वेतन के भुगतान में सम्मिलित किया जाना जारी रहा जिससे 5.82 लाख रुपये का अति-भुगतान हुआ;
- अनुग्रह राशि और नोटिस वेतन के भुगतान हेतु भी नगर प्रतिकर भत्ते (सीसीए) को गलत रूप से सम्मिलित करना (मई 2001 तक) जारी रखा जिससे 4.20 लाख रुपये का अति-भुगतान हुआ।

इस प्रकार, कम्पनी ने वीआरएस के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त अपने कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के लाभ की राशि का आगणन करते समय आईआर एवं सीसीए को गलत रूप से सम्मिलित करके 36.24 लाख रुपये का अति-भुगतान किया।

शासन ने बताया (जून 2002) कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के निर्देशों (जून 1999) के पश्चात्, वीआरएस के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को प्रतिपूर्ति के भुगतान में आईआर के तत्व को सम्मिलित नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आईआर की स्वीकृति सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेशों में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के आगणन हेतु आईआर को विशेष रूप से सम्मिलित न करने का आदेश दिया गया था।

कम्पनी ने चूक के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व नियत करने हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। सीसीए को सम्मिलित किये जाने के कारण हुये 4.20 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान के विरुद्ध कम्पनी ने सितम्बर 2002 तक 2.54 लाख रुपये की वसूली कर ली थी तथा 1.66 लाख रुपये की शेष वसूली प्रगति में थी।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

3अ.2 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को अति-भुगतान

कम्पनी ने वीआरएस के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभों के आगणन के समय अन्तरिम राहत एवं अनाहर्त सेवा को गलत रूप से सम्मिलित करके 11.58 लाख रुपये का अति-भुगतान किया।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निगमों के कर्मचारियों हेतु एक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू की (जून 1993)। राज्य सरकार ने जनवरी 1994, सितम्बर 1995 एवं अक्टूबर 1996 में अन्तरिम राह (आईआर) की स्वीकृति देते समय निर्देश दिया था कि सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं पेंशन आदि के आगणन में आईआर की राशि को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।

कम्पनी ने फरवरी 2000 से अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति अनुमत/स्वीकार की। 136 कर्मचारियों को किये गये भुगतान की संवीक्षा में यह देखा गया कि ग्रेच्युटी (7.49 लाख रुपये) और नोटिस वेतन (2.15 लाख रुपये) के आगणन और भुगतान में आईआर के तत्व को सम्मिलित किया गया था जो सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुमन्य नहीं था और इसलिये 9.64 लाख रुपये का अति-भुगतान हुआ। पुनः, अर्हता सेवा के गलत रूप से अधिक निर्धारण (अर्हता सेवा में प्रशिक्षु काल की अवधि एवं मृत दिवसों को सम्मिलित करके) एवं उस पर सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के कारण 7 कर्मचारियों को 1.94 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

इस प्रकार, कम्पनी ने वीआरएस के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और नोटिस वेतन की राशि का आगणन करते समय आईआर और अनाहर्त सेवा को गलत रूप से सम्मिलित करके 11.58 लाख रुपये का अति-भुगतान किया।

उत्तर में प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जून 2002) कि कर्मचारियों को अति-भुगतान किया गया था और बताया कि अति-भुगतान की वसूली कर्मचारियों के लम्बित दावों से की जाएगी। तथापि, कम्पनी के पास पड़े प्रत्येक कर्मचारी के लम्बित दावों का विवरण, उन्हें किये गये अति-भुगतान के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (मई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

3अ.3 इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज संस्थापित न किये जाने के कारण राजस्व की हानि

आगरा के भण्डार परिसर में सेल के भण्डार को संचालित करने हेतु इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज संस्थापित न किये जाने से, कम्पनी को 27.62 लाख रुपये की हानि हुई।

कम्पनी, आगरा में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के भण्डार को उत्पादक के पारेषण अभिकर्ता के रूप में संचालित कर रही है। सामग्री के संचालन के बदले, कम्पनी सेल के साथ किये गये अनुबंध में उल्लेखित दरों पर पारिश्रमिक की अधिकारी होती है। सेल के साथ निष्पादित अन्तिम अनुबंध 30.06.1998 को समाप्त हो गया था।

कम्पनी ने, भण्डार परिसर में एक इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज की संस्थापना द्वारा आधुनिक सुविधा में बढ़ोत्तरी किये जाने के आधार पर जून 2001 तक के अगले तीन वर्षों हेतु अनुबंध के विस्तार का आग्रह किया (जून 1998)। तदनुसार, सेल ने कम्पनी को जुलाई 1998 में तीन वर्षों की अवधि के लिये दरों में वृद्धि (पिग आइरन हेतु 80 रुपये प्रति मीटन से 85 रुपये प्रति मीटन व इस्पात हेतु 150 रुपये प्रति मीटन से 175 रुपये प्रति मीटन) इस शर्त के साथ अनुमत की कि इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज को शीघ्रातिशीघ्र संस्थापित किया जाना चाहिये। सेल ने अनुबंध को पुनः जून 2006 तक बढ़ा दिया (अगस्त 2002)।

यद्यपि, 60 मीटन के इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज की संस्थापना का प्रस्ताव सेल द्वारा जून 1998 में अनुमोदित कर दिया गया था, तथापि कम्पनी ने जुलाई 1998 से फरवरी 1999 (8 माह) तक वे ब्रिज की संस्थापना हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये सेल ने, जो इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज की संस्थापना की प्रत्याशा में फरवरी 1999 तक बढ़ी हुई दरों को अनुमत कर चुका था, मार्च 1999 से न केवल संशोधन-पूर्व की

दरों पर भुगतान किया, अपितु जुलाई 1998 और फरवरी 1999 के मध्य पहले ही भुगतान की जा चुकी अन्तर दरों (5.91 लाख रुपये) की वसूली भी कर ली जिससे जून 2001 तक 27.62 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

कम्पनी ने ऐसी राजस्व हानि से बचने के लिये इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज की संस्थापना में 15 लाख रुपये के निवेश के कास्ट बेनिफिट का मूल्यांकन नहीं किया।

शासन ने बताया (जुलाई 2002) कि वित्तीय संकट के कारण, इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज पर पूंजीगत निवेश को उचित नहीं समझा गया, विशेषकर जब सेल के पारेषण अभिकरण की निरन्तरता एक अनिश्चित मुद्दा था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज की संस्थापना अनुबंध की शर्त थी और सेल ने केवल उसी शर्त पर अनुबंध को जून 2006 तक पुनः नवीकृत कर दिया था। अतएव, अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में असफलता से 27.62 लाख रुपये की राशि के राजस्व की हानि हुई।

3अ.4 ठेकेदार से कमियों की वसूली न किये जाने के कारण हानि

कम्पनी, संचालन ठेकेदार से वसूली की जाने वाली 10.70 लाख रुपये के भण्डार की कमियों की वसूली नहीं कर सकी।

कम्पनी, आगरा में सेल के प्रबन्ध अधिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है और उनकी ओर से विक्रय डिपो का संचालन करती रही है। सेल के साथ हुये अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कम्पनी द्वारा संचालित डिपो में इस्पात और पिग आइरन की कमियाँ कम्पनी से वसूली योग्य होती हैं।

कम्पनी द्वारा इस्पात एवं पिग आइरन के संचालन का कार्य (वैगन से उतारना, विक्रय डिपो तक परिवहन करना एवं उपभोक्ता तक वितरण हेतु अपेक्षित संचालन) 1994-95 में प्रणय सेल्स, कानपुर को प्रदान किया गया था एवं अनुबंध को समय-समय पर नवीकृत किया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार संचालन ठेकेदार सेल द्वारा वसूल कर ली गई कमियों के लिये उत्तरदायी था। लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (सितम्बर 2001) कि सेल, अप्रैल 1999 तक समय-समय पर पिग आइरन में हुई कमियों के कारण 25.96 लाख रुपये की वसूली कर चुका था। तथापि, कम्पनी ने संचालन ठेकेदार से इन कमियों की वसूली नवम्बर 1998 से किशतों में करनी आरम्भ कर दी और दिसम्बर 2000 तक की अनुबंध अवधि तक (10.70 लाख रुपये की वसूल न की गई कमियों को छोड़ते हुये) मात्र 15.26 लाख रुपये ही वसूल कर सकी। इन वसूली योग्य भारी बकायों के विरुद्ध, कम्पनी के पास पड़े ठेकेदार के लम्बित बिल मात्र 0.03 लाख रुपये की राशि के थे। परिणामस्वरूप, सेल द्वारा वसूली की गई पिग आइरन की 10.67 लाख रुपये की सीमा तक की कमियाँ संचालन ठेकेदार से बिना वसूली के पड़ी थीं।

कम्पनी ने ठेकेदार से वसूली के लिये न तो कोई कार्यवाही किये जाने पर विचार किया और न ही दोषी कर्मचारियों से वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ की।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (जून 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

3अ.5 ब्याज की परिहार्य हानि

कम्पनी ने बीआईएफआर के निर्देशों के उल्लंघन में आधिक्य निधि (सरप्लस फण्ड) को उच्च दरों के ब्याज वाले बाण्डों के पुनर्भुगतान के स्थान पर निम्न दरों के ब्याज वाले अल्पावधि जमा खाते में जमा करके 21.05 लाख रुपये की हानि उठाई।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1999-2000 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 4अ.2 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। उस प्रस्तर में लेखा परीक्षा ने पाया था कि कम्पनी द्वारा अपनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु 14.9 प्रतिशत के बाण्डों के निजी रूप से जारी करने से उगाहे गये 35.00 करोड़ रुपये में से 26.15 करोड़ रुपये को निम्न ब्याज दरों वाले सावधि जमा में निवेशित करके हानि उठाई थी क्योंकि उनकी मिलों के आधुनिकीकरण की योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

तत्पश्चात्, राज्य सरकार को दिये गये बीआईएफआर के निर्देशों (मई 2000) के आधार पर राज्य सरकार ने कम्पनी को, उसके पास पड़ी शेष धनराशि को निवेशकों को तत्काल वापस करने के निर्देश दिये (जुलाई 2000)। तथापि, कम्पनी ने निवेशकों को 12.43 करोड़ रुपये के अधिशेष को छोड़ते हुये, जिसे उसके द्वारा मिलों के नकद-उधार (कैश-क्रेडिट) के पुनर्भुगतान (8.85 करोड़ रुपये) तथा बाण्डों पर देय ब्याज के भुगतान (3.58 करोड़ रुपये) में उपयोग कर लिया गया था, केवल 22.57 करोड़ रुपये ही वापस किये (अगस्त 2000)।

बीआईएफआर/सरकार के निर्णय के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बैंकों से प्राप्त किये गये बकाया नकद-उधार का परिशोधन करने के पश्चात् कम्पनी की एकमात्र जौनपुर की कार्यरत इकाई के 2.54 करोड़ रुपये की आधिक्य निधि उपलब्ध थी। कम्पनी ने इस आधिक्य निधि को 14.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर वाले बाण्डों के पुनर्भुगतान में उपयोग करने के स्थान पर अपनी जौनपुर इकाई को 2.54 करोड़ रुपये बैंक में 8 से 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक आरेखित ब्याज दर वाले सावधि जमा खाते में निवेश करने दिया (जुलाई 2000 से मार्च 2002)। अतः, कम्पनी ने मार्च 2002 तक 21.05 लाख रुपये के ब्याज की हानि भी उठाई।

प्रबन्धन ने बताया (मई 2002) कि आधिक्य निधि से जौनपुर इकाई की कार्यरत पूँजी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये रोक लिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पुनर्वास योजना के अभिकथन में नकद लाभों की दृष्टि से किसी कार्यरत पूँजी की आवश्यकता प्रकल्पित नहीं थी। आधिक्य निधि का निवेश, उच्च लागत के बाण्डों से छुटकारा पाने के स्थान पर निम्न ब्याज दर पर किये जाने के परिणामस्वरूप 21.05 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (मई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड

3अ.6 सेवा कर के जमा करने में विलम्ब के कारण परिहार्य हानि

कम्पनी को अतिदेय सेवा कर पर ब्याज के रूप में 10.03 लाख रुपये की हानि हुई ।

वित्त (संख्या-2) अधिनियम 1998 ने सेवा कर के आरोपण की परिधि को 16.10.1998 से 12 अन्य सेवाओं तक बढ़ा दिया जिसमें अन्यान्यों सहित सुरक्षा अभिकरण भी सम्मिलित थे। सेवा कर नियमावली 1994 के खण्ड 6(1) के प्रावधानों के अनुसार, सेवा कर को केन्द्र सरकार के खाते में पारिश्रमिक की वसूली के बाद वाले माह की 25 तारीख तक जमा किया जाना था। नियमावली के खण्ड 75 में पुनः प्रकल्पित है कि यदि कोई व्यक्ति सेवा कर या उसके अंश को निर्दिष्ट अवधि में जमा करने में असफल होता है तो वह विलम्ब के प्रत्येक माह (अथवा उसके अंश) के लिये 1.5 प्रतिशत के साधारण ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी हो जाएगा।

लेखा परीक्षा संज्ञान में आया (अप्रैल 2002) कि कम्पनी ने, जो केन्द्र और राज्य सरकार की स्वायत्त संस्थाओं को सुरक्षा सेवा प्रदान करती है, अक्टूबर 1998 से अगस्त 1999 तक देय कर को 13 माह तक के विलम्ब से जमा किया। यद्यपि, अधिनियम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सेवा कर से किसी भी छूट का प्रावधान नहीं था, कम्पनी ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग से स्पष्टीकरण का आग्रह करते हुये (नवम्बर 1998) अपने भुगतान को लम्बित रखा। चूंकि, अधिनियम के अन्तर्गत पीएसयू को कोई छूट अनुमन्य नहीं थी, विभाग द्वारा स्थिति की पुनरोक्ति की गई (अप्रैल 1999) जिसके पश्चात कम्पनी ने दिसम्बर 1999 और फरवरी 2000 के मध्य, ब्याज के रूप में 10.03 लाख रुपये जमा किये।

अतः, अधिनियम के अन्तर्गत, पीएसयू को किसी छूट के न होने पर भी सेवा कर के भुगतान को लम्बित रखे जाने से 10.03 लाख रुपये के परिहार्य ब्याज का वहन करना पड़ा।

शासन ने स्वीकार किया (अगस्त 2002) कि विधि की उपेक्षा से सेवा कर समय से जमा नहीं किया जा सका। अतएव, लागू होने वाले नियमों के बारे में अधिकारियों की उदासीनता के कारण 10.03 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई। फिर भी, कम्पनी ने हानि के लिये कोई उत्तरदायित्व अब तक (सितम्बर 2002) निर्धारित नहीं किया।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

3अ.7 निधियों का अनियमित निवेश

कम्पनी ने यह सत्यापित किये बिना कि जमा धन का बीमा नहीं किया जा सकता था, 0.55 करोड़ रुपये जमा कर दिये और हानि उठाई।

राज्य सरकार ने अपने पूर्व निर्देशों (दिसम्बर 1992) को संशोधित कर दिया (मई 1994) जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों पर निजी क्षेत्रों के बैंकों अथवा निजी सहकारी बैंकों में खाता खोलने और संचालित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और उन्हें निजी क्षेत्र में संचालित बैंकों सहित सहकारी बैंकों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। तथापि, कम्पनी ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु निजी क्षेत्र के सहकारी बैंकों में निधियों के निवेश हेतु कोई आन्तरिक दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किये।

लेखा परीक्षा में देखा गया (जनवरी 2002) कि लखनऊ सिटी कोआपरेटिव बैंक (सीसीबी) ने कम्पनी को उनके पास एक खाता खोलने हेतु सम्पर्क किया (सितम्बर 1998) और आकर्षक ब्याज दरें प्रस्तुत की तथा बताया कि उनके पास जमा की गई राशि का बीमा, डिपाजिट इन्श्योरेंस ऐण्ड क्रेडिट गारण्टी कार्पोरेशन (डीआईसीजीसी) के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रस्ताव के आधार पर कम्पनी ने अक्टूबर 1998 से मार्च 2001 के दौरान बैंक के फिक्स्ड डिपाजिट रिसीट (एफडीआर) में 0.55 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया। मार्च 2001 से बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई क्योंकि वह जमाकर्ताओं से किये गये वायदों को पूरा करने में असफल रहा। तत्पश्चात, बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट 1949 की धारा 35ए के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सीसीबी पर, आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना अपनी देयता और दायित्वों का निर्वहन करने में किसी भी भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया (मार्च 2001)। कम्पनी ने सीसीबी को एफडीआर पुनर्भुगतान के लिये भेजा जिसे सीसीबी द्वारा आरबीआई के निर्देशों के दृष्टिगत बिना भुगतान के वापस कर दिया गया (अप्रैल 2001)। उसके पश्चात, कम्पनी ने आरबीआई को कम्पनी के पक्ष में प्रतिबंध में ढील दिये जाने के लिये संपर्क किया (जून 2001) ताकि बैंक के पास जमा कल्याण योजनाओं की निधियों को योजना के क्रियान्वयन में उपयोजित किया जा सके। तथापि, आरबीआई ने इस आग्रह को मानने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (अगस्त 2001) क्योंकि बैंक की ऋण चुकाने की स्थिति असंतोषजनक थी। कम्पनी कोई भी धनराशि वसूल नहीं कर सकी क्योंकि

डीआईसीजीसी द्वारा बीमा किया जाना संस्थागत निवेशकों पर लागू नहीं था। इसलिये कम्पनी ने, बिना सत्यापित किये कि बीमा वास्तव में किया ही नहीं जा सकता था, सीसीबी के बीमा प्रस्ताव के अनुसार निवेश करके 0.55 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

शासन ने बताया (सितम्बर 2002) कि बैंक में धन जमा करते समय, बैंक की अविश्वसनीयता का तथ्य संज्ञान में नहीं आया था और इसलिये निधियों का निवेश किया गया। शासन ने पुनः बताया कि कम्पनी ने बैंक अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। शासन का उत्तर कम्पनी में व्यावसायिक पहल की नितान्त कमी को दर्शाता है क्योंकि कम्पनी यह भी नहीं जान पाई कि डीआईसीजीसी द्वारा बीमा किया जाना संस्थागत निवेशकों को सुलभ ही नहीं था।

दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

3अ.8 गैर व्यावसायिक गतिविधि हेतु अनाधिकृत अंशदान

कम्पनी ने विपरीत वित्तीय स्थिति और कम्पनी अधिनियम के प्रतिबंध के बावजूद गैर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु योगदान के रूप में 25.00 लाख रुपये निर्मुक्त कर दिये।

कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निर्बंधित है, मध्यम एवं भारी उद्योगों को वित्त पोषित करने में रत है। कम्पनी अधिनियम की धारा 293(1)(ई) के अन्तर्गत ऐसी कम्पनियों द्वारा, सामान्य बैठक में अंशधारकों के अनुमोदन के बिना 0.50 लाख रुपये से अधिक या पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के योगदान को गैर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

मई 1999 में सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग (एसआईपीडी) ने कम्पनी को, वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रोन्नत (1986) इन्स्टीच्यूट आफ इन्टरप्रिन्योर्स डेवलपमेंट को कम से कम 50 लाख रुपये का योगदान दिये जाने के लिये संपर्क किया जिससे संस्थान वित्तीय रूप से स्वायत्त बनाया जा सके। इस सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि संस्थान के पास पहले से 2.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि थी (राज्य सरकार और आईडीबीआई द्वारा अंशदानित)। संस्थान के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष मुख्य सचिव थे (जो कम्पनी के पदेन अध्यक्ष भी थे) और सचिव, एसआईपीडी के निदेशकों में से एक थे। प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी के अध्यक्ष (संस्थान के भी) को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय (जून 1999) कम्पनी की विपरीत वित्तीय स्थिति और कम्पनी के व्यावसायिकों के प्रशिक्षण स्तर की अनुपयोगिता के आधार पर अंशदान को निर्मुक्त किये जाने का पक्ष नहीं लिया। लघु उद्योगों हेतु प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण भी कम्पनी को, जो मध्यम और भारी उद्योगों को वित्त पोषित करने में रत थी, कोई लाभ प्रदान करने वाला नहीं था। तथापि, अध्यक्ष ने अभिलेखों पर बिना कोई कारण अभिलेखित किये कम्पनी को

संस्थान की कार्पस निधि में 25 लाख रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिये (जुलाई 1999) और तदनुसार धनराशि का उसी माह में भुगतान कर दिया। गैर-व्यावसायिक गतिविधियों के लिये किये गये अंशदान के नियमितीकरण का प्रकरण निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया (अगस्त 1999) जिसने उसे पोस्ट-फैक्टो रूप से अनुमोदित कर दिया। तथापि, सामान्य बैठक में निर्धारित सीमा से अधिक ऐसे व्यय को किये जाने पर अंशधारकों का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया (सितम्बर 2002)।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि भुगतान की निर्मुक्ति, सरकार के निर्देशों के अनुपालन में की गई थी जिसको बहुमत अंशधारक होने के नाते निर्देश देने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त, वह प्रकरण को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान सामान्य वार्षिक बैठक में अंशधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करेगी। वस्तुस्थिति यही रहती है कि कम्पनी ने अपनी निधियों को गैर-व्यावसायिक गतिविधि में उपयोजित किया।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

3अ.9 ब्याज को माफ करने के कारण आय की परिहार्य हानि

आबंटी को भूमि का कब्जा देने में परिहार्य विलम्ब के कारण ब्याज की माफी देने से कम्पनी ने 0.87 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि उठाई।

कम्पनी ने अंसल हाउसिंग ऐण्ड कान्स्ट्रक्शन लिमिटेड (एएचसीएल) को ट्रोनिक् सिटी (नोएडा) में आवास कालोनी विकसित करने हेतु 87.10 एकड़ अविकसित भूमि (मूल्य : 14 करोड़ रुपये) का आबंटन किया (मई 1997) जिससे भूमि की बिक्री आरम्भ की जा सके और परियोजना लागत की तेजी से वसूली की जा सके। आबंटी को आबंटन की तिथि से, समय-समय पर भुगतान न किये गये भूमि के मूल्य पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (किशतों के समय से भुगतान किये जाने पर 2 प्रतिशत की छूट सहित) ब्याज का भुगतान करना होता था। भुगतान की समय-सारणी में, आबंटन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर आरक्षण राशि के रूप में कुल मूल्य के 25 प्रतिशत का भुगतान तथा भूमि के बकाया मूल्य पर ब्याज सहित अवशेष मूल्य 10 समान छमाही किशतों में भुगतान किया जाना प्रकल्पित था। ब्याज सहित अवशेष प्रीमियम धनराशि की पहली किशत जनवरी 1998 में देय थी। भूमि का कब्जा, आरक्षण धनराशि के भुगतान तथा मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग (एमओयू) के निष्पादन के पश्चात तत्काल दिया जाना था।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (जुलाई 2001) कि आबंटी ने आरक्षण धनराशि के रूप में 5 जून 1997 तक 3.50 करोड़ रुपये जमा किये थे और 7 जुलाई 1997 को एमओयू का निष्पादन किया। परन्तु आबंटी को भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका क्योंकि कम्पनी ने नये मानचित्र के अनुसार भूमि का चिन्हांकन/वास्तविक मापन नहीं किया था (सामान्यतः कम्पनी, भूमि का कब्जा

चिन्हांकन और एमओयू/अनुबंध के निष्पादन के पश्चात ही देती है)। आबंटनी के भूमि का कब्जा अन्ततः पुराने मानचित्र के आधार पर 5 माह और 15 दिनों के विलम्ब के पश्चात 19 नवम्बर 1997 को दे दिया गया। आबंटनी ने कब्जा देने में विलम्ब की अनुपाती अवधि के लिये भूमि के बकाया मूल्य (10.50 करोड़ रुपये) पर लगने वाले ब्याज की माफी का दावा किया। प्रकरण की एक प्राथमिक जाँच (अक्टूबर 2000) के दौरान कम्पनी के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक ने माना कि विलम्ब परिहार्य थे और क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी इस चूक के लिये उत्तरदायी थे। निदेशक मण्डल द्वारा समस्त प्रकरण पर विचार किया गया जिसने आबंटनी का दावा स्वीकार किया (मार्च 2001) और आरक्षण धनराशि के भुगतान की तिथि (5 जून 1997) से कब्जा दिये जाने की तिथि (19 नवम्बर 1997) तक के 0.87 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज की माफी का अनुरोध किया।

निदेशक मण्डल ने ब्याज की माफी की आबंटनी की प्रार्थना को स्वीकार करते समय प्रबन्धन को, विलम्ब हेतु उत्तरदायी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये थे। तथापि, प्रकरण में कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि जाँच पूरी नहीं हो पायी थी (अगस्त 2002)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2002) कि भूमि आबंटन किये जाने की स्थिति में नहीं थी और यह कि कम्पनी ने पहले किये गये आबंटन द्वारा कमाई ही की है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्वयं माना था कि विलम्ब परिहार्य थे और विलम्ब के लिये क्षेत्रीय अधिकारी उत्तरदायी थे।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

3अ.10 बकायों का परिहार्य संचयन

ऊर्जा मंत्री के हस्तक्षेप के कारण निर्धारित प्रक्रिया का अनुश्रवण करने में असफल होने से 0.55 करोड़ रुपये के बकाये का परिहार्य संचयन हुआ।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन 1984 के प्रस्तर 19(vi) के प्रावधानों के अनुसार, यदि विद्युत बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि के अन्दर नहीं किया जाता है, विद्युत अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत उपभोक्ता का संयोजन देय तिथि के बाद के सात दिनों के अन्दर विच्छेदित किया जाएगा। नियमन 24 के उप-प्रस्तर ix में अन्यान्यों सहित प्रावधान है कि यदि बकायों के भुगतान के विरुद्ध स्वीकार किया गया चेक अनादृत होता है, आपूर्तिकर्ता को चेक द्वारा भुगतान किये जाने की सुविधा को वापस लेने का अधिकार होगा।

विद्युत शहरीय वितरण खण्ड, हुसैनगंज, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच से संज्ञान में आया (जुलाई 2001) कि 250 केवीए भार वाला कुबेर टाईम्स, लखनऊ जून

1998 से विद्युत देयों का भुगतान करने में दोषी हो गया और सितम्बर 1998 तक 10.23 लाख रुपये की सीमा तक के बकाये एकत्र हो गये। चूँकि उपभोक्ता द्वारा जमा किये गये प्रत्येक 50000 रुपये के चार चेक अनादृत हो गये थे (सितम्बर 1998), एक विच्छेदन नोटिस जारी कर दी गयी (सितम्बर 1998)। उपभोक्ता के प्रतिवाद पर अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) ने प्रत्येक 2.56 लाख रुपये की चार किश्तों में भुगतान किये जाने की अनुमति दे दी (अक्टूबर 1998)। यद्यपि उपभोक्ता, भुगतान करने में असफल रहा, तथापि उपभोक्ता की आपूर्ति 10 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात अगस्त 1999 में विच्छेदित की गई, जब उसके बकाये 28.40 लाख रुपये के हो गये थे। बकाये के चुकता किये जाने को सुनिश्चित किये बिना, उपभोक्ता के संयोजन को माननीय ऊर्जा मंत्री श्री नरेश अग्रवाल के निर्देशों पर बहाल कर दिया गया (अगस्त 1999)। कम्पनी ने फरवरी 2000 में, जब उपभोक्ता के बकाये 34.67 लाख रुपये तक बढ़ चुके थे, आपूर्ति को पुनः विसंयोजित कर दिया। तथापि, पूर्ण भुगतान पर जोर डाले बिना, आपूर्ति को एक बार फिर मार्च/अप्रैल 2000 में क्रमशः 5 लाख रुपये और 2 लाख रुपये के दो चेकों को स्वीकार करके सीएमडी के निर्देश पर बहाल कर दिया गया (मार्च 2000)। खण्डीय अधिकारी ने उपभोक्ता के पहले भी अनादृत हुये चेकों के बावजूद, चेक द्वारा भुगतान किये जाने की सुविधा को वापस लेने के स्थान पर इन चेकों को स्वीकार कर लिया जो पुनः अनादृत हो गये।

सितम्बर 2000 तक उपभोक्ता के विरुद्ध बकाये 49.34 लाख रुपये तक बढ़ गये थे और उपभोक्ता की आपूर्ति को 29 सितम्बर 2000 को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) ऐक्ट, 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत 31 जनवरी 2001 को 0.55 करोड़ रुपये के बकाये (अधिभार सहित) की वसूली हेतु नोटिस जारी की गई परन्तु कोई वसूली अब तक (सितम्बर 2002) नहीं की गई।

इस प्रकार, राज्य के ऊर्जा मंत्री के हस्तक्षेप और आपूर्ति की बहाली करते हुये निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के परिणामस्वरूप 0.55 करोड़ रुपये बकाया हो गये जो बिना वसूली के पड़े थे।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (मई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.11 टावरों के नींव कार्य पर निष्फल व्यय

गंगा बैराज क्षेत्र के अन्दर टावरों के नींव कार्य आरम्भ करने से पूर्व सिंचाई विभाग से अनुमति प्राप्त करने में असफलता के परिणामस्वरूप 27.60 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

कानपुर शहर की विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 80.96 करोड़ रुपये की एक परियोजना अनुमोदित की (1988)। परियोजना में,

कानपुर के 132 केवी रिवर साइड उपकेन्द्र में 3x40 एमवीए, 132/33 केवी के ट्रांसफार्मर की संस्थापना, 10 किमी लम्बाई की 132 केवी पारेषण लाइन, एक अन्य 5.7 किमी लम्बी भूमिगत पारेषण लाइन की संस्थापना और 132 केवी कृष्णानगर (कानपुर) उपकेन्द्र का विस्तार सम्मिलित था। कृष्णानगर उपकेन्द्र के विस्तार कार्य को, 220 केवी पनकी-उन्नाव लीलो लाइन के साथ संयोजित 2x60 एमवीए, 220/33 केवी ट्रांसफार्मर सहित एक 220 केवी रिवर साइड विद्युत गृह उपकेन्द्र को सम्मिलित करने के लिये उपांतरित किया गया (अप्रैल 1994)। मार्च 1998 की नियत लक्ष्य तिथि को बाद में दो बार दिसम्बर 2002 तक बढ़ा दिया गया। कार्य को विद्युत पारेषण खण्ड I, कानपुर (ईटीडी I) के द्वारा हाथ में ले लिया गया।

ईटीडी I, कानपुर की नमूना जाँच में लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया (मई 2001) कि ईटीडी I, कानपुर ने लीलो लाइन के सिविल कार्यों (सर्वेक्षण, उत्खनन और नींव को पक्का करना आदि) पर 2.47 करोड़ रुपये (जनवरी 1997 से जुलाई 2002 तक) तथा दो 60 एमवीए ट्रांसफार्मरों की अधिप्राप्ति (नवम्बर 1998 और जून 1999) पर 3.28 करोड़ रुपये का व्यय किया। इस तथ्य के बावजूद कि टावर की नींव की कुछ स्थितियाँ, सिंचाई विभाग (आईडी) के अन्तर्गत गंगा बैराज के परिक्षेत्र में पड़ती थी, ईटीडी-I, कानपुर ने इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 1910 की धारा 15 एवं 34 के संदर्भ में आईडी से पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त किया। आईडी ने जनवरी 1997 से भू-अधिप्राप्ति की कार्यवाही आरम्भ की और अन्ततः जनवरी 1998 में भूमि की अधिप्राप्ति कर ली। यह तथ्य ईटीडी I, कानपुर के संज्ञान में थे।

ईटीडी I, कानपुर ने सितम्बर 1997 और जनवरी 1998 के मध्य 5.73 लाख रुपये की लागत पर सात नींव एवं फरवरी और जून 1998 के मध्य 21.87 लाख रुपये की लागत पर चार पाइल श्रेणी की नींव डाल दी। आईडी की आपत्ति (अप्रैल 2001) पर, 27.60 लाख रुपये की कुल लागत पर डाली गई ग्यारह नीवों को विभिन्न मार्गों से पुनर्स्थापित करना पड़ा जिसके कारण, आईडी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने में असफल होने से कुल लागत निष्फल हो गई। पुनर्स्थापित मार्ग पर कार्य प्रगति में था (सितम्बर 2002)।

अधिप्राप्त किये गये (नवम्बर 1998/जून 1999) 3.28 करोड़ रुपये की लागत के ट्रांसफार्मर, जोड़ने वाली लीलो लाइन के अपूर्ण होने के कारण अप्रयुक्त पड़े थे जिससे इस सीमा तक की निधि अवरुद्ध हुई। अधिप्राप्ति की तिथि से सितम्बर 2002 तक अवरुद्ध निधि पर ब्याज की हानि 2.12 करोड़ रुपये आगणित होती है। चूंकि कम्पनी ने आवश्यक अनापत्ति प्राप्त नहीं की, 27.60 लाख रुपये का व्यय निष्फल हो गया। पुनः, ट्रांसफार्मरों की बहुत पहले ही अधिप्राप्ति कर लेना केवल दयनीय परियोजना नियोजन को ही इंगित करता था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2002) कि अप्रैल 2001 में आईडी ने बैराज का स्थान परिवर्तन करने में अपनी असमर्थता जताई थी और इसलिये स्थल की स्थितियों को बदलना पड़ा। इसके अतिरिक्त, ट्रांसफार्मरों के आपूर्तिकर्ता ने सम्पादन गारण्टी को मार्च 2004 तक उनकी लागत के 10 प्रतिशत के समतुल्य तक बढ़ा दिया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आईडी से कार्य पूर्व अनुमति लेना वैधानिक आवश्यकता थी। पुनः, प्रबन्धन ट्रांसफार्मरों की अधिप्राप्ति को क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार नियोजित करने में असफल रहा।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.12 बकायों की वसूली करने में प्रावधानों का अनुपालन न करना

पूर्व के चेकों के अनादृत होने के बावजूद चेक द्वारा भुगतान किये जाने की सुविधा को वापस लिये जाने में असफल होने के परिणामस्वरूप 17.90 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन, 1984 के उपबन्ध 19 (IX) के विशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध, जिसमें ऐसे चेकों को स्वीकार किये जाने का प्रावधान है जो खण्ड के मुख्यालय पर स्थित बैंक पर ही आहरित किये जाते हों, के विरुद्ध बाहर के चेकों द्वारा भुगतान की स्वीकृति के कारण हुई हानि पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1999 को समाप्त प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तर 3अ.6.2.2 में चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, निगम की वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली में संकल्पित है कि चेक के अनादृत होने की दशा में आपूर्ति को विसंयोजित किया जाना चाहिये, चेक की राशि को उपभोक्ता के खाते में डेबिट किया जाना चाहिये और भविष्य में चेकों द्वारा भुगतान किये जाने की सुविधा वापस ली जानी चाहिये। इसके लिये बैंक से महीने में तीन बार संपर्क किया जाना चाहिये और यदि चेक अपने जमा होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर आदृत नहीं किया जाता है, उपभोक्ता पर विलम्ब भुगतान अधिभार का आरोपण किया जाना चाहिये।

लेखा परीक्षा संज्ञान में आया (सितम्बर 2001) कि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत विद्युत वितरण खण्ड I, जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता ने यूनीक ब्यूटाइल ट्यूब इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जौनपुर (स्वीकृत भार: 475 केवीए, जनवरी 1995 से दर सूची एचवी-2 के अन्तर्गत देयकीकृत किये जाने वाला) से बाहर के चेकों को स्वीकार करना जारी रखा। 4.87 लाख रुपये के सितम्बर 1999 के चेक अनादृत हो जाने के बावजूद (बाद में दिसम्बर 1999 में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया गया), चेक द्वारा भुगतान किये जाने की सुविधा को वापस नहीं लिया गया। पुनः, मई 2000 के विद्युत बिलों हेतु 5.59 लाख रुपये के दिनांक 20 जून 2000 के एवं अतिरिक्त प्रतिभूति जमा हेतु 0.10 लाख रुपये के दो चेकों को वसूली हेतु प्रस्तुत

करने के पश्चात खण्ड ने एक औचित्यपूर्ण समय सीमा के अन्दर उनके नकदीकरण को सुनिश्चित नहीं किया। इसी बीच, विद्युत बिलों से सम्बन्धित कुल 8.79 लाख रुपये के दो अन्य चेक (4.41 लाख रुपये का दिनांक 21 जुलाई 2000 का चेक तथा 4.38 लाख रुपये का दिनांक 25 अगस्त 2000 का चेक) स्वीकार किये गये और बैंक को वसूली हेतु प्रस्तुत किये गये। खण्ड, इन बाह्य चेकों की वसूली का अनुश्रवण करने में असफल रहा और वाराणसी के दाता बैंक ने अक्टूबर 2000 में सभी चार चेकों की, धन न होने के कारण अनादृत होने की सूचना दी। उपभोक्ता ने अगस्त माह से अक्टूबर 2000 तक के 8.93 लाख रुपये के तीन अन्य बिलों का भुगतान भी नहीं किया। प्रतिभूति जमा (6.43 लाख रुपये) के समायोजन के पश्चात, 1.02 लाख रुपये के विलम्ब भुगतान अधिभार सहित कुल बकाये 17.90 लाख रुपये के थे (नवम्बर 2000)।

आपूर्ति, सितम्बर 2000 में विच्छेदित कर दी गई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) ऐक्ट 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत, पहले वाली फर्म (30.09.1995 तक तिरुपति ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड) के नाम गलत रूप से 14.12 लाख रुपये के लिये जारी की गई (जनवरी 2001) नोटिस (17.90 लाख रुपये के बकाये के विरुद्ध) यह इंगित की हुई अवितरित वापस हो गई (दिसम्बर 2000) कि दिये हुये पते पर ऐसी कोई फर्म अस्तित्व में नहीं थी। तथापि, आगे की संविक्षा ने प्रकट किया कि उपभोक्ता की परिसम्पत्तियाँ बैंक आफ बड़ौदा के पास बंधक थीं और बैंक की वसूली कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुये कम्पनी के बकाये की वसूली असम्भव थी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि उपभोक्ता के चेक पहले कभी अनादृत नहीं हुये थे और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई थी। उत्तर सत्य नहीं था क्योंकि सितम्बर 1999 का पहले का 4.87 लाख रुपये का चेक अनादृत हो गया था और पहले के भुगतान मुख्यतः डिमाण्ड ड्राफ्टों के द्वारा किये गये थे।

अतएव, अनादृत होने के पूर्व के प्रकरण के पश्चात भी चेक द्वारा भुगतान किये जाने की सुविधा को वापस लेने में असफलता, गलत नाम से नोटिस का जारी करना, बाह्य चेकों को स्वीकार करने सम्बन्धी निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में असफलता तथा चेकों के नकदीकरण के निष्प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अप्रैल 2002 तक विलम्ब भुगतान अधिभार सहित 17.90 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण, कम्पनी एवं शासन को सूचित किया गया (मई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.13 इस्पात के नलिकाकार खम्भों की अधिप्राप्ति में हानि

कम्पनी ने, क्रयादेश में न्यूनतम गारण्टीयुक्त भार के सम्मिलित न किये जाने के कारण 0.65 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल स्टोर प्रोक्योरमेंट सर्किल III (ईसीएसपीसी III), लखनऊ ने 9 मीटर, 10 मीटर तथा 11 मीटर लम्बाई के 31600 इस्पात के नलिकाकार खम्भों (एसटीपी) की आपूर्ति हेतु सितम्बर 1999 से फरवरी 2001 के दौरान विभिन्न फर्मों को आदेश जारी किये। आदेश के उपबन्ध 7.1 में यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रस्तुत की गई सामग्री, तकनीकी विशिष्टियों और एक गारण्टीयुक्त तकनीकी विशेषताओं के अनुरूप थी, कम्पनी के मुख्य महाप्रबन्धक, सामग्री प्रबन्धन एवं महानिदेशक, इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी असिस्टेंट ऐण्ड टेक्निकल आर्गनाइजेशन (इक्वेटर) द्वारा सम्मिलित रूप से खम्भों का निरीक्षण किये जाने की शर्त थी। आदेश के उपबन्ध 7.5 में प्रति खम्भा 9 मीटर के लिये 164 किग्रा, 10 मीटर के लिये 178 किग्रा और 11 मीटर खम्भे के लिये 227 किग्रा न्यूनतम भार की शर्त थी। मूल्य, जैसा कि आदेश में इंगित थे (5 मिमी से कम के क्वायल हेतु 18836 रुपये प्रति मीटन तथा 10 मिमी से कम के क्वायल हेतु 18607 रुपये प्रति मीटन) एचआर क्वायल (खम्भे में प्रयुक्त कच्चा माल) के आधार पर आधारित बिना किसी सीमा के न्यूनाधिक परिवर्तनीय थे।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (जुलाई 2001) कि कम्पनी ने क्रयादेशों में प्रति खम्भा न्यूनतम गारण्टीयुक्त भार तथा कम भार की आपूर्ति के लिये मूल्य की समानुपाती वसूली की शर्त सम्मिलित नहीं की थी। तथापि, मार्च 2001 की इक्वेटर की निरीक्षण रिपोर्टों में इंगित किया गया कि जाँच किये गये खम्भों (संख्या: 30260) के नमूनों का औसत भार 152 किग्रा से 160 किग्रा (9 मीटर), 167 किग्रा से 174 किग्रा (10 मीटर) और 211 किग्रा से 223 किग्रा (11 मीटर) था। गारण्टीयुक्त तकनीकी विशेषताओं में प्रति खम्भा गारण्टीयुक्त भार के अभाव में ईसीएसपीसी III ने कम भार वाले इन खम्भों को स्वीकार कर लिया और 0.65 करोड़ रुपये मूल्य के 342.684 मीटन के कम भार की कटौती किये बिना (एचआर क्वायल के प्रति मीटन पर 19045 रुपये से) मूल्य का भुगतान कर दिया, यद्यपि नवम्बर 2001 में दिये गये बाद के आदेशों में (11 मीटर खम्भे हेतु) न्यूनतम गारण्टीयुक्त भार को इंगित किया गया था।

अतः, पहले के क्रयादेशों में प्रत्येक खम्भे के न्यूनतम गारण्टीयुक्त भार को सम्मिलित न किये जाने के कारण, कम्पनी को कम भार के खम्भों को स्वीकार करना पड़ा जिससे 0.65 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (मई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.14 ऋण का अन्यत्र उपभोग

कम्पनी ने न केवल जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋण को अभिप्राय से अन्यत्र उपयोजित किया बल्कि एफडीआर में रखी आधिक्य अधिशेष निधि का उपयोजन, 1.96 करोड़ रुपये की ब्याज-हानि को बचाने के लिये अतिदेय किश्त को चुकाने में नहीं किया।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (सम्प्रति उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड) ने मनेरी भाली, चरण-II, परियोजना के आंशिक पूंजीगत व्यय को पूर्ण करने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास अपनी परिसम्पत्तियों को बंधक रख कर कुल 420 करोड़ रुपये के ऋण हेतु एक समझौता निष्पादित किया (सितम्बर 1998)। ऋण, 14 प्रतिशत ब्याज और भुगतान में दोषी होने पर एक प्रतिशत अधिक सहित 15 समान वार्षिक किश्तों में वापस किया जाना था।

समझौते के उपबन्ध 8 (सी) एवं 10 में प्रावधान था कि :

- कम्पनी, निधि को सिर्फ परियोजना के अभिप्राय से प्रयुक्त कर सकती थी और यह कि क्रय किया गया माल और सम्पत्तियाँ केवल परियोजना के कार्यों को सम्पादित करने में ही प्रयोग की जाएंगी;
- यदि किन्हीं कारणों से कम्पनी ऐसा करने की स्थिति में नहीं होती है, उसे एलआईसी को तत्काल कारणों सहित इसकी सूचना देनी होगी;
- यदि कम्पनी ने समझौते का कोई उल्लंघन किया तो वर्तमान ऋण और पूर्व का ऋण अथवा उनमें से भुगतान न किये गये किसी एक अथवा एक से अधिक का समस्त अधिशेष, एलआईसी की इच्छा पर तत्काल देय हो जाएगा;
- इसके अतिरिक्त, एलआईसी को बंधक रखे गये वर्तमान परिसर को स्वतंत्र रूप से उपरोक्त वर्णित ढंग से सौपने, अन्तरित करने और अपने उपयोग के लिये सुनिश्चित करने का अधिकार एवं प्राधिकार था; एवं
- ऋण की धनराशि को मुक्त रूप से एक पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा किया जाय तथा इससे वित्तपोषित हुये माल और सम्पत्तियाँ का उपयोग और परियोजना की लागत तथा उसके संचालन को प्रदर्शित करते हुये अभिलेख रखे जायें।

कम्पनी ने ऋण सितम्बर 1998 में प्राप्त किया और उसे मुक्त रूप से पृथक बैंक खाते में रखने के स्थान पर, सरकार के अल्पावधि ऋण (266.80 करोड़ रुपये), एलआईसी का अतिदेय ऋण और ब्याज (74.95 करोड़ रुपये), एलआईसी के पास परिसम्पत्तियों को बन्धक रखने में स्टैम्प शुल्क (34.65 करोड़ रुपये) का पुनर्भुगतान करने में उपयोजित किया तथा अधिशेष (43.60 करोड़ रुपये) को 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक आरेखित ब्याज दर पर अल्पावधि जमा में निवेश कर दिया। ऋण-समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के साथ ही इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऋण की 15 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर और एफ डी आर की 8 से

10 प्रतिशत की ब्याज दर के मध्य अन्तर दर के रूप में 3.54 करोड़ रुपये के ब्याज की अतिरिक्त देयता पैदा हो गई।

मनेरी भाली, चरण-II परियोजना (1983-84 में पूर्ण होने के लिये समयबद्ध 304 मेगा वाट क्षमता की), जो चालू नहीं हुई (सितम्बर 1997 तक), को पहले उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड को और फिर 14.01.2000 से उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को अन्तरित कर दिया गया।

अतएव, बीच में ही रोक दी गई एक परियोजना के लिये आहरित किये गये ऋण का उपयोजन न करने के परिणामस्वरूप न केवल यह अपूर्ण रही अपितु समझौते का उल्लंघन भी हुआ। पुनः, 43.60 करोड़ रुपये की आधिक्य निधि को जनवरी और जुलाई 2000 में अतिदेय किशतों के भुगतान में उपयोजित नहीं किया गया जिसमें 1.96 करोड़ रुपये के परिहार्य ब्याज का भार पड़ गया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2002) कि 376.40 करोड़ रुपये का उपयोजन राज्य सरकार के ऋण, स्टैम्प शुल्क चुकाने, एलआईसी के अतिदेयों के पुनर्भुगतान में किया गया और अधिशेष को एफडीआर में रखा गया। पुनः, बैंक में पड़ी राशि को तीन कम्पनियों को वितरित कर दिया गया। उत्तर इंगित करता था कि निधि को जिस अधिप्राय से आहरित किया गया था, उस पर उपयोजित किये जाने में यूपीपीसीएल असफल रहा।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (मई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.15 वसूली प्रमाण-पत्र के अनियमित रूप से वापस लिये जाने के कारण देयों की वसूली न होना

कम्पनी ने सांविधिक प्राविधानों के विरुद्ध ऊर्जा मंत्री के निर्देशों पर वसूली प्रमाण-पत्र वापस ले लिये जिससे 9.50 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

लेखा परीक्षा द्वारा विद्युत शहरी वितरण खण्ड-II, बरेली की नमूना जाँच ने प्रकट किया (मई 2001) कि महाबीर एडिबल आयल्स, बरेली (भार: 549 केवीए) के सेवा संयोजन को, देयों के भुगतान न किये जाने पर अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया (अक्टूबर 1997)। देयों को आठ किशतों में जमा करने तथा उपभोक्ता द्वारा जिला प्राधिकारियों (डीए) को 10 प्रतिशत वसूली प्रभार (1.02 लाख रुपये) जमा करने की अनुमति प्रदान करते हुये, उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) ऐक्ट, 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी 10.21 लाख रुपये के वसूली प्रमाण-पत्रों (आरसी) को ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के अन्तर्गत अध्यक्ष के आदेश पर वापस ले लिया गया (दिसम्बर 1997)। चेक द्वारा जमा की गई 3.51 लाख रुपये की पहली किशत की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि वह बैंक के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण अनादृत हो गया (अक्टूबर 1997)।

इसके बावजूद, खण्ड ने निगोशियेबल इन्स्ट्र्यूमेन्ट ऐक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसने, ऐसे प्रकरणों में अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिये उचित कार्यविधि की रचना भी नहीं की।

खण्ड ने प्रतिभूति जमा और ब्याज (0.71 लाख रुपये) के समायोजन के पश्चात सितम्बर 1998 में आपूर्ति को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया। इसने 9.50 लाख रुपये की एक अन्य आरसी जारी की (जुलाई 1999)। डीए द्वारा आरसी यह कह कर वापस कर दी गई (सितम्बर 1999) कि वसूली, आरसी के निरस्तीकरण के समय उपभोक्ता के साथ किये गये समझौते के दृष्टिगत की जा सकती थी।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि एक बार जारी कर दी गई आरसी को वापस न लिये जाने के निदेशक मण्डल के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, आरसी को वापस लिया गया। पुनः, किसी प्रकार का समझौता निष्पादित न करके अथवा गारण्टी लिये बिना, खण्ड ने अपने हित की रक्षा नहीं की।

अतएव, भुगतान न होने की दशा में वसूली को सुनिश्चित किये बिना, आरसी के वापस लिये जाने के परिणामस्वरूप 9.50 लाख रुपये की वसूली नहीं हो पाई।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (मई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.16 संस्थापना ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता

कम्पनी ने ठेकेदार के देयकों से व्यापार कर की कटौती किये बिना अपनी स्वयं की निधि से 0.97 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया और 43.52 लाख रुपये के ब्याज की हानि उठाई।

उपमहाप्रबन्धक, 400 केवी ट्रांसमिशन डिजाइन सर्किल, लखनऊ ने एसईई लिमिटेड, नई दिल्ली को (बाद में आरपीजी ट्रांसमिशन लिमिटेड के रूप में पुनर्नामित) 63.82 करोड़ रुपये में 800 केवी एकल धारा झांसी-उन्नाव (224 किलोवाट) पारेषण लाइन की टावर संरचनाओं के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापना एवं प्रचालन हेतु कार्य प्रदान किये (जनवरी 1996)। इसमें टावर की संस्थापना और परीक्षण हेतु (श्रमिक, औजार एवं संयंत्र, सीमेंट, भण्डार सामग्री तथा इस्पात आदि सहित) 27.69 करोड़ रुपये सम्मिलित थे। अनुबन्ध में संस्थापना कार्य के प्रकरण में मूल्य अन्तर को छोड़कर किन्हीं अन्य प्रभारों का भुगतान प्रकल्पित नहीं था। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1958 में संस्थापना कार्य के देयकों से 4 प्रतिशत व्यापार कर की कटौती (स्रोत पर कर की कटौती-टीडीएस) का प्रावधान था। टीडीएस की राशि व्यापार कर प्राधिकारियों के पास, सामग्री पर (सीमेंट, इस्पात, पत्थर और बालू आदि) व्यापार कर के ठेकेदार के दायित्व के रूप में जमा की जानी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा पारेषण खण्ड-I, इलाहाबाद की एक नमूना जाँच ने प्रकट किया (अगस्त 1998) कि कम्पनी की परिकल्प एवं निधि प्रबन्धन इकाई, लखनऊ ने ठेकेदार की ओर से बिना उसके देयकों से कटौती किये व्यापार कर के रूप में

0.97 करोड़ रुपये अनियमित भुगतान किये (जुलाई 1996 से मार्च 1998)। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, खण्डीय अधिकारी ने जुलाई 2000 में उसकी वसूली कर ली। इस प्रकार, अभिकल्प एवं निधि प्रबन्धन द्वारा अनियमित भुगतान से ठेकेदार को जुलाई 2000 तक 0.97 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता मिली और कम्पनी को 43.52 लाख रुपये के ब्याज की हानि (अप्रैल 1998 से जून 2000 की अवधि के 18 प्रतिशत प्रति वर्ष पर आगणित) उठानी पड़ी जिसके लिये कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (जून 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.17 निर्धारित प्रक्रिया के पालन न करने के कारण गबन

कम्पनी ने संग्रह किये गये धन का वसूली प्रपत्र/बैंक में जमा की गई राशि के साथ मिलान किये जाने व सतत अनुश्रवण की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। इससे 5.89 लाख रुपये के गबन द्वारा हानि उठाई।

वसूल किये गये राजस्व का गबन रोकने के लिये खण्ड, वसूली गई धनराशि का उपभोक्ताओं को कैश रसीदें जारी करता है। इन कैश रसीदों को संग्राहक निरीक्षकों द्वारा वसूली प्रपत्रों में अंकित किया जाता है और तब उन्हें प्रतिदिन रसीदों के अधपन्नों से प्रत्येक प्रविष्टि की उचित जाँच करने के पश्चात राजस्व कैश बुक में एकल प्रविष्टि के रूप में अंकित किया जाता है। राजस्व कैश बुक के प्रभारी अधिकारी को अधपन्ने की जाँच, वसूली प्रपत्र तथा लिपिक-वार मिलान पंजिका के साथ किया जाना सुनिश्चित करना होता है। इनका मिलान बैंकों में जमा की गई राशि के साथ भी किया जाता है।

लेखा परीक्षा ने विविध, कासगंज को मार्च 1994 और अक्टूबर 1998 के मध्य ही यह इंगित किया था कि (i) संग्रह अभिकर्ता द्वारा प्रयुक्त की गई रसीद बुक वापस नहीं की जा रही थी, (ii) राजस्व वसूली का मिलान नहीं किया जा रहा था, एवं (iii) संग्रह की गई एवं बैंक में जमा की गई धनराशि के मध्य भारी अन्तर (43.38 लाख रुपये) था। तथापि खण्ड, किसी संभावित गबन को रोकने के लिये सुधारात्मक कार्यवाही करने में असफल रहा। बाद की नमूना जाँच में यह देखा गया (जून 2001) कि खण्ड के सहायक अभियन्ता ने श्री अनार सिंह, उपकेन्द्र प्रचालक (एसएसओ) को 88 राजस्व रसीद बुक जारी की (फरवरी 1995 से मार्च 1999), इस तथ्य के बावजूद कि उसके द्वारा पूर्व की प्रयुक्त की गई रसीद बुक 25 मार्च 2001 तक वापस नहीं की गई थी। 26 मार्च 2001 को श्री अनार सिंह ने 20 रसीद बुक वापस कर दी, जिसकी बाद में की गई जाँच से संज्ञान में आया कि उसके द्वारा वसूल किये गये 5.89 लाख रुपये जमा नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, शेष 68 रसीद बुक वापस भी नहीं की गई थी। नकद के गबन के कारण, 27 मार्च 2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा

27 मार्च 2001 को श्री अनार सिंह को निलम्बित कर दिया गया। मार्च 2001 में एक विभागीय जाँच आरम्भ की गई। जाँच रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2002)। प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (जून 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.18 आपूर्तिकर्ता द्वारा पावर ट्रांसफार्मर की गारण्टी अवधि के अन्दर मरम्मत न किये जाने के कारण हानि

भुगतान निर्मुक्त करने से पूर्व उपयोगकर्ता खण्ड से अनापत्ति प्राप्त न कर पाने के कारण कम्पनी ने गारण्टी अवधि के अन्दर खराब हुये ट्रांसफार्मर के मूल्य के रूप में 13 लाख रुपये की हानि उठाई।

इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्स प्रोक्योरमेन्ट सर्किल-I (ईएसपीसी-I) ने अकुरेट ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, नई दिल्ली को 9.46 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर की दर पर (केन्द्रीय उत्पाद और व्यापार कर के बिना) सभी उपस्करों एवं उपसाधनों सहित 30 'अकुरेट' मार्का 5 एमवीए पावर ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति के आदेश प्रेषित किये (सितम्बर 1999)।

आदेश के उपबन्ध 12 में प्रचालन की तिथि से 12 माह अथवा उपस्कर की प्राप्ति की तिथि से 18 माह, जो भी पहले हो, की गारण्टी अवधि की शर्त थी। पुनः, गारण्टी अवधि के दौरान खराब होने की स्थिति में इसमें, ठेकेदार द्वारा बिना किसी प्रभार के मरम्मत किये जाने की भी शर्त थी। इसके मरम्मत योग्य न होने के प्रकरण में इसे प्रतिस्थापित किया जाना था। दोष की सूचना देने के तीन माह के अन्दर मरम्मत अथवा प्रतिस्थापित किये जाने में असफल रहने पर, ईएसपीसी-I को आपूर्तिकर्ता के लम्बित बिलों से एक नये ट्रांसफार्मर की लागत के बराबर मूल्य की कटौती अथवा अपने पास उपलब्ध बैंक गारण्टी से वसूली कर लेना था। क्रयादेश में, आपूर्तिकर्ता का भुगतान, उपयोगकर्ता खण्ड से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात निर्मुक्त किये जाने से सम्बन्धित कोई उपबन्ध नहीं था। और न ही उपयोगकर्ता खण्ड अथवा ईएसपीसी-I के लिये, भुगतान निर्मुक्त करने से पूर्व सूचित करने/कार्य सम्पादन रिपोर्ट प्राप्त करने की कोई पद्धति विद्यमान नहीं थी।

लेखा परीक्षा द्वारा विद्युत पारेषण खण्ड, रूड़की के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (दिसम्बर 2001) कि 13 लाख रुपये के मूल्य पर क्रय किया गया एक 5 एमवीए ट्रांसफार्मर 132 केवी उपकेन्द्र, रामनगर (रूड़की) पर आपूर्तिकर्ता के सेवा अभियन्ता की उपस्थिति में प्रचालित किया गया (9 अक्टूबर 1999)। प्रचालन के समय यह रुक गया और 26 अक्टूबर 1999 को फर्म से दोष सुधार करने के लिये कहा गया, परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पुनः, जब उसे अक्टूबर 1999 से अगस्त 2000 के दौरान भार से जोड़ा गया (15 बार), वह हर बार रुक गया। खण्ड ने 26 अक्टूबर 1999 और 19 जुलाई 2001 के मध्य फर्म को दोषों का सुधार करने हेतु यह इंगित करते हुये सूचित किया कि यह एक वर्ष की गारण्टी

अवधि (9 अक्टूबर 1999 से 9 अक्टूबर 2000) के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था, फर्म ने ट्रांसफार्मर को इस बहाने पर मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने से इन्कार कर दिया (10 अक्टूबर 2001) कि इसकी त्रुटि की सूचना गारण्टी अवधि (9 अक्टूबर 2000) के पश्चात दी गई थी। इसके साथ ही खण्ड, अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु, अन्तिम भुगतान निर्मुक्त किये जाने से पूर्व ईएसपीसी-I को भुगतान रोकने अथवा एक ट्रांसफार्मर के मूल्य के बराबर बैंक गारण्टी प्राप्त करने की सूचना देने में भी असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, ईएसपीसी-I ने सभी भुगतान निर्मुक्त कर दिये (नवम्बर 1999 से फरवरी 2000) और अक्टूबर 2002 में इसी माह तक वैध 4.13 लाख रुपये की मात्र एक बैंक गारण्टी ही उपलब्ध थी। ईएसपीसी-I ने लेखा परीक्षा के प्रश्न के प्रत्युत्तर में सूचित किया (अक्टूबर 2002) कि उन्हें गारण्टी अवधि के अन्दर दोषों की सूचना नहीं दी गई थी और यह कि उनके पास मात्र 4.13 लाख रुपये की एक बैंक गारण्टी (अक्टूबर 2002 तक वैध) ही उपलब्ध थी।

अतएव, कम्पनी ने उपयोगकर्ता खण्ड से अनापत्ति प्राप्त किये बिना भुगतान निर्मुक्त किये जाने के कारण 13 लाख रुपये की हानि उठाई (नकदीकरण न की गई बैंक गारण्टी को छोड़कर)। खण्डीय अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2001) कि प्रकरण, आपूर्तिकर्ता के साथ पत्राचार के अन्तर्गत है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड, आपूर्तिकर्ता की कमी को ईएसपीसी-I को समय से सूचित करने में असफल रहा जिससे कुल देय भुगतान की निर्मुक्ति सम्भव हो गई।

प्रकरण, कम्पनी एवं शासन को सूचित किया गया (जून 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.19 एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिये जाने के कारण राजस्व की हानि

कम्पनी, शासन द्वारा न्यूनतम उपभोग गारण्टी के अनियमित माफ किये जाने, नियमों के उल्लंघन में शासन द्वारा किशतों की सुविधा अनुमत किये जाने तथा उसके द्वारा देयों को वापस किये जाने पर शासन की असहमति के कारण 48.53 लाख रुपये के अतिदेयों की वसूली नहीं कर सकी।

अगस्त 1987 में तत्कालीन यूपीएसईबी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, किशतों में भुगतान की सुविधा एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही अनुमत की जानी थी। किशतों के भुगतान न होने की दशा में सुविधा स्वतः ही निरस्त हो जाएगी और यदि उपभोक्ता द्वारा देय पूर्व की किशतों में एक भी बकाया लम्बित था, ऐसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुनः, दर-अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम उपभोग गारण्टी (एमसीजी) के निर्धारण की छूट, एक माह से अधिक से मरम्मत-विहीन पड़े ट्रांसफार्मरों तथा लाइन सामग्री की चोरी के कारण विद्युत की आपूर्ति को चालू न किये जाने के प्रकरणों को छोड़कर, नहीं दी जा सकती है।

लेखा परीक्षा द्वारा विविध, बाराबंकी के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया (जून 2001) कि 300 केवीए के संविदागत भार वाले गणेश स्टील लिमिटेड, बाराबंकी की आपूर्ति 4.52 लाख रुपये के बकाये का भुगतान न किये जाने के कारण 30 नवम्बर 1997 को विच्छेदित कर दी गई। उपभोक्ता को मई 1998 तक एमसीजी के लिये देयक जारी किया गया परन्तु उपभोक्ता द्वारा देयकों का भुगतान नहीं किया गया, परिणामस्वरूप देय 10.29 लाख रुपये तक बढ़ गये। छः माह के पश्चात न तो स्थायी विच्छेदन ही किया गया और न ही वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया, जैसा कि नियमों में प्रावधान था। मण्डलायुक्त, फैजाबाद द्वारा शीर्षित कमेटी आफ रिवाइवल पैकेज की पहल पर (जून 1999), मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने खण्ड को निर्देश दिये (जुलाई 1999)

- संयोजन को पुनर्स्थापित करें,
- 10.52 लाख रुपये के बकाये में से 4.52 लाख रुपये की वसूली 10 किशतों में करें,
- शेष राशि का अधित्याग करें।

पुनर्संयोजन, सितम्बर 1999 में किया गया। कम्पनी ने राज्य सरकार से रिवाइवल पैकेज के अन्तर्गत अधित्याग किये गये 26.16 लाख रुपये की मांग प्रस्तुत की (जनवरी 2001) जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। तथापि, उपभोक्ता ने किशतों और नियमित बिलों के विरुद्ध मात्र 4.19 लाख रुपये जमा किये जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2000 तक बकाये फिर 12.10 लाख रुपये तक बढ़ गये। निदेशक वितरण द्वारा उपभोक्ता को मासिक बिलों सहित फरवरी 2001 तक 12 किशतों में भुगतान करने की अनुमति दी गई (मार्च 2000) जिसका उपभोक्ता ने पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, मार्च 2001 के अन्त तक बकाये 13.43 लाख रुपये तक बढ़ गये। 2 मई 2001 को उपभोक्ता की लाइन विच्छेदित कर दी गई परन्तु दो दिनों के पश्चात 4 मई 2001 को निदेशक (वाणिज्यिक) के निर्देशों पर मात्र 75000 रुपये जमा करने पर ही पुनर्संयोजित कर दी गई। 12 दिसम्बर 2001 को 16.48 लाख रुपये के भुगतान न करने पर आपूर्ति पुनः विच्छेदित कर दी गई परन्तु आपूर्ति को मार्च 2002 में उपभोक्ता द्वारा आग्रह किये जाने के बावजूद अब तक (सितम्बर 2002) स्थायी रूप से विसंयोजित नहीं किया गया।

अतः, एमसीजी के अनियमित अधित्याग, नियमों के उल्लंघन में किशतों में भुगतान की सुविधा की अनुमति देने तथा शासन द्वारा 30 नवम्बर 1997 से 7 सितम्बर 1999 की अवधि के 26.16 लाख रुपये के अधित्याग किये गये बकाये का भुगतान करने से इन्कार किये जाने के कारण, सितम्बर 2002 तक 48.53 लाख रुपये की राशि के बकाये बिना वसूली के पड़े थे।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (जून 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.20 प्रबन्धन की असफलता से देयों की वसूली न होना

देयों के भुगतान के बिना पुनर्संयोजन के लिये उच्च अधिकारियों से अभूतपूर्व दबाव से 1.67 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन, 1984 के उपबन्ध 19(vi) में शर्त थी कि यदि भुगतान देय तिथि के अन्दर नहीं किया जाता है, बिल की राशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपभोक्ता की आपूर्ति देय तिथि से 7 दिनों के पश्चात विच्छेदित कर दी जाएगी। तत्कालीन परिषद के आदेश (अगस्त 1993) के अनुसार, उद्योग एवं वित्तीय पुनर्गठन परिषद (बीआईएफआर) द्वारा घोषित रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की विद्युत आपूर्ति को तत्काल विच्छेदित किया जाना था तथा देयों की वसूली हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) ऐक्ट, 1958 की धारा 3 एवं 5 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी थी। रूग्ण इकाई की आपूर्ति को बीआईएफआर के स्पष्ट आदेशों के पश्चात ही जारी रखा जा सकता था।

विविध, नजीबाबाद के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (जून 2001) कि 3000 केवीए वाले मानसरोवर पेपर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नजीबाबाद को जुलाई 1997 में बीआईएफआर द्वारा रूग्ण घोषित कर दिया गया, जब देय 0.53 करोड़ रुपये तक बढ़ गये थे। तथापि, बीआईएफआर से आपूर्ति की निरन्तरता हेतु किसी आदेश के न होने के बावजूद भी आपूर्ति विच्छेदित नहीं की गई। उपभोक्ता, अगस्त 1998 से भुगतान में दोषी रहा और विच्छेदन अक्टूबर 1998 में किया गया। विच्छेदन के समय कुल देय 0.71 करोड़ रुपये के थे। तत्पश्चात, उच्च प्राधिकारियों के आदेशों के अन्तर्गत, भुगतान में दोषी होने पर अनेकों बार पुनर्संयोजन और विच्छेदन किये गये। जुलाई 1999 अर्थात् अन्तिम विच्छेदन तक 1.83 करोड़ रुपये के बकाये संचित हो गये थे। अगस्त 1999 में धारा 5 के अन्तर्गत प्रतिभूति के समायोजन के उपरान्त 1.66 करोड़ रुपये के लिये वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी किया गया।

अतः, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही आरम्भ करने में कम्पनी की असफलता तथा उच्च प्राधिकारियों से अभूतपूर्व दबाव के परिणामस्वरूप सितम्बर 2001 तक 1.67 करोड़ रुपये की वसूली न होना सम्भव हो गया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2002) कि दिसम्बर 2002 में 1.85 करोड़ रुपये के लिये एक संशोधित आरसी जारी की गई थी जिसके विरुद्ध जिला प्राधिकारियों ने 1.67 करोड़ रुपये का अवशेष छोड़ते हुये 18.13 लाख रुपये की वसूली कर ली थी। पुनः, चूंकि इकाई बीआईएफआर के अन्तर्गत थी, आरसी वापस कर दी गई है। यह भी बताया गया कि उच्च प्राधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, विभिन्न चरणों पर कार्यवाही की गई थी। उत्तर में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जुलाई 1997 में ही इकाई को रूग्ण घोषित होने व बीआईएफआर के आपूर्ति जारी रखने के आदेश न होने पर भी आपूर्ति विच्छेदित न किये जाने के कारणों को इंगित नहीं किया।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (जून 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.21 विद्युत प्रभारों की कम वसूली तथा विलम्बित भुगतान के लिये अतिरिक्त अधिभार का आरोपण न करना

बकाये को आंशिक रूप से वसूले जाने के मौखिक निर्देशों जिन्हें बाद में अभिपुष्ट नहीं किया गया, के परिणामस्वरूप 7.69 करोड़ रुपये के बकाये का संचयन हुआ तथा 3.28 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रभार का आरोपण नहीं किया गया।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन, 1984 के उपबन्ध 19 के अनुसार यदि एक उपभोक्ता देय तिथि पर विद्युत प्रभारों को जमा करने में असफल रहता है, उसका संयोजन बिल जारी होने की तिथि से 7 दिनों के अवसान के पश्चात विच्छेदित कर दिया जाएगा और देय उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग (इयूजरिक्वरी) ऐक्ट, 1958 की धारा 3 और 5 के अन्तर्गत नोटिस जारी करके भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जा सकते हैं। समय-समय पर लागू दर-सूची के प्रावधानों में यह शर्त होती है कि यदि भुगतान देय तिथि के अन्दर नहीं किया गया था, भुगतान न की गई राशि पर विलम्बित अवधि के लिये 2 प्रतिशत प्रति माह पर एक अतिरिक्त प्रभार भी आरोपित किया जाएगा।

विद्युत वितरण खण्ड-II, हरदोई और विद्युत वितरण खण्ड-I, गाजियाबाद की लेखा परीक्षा में की गई नमूना जाँच के दौरान (जून एवं दिसम्बर 2001), यह संज्ञान में आया कि नौ बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं ने सितम्बर 2000 से अर्थात् दर-सूची के संशोधन की तिथि के पश्चात, मासिक बिलों का भुगतान आंशिक रूप से (लगभग 83 प्रतिशत) करना आरम्भ किया। खण्ड ने, जैसा ऊपर चर्चा की गई है, कार्यवाही करने के स्थान पर अक्टूबर 2001 तक आंशिक भुगतान स्वीकार करना जारी रखा, जबकि मुख्य महाप्रबन्धक (वितरण) ने काफी पहले फरवरी 2000 में ही, लागू दर-सूची के अनुसार सख्ती से केवल पूर्ण भुगतान ही स्वीकार किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये थे। इसके परिणामस्वरूप, सितम्बर 2000 से सितम्बर 2002 की अवधि के दौरान विद्युत प्रभारों के रूप में 7.69 करोड़ रुपये का परिहार्य संचय हुआ जिस पर प्रभारित नहीं किया गया अतिरिक्त अधिभार कुल 3.28 करोड़ रुपये का था। विस्तृत विवरण नीचे दिये गये हैं:

(लाख रुपये में)

उपभोक्ताओं के नाम	रोकी गई धनराशि	आरोपित न किया गया अतिरिक्त प्रभार
1. राठी सुपर स्टील लिमिटेड	82.15	29.32
2. राठी उद्योग लिमिटेड	87.66	32.63
3. राठी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	64.85	25.06
4. के.एल.राठी स्टील लिमिटेड	40.00	14.20
5. सुप्रीम एल्वायज लिमिटेड	74.99	26.35
6. जे.सी. स्टील लिमिटेड	6.81	2.01
7. राठी इस्पात लिमिटेड	341.12	110.34

उपभोक्ताओं के नाम	रोकी गई धनराशि	आरोपित न किया गया अतिरिक्त प्रभार
8. तरूण इण्टरनेशनल लिमिटेड	4.51	1.95
9. संडीला मेटल वायर प्राइवेट लिमिटेड, हरदोई	67.29	26.35
कुल	769.38 अथवा 7.69 करोड़ रुपये	328.21 अथवा 3.28 करोड़ रुपये

खण्डीय अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2001) कि आंशिक भुगतान उच्च प्राधिकारियों के दूरभाष निर्देशों के अनुसार स्वीकार किया गया था। पुनः, अब उसे समस्त बकाये को विलम्ब भुगतान/अतिरिक्त प्रभार के बिना किशतों में वसूल किये जाने के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक द्वारा दूरभाष से निर्देश दिये गये हैं (दिसम्बर 2001)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- (i) सितम्बर 2002 तक केवल 1.50 करोड़ रुपये की वसूली ही हुई; तथा
- (ii) मौखिक निर्देशों का पुष्टीकरण नहीं लिया गया।

प्रकरण, कम्पनी एवं शासन को सूचित किया गया (जून 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.22 सरकारी उपभोक्ताओं के देयकों में अनियमिततायें और विषमतायें

सरकारी उपभोक्ता 3.46 करोड़ रुपये तक की सीमा तक देयकीकृत नहीं किये गये/कम देयकीकृत किये गये।

लेखा परीक्षा द्वारा जुलाई 2001 से दिसम्बर 2001 के दौरान की गई वितरण खण्डों की नमूना जाँच ने सरकारी उपभोक्ताओं के देयकीकरण में सितम्बर 2002 तक कुल 3.46 करोड़ रुपये की अधोवार्णित अनियमिततायें संज्ञान में आईं।

1. राज्य नलकूपों/विश्व बैंक नलकूपों का कम देयकीकरण

राज्य नलकूपों और विश्व बैंक नलकूपों के बिल (दर-सूची का एलएमवी-8) सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को सत्यापन हेतु जारी किये जाते हैं। सत्यापित बिलों को महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक), लखनऊ को भुगतान की केन्द्रीय प्राप्ति हेतु प्रेषित कर दिया जाता है। विविख, बड़ौत ने राज्य नलकूपों का देयकीकरण 350 रुपये प्रति बीएचपी (अगस्त 2000 से प्रभावी) के स्थान पर 230 रुपये प्रति बीएचपी की दर से किया। इसके परिणामस्वरूप, अगस्त 2000 से सितम्बर 2001 के दौरान 45.88 लाख रुपये का कम देयकीकरण किया गया। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड ने अक्टूबर 2001 में संशोधित बिल जारी किया जिसकी वसूली अभी तक (सितम्बर 2002) प्रतीक्षित है।

इसी प्रकार, विविख-II, आजमगढ़ ने अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, आजमगढ़ को विश्व बैंक नलकूप हेतु उनके 1300/1302.25 बीएचपी के संविदागत भार के लिये 440 रुपये प्रति बीएचपी की दर पर बिल जारी किये। तथापि, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने बिना कोई कारण बताये केवल 230 रुपये प्रति बीएचपी की दर पर बिलों का सत्यापन किया। इसके परिणामस्वरूप, जुलाई 1999 से जुलाई

2001 की अवधि में 0.52 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई। सत्यापित बिलों को महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक) को केन्द्रीय भुगतान लेने हेतु भेज दिया गया था। यद्यपि, खण्ड ने फरवरी 2002 के अनुवर्ती बिलों में दरों के अन्तर की राशि को बकाये के रूप में जोड़ दिया परन्तु कोई वसूली अब तक (सितम्बर 2002) नहीं की गई है।

2. शंट कैपेसिटर अधिभार/विलम्ब भुगतान प्रभार की वसूली न किया जाना
(क) राज्य नलकूपों और विश्व बैंक नलकूपों (एलएमवी-8 के अन्तर्गत) को विद्युत कारक में सुधार करने के लिये शंट कैपेसिटर संस्थापित करना चाहिये, ऐसा न करने पर बिल की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से शंट कैपेसिटर अधिभार प्रभारणीय था। पुनः, निश्चित देय तिथि तक बिलों का भुगतान न होने की दशा में 1.5 से 2 प्रतिशत की दर पर भी अधिभार प्रभारणीय था।

राज्य नलकूपों (3180 बीएचपी) तथा विश्व बैंक नलकूपों (1300 बीएचपी) पर विविख-II, आजमगढ़ द्वारा निर्धारित किये गये अगस्त 2000 से अगस्त 2001 के 10.20 लाख रुपये के शंट कैपेसिटर अधिभार के बिल सिंचाई विभाग ने सत्यापित नहीं किये जिसके परिणामस्वरूप उसकी वसूली नहीं हुई और जिस पर सितम्बर 2002 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(ख) इसी प्रकार, सिंचाई विभाग द्वारा अप्रैल 1999 से मार्च 2002 के दौरान विविख, बागपत द्वारा राज्य नलकूपों पर आरोपित 20.64 लाख रुपये के शंट कैपेसिटर अधिभार तथा 1.33 करोड़ रुपये के विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान नहीं किया गया जिस पर सितम्बर 2002 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। खण्डीय अधिकारी ने बताया कि चूंकि भुगतान केन्द्रीय रूप से प्राप्त किया जाता है, प्रकरण मुख्यालय को संदर्भित कर दिया गया है।

3. राजस्व का विलम्बित निर्धारण

(क) विशाविख, हुसैनगंज, लखनऊ ने 250 किलो वाट भार वाले और मुद्रण प्रक्रिया (अभियांत्रिकीय प्रक्रिया) में रत सरकारी मुद्रणालय, लखनऊ के बिल, लागू होने वाली एचवी-2 दर-सूची के स्थान पर 9 अगस्त 2000 तक गलत ढंग से एलएमवी-1 तथा तत्पश्चात एलएमवी-4 के अन्तर्गत जारी किये। अतः, गलत दर-सूची के लागू करने से अप्रैल 1998 से जून 2001 के दौरान (तत्पश्चात एचवी-2 दर-सूची के अन्तर्गत देयकीकृत) उपभोक्ता के 0.72 करोड़ रुपये के कम बिल जारी किये गये। खण्डीय अधिकारी ने बताया (जून 2002) कि देयकीकरण, एचवी-2 के अन्तर्गत आरम्भ कर दिया गया है और अगस्त 2000 से फरवरी 2001 का 14.42 लाख रुपये का अन्तर-बिल जारी कर दिया गया है। शेष अवधि के बिल मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात जारी किये जाएंगे।

(ख) इसी प्रकार, विशाविख-I, गाजियाबाद ने प्रबन्धक, दूरभाष केन्द्र को अगस्त 2000 से नवम्बर 2001 तक उपभोक्ता पर लागू एलएमवी-2 के स्थान पर

एलएमवी-4 के अन्तर्गत बिल जारी किये। इससे उपरोक्त अवधि में 47.16 लाख रुपये का कम देयकीकरण हुआ। लेखा परीक्षा की पहल पर (दिसम्बर 2001) खण्ड ने उचित दर-सूची पर बिल जारी करना आरम्भ किया। इसने बाद में 47.16 लाख रुपये का पूरक बिल जारी किया और मई 2002 तक 35 लाख रुपये की वसूली कर ली थी तथा शेष की वसूली प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2002)। प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.23 मिश्रित फीडर से भार निर्मुक्त के कारण हानि

संदिग्ध निष्ठा के एक उपभोक्ता को 11 केवी के मिश्रित फीडर से भार निर्मुक्त के कारण कम्पनी को 23.61 लाख रुपये की हानि हुई।

वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली के अध्याय-2 के उपबन्ध 2.2 एवं 2.3 के अनुसार, आर्क/प्रेरण भट्ठी, रोलिंग एवं रिरोलिंग तथा छोटे इस्पात संयंत्रों का भार स्वतंत्र फीडर से निर्मुक्त किया जाना चाहिये और ऐसे उपभोक्ता स्वतंत्र फीडर के मूल्य का भुगतान करने के उत्तरदायी होते हैं।

विविध, मुरादाबाद के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (सितम्बर 2001) कि रामगंगा सीमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को मार्च 1996 में उनकी प्रेरण भट्ठी के लिये 33 केवी स्वतंत्र फीडर से 2800 कंवीए का भार निर्मुक्त किया गया। अप्रैल 2000 में उपभोक्ता का भार घटाकर 2000 कंवीए कर दिया गया। पुनः, जून 2001 में उपभोक्ता ने भार को घटाकर 1000 कंवीए करने की प्रार्थना की क्योंकि उन्होंने अपनी भट्ठी की क्षमता को घटाकर 1.5 टन कर लिया था और आग्रह किया कि 1000 कंवीए का भार 33 केवी स्वतंत्र फीडर के स्थान पर 11 केवी बिलारी टाउन फीडर से निर्मुक्त किया जाय। वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली के प्रावधानों के बावजूद कि किसी आर्क/प्रेरण भट्ठी उपभोक्ता का भार मिश्रित फीडर से निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है, उपभोक्ता का भार 11 केवी स्वतंत्र फीडर के स्थान पर 0.67 लाख रुपये के मूल्य पर 11 केवी टाउन फीडर से लेकर निर्मुक्त किया गया (जुलाई 2001)। उपभोक्ता को, अनुमन्य 11 केवी बे का मूल्य (16.11 लाख रुपये) तथा सिस्टम लोडिंग प्रभार (7.50 लाख रुपये) का प्रभारण न करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया। यह भी देखा गया कि पहले भी उपभोक्ता विद्युत चोरी में लिप्त पाया गया था जिसके लिये उसके विरुद्ध लोक हित वाद का प्रकरण लम्बित था। मिश्रित फीडर से आपूर्ति देकर एक संदिग्ध निष्ठा के उपभोक्ता को जोड़-तोड़ की सुविधा भी प्रदान कर दी गई। इस प्रकार, नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य 11 केवी मिश्रित टाउन फीडर से भार की निर्मुक्ति के परिणामस्वरूप संदिग्ध निष्ठा के एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और 23.61 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.24 पूर्ण हो गई पारेषण लाइन के कण्डक्टर की कम वापसी

कम्पनी ने कण्डक्टर के प्रयोग में अनुमन्य से अधिक अपव्यय होने के कारण 47.48 लाख रुपये की हानि उठाई।

अधीक्षण अभियन्ता, 400 केवी पारेषण अभिकल्प मण्डल, लखनऊ ने एसआई (इण्डिया) लिमिटेड (आरपीजी ट्रांसमिशन लिमिटेड, नई दिल्ली के रूप में पुनर्नामित) के साथ 45.87 करोड़ रुपये में टावरों की आपूर्ति तथा उन्नाव से बरेली 400 के वी डबल सर्किट पारेषण लाइन (270.91 किमी) का निर्माण करने हेतु एक अनुबन्ध निष्पादित किया। कण्डक्टर, अर्थ वायर आदि सहित लाइन सामग्री को निःशुल्क विभागीय रूप से इस शर्त पर निर्गत किया जाना था कि उनकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक की शेष सामग्री (कण्डक्टर एवं अर्थ वायर के प्रकरण में 1.25 प्रतिशत अपव्यय सहित) ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्त होने के तीन माह के अन्दर वापस कर दी जाएगी, ऐसा न करने पर शेष अधिक सामग्री में से वापस न किये गये अंश की वसूली, वास्तविक वसूली के समय प्रचलित बाजार भाव से दुगुनी दर पर की जाएगी (अनुबन्ध का उपबन्ध 3.6.1 एवं 3.7)। अनुबन्ध के उपबन्ध 3.6.3 में आगे प्रावधान है कि अपव्यय को (लाइन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त न किये गये) या तो क्षतिग्रस्त व अन्य रूप में वापस किया जाएगा जिसके सम्बन्ध में वसूली की दर का प्रावधान अनुबन्ध में नहीं था।

विद्युत पारेषण खण्ड, शाहजहाँपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से संज्ञान में आया (जनवरी 2002) कि खण्ड ने ठेकेदार को 400 केवी डबल सर्किट उन्नाव से बरेली लाइन (271 किमी) के निर्माण हेतु 3291.557 किमी की आवश्यकता के विरुद्ध (लाइन की लम्बाई के आधार पर 3250.92⁷⁹ किमी तथा 1.25 प्रतिशत पर 40.637 किमी का अपव्यय) 3333.60 किमी एसीएसआर 'भूज कण्डक्टर' निर्गत किया। यह देखा गया कि झूसी-उन्नाव लाइन के निर्माण के ऐसे ही अनुबन्ध में, ठेकेदार को केवल 0.56 प्रतिशत अपव्यय की ही अनुमति दी गई थी। यदि इस प्रकरण में भी वही मानक अपनाये गये होते तो ठेकेदार को 40.637 किमी के स्थान पर केवल 18.205 किमी कण्डक्टर के अपव्यय (3250.92 किमी का 0.56 प्रतिशत) की अनुमति ही दी गई होती। इसके परिणामस्वरूप 47.48 लाख रुपये मूल्य के 19.997 किमी के अतिरिक्त अपव्यय (22.432 किमी में घटाया वापस किया गया 2.435 किमी) की अनुमति प्रदान की गई। ठेकेदार ने 42.043 किमी बचे हुये कण्डक्टर के विरुद्ध केवल 39.663 किमी कण्डक्टर ही वापस किया (मार्च 2001)। शेष 2.38 किमी के लिये 9.83 लाख रुपये की वसूली योग्य राशि (फरवरी 2001 में प्रचलित बाजार दरों से दुगुने पर) के विरुद्ध मात्र 4.82 लाख रुपये की वसूली की गई (फरवरी 2001)। इस कारण ठेकेदार से 5.01 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

महाप्रबन्धक (पारेषण-केन्द्रीय), लखनऊ ने बताया (जुलाई 2002) कि 40.637 किमी में से 4.88 टन कण्डक्टर स्क्रेप (2.435 किमी के समकक्ष) की वापसी तथा शेष

⁷⁹ 270.91x12 कण्डक्टर (प्रत्येक फेज हेतु दो तार x 3 फेज x 2 परिपथ)।

को अलिखित अपव्यय मान लेना उचित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झूसी से उन्नाव एवं उन्नाव से बरेली की दोनों पारेषण लाइनों को समान विशिष्टियों और शर्तों के अन्तर्गत निर्मित किया गया था।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.25 ईआरसी की शर्तों में अनाधिकृत छूट

कम्पनी, अनाधिकृत स्पष्टीकरण जारी करने के कारण, 10.99 करोड़ रुपये की वसूली नहीं कर सकी और 1.11 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि भी उठाई।

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विभिन्न श्रेणी पर लागू होने वाली दर अनुसूची, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) द्वारा इलेक्ट्रिसिटी रिफार्मस ऐक्ट, 1999 की धारा 24 के अन्तर्गत निहित अधिकारों के प्रयोग से जारी की जाती है और अनुज्ञापिधारक को दर-सूची में किसी भी रूप में परिवर्तन करने, संशोधन करने और छूट देने का कोई भी अधिकार नहीं है।

ईआरसी द्वारा जारी अगस्त 2000 से प्रभावी दर-अनुसूची एचवी-2 के मद 4(ए) के अधोलिखित नोट (ए) में प्रावधान है कि 400/220/132 के वी उपकेन्द्र से निकलने वाले स्वतंत्र फीडरों से आपूर्ति प्राप्त करने वाले आर्क/प्रेरण भट्टियों के उपभोक्ताओं पर मांग और विद्युत प्रभारों के 15 प्रतिशत का एक अतिरिक्त अधिभार इस शर्त पर आरोपित किया जाएगा कि ऐसे उपभोक्ताओं को एक माह में न्यूनतम 500 घण्टे की सुनिश्चित आपूर्ति दी जाएगी।

तथापि, कम्पनी के मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक) जो यद्यपि अधिकृत नहीं थे, ने 8 सितम्बर 2000 को जारी दिशा-निर्देशों और 15 दिसम्बर 2000 के स्पष्टीकरण में यह कहते हुये दर-सूची के प्रावधानों में छूट दे दी कि उन उपभोक्ताओं पर कोई अधिभार आरोपित नहीं किया जाएगा जो एक माह में 500 घण्टों की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त करने के लिये विकल्प नहीं देते हैं।

विद्युत शहरी वितरण खण्ड-III, गाजियाबाद (फरवरी 2002), विविख, नजीबाबाद (जून 2001), विविख, आजमगढ़ (दिसम्बर 2001), विविख-II, हरदोई (जुलाई 2002) व विद्युत शहरी वितरण खण्ड-I, गाजियाबाद (दिसम्बर 2001) के अभिलेखों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि 132 केवी उपकेन्द्र से निकलने वाले स्वतंत्र फीडरों से आपूर्ति प्राप्त करने वाले 13 आर्क/प्रेरण भट्टियों के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अधिभार का निर्धारण, जिन्होंने प्रतिमाह 500 घण्टे की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया था, दर-सूची के प्रावधानों के अनुसार 15 प्रतिशत की दर से नहीं किया गया था जो अगस्त 2000 से सितम्बर 2001 के दौरान कुल 10.99 करोड़ रुपये का था, जैसा आगे विवरण दिया गया है:

क्र० सं०	उपभोक्ता का नाम एवं अनुबंधित भार	इकाई	अवधि	स्वतंत्र फीडर के लिये अतिरिक्त अधिभार (लाख रुपये में)	ब्याज की हानि 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बद्री कंदार स्टील (1050 केवीए)	विविख, नजीबाबाद	8/2000 से 8/2001	21.13	1.73
2.	जगन्नाथ स्टील्स, (1800 केवीए)	विविख-II, आजमगढ़	8/2000 से 9/2001 (15.09.2001 तक)	52.65	6.04
3.	श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स, मेरठ (7000 केवीए)	विविख-III गाजियाबाद	8/2000 से 8/2001	150.33	13.30
4.	संडीला मेटल वायर्स प्राइवेट लिमिटेड	विविख-II हरदोई	8/2000 से 15.09.2001 तक	77.97	15.35
5.	के.एल.राठी स्टील्स (3000 केवीए)	विविख-I गाजियाबाद	8/2000 से 15.09.2001 तक	39.54	3.67
6.	गोयल गैसज लिमिटेड (6700 केवीए)	विविख-I गाजियाबाद	8/2000 से 15.09.2001 तक	168.64	17.54
7.	राठी सुपर स्टील (4950 केवीए)	विविख-I गाजियाबाद	8/2000 से 15.09.2001 तक	75.79	7.30
8.	राठी उद्योग लिमिटेड (3500 केवीए)	विविख-I गाजियाबाद	8/2000 से 15.09.2001 तक	79.30	7.38
9.	समटेल कलर लिमिटेड (1500 केवीए)	विविख-I गाजियाबाद	8/2000 से 15.09.2001 तक	25.47	2.26
10.	राठी इण्डकशन लिमिटेड (3100 केवीए)	विविख-I गाजियाबाद	8/2000 से 15.09.2001 तक	50.02	4.74
11.	राठी इस्पात लिमिटेड (15000 केवीए)	विविख-I गाजियाबाद	8/2000 से 15.09.2001 तक	290.20	25.96
12.	सुप्रीम इल्वायज प्राइवेट लिमिटेड (1800 केवीए)	विविख-I गाजियाबाद	8/2000 से 15.09.2001 तक	65.56	5.94
13.	एच.वी.आर.एल्वायज (975 केवीए)	विविख-I गाजियाबाद	8/2000 से 15.09.2001 तक	2.22	0.06
			योग	1098.82	111.27

एलएमएल, कानपुर द्वारा प्रस्तुत की गई एक याचिका पर इलाहाबाद स्थित माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को मान्यता दी (अगस्त 2001) कि केवल विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर-सूची ही लागू होने योग्य थी और अनुज्ञप्तिधारक कोई संशोधन नहीं कर सकता था। परिणामतः, 9 सितम्बर 2000 के दिशानिर्देश तथा 15 दिसम्बर 2000 को जारी किये गये स्पष्टीकरण को कम्पनी द्वारा

सितम्बर 2001 में वापस ले लिया गया और खण्डीय अधिकारी द्वारा 10.99 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अधिभार के बिल सितम्बर 2001 अर्थात् 1 से 13 माह के विलम्ब के पश्चात जारी किये गये। बिलों की वसूली नहीं हुई फिर भी इन उपभोक्ताओं की आपूर्ति को उपमहाप्रबन्धक (वाणिज्यिक) के आदेशों के अनुसार विसंयोजित नहीं किया गया (दिसम्बर 2001)।

इस प्रकार, मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा अनाधिकृत आदेशों को जारी करने के कारण, 10.99 करोड़ रुपये की राशि न केवल बिना वसूली के पड़ी थी अपितु बिलों के जारी करने में विलम्ब की अवधि में 1.11 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज की हानि भी परिणामित हुई।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.26 शीर्ष समय के प्रतिबन्धों के उल्लंघन हेतु अर्थदण्ड का अल्पारोपण

कम्पनी ने शीर्ष समय के प्रतिबन्धों हेतु अर्थदण्ड का अल्पारोपण कर 34.54 लाख रुपये की हानि उठाई।

राज्य सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 1984) के अनुसार, शीर्ष समय के प्रतिबन्धों और साप्ताहिक बन्दी का उल्लंघन करते हुये अनिरंतर प्रक्रिया एवं आर्क/प्रेरण भट्टियों के उपभोक्ता को 15 सितम्बर 2001 तक प्रत्येक उल्लंघन के लिये 100 केवीए तक, 100 केवीए से अधिक (500 केवीए तक) तथा 500 केवीए से अधिक के उनके अनुबन्धित भार पर क्रमशः 50 रुपये, 30 रुपये तथा 20 रुपये प्रति केवीए के अर्थदण्ड का दण्डभागी था। 16 सितम्बर 2001 से लागू, कम्पनी की दर-सूची एचवी-2 दोषी होने की घटना के प्रत्येक प्रकरण के लिये अनुबन्धित भार के प्रति केवीए पर 75 रुपये के अर्थदण्ड के आरोपण का प्रावधान था।

लेखा परीक्षा द्वारा की गई नमूना जाँच से संज्ञान में आया (दिसम्बर 2001 एवं फरवरी 2002) कि विद्युत वितरण खण्ड-II, मथुरा तथा विद्युत वितरण खण्ड-I, अलीगढ़ ने मई 2000 से दिसम्बर 2001 के दौरान, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) के इस सम्बन्ध में जारी किये निर्देशों (अप्रैल 1999) के दृष्टिगत, प्रथम एमआरआई रिपोर्ट को पूरे माह के लिये एक उल्लंघन के रूप में मानते हुये 18 उपभोक्ताओं पर 22.90 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया। यह निर्देश सरकारी अधिसूचना के उपरोक्त प्रावधान तथा कम्पनी के आदेशों के विरुद्ध थे और मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) उसमें छूट देने के अधिकृत नहीं थे। प्रत्येक उल्लंघन को एक पृथक उल्लंघन के रूप में मानते हुये, उन उपभोक्ताओं जिन पर अर्थदण्ड के रूप में 57.44 लाख रुपये का प्रभारण किया जाना चाहिये था, केवल 22.90 लाख रुपये का ही प्रभारण किया गया।

अतः, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) के अनियमित आदेश के कारण, कम्पनी ने शीर्ष समय के प्रतिबन्धों हेतु अर्थदण्ड के अल्प आरोपण द्वारा 34.54 लाख रुपये की हानि उठाई।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2001 और फरवरी 2002) कि अर्थदण्ड का अल्प आरोपण/अर्थदण्ड में संशोधन उच्च प्राधिकारियों के आदेशों के अनुसार किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकारी अधिसूचना के प्रावधान में दी गई छूट सरकार के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं की जा सकती थी।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3अ.27 दर-सूची के गलत लागू किये जाने के कारण राजस्व की हानि

कम्पनी ने सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन में और ऊर्जा सचिव की पहल पर एक उपभोक्ता को अनुचित रूप से अधिमान दिये जाने के कारण 0.59 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

जुलाई 2000 तक प्रभावी दर-अनुसूची एचवी-1 उन सभी उपभोक्ताओं पर लागू थी जिनका अनुबन्धित भार उनकी आर्क/प्रेरण भट्ठी, रोलिंग मिलों आदि के लिये 100 बीएचपी से अधिक था।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध) के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2001) से संज्ञान में आया कि आर्क भट्ठी के लिये 3450 केवीए ने अनुबन्धित भार वाले उत्तर प्रदेश स्टील्स, मौसूरपुर, मुजफ्फरनगर का देयकीकरण अगस्त 1999 तक दर-अनुसूची एचवी-1 के अन्तर्गत किया गया। उपभोक्ता ने दर-सूची एचवी-1 को एचवी-2 में परिवर्तन करने का आग्रह इस आधार पर किया (जुलाई 1999) कि वे अपनी भट्ठियों का प्रयोग एलाइड स्टील और ढलवा अभियांत्रिक माल के उत्पादन में कर रहे थे। परिषद ने, दर-सूची के प्रावधानों के उल्लंघन में उपभोक्ता को अपवाद रूप से एक वर्ष के लिये एचवी-2 के अन्तर्गत देयकीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी (जुलाई 1999) कि यदि उपभोक्ता अपनी भट्ठियों का प्रयोग रोलिंग और रिरोलिंग मिलों हेतु इन्गौट का उत्पादन करता हुआ पाया गया तो, उनका देयकीकरण अनुबन्ध की तिथि (सितम्बर 1999) से एचवी-1 दर-सूची के अन्तर्गत कर दिया जाएगा।

अतः, परिषद ने एक विशेष प्रकरण में एक वर्ष के लिये गलत दर-सूची लागू किये जाने की अनुमति देकर, उपभोक्ता को सितम्बर 1999 से जुलाई 2000 की अवधि के दौरान 0.59 करोड़ रुपये (एचवी-1 के अन्तर्गत 2.33 करोड़ रुपये

घटाया एचवी-2 के अन्तर्गत 1.74 करोड़ रुपये) की सीमा तक का अनुचित लाभ प्रदान किया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002 व जनवरी 2003) कि यद्यपि उपभोक्ता की दर-सूची एचवी-1 को एचवी-2 में परिवर्तित किये जाने की प्रार्थना को परिषद द्वारा नवम्बर 1998 में अस्वीकार कर दिया गया था परन्तु उसे ऊर्जा सचिव के निर्देशों के अनुपालन में एक विशेष प्रकरण में मात्र एक वर्ष के लिये अनुमन्य कर दिया।

उत्तर स्वयं ही प्रमाणित करता है कि गलत दर-सूची का लाभ असाधारण रूप से एक ही उपभोक्ता को प्रदान किया गया था जो विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 49(4) का स्पष्ट उल्लंघन था जिसमें किसी व्यक्ति को अधिमान दिये जाने की मनाही थी।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (अक्टूबर 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2002)।

3ब. सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

3ब.1 अधिक अनुबन्धित भार के कारण परिहार्य हानि

वास्तविक मांग की तुलना में विद्युत के उच्च अनुबन्धित भार के कारण 11 लाख रुपये की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यूपीएसईबी) (सम्प्रति में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की बड़े और भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची एचवी-2 के अनुसार, समय-समय पर लागू दरों पर उपभोग की गई वास्तविक विद्युत ऊर्जा के प्रभारों सहित अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत अथवा वास्तविक मांग पर, जो भी अधिक हो, मांग प्रभार आरोपणीय है। दर-सूची में, उस प्रकरण में जहाँ मांग और विद्युत प्रभारों का योग निर्धारित न्यूनतम प्रभारों से कम रह जाता है, अनुबन्धित भार पर न्यूनतम उपभोग गारण्टी प्रभारों के भुगतान का भी प्रावधान है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, अलीगढ़ के अभिलेखों की संविक्षा ने प्रकट किया (सितम्बर 2001) कि अपनी रसूलपुर कार्यशाला हेतु निगम ने मई 1993 में यूपीएसईबी से 118 केवीए का एक अनुबन्धित भार लिया। अक्टूबर 1997 से दिसम्बर 2001 के दौरान कार्यशाला द्वारा आहरित किये गये वास्तविक भार के आधार पर लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि कार्यशाला की वास्तविक भार की आवश्यकता 30 केवीए से अधिक नहीं थी (अधिकतम वास्तविक मांग 18 से 28.6 केवीए के मध्य आरेखित)। परिणामस्वरूप, निगम को 89 केवीए (118 केवीए का 75 प्रतिशत) पर न्यूनतम मांग प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।

भार की आवश्यकता के गलत आंकलन के कारण, निगम ने अक्टूबर 1997 से दिसम्बर 2001 की अवधि के दौरान 11 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया (59 केवीए पर मांग प्रभारों के 3.88 लाख रुपये और 118 के वी ए पर न्यूनतम उपभोग गारण्टी प्रभारों से वास्तविक उपभोग में गिरावट के कारण 7.12 लाख रुपये)।

शासन ने बताया (अगस्त 2002) कि अनुबन्धित भार, परिसर में संयोजित वास्तविक भार पर आधारित था और इसलिये दिखाई गई वास्तविक मांग अनुबन्धित मांग से कम थी और अनुबन्धित भार को कम करना सम्भव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बड़े विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन, 1984 के अनुसार इन प्रतिबन्धों सहित कि आहरित किया गया वास्तविक भार अनुबन्धित भार से अधिक नहीं होना चाहिये, अनुबन्धित से अधिक भार को संयोजित करने की अनुमति है, और ऐसे मूल्य के आर्थिक पहलू का आगणन नहीं किया गया।

3ब.2 निष्फल व्यय

राजस्थान सरकार को विशेष मार्ग कर का अग्रिम भुगतान करने के बावजूद, निगम फेरों में कटौती किये जाने के कारण अपनी बसों का संचालन नहीं कर सका और 12.70 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 की धारा 4बी के प्रावधानों के अनुसार, राज्य के अन्दर अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले अन्य राज्यों के सरकारी वाहनों को, राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग को, राजस्थान राज्य में संचालित की जाने वाली बसों द्वारा चले गये निर्धारित प्रतिदिन के फेरों/कि मी के अनुसार 'विशेष मार्ग कर' (एसआरटी) का अग्रिम भुगतान करना होता है।

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया (जून 2001) कि आगरा क्षेत्र का मथुरा डिपो निर्धारित फेरों का संचालन नहीं कर सका जिसके लिये राजस्थान राज्य के पास अग्रिम कर जमा किया जा चुका था। डिपो ने 1998-99 से 2001-02 तक के चार वर्षों के दौरान 639535 किमी को समाहित करते हुये 3774 फेरों की कटौती कर दी। फेरों की वार्षिक कटौती 17 से 30 प्रतिशत के मध्य आरेखित थी। चूँकि, निर्धारित फेरों के विरुद्ध एसआरटी का अग्रिम भुगतान किया जा चुका था, 3774 फेरों के संचालन न किये जाने के परिणामस्वरूप 12.70 लाख रुपये का निष्फल व्यय किया गया।

प्रकरण, निगम और शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2002)।

3ब.3 अतिरिक्त कर की वसूली न करने के कारण हानि

किराये की संरचना में अतिरिक्त मार्ग कर को सम्मिलित करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप यात्रियों से 37.69 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन (कराधान) अधिनियम, 1997 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार (9 नवम्बर 1998 से प्रभावी), वृद्धिगत 21 प्रतिशत यात्री कर का भुगतान वाहन संचालकों द्वारा किया जाना था। निगम, यात्रियों पर प्रभारित किये गये संयुक्त किराये में ऐसे करों को सम्मिलित कर लेता है।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2001) कि निगम का क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर 9 नवम्बर 1998 से 28 फरवरी 1999 तक यात्रियों पर प्रभारित किये गये किराये में बढ़े हुये कर को सम्मिलित करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, यात्रियों से 37.69 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त कर के अन्तर की कम वसूली हुई। अतः, कर की नई दरों के क्रियान्वयन में 3 माह और 17 दिनों के असामान्य विलम्ब के कारण, निगम को 37.69 लाख रुपये तक की सीमा के अतिरिक्त कर के अन्तर की वसूली न होने के कारण हानि उठानी पड़ी जिसकी यात्रियों से वसूली असाध्य हो गई थी।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2002) कि कर की बढ़ी हुई दरों पर वसूली, परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 5.12.1998 जिसमें संशोधित अधिनियम का क्रियान्वयन निलम्बित किया गया था, के अनुसार टाल दी गई थी और परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 22.01.1999 को प्रतिसंहरण आदेश के जारी किये जाने के पश्चात ही आरोपित किया गया। तथापि, शासन ने स्वीकार किया कि उपरोक्त कारण के अतिरिक्त, बढ़े हुये यात्री कर को आरोपित करने में विलम्ब हुआ था जिससे 15.08 लाख रुपये की कम वसूली हुई। यह उल्लेखनीय है कि 22.61 लाख रुपये की राशि की शेष कम वसूली का उत्तरदायित्व भी निगम पर था क्योंकि संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत कर की वसूली स्थगित करने का परिवहन आयुक्त का आदेश, संचालकों से वसूली स्थगित करने हेतु प्रवर्तन अधिकारी पर लागू होता था। बढ़े हुये यात्री कर की वसूली स्थगित करते हुये बाद को किसी सरकारी अधिसूचना के अभाव में निगम, परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 5.12.1998 का बहाना नहीं ले सकता है, जो एक विभागीय आदेश था और निगम को जारी नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

3ब.4 निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण हानि

अधिग्रहण में विलम्ब और सहायता प्रदत्त इकाइयों के निदेशक मण्डल में अपने निदेशक को नामित करने में असफल होने के परिणामस्वरूप 1.56 करोड़ रुपये के मूल्य की बंधक परिसम्पत्तियों की हानि हुई।

निगम ने वाइटल कम्यूनिकेशन लिमिटेड (वीसीएल), नोएडा को वायस मेल सिस्टम्स, इंटरऐक्टिव वायस रेसपॉन्स सिस्टम्स एवं इंटरनेट सोल्यूशन्स के निर्माण हेतु 0.97 करोड़ रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया (मार्च 1997)। इसने, वाइटल इन्फोटेक लिमिटेड (वीआईएल), नोएडा (वीसीएल का एक सह-संस्थान) को भी साफ्टवेयर के विकास हेतु 0.82 करोड़ रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया (अक्टूबर 1997)। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध, निगम ने वीसीएल को 0.90 करोड़ रुपये (मार्च 1997 से अगस्त 1997) तथा वीआईएल को 0.46 करोड़ रुपये के सावधि ऋण (दिसम्बर 1997 से जुलाई 1998) का वितरण, भूमि एवं भवन, संयंत्र एवं मशीनरी की मुख्य प्रतिभूति तथा चल सम्पत्ति (0.57 करोड़ रुपये) एवं अचल सम्पत्ति (0.45 करोड़ रुपये) रखने वाले मुख्य प्रवर्तक (श्री विनय तलवार) की व्यक्तिगत प्रत्याभूति पर किया। इसके अतिरिक्त, ऋण की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निगम, अपने हितों की सुरक्षा के लिये प्रत्येक इकाई के निदेशक मण्डल में एक नामित निदेशक के नियुक्त करने का भी अधिकारी था।

निगम ने दोनों सहायता प्रदत्त इकाइयों में से किसी में भी अपने निदेशक को नामित नहीं किया। चूंकि दोनों इकाइयाँ आरम्भ से ही पुनर्भुगतान करने में दोषी हो गई, निगम ने एसएफसी अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत दोनों इकाइयों

का अधिग्रहण करने की नोटिसे जारी कर दी (सितम्बर 1998)। निगम द्वारा इकाइयों का अधिग्रहण किये जाने की मंशा उजागर हो जाने के पश्चात ऐसी सम्पत्ति के हटा दिये जाने के संभावित खतरे के बावजूद, भौतिक कब्जा दिसम्बर 2000 और जनवरी 2001 के मध्य ही लिया गया (2 वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात)। अधिग्रहण करने पर यह पाया गया कि दोनों इकाइयों की कुल 1.56 करोड़ रुपये के संयंत्र और मशीनरी गायब थी। जनवरी 2001 तक देय 1.61 करोड़ रुपये के अतिदेयों के विरुद्ध, बची हुई परिसम्पत्तियाँ मात्र 0.043 करोड़ रुपये ही दे पाई (मार्च 2001)।

इकाइयों के अधिग्रहण में विलम्ब के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि दोनों इकाइयों ने अपने संयंत्र और मशीनरी को नवीनीकरण किये जाने का आधार लेकर निगम की स्वीकृति के बिना अपने नई दिल्ली स्थित कम्पनी कार्यालय में स्थानान्तरित करके (जनवरी 2000) समझौते का उल्लंघन किया था। इन संयंत्रों और मशीनरी को अधिग्रहण एवं इकाइयों की बिक्री तक कार्य स्थल पर पुनर्स्थापित नहीं किया गया था। बंधक परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण में असामान्य विलम्ब तथा निदेशक मण्डल में अपने निदेशक को नामित करने में असफल होने से 1.56 करोड़ रुपये के मूल्य की बंधक परिसम्पत्तियों की हानि को सहज बना दिया। 15 जुलाई 2002 को इकाई के अतिदेय 2.66 करोड़ रुपये की राशि के थे। शेष देयों की वसूली के लिये, निगम ने इकाई के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) तथा भूतपूर्व प्रवर्तक की व्यक्तिगत प्रत्याभूति के विरुद्ध व्यक्तिगत वसूली प्रमाण-पत्र (पीआरसी) जारी किये (मार्च-जुलाई 2002)। तथापि, कोई वसूली अब तक नहीं की गई (सितम्बर 2002)।

शासन ने बताया (सितम्बर 2002) कि इकाइयों के अधिग्रहण इसलिये विलम्बित रहा कि औचित्यपूर्ण उचित प्रस्ताव वाला उचित क्रेता नहीं मिला। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बंधक सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु कोई उपाय किये बिना, अधिग्रहण की विलम्बित कार्यवाही के फलस्वरूप उसके हटाये जाने का संभावित खतरा पैदा हो गया था और जिससे अन्ततः भारी हानि हुई।

3ब.5 सम्पार्श्विक प्रतिभूति के जाली अभिलेखों के विरुद्ध ऋण का वितरण

दोषपूर्ण मूल्यांकन पद्धति के कारण, बिक्री योग्य स्वामित्व न रखने वाली झूठी और जाली प्रतिभूति को स्वीकार किया गया जिसके परिणामस्वरूप 0.72 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

निगम ने अरिहन्त सूडेस लिमिटेड, साहिबाबाद को पीयू फोम निर्मित करने के लिये 1 करोड़ रुपये का एक कार्यशील पूँजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) स्वीकृत (सितम्बर 1995) एवं वितरित किया (दिसम्बर 1995)। ऋण की संरक्षा, चालू परिसम्पत्तियों पर प्रथम स्वामित्व धारण करके तथा सम्पत्तियों को सामयिक बंधक रखकर सम्पार्श्विक प्रतिभूति द्वारा की जानी थी। ऋण-अनुबंध सह बंधक-विलेख

का निष्पादन दिसम्बर 1995 में किया गया। निगम द्वारा सम्पाश्विक प्रतिभूति के विरुद्ध तीन सम्पत्तियों (1.49 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित) जैसे गाजियाबाद स्थित पाँच वाणिज्यिक दुकानें तथा एक हाल तथा दिल्ली स्थित छः दुकानों के सामयिक बंधकीकरण को स्वीकार किया गया (दिसम्बर 1995)।

इकाई, बकायों का पुनर्भुगतान, 3 महीनों की सगर्भता अवधि सहित पुनर्भुगतान अवधि (अप्रैल 1996 से सितम्बर 1999) के अन्दर नहीं कर सकी। निगम ने प्रतिभूति के रूप में दी गई बंधक सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी की (अगस्त 2000)। बंधक सम्पत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया के दौरान निगम ने पाया कि सम्पत्तियों के विक्रय विलेख झूठे और जाली थे। निगम द्वारा बंधक सम्पत्तियों के सम्बंध में की गई एक जाँच (जुलाई 2001) से ज्ञात हुआ कि दो बंधक सम्पत्तियों के भूमि क्षेत्र (गाजियाबाद स्थित दुकानें और हाल) को प्रत्याभूति दाता द्वारा जानबूझकर दुराशय से दुकानों के प्रकरण में 48 वर्ग फीट से 480 वर्ग फीट तथा हाल के प्रकरण में 200 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक बढ़ा दिया गया था। तृतीय बंधक सम्पत्ति (दिल्ली की दुकानें) जिसे प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया गया था, को प्रत्याभूति दाता एक तीसरे पक्ष को पहले ही बेच दिया (अक्टूबर 1989) पाया गया और प्रत्याभूति दाता के पास कोई स्वामित्व अधिकार नहीं था। दिसम्बर 1995 में शपथपत्र के साथ जमा किये गये, दुकानों के अगस्त 1966 के मूल विक्रय विलेख उसके द्वारा अक्टूबर 1989 में पहले ही बेचे जा चुके थे। तथापि, निगम ने प्रत्याभूति दाता के विरुद्ध उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति से, अप्रैल 2001 तक देय 0.93 करोड़ रुपये की वसूली हेतु व्यक्तिगत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया (अगस्त 2001) परन्तु नवम्बर 2001 तक कोई वसूली नहीं की जा सकी थी।

निगम, सम्पत्ति के एक बिक्री योग्य स्वामित्व न होने की दशा में अतिदेयों की वसूली सम्पाश्विक प्रतिभूति से नहीं कर सका। वह, एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के अन्तर्गत अतिदेयों का समाधान 0.87 करोड़ रुपये पर (0.14 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज की माफी के पश्चात) करने हेतु एक समझौता करने (दिसम्बर 2001) के लिये बाध्य हो गया। इसके विरुद्ध, वह सितम्बर 2002 तक केवल 0.29 करोड़ रुपये की वसूली ही कर सका और 0.72 करोड़ रुपये की शेष धनराशि की वसूली अब भी की जानी थी। निगम ने वसूली सुनिश्चित करने और अपने हित की सुरक्षा हेतु बाद की तिथियों के चेक अथवा अन्य कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये।

अधिग्रहण प्रक्रिया और तत्पश्चात जाँच के दौरान प्रकाश में आये, सम्पत्तियों के भूमि क्षेत्र को बढ़ाकर दर्शाने वाले बंधक सम्पत्तियों के झूठे एवं जाली विक्रय विलेख आदि से सम्बन्धित तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि मूल्यांकन

प्रक्रिया दोषपूर्ण थी क्योंकि सम्पत्तियों के अभिलेखों जिन्हें बंधक बनाया गया था, का सत्यापन उचित रूप से नहीं किया गया था (सम्पत्तियों का स्वामित्व, राजस्व प्राधिकारियों से सत्यापित कराये जाने का विकल्प अपनाया गया) तथा बंधक रखे गये परिसरों/सम्पत्तियों का ऋण के मूल्यांकन के समय निरीक्षण नहीं किया जिससे निगम को 14 लाख रुपये के ब्याज की माफी के पश्चात ओटीएस को स्वीकार करना पड़ा।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2002) में प्रतिभूतियों के सत्यापन में हुई चूक के लिये उत्तरदायित्व नियत करने में असफलता के कारणों की चर्चा नहीं की थी।

3ब.6 देयों की अननुमन्य माफी के कारण हानि

एक मुश्त समाधान (ओटीएस) के अपने स्वयं के मानकों के विरुद्ध, निगम ने निम्न ओटीएस स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप 16.57 लाख रुपये की हानि हुई।

निगम ने नीतू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर को लौह चूर्ण के निर्माण हेतु एक इकाई संस्थापित करने के लिये 25 लाख रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया (मई 1992) और इसके विरुद्ध 16.54 लाख रुपये की राशि का वितरण किया। इकाई, प्रारम्भ से ही (मार्च 1994) देयों के पुनर्भुगतान में दोषी हो गई। निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत वसूली की नोटिस जारी की (नवम्बर 1995) और तत्पश्चात इकाई के विक्रय हेतु विज्ञापन निर्मुक्त किया जो निष्फल रहा। निगम ने फरवरी 1998 में वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी किया, वह भी फलदायी नहीं हो सका और 20 मार्च 2000 को 63.16 लाख रुपये तक के देय संचित हो गये।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (फरवरी 2002) कि निदेशकों के विरुद्ध व्यक्तिगत वसूली प्रमाण-पत्र (पीआरसी) निर्गत नहीं किया गया यद्यपि निदेशकों की चल-अचल परिसम्पत्तियाँ, ऋण आवेदन-पत्र के मूल्यांकन के समय 0.58 करोड़ रुपये की प्रदर्शित की गई थी। निदेशक मण्डल ने अपने ही मानकों के विरुद्ध जिसके अन्तर्गत वसूली योग्य धनराशि 34.07 लाख रुपये की आगणित होती थी, 17.50 लाख रुपये के एकमुश्त समाधान (ओटीएस) का अनुमोदन किया जिससे निगम को 16.57 लाख रुपये की पुनः हानि हुई।

शासन ने बताया (अगस्त 2002) कि निदेशक मण्डल ने, निगम के पास उपलब्ध 10.97 लाख रुपये की प्रतिभूति की अल्प राशि का विचार करते हुये 17.50 लाख रुपये में ओटीएस का अनुमोदन किया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निगम के दिशा-निर्देश के अनुसार न्यूनतम वसूली योग्य धनराशि 34.07 लाख रुपये थी और कम धनराशि को स्वीकार करना इसके व्यापक वित्तीय हित में नहीं थी।

3ब.7 कार्यशील पूँजी सावधि ऋण की अनियमित स्वीकृति

सत्यापित लेखों और तीन वर्षों के संचालन के विवरण प्राप्त करने में असफलता एवं भौतिक कब्जा लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.02 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

निगम ने हमीरपुर एल्वायज प्राइवेट लिमिटेड को स्टील इन्ग्राट और कास्टिंग के निर्माण हेतु 0.60 करोड़ रुपये का एक कार्यशील पूँजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) स्वीकृत किया (अगस्त 1997)। ऋण का संरक्षण, चालू परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार तथा साथ ही पिकअप के पास बंधक रखी भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य अचल परिसम्पत्तियों (1.27 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित) पर पिकअप के प्रभार द्वारा किया गया था। ऋण अनुबन्ध सह बंधक विलेख का निष्पादन अगस्त 1997 में किया गया और इकाई को 0.60 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण सितम्बर 1997 और नवम्बर 1997 के मध्य किया गया।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (मार्च 2002) कि डब्ल्यूसीटीएल प्राप्त करने की पात्रता के लिये निगम की नीति (अप्रैल 1996) के अनुसार, इकाई को प्राथमिक रूप से 3 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक संचालन में होना चाहिये और अन्तिम वित्तीय वर्ष में लाभ का अर्जन किया जाना चाहिये। ऋण की प्राप्ति के लिये, इकाई ने 42.72 लाख रुपये का अनन्तिम शुद्ध लाभ दर्शाते हुये 31-03-1997 की एक अनन्तिम बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता प्रस्तुत किया। लेखा परीक्षित न किये गये अनन्तिम लेखों के आधार पर, निगम ने इकाई को 0.60 करोड़ रुपये के डब्ल्यूसीटीएल की अनियमित स्वीकृति दी व वितरण कर दिया जबकि अन्तिम लेखा परीक्षित लेखों ने 31-03-1997 को 19.12 लाख रुपये की शुद्ध हानि संज्ञान में आयी। इस सम्बन्ध में निगम, 1991-92 से इकाई के संचालन में होने की पहले की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में असफल रहा जबकि इसने 31-03-1995 तक अपनी प्रदत्त पूँजी का 69 प्रतिशत तक क्षरण कर लिया था।

36.03 लाख रुपये की राशि के देयों (अतिदेय मूलधन : 15.66 लाख रुपये एवं अतिदेय ब्याज : 20.37 लाख रुपये) के पुनर्भुगतान में दोषी होने पर, निगम ने इकाई के अधिग्रहण के लिये राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत 25.06.1999 को नोटिस जारी की परन्तु इसने नोटिस अवधि के अवसान (10.07.1999) के पश्चात इकाई का कब्जा नहीं लिया। ऋणी द्वारा अनाधिकृत रूप से हटा लिये जाने से चल सम्पत्ति की सुरक्षा करने हेतु किसी सुरक्षोपाय के अभाव ने 0.81 करोड़ रुपये के मूल्य की परिसम्पत्तियों को हटाया जाना सुलभ कर दिया जिसके लिये ऋणी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई (सितम्बर 1999)। इकाई का अधिग्रहण जनवरी 2000 तक लम्बित पड़ा रहा। इसी बीच, इकाई ने पुनर्वास हेतु बीआईएफआर से सम्पर्क किया क्योंकि उसके पास भारी संचित हानि थी। बीआईएफआर द्वारा संदर्भ को इस आधार पर

निरस्त कर दिया गया (नवम्बर 2000) कि इकाई केवल सुरक्षा प्राप्त करने और अधिनियम का दुरुपयोग करने के दूषित उद्देश्य से आई थी। इकाई का भौतिक कब्जा 01.12.2001 को लिया गया, जब यह पाया गया कि कुछ अन्य मशीनें भी (17.83 लाख रुपये के मूल्य की) हटा दी गई थीं। इकाई की शेष परिसम्पत्तियाँ 45 लाख रुपये में बेच दी गई (दिसम्बर 2001)। बिक्री की प्राप्ति का समाधान करने के पश्चात इकाई के अतिदेय 1.02 करोड़ रुपये (मूलधन : 23 लाख रुपये एवं ब्याज 79.14 लाख रुपये) आगणित होते हैं।

इस प्रकार, आंकलन में निगम की असफलता, इकाई के लेखा परीक्षित न किये गये अनन्तिम लेखों को स्वीकार किये जाने व इकाई का भौतिक कब्जा लिये जाने में विलम्ब ने 0.99 करोड़ रुपये के मूल्य की बंधक परिसम्पत्तियों के हटाये जाने को सुलभ बना दिया। जिससे अन्ततः, 1.02 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई। निगम ने अब तक ऋण की अनियमित स्वीकृति तथा इकाई के अधिग्रहण में विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व नियत करने हेतु कोई जाँच आरम्भ नहीं की (सितम्बर 2002)।

शासन ने बताया (अगस्त 2002) कि 1997 से पूर्व, इकाई लाभ कमा रही थी व ठीक प्रकार से चल रही थी। प्रथानुसार, 1996-97 के अनन्तिम लेखों को वित्त पोषण हेतु स्वीकार किया गया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि असत्यापित अनन्तिम लेखों को स्वीकार किये जाने और इकाई की पूर्व उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में असफलता के फलस्वरूप इकाई को अनियमित ऋण की स्वीकृति हुई। पुनः, निगम ने नोटिस अवाधि के अवसान के पश्चात भी भौतिक कब्जा नहीं लिया जिससे 0.99 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियों का हटाया जाना सुलभ हुआ।

लखनऊ,

दिनांक




(सुनील चन्द्र)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित



(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,

दिनांक

परिशिष्ट-1

(प्रस्तर संख्या 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2 व 1.3.2 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2002 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम	[संलग्न 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं]															
		चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोषक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धराशिश को और डेश निल राशि को इंगित करते हैं)	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण	वर्ष के दौरान प्राप्त अन्व ऋण ⁸⁰	2000-2001 की समाप्ति पर वकाया ऋण ⁸¹	2000-2001 के लिए अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(स)	राज्य सरकार 3(अ)	केन्द्र सरकार 3(ब)	नियंत्रक कम्पनियाँ 3(स)	अन्व 3(द)	योग 3(य)	समता अंशपूँजी 4(अ)	ऋण 4(घ)	अन्व 4(च)	सरकारी 4(द)	अन्व 4(ड)	योग 4(ड)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ																	
	कृषि एवं समवर्गीय																
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	3667.17 (-)	332.83 (-)	- (-)	4000.00 (-)	-	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00	-	-	0.19:1 (0.19:1)
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25 (-)	- (-)	- (-)	71.20 (0.10)	-	-	-	32.95 (0.10)	-	-	-	661.03	-	661.03	9.27:1 (9.47:1)	
3.	उत्तर प्रदेश (परिचम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50 (-)	- (-)	- (-)	61.66 (0.05)	-	-	-	11.16 (0.05)	-	-	-	-	-	-	-	- (-)

⁸⁰ वाण्ड, डिक्वर, अन्तर-निगम जमा को शामिल करने।

⁸¹ 2000-2001 के अन्त में वकामा ऋण केवल दोषाब्धि ऋण को दर्शाता है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(घ)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(घ)	4(ङ)	(5)
4.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73 (-)	- (-)	-	8.11 (0.22)	30.84 (0.22)	-	-	-	-	-	-	- (-)
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30	-	(-)	8.00 (1.94)	23.30 (1.94)	-	-	-	-	-	-	(-)
6.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एवं ट्यूबवेल्स लिमिटेड)	540.00 (447.00)	100.00 (-)	(-)	(-)	640.00 (447.00)	-	-	-	-	-	-	(-)
7.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	150.00 (-)	(-)	(-)	(-)	150.00 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
8.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00 (-)	(-)	(-)	(-)	107.00 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	क्षेत्रवार योग	4590.95 (447.00)	432.83 (-)	(-)	60.22 (2.31)	5084.00 (449.31)	-	-	-	750.00	661.03	1411.03	0.26:1 (0.26:1)
	उद्योग												
9.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	596.05 (-)	(-)	(-)	(-)	596.05 (-)	-	267.48	125.01	631.41	125.01	756.42	1.27:1 (1.27:1)
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेटर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	573.94 (-)	(-)	(-)	(-)	573.94 (-)	-	-	-	191.40	-	191.40	0.33:1 (0.33:1)
11.	यू पी एस आई सी पौष्टीक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	(-)	(-)	76.25 (-)	(-)	76.25 (-)	-	-	-	82.50	40.00	122.50	1.61:1 (1.61:1)
12.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	(-)	(-)	35.20 (-)	(-)	35.20 (-)	-	280.00	-	280.00	467.66	747.66	21.24:1 (13.29:1)
	क्षेत्रवार योग	1169.99 (-)	(-)	111.45 (-)	(-)	1281.44 (-)	-	547.48	125.01	1185.31	632.67	1817.98	1.42:1 (1.20:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(घ)	3(च)	3(ज)	3(झ)	3(झ)	3(ञ)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(घ)	4(च)	4(ज)	4(झ)	4(ञ)	5
	इलेक्ट्रॉनिक्स																				
13.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	7751.31 (1757.17)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	7751.31 (1757.17)	1056.97	-	5319.00	-	-	5319.00	-	-	-	-	5319.00	0.56:1 (0.63:1)
14.	अपट्टान पावरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	- (-)	- (-)	117.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	117.00 (-)	117.00 (-)	-	-	-	20.00	-	-	20.00	-	-	-	20.00	0.17:1 (0.17:1)
15.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	- (-)	- (-)	124.08 (-)	50.63 (-)	- (-)	- (-)	124.08 (-)	174.71 (-)	-	-	-	324.00	-	-	324.00	-	-	-	324.00	1.85:1 (1.85:1)
16.	अपट्टान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	- (-)	- (-)	5792.51 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5792.51 (-)	5792.51 (-)	-	-	-	970.00	-	-	970.00	-	-	-	970.00	0.17:1 (0.17:1)
	क्षेत्रवार योग	7751.31 (1757.17)	- (-)	6033.59 (-)	50.63 (-)	- (-)	- (-)	6033.59 (-)	13835.53 (1757.17)	1056.97	-	5319.00	-	-	5319.00	-	-	-	-	6633.00	0.43:1 (0.46:1)
	वस्त्र																				
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (2176.00)	- (-)	3190.52 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3190.52 (-)	3190.52 (2176.00)	-	-	-	1392.83	-	-	1392.83	-	-	-	1392.83	0.26:1 (0.26:1)
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	8864.84 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8864.84 (-)	-	-	1758.00	-	-	1758.00	-	-	-	-	1758.00	0.20:1 (0.20:1)
	क्षेत्रवार योग	8864.84 (2176.00)	- (-)	3190.52 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3190.52 (-)	12055.36 (2176.00)	-	-	1758.00	-	-	1758.00	-	-	-	-	3150.83	0.22:1 (0.22:1)
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डक्राफ्ट्स																				
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	3644.49 (-)	1062.95 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4707.44 (-)	-	-	2675.72	-	-	2675.72	-	-	-	-	2675.72	0.57:1 (0.57:1)
	क्षेत्रवार योग	3644.49 (-)	1062.95 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4707.44 (-)	-	-	2675.72	-	-	2675.72	-	-	-	-	2675.72	0.57:1 (0.57:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(च)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(च)	4(र)	(5)
	निर्माण												
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	1000.00 (-)	(-)	(-)	- (-)	1000.00 (-)	-	642.00	-	1006.60	1400.00	2406.60	2.41:1 (2.14:1)
21.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00 (-)	(-)	(-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
22.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00 (-)	(-)	(-)	- (-)	300.00 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	क्षेत्रवार योग	1400.00 (-)	(-)	(-)	- (-)	1400.00 (-)	-	642.00	-	1006.60	1400.00	2406.60	1.72:1 1.52:1
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
23.	उत्तर प्रदेश रोडव्यूलड कास्ट फाइनिंस एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	7189.31 (-)	6361.94 (-)	-	-	13551.25 (-)	850.00	-	2917.70	-	3858.44	3858.44	0.28:1 (0.20:1)
24.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	15.00	-	(-)	- (-)	15.00 (-)	-	-	-	-	37.83	37.83	2.52:1 (2.52:1)
25.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	810.00 (287.82)	(-)	(-)	- (-)	810.00 (287.82)	50.00	-	1144.00	-	3181.46	3181.46	2.90:1 (2.26:1)
	क्षेत्रवार योग	8014.31 (287.82)	6361.94 (-)	(-)	- (-)	14376.25 (287.82)	900.00	-	4061.70	-	7077.73	7077.73	0.48:1 (0.36:1)
	सार्वजनिक वितरण												
26.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	500.00 (50.39)	(-)	(-)	- (-)	500.00 (50.39)	-	-	-	1493.93	-	1493.93	2.71:1 (2.83:1)
	क्षेत्रवार योग	500.00 (50.39)	(-)	(-)	- (-)	500.00 (50.39)	-	-	-	1493.93	-	1493.93	2.71:1 (2.83:1)
	चीनी												
27.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	47575.92 (11917.00)	(-)	(-)	- (-)	47575.92 (11917.00)	11917.00	10128.00	-	12768.78	6464.91	19233.69	0.32:1 (0.64:1)

(1)	(2)	3(क)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	4(ट)	4(ड)	(5)
	वित्त													
36.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2407.51 (2058.00)	- (-)	- (-)	- (-)	2407.51 (2058.00)	2058.00	-	4047.72	1428.00	5475.72			1.23:1 (2.96:1)
37.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50 (-)	- (-)	- (-)	2500.00 (-)	13557.50 (-)	-	-	10208.61	64994.87	75203.48			5.55:1 (6.01:1)
38.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2899.95 (100.00)	- (-)	- (-)	- (-)	2899.95 (100.00)	100.00	-	707.97	5849.36	6557.33			2.19:1 (2.26:1)
39.	अपलीज् फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	5.87 (-)	105.87 (-)	-	-	-	414.76	414.76			3.92:1 (3.92:1)
	क्षेत्रवार योग	16364.96 (2158.00)	- (-)	100.00 (-)	2505.87 (-)	18970.83 (2158.00)	2158.00	-	1297.50	72686.99	87651.29			4.15:1 (5.04:1)
	विविध													
40.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	634.27 (-)	70.00 (-)	- (-)	- (-)	704.27 (-)	-	201.27	10.00	898.15	908.15			1.29:1 (1.16:1)
41.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-			- (-)
42.	उत्तर प्रदेश बकफ विकास निगम लिमिटेड	400.00 (50.00)	- (-)	- (-)	- (-)	400.00 (50.00)	50.00	-	-	-	-			- (-)
43.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	71.00 (-)	48.03 (-)	- (-)	- (-)	119.03 (-)	-	-	-	-	-			- (-)
44.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड)	42.54 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	42.54 (-)	-	-	-	-	-			- (-)
	क्षेत्रवार योग	1247.81 (50.00)	118.03 (-)	- (-)	- (-)	1365.84 (50.00)	50.00	201.27	10.00	898.15	908.15			0.64:1 (0.60:1)
	योग-अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	640265.61 (130275.94)	7975.75	22126.75	2631.72 (2.31)	672999.83 (130278.25)	90295.97	37465.94	261603.23	351637.73	613240.96			0.76:1 (0.80:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(र)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(र)	4(स)	4(र)	(5)
ब. कार्यरत सांविधिक निगम													
	परिवहन												
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	25211.49	6925.29	-	-	32136.78	-	-	3845.50	1065.00	12703.35	13768.35	0.43:1 (0.32:1)
	क्षेत्रवार योग	25211.49	6925.29	-	-	32136.78	-	-	3845.50	1065.00	12703.35	13768.35	0.43:1 (0.32:1)
	वित्त												
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	11450.78	-	-	6477.67	17928.45	-	-	12446.36	-	120816.43	120816.43	6.74:1 (0.57:1)
	क्षेत्रवार योग	11450.78	-	-	6477.67	17928.45	-	-	12446.36	-	120816.43	120816.43	6.74:1 (0.57:1)
	कृषि एवं समवर्गीय												
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारगार निगम	538.25 (220.70)	538.25	-	-	1116.50 (220.70)	-	-	12640.00	-	13106.67	13106.67	9.80:1 (0.75:1)
	क्षेत्रवार योग	538.25 (220.70)	538.25	-	-	1116.50 (220.70)	-	-	12640.00	-	13106.67	13106.67	9.80:1 (0.75:1)
	वन												
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	-	-	-	-	-	-	-	1750.00	-	1475.00	1475.00	-
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-	-	1750.00	-	1475.00	1475.00	(-)
	विविध												
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-	-	-	-	-	1125.56	868.59	1994.15	(-)
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	-	-	-	-	-	-	704.78	12331.07	704.78	13035.85	(-)
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	-	-	-	-	-	-	100.00	165.05	-	165.05	(-)
	क्षेत्रवार योग								804.78	13621.68	1573.37	15195.05	(-)
	योग-ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	37220.52 (220.70)	7483.54	-	6477.67	51181.73 (220.70)	-	-	31486.64	14686.68	149674.82	164361.50	3.20:1 (2.58:1)
	कुल योग (अ+ब)	677486.13 (130496.64)	15459.29	22126.75	9109.39 (2.31)	724181.56 (130498.95)	16081.97	13526.21	88023.06	276289.91	501312.55	777602.46	0.91:1 (0.92:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(र)	3(घ)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(र)	4(घ)	4(द)	4(ड)	(5)
स. कार्यविहीन कर्मचारियों														
	कृषि एवं समवर्गीय													
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	209.85 (-)	63.00 (-)	- (-)	- (-)	272.85 (-)	-	-	-	61.11	-	61.11	-	0.22:1 (0.80:1)
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	640.68 (-)	- (-)	- (-)	64.25 (-)	704.93 (-)	-	-	-	122.48	-	122.48	-	0.17:1 (0.17:1)
3.	उत्तर प्रदेश पौल्ड्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशलिटीज लिमिटेड	44.00 (121.75)	6.00 (121.75)	- (-)	- (-)	50.00 (243.50)	-	-	-	109.75	-	109.75	-	0.37:1 (0.37:1)
	क्षेत्रवार योग	894.53 (121.75)	69.00 (121.75)	- (-)	64.25 (-)	1027.78 (243.50)	-	-	-	293.34	-	293.34	-	0.23:1 (0.35:1)
	उद्योग													
4.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टेलरी लिमिटेड	3.06 (-)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	5.61 (-)	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
5.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाइन्सेस (ग्रार्डिंट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.63 (-)	- (-)	1.63 (-)	-	-	-	3.00	-	3.00	-	1.84:1 (1.84:1)
6.	आटो टैक्टर्स लिमिटेड	562.59 (-)	- (-)	- (-)	187.41 (-)	750.00 (-)	-	-	-	37.50	-	37.50	-	0.05:1 (0.05:1)
7.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	177.72 (-)	15.50 (9.00)	193.22 (9.00)	-	-	-	554.62	1149.26	1703.88	-	8.43:1 (8.43:1)
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	527.86 (-)	10.00 (-)	- (-)	- (-)	537.86 (-)	-	-	-	194.23	-	194.23	-	0.36:1 (0.36:1)
9.	कान्टीनैटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2921.72 (-)	1702.23 (-)	4623.95	-	-	298.65	13885.08	-	13885.08	-	3.00:1 (2.94:1)
10.	दि टरपेन्टाईन सम्बीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	15.56 (-)	- (-)	15.56 (-)	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
11.	इण्डियन बौबिन कम्पनी लिमिटेड	2.74 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2.74 (-)	-	-	-	-	-	-	-	- (-)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(घ)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(घ)	4(र)	(5)
12.	उत्तर प्रदेश एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	4.85 (-)	- (-)	4.85 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
13.	उत्तर प्रदेश टायर ऐण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	183.16 (-)	- (-)	183.16 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	1096.25 (-)	10.00 (-)	3304.64 (-)	1907.69 (9.00)	6318.58 (9.00)	-	298.65	786.35	15037.34	15823.69	2.50:1 (2.45:1)	
	इलेक्ट्रॉनिक्स												
14.	अपटान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	- (-)	2.55 (-)	-	-	-	2.77	2.77	1.09:1 (1.09:1)	
15.	कानपुर कम्पोजेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.25 (-)	- (-)	5.25 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	- (-)	- (-)	7.80 (-)	- (-)	7.80 (-)	-	-	-	2.77	2.77	0.36:1 (0.36:1)	
	चरित्र												
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	16079.37 (4653.00)	- (-)	- (-)	- (-)	16079.37 (4653.00)	-	-	-	8945.00	8945.00	0.43:1 (0.43:1)	
17.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	16.20 (-)	- (-)	26.00 (-)	- (-)	42.20 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
18.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	375.54 (-)	- (-)	375.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	16095.57 (4653.00)	- (-)	401.54 (-)	- (-)	16497.11 (4653.00)	-	-	8945.00	8945.00	8945.00	0.42:1 (0.42:1)	

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(घ)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(घ)	4(च)	4(छ)	(5)
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स													
19.	हैण्डलूम इन्ट्रेसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.00 (-)	- (-)	2.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	208.67	- (-)	- (-)	208.67	104.34:1 (104.34:1)
	क्षेत्रवार योग	- (-)	- (-)	2.00 (-)	- (-)	2.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	208.67	- (-)	- (-)	208.67	104.34:1 (104.34:1)
	खनन													
20	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5640.48 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5640.48 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1949.61	- (-)	- (-)	1949.61	0.35:1 (0.35:1)
21.	बिन्धाचल अंत्रोसिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3.73 (-)	3.87 (-)	7.60 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	84.42	- (-)	- (-)	84.42	11.11:1 (11.11:1)
	क्षेत्रवार योग	5640.48 (-)	- (-)	3.73 (-)	3.87 (-)	5648.08 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1949.61	- (-)	- (-)	1949.61	0.36:1 (0.36:1)
	क्षेत्र विकास													
22.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	123.30 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5.00	- (-)	- (-)	5.00	0.04:1 (0.04:1)
23.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	129.80 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	35.00	- (-)	- (-)	35.00	0.27:1 (0.27:1)
24.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.22 (-)	1.22 (-)	1.22 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
25.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	65.93	- (-)	- (-)	65.93	0.98:1 (0.98:1)
26.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	125.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	125.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
27.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	85.79	- (-)	- (-)	85.79	1.22:1 (1.22:1)
28.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5.00	- (-)	- (-)	5.00	0.05:1 (0.05:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(घ)	3(ङ)	3(च)	3(ज)	3(झ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(ज)	4(झ)	(5)
29.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56 (-)	- (-)	- (-)	32.47 (-)	126.03 (-)	-	-	91.60	-	-	-	91.60	-	-	-	91.60 (0.73:1)
30.	भैरव मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	30.00	-	-	-	30.00	-	-	-	0.43:1 (0.43:1)
32.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	25.00 (-)	-	-	64.60	-	-	-	64.60	-	-	-	2.58:1 (2.58:1)
33.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	46.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	46.00 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	949.66 (-)	- (-)	1.22 (-)	32.47 (-)	983.35 (-)	-	5.00	382.92	-	-	-	382.92	-	-	-	0.39:1 (0.38:1)
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास																
34.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	45.00 (-)	-	-	125.00	-	-	-	125.00	-	-	-	2.78:1 (2.78:1)
	क्षेत्रवार योग	45.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	45.00 (-)	-	-	125.00	-	-	-	125.00	-	-	-	2.78:1 (2.78:1)
	सीमेण्ट																
35.	उत्तर प्रदेश सीमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	6828.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6828.00 (-)	-	-	12476.52	-	-	-	12476.52	-	-	-	1.83:1 (1.83:1)
	क्षेत्रवार योग	6828.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6828.00 (-)	-	-	12476.52	-	-	-	12476.52	-	-	-	1.83:1 (1.83:1)
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल																
36.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.75 (-)	- (-)	- (-)	3.27 (-)	22.02 (-)	-	-	533.00	-	-	-	533.00	-	-	-	24.21:1 (12.85:1)
37.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.27 (-)	- (-)	1.27 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	658.73 (-)	- (-)	658.73 (-)	-	-	1102.00	-	-	-	1102.00	-	-	-	1.67:1 (1.67:1)
	क्षेत्रवार योग	18.75 (-)	- (-)	660.00 (-)	3.27 (-)	682.02 (-)	-	250.00	1635.00	-	-	-	1635.00	-	-	-	2.40:1 (2.03:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(घ)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(घ)	4(र)	(5)
	वित्त												
39.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77 (-)	- (-)	-	65.68 (-)	143.45 (-)	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	77.77 (-)	-	-	65.68 (-)	143.45 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	विविध												-
40	उत्तर प्रदेश चलाचित्र निगम लिमिटेड	818.22 (-)	- (-)	-(-)	0.20 (-)	818.42 (-)	-	50.76	-	576.76	-	576.76	0.70:1 (0.64:1)
	क्षेत्रवार योग	818.22 (-)	- (-)	-	0.20 (-)	818.42 (-)	-	50.76	-	576.76	-	576.76	0.70:1 (0.64:1)
	कुल योग-स (सभी कार्यविहीन कम्पनियों)	32464.23 (4774.75)	79.00 (121.75)	4380.93 (-)	2077.43 (9.00)	39001.59 (4905.50)	-	305.76	298.65	27379.17	15124.53	42503.70	0.97:1 (0.96:1)
	कुल योग (अ+ब+स)	709950.36 (135271.59)	15538.29 (121.75)	26507.68	11186.82 (11.31)	763183.15 (135404.45)	90295.97	37771.70	88321.71	303669.08	516437.08	820106.16	0.91:1 (0.92:1)

टिप्पणी: उन कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर, जिन्होंने वर्ष 2001-2002 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था (कम सं० अ-3 एवं अ-22), उपरोक्त आंकड़े अनन्तिम हैं और जैसे कि कम्पनी/निगमों ने दिये हैं।

परिशिष्ट-2

(प्रस्तर संख्या 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.4 व 1.3.5 में सन्दर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 7 से 12 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं०	क्षेत्र एवं कम्पनियों/निगमों के नाम	विभाग का नाम	निगम की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	रुद्ध लाभ(+)/ हानि(-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का रुद्ध प्रभाव	प्रदत्त रूबै	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित रूबै (अ)	नियोजित रूबै पर वृद्ध प्रतिलाभ का प्रतिशत	नियोजित रूबै पर वृद्ध प्रतिलाभ का प्रतिशत	चर्चों के अनुसार लेखों का बकाया	आवर्त	ग्राम शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियों															
कृषि एवं सप्लायाय															
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	1999-2000	2001-2002	(-)241.60	46.61	4000.00	(-)5481.24	135.42	41.03	30.30	2	29674.91	2113
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	2000-2001	2001-2002	(-)51.08	71.11		(-)3380.51	400.99	79.00	19.70	1	107.96	21
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	2001-2002	2002-2003	(-)22.52	61.66		10.21	441.62	69.20	15.67	Nil	114.87	15
4.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	2000-2001	2001-2002	(-)23.13	-	30.84	(-)61.20	190.46	(-)30.76	-	1	18.74	19
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	2000-2001	2002-2003	4.38	-	23.30	16.33	233.21	31.82	13.64	1	59.12	अनुपलब्ध
6.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ड्यूबेल्स कार्पोरेशन लिमिटेड)	सिंचाई	26.05.1976	2000-2001	2002-2003	48.82		640.00	(-)1217.91	(-)149.57	48.82	-	1	14718.10	814
7.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	1999-2000	2000-2001	8.13		150.00	(-)6.94	27876.68	8.12	0.03	2	701.20	1003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मत्स्य पालन	27.10.1979	1994-95	2002-2003	(-)18.73		100.00	(-)304.91	230.90	(-)8.83	-	7	265.81	105
	क्षेत्रवार योग					(-)357.06		5076.91	(-)7452.71	(-)149.57	(-)9.59			45660.71	
	उद्योग					(+)161.33			(+)26.54	(+)29509.28	(+)277.99				
9.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन	ग्रामीण व लघु उद्योग	01.06.1958	1994-95	2002-2003	(-)198.96	42.19	596.05	(-)768.05	1303.48	24.72	1.90	7	5534.05	387
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट लैटर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्वात प्रोत्साहन	12.02.1974	2000-2001	2002-2003	26.16		573.94	(-)685.60	531.10	31.36	9.42	1	360.44	112
11.	यू पी एस आई सी पौष्टिक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	27.04.1976	1990-91	1998-99	(-)47.05	-	76.26	(-)272.71	(-)54.51	(-)28.61	-	11	16.50	अनुपलब्ध
12.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	08.03.1978	1996-97	1997-98	(-)118.66	-	35.20	(-)694.54	35.26	(-)57.60	-	5	28.55	155
	क्षेत्रवार योग					(-)364.67		1281.45	(-)2420.90	(-)54.51	(-)86.21	-		5939.54	
	इलेक्ट्रॉनिक्स					(+)266.16				(+)1869.84	(+)56.08				
13.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	20.03.1974	2000-2001	2002-2003	3.53	-	7751.31	30.22	6977.35	3.53	.05	1	527.85	48
14.	अपटून पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	10.04.1977	1099 से 301	2001-2002	(-)108.63	1.89	117.00	(-)264.39	584.34	9.76	1.67	1	1234.18	137
15.	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	01.02.1979	2000-2001	2001-2002	(-)19.44	-	174.71	(-)278.67	1071.48	43.77	4.08	1	1012.84	अनुपलब्ध
16.	अपटून इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	18.10.1979	1995-96	1997-98	(-)3212.23	-	5315.59	(-)19693.43	5206.05	(-)406.07	-	6	9715.47	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)3340.30		13358.61	(-)20236.49	13839.22	(-)406.07	-		12490.34	
						(+)3.53			(+)30.22		(+)57.06				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	20.08.1974	2000-2001	2001-2002	(-)806.23		3190.52	(-)8750.67	250.60	(-)417.63	-	1	3376.79	अनुपलब्ध
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	20.08.1976	2000-2001	2001-2002	(-)807.94	-	8864.84	(-)9605.23	4722.13	(-)458.71	-	1	18789.77	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)1614.17		12055.36	(-)18355.90	4972.73	(-)876.34			22166.56	
	हेण्डलूम एण्ड हेन्डक्राफ्ट्स														
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट हेण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	ग्रामीण व लघु उद्योग	09.01.1973	1990-91	2002-2003	(-)92.02	-	1325.49	(-)1407.55	5944.77	44.34	0.75	11	12592.72	2374
	क्षेत्रवार योग					(-)92.02		1325.49	(-)1407.55	5944.77	44.34			12592.72	2374
	निर्माण														
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट ड्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18.10.1972	1999-2000	2000-2001	370.44	(-)66.08	1000.00	1329.39	3174.70	474.44	14.94	2	26906.11	7250
21.	उत्तर प्रदेश राबकोय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	01.05.1975	2000-2001	2001-2002	72.25	(-)1128.79	100.00	1021.08	1579.35	75.25	4.76	1	20122.68	1417
22.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	2001-2002	2002-2003	(-)7.55	-	300.00	356.27	667.71	(-)7.55	-	Nil	256.10	178
	क्षेत्रवार योग					(-)7.55		1400.00	2706.74	5421.76	(-)7.55			47284.89	8845
	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास					(+)442.69									
23.	उत्तर प्रदेश रोडयूल्ड कास्ट फाईब्रिस एण्ड डेबलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.03.1975	1995-96	2002-2003	(-)72.40		5163.10	718.48	9810.47	13.32	0.17	6	349.65	547
24.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.06.1976	2000-2001	2001-2002	(-)64.85	27.52	15.00	485.29	556.14	(-)64.85	-	1	10361.80	627

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
25.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	हरिजन एवं समाज कल्याण	26.04.91	1996-97	2001-2002	(-)31.94	-	100.00	(-)6.13	1757.43	1.23	0.07	5	19.31	17	
	क्षेत्रवार योग					(-)169.19		5278.10	(-)6.13 (+)1203.77	12124.04	(-)64.85 (+)14.75			10730.76	1191	
	सार्वजनिक वितरण															
26.	उत्तर प्रदेश फूड एण्ड एसेशियल क्रोडिटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं रसद	22.10.1974	1987-88	2002-2003	(-)99.44	3.16	118.12	(-)97.40	292.51	(-)28.67	-	14	4813.48	765	
	क्षेत्रवार योग					(-)99.44		118.12	(-)97.40	292.51	(-)28.67			4813.48	765	
	चीनी															
27.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	26.03.1971	1997-98	2002-2003	(-)1690.88	848.48	47575.92	(-)104358.57	27585.95	(-)429.99	-	4	68214.06	889	
28.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1998-99	2001-2002	(-)362.51	-	1224.52	(-)3625.93	762.70	(-)76.83		3	3851.50	274	
29.	नन्दान-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1997-98	2001-2002	(-)809.13		3404.05	(-)8288.95	(-)750.92	166.09		4	3228.75	808	
30.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	30.05.1986	1999-2000	2001-2002	(-)548.52	27.11	894.86	(-)4416.07	(-)1248.44	(-)164.81	-	2	903.02	743	
	क्षेत्रवार योग					(-)17811.04		53099.35	(-)120689.52	(-)1999.36 (+)28348.65	(-)671.63 (+)166.09			76197.33	2714	
	पर्यटन															
31.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	2000-2001	2002-2003	(-)77.70		1512.53	(-)577.24	1265.44	(-)75.90	-	1	1356.89	531	
	क्षेत्रवार योग					(-)77.70		1512.53	(-)577.24	1265.44	(-)75.90			1356.89	531	
	विद्युत															
32.	उत्तर प्रदेश राब्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	1998-99	1999-2000	(-)39.50	-	100.00	(-)10941.27	14343.58	(-)39.50	-	3	66.53	14294	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
33.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	1998-99	1999-2000	405.67	-	70.00	923.82	10541.60	405.67	3.85	3	524.21	3944
34.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	30.11.1999	30.11.1999 से 31.03.2000	2002-2003	(-) 14165.87 ⁸²		0.07	(-) 14165.87	532314.26	(-) 10102.59	-	2	134443.76	67362
35.	कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	21.07.1999	जुलाई 1999 से मार्च 2000	2002-2003	⁸³		6000.00		32645.76	-	-	2	11095.01	3364
	क्षेत्रवार योग					(-) 14205.37 (+) 405.67		6170.07	(-) 25107.14 (+) 923.82	589845.20	(-) 10142.09 (+) 405.67			146129.51	88964
	वित्त														
36.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1961	2000-2001	2002-2003	158.34	(-) 16.61	2407.51	1073.57	10855.14	942.05	8.68	1	3138.88	718
37.	दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्व्हेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1972	2000-2001	2001-2002	(-) 6882.29	-	13557.50	(-) 24105.01	69098.57	2692.56	3.89	1	6569.59	315
38.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	17.11.1984	1990-91	1999-2000	4.55	-	327.50	0.23	676.99	17.32	2.56	11	36.11	24
39.	अपलोच फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	05.01.1988	1997-98	1998-99	(-) 39.55	-	105.87	(-) 39.53	594.08	14.43	2.70	4	128.63	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-) 6921.84 (+) 162.89		16398.38	(-) 24144.54 (+) 1073.80	81164.78	3666.56			9873.21	
	विविध														
40.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्गत प्रोत्साहन	20.01.1966	1998-99	2001-2002	(-) 351.25		704.27	(-) 1320.37	333.39	(-) 3111.14	-	3	955.65	318
41.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	15.03.1977	1999-2000	2002-2003	0.71	-	100.00	(-) 68.33	31.67	0.71	2.24	2	239.67	122

⁸² 31 मार्च 2000 की समाप्ति पर कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड को हुई 997.12 लाख रुपये की हानि सहित ।

⁸³ दिनांक 15.01.2000 के शासकीय अधिसूचना के अनुसार, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड को 997.12 लाख रुपये की हानि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को स्थानान्तरित की गई थी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
42.	उत्तर प्रदेश बकफ विकास निगम लिमिटेड	बकफ	27.04.1987	1993-94	2002-2003	(-)0.28	-	100.00	0.28	98.17	(-)0.28	-	8	15.45	अनुपलब्ध
43.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	हरिन एवं समाल कल्याण	17.03.1988	1997-98	2001-2002	(-)17.79	12.92	25.00	(-)50.95	168.31	(-)17.79	-	4	17.25	43
44.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड)	हरिन एवं समाल कल्याण	23.05.1989	1997-98	2001-2002	223.69	(-)0.76	42.54	421.95	463.99	224.08	48.29	4	2301.47	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)369.32 (+)224.40		971.81	(-)1439.65 (+)422.23	1095.53	(-)329.21 (+)224.79			3529.49	
	योग (अ- कार्यरत सरकारी कर्मचारियों)					(-)4569.67 (+)1326.67		118046.18	(-)221935.17 (+)6387.12	(+)773490.31	(-)7235.29	-		398765.43	
	ब. कार्यरत सांविधिक निगम														
	परिवहन														
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	2000-2001	2001-2002	(-)9784.59	-	32136.78	(-)70588.73	(-)28164.65	(-)8300.66	-	1	6106.80	47369
	क्षेत्रवार योग					(-)9784.59	-	32136.78	(-)70588.73	(-)28164.65	(-)8300.66	-		6106.80	47369
	वित्त														
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	1999-2000	2000-2001	(-)5447.03	-	10000.00	(-)42832.25	144299.00	12357.75	8.56	2	167.35	1039
	क्षेत्रवार योग					(-)5447.03	-	10000.00	(-)42832.25	144299.00	12357.75	8.56		167.35	1039
	कृषि एवं समवर्षीय														
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	19.03.1958	2000-2001	2001-2002	(+)2499.02	-	1116.50	6070.30	8967.00	2514.52	28.04	1	14378.52	1991
	क्षेत्रवार योग					(+)2499.02	-	1116.50	6070.30	8967.00	2514.52	28.04		14378.52	1991
	वन														
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	1998-99	1999-2000	(+)2930.30	-	-	35245.27	35756.00	2930.00	8.19	3	16284.00	2848
	क्षेत्रवार योग					(+)2930.30	-	-	35245.27	35756.00	2930.00	8.19		16284.00	2848

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	विविध														
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	03.04.1966	1996-97	2001-2002	(+) 749.57	-	-	3587.55	15718.58	2212.84	14.08	5	6428.55	3724
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नगर विकास	06.06.1975	2000-2001 ⁸⁴	2001-2002	(-) 1439.25	-	-	(-) 12624.87	496210.00	1299.88	0.26	1	14988.00	अनुपलब्ध
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	खाद्य एवं रसद	05.05.1965	85									5		अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-) 1439.25 (+) 749.57	-	-	(-) 12624.87 3587.55	511928.58	3512.72			21416.55	
	योग-ब (कार्यवाही सांख्यिक निगम)					16670.87 (+) 6178.89		43253.28	(-) 126065.85 (+) 44903.12	(+) 672785.93	(+) 13014.33	1.93		58353.22	
	कुल योग (अ+ब)					(-) 62100.54 (+) 7505.56		161299.46	(-) 348001.02 (+) 51290.24	(+) 1446276.24	(+) 5779.04	0.39		457118.65	
स. कार्यवाहीन कम्पनिवों															
	कृषि एवं समवर्धन														
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुपालन	05.03.1975	1994-95	2002-2003	(-) 86.69		272.85	(-) 365.16	205.43	(-) 64.23	-	7	427.27	142
2.	उत्तर प्रदेश हावीकस्तर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रासेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	06.04.1977	1984-85	1994-95	(-) 66.57	-	190.76	(-) 255.33	80.72	(-) 51.97	-	17		330
3.	उत्तर प्रदेश पौल्ड्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशलिटीज	पशुपालन	07.12.1974	1996-97	2001-2002	(-) 15.77	31.39	50.00	(-) 38.08	196.29	(-) 15.77	-	5	96.37	32
	क्षेत्रवार योग					(-) 169.03		513.61	(-) 658.57	482.44	(-) 131.97			523.64	504
	उद्योग														
4.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टेलरी लिमिटेड	वियोजन	21.12.1964	1976-77	1992-93	(-) 0.01	-	5.61	(-) 4.26	1.35	(-) 0.01	-	25		अनुपलब्ध

⁸⁴ लेखे सम्प्रेक्षण के अन्वयति है ।

⁸⁵ 1997-98 के दौरान सम्प्रेक्षा सीपी आई थी, लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.	उत्तर प्रदेश स्टाफ्ट प्रोटेक्शन अकाउन्टेन्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	28.06.1972	1974-75	1984-85	(-) 0.81	-	0.92	(-) 0.81	6.79	(-) 0.81	-	27	0.39	अनुपलब्ध
6.	आठो ट्रेडर्स लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	28.12.1972	1991-92	1995-96	10.71	-	750.00	(-) 6482.96	1114.18	36.32	3.26	10	631.34	अनुपलब्ध
7.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेण्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	1.01.1975	1999-2000	2002-2003	(-)181.25	-	193.22	(-)4147.39	(-)1417.50	192.86	-	2	962.47	259
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	1992-93	2000-2001	(-)82.09	11.61	537.86	(-)730.95	498.39	(-)66.60	-	9	88.64	अनुपलब्ध
9.	कान्द्योनेटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	12.04.1985	1997-98	2002-2003	-	-	4623.95	-	8387.22	-	-	4	निर्माणाधीन	अनुपलब्ध
10.	द्वि टरनेचार्ज सव्सीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (द्वि इण्डियन टरनेचार्ज एण्ड रोबिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	11.07.1939	1977-78	-	(-)1.91	-	15.56	-	11.64	(-)0.47	-	24	-	26
11.	इण्डियन वोल्विन कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	22.02.1964	10.03.1988 से 09.09.1988	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	अनुपलब्ध
12.	उत्तर प्रदेश एक्स्ट्राट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	28.06.1972	1975-76	-	(-)1.55	-	4.85	-	12.39	(-)0.41	-	26	-	अनुपलब्ध
13.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीज डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	14.01.1976	1992-93	-	(-)217.08	-	183.16	(-) 996.09	(-) 405.96	209.53	-	9	138.08	अनुपलब्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	क्षेत्रवार योग							6315.13	(-)12362.46	(-)1823.46 (+)10031.96	(-)68.30 (+)438.71			1820.92	
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
14.	अपट्टन सेमिकॉन्डक्टर लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	23.05.1977	1979-80	1983-84	(-)0.78	-	2.55	(-)3.37	1.86	(-)0.36	-	22	0.05	अनुसलब्ध
15.	कायपुर कार्पोरेट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	31.03.1978	86	-	-	-	5.25	-	-	-	-	24	निर्माणधीन	अनुसलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)0.78		7.80	(-)3.37	1.86	(-)0.36			0.05	
	वस्त्र														
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	वस्त्र	02.12.1969	1997-98	1998-99	(-)280.63	-	16079.37	(-)18056.07	3844.60	1700.60	44.23	4	20857.91	अनुसलब्ध
17.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	05.12.1975	1990-91	2002-2003	(-)17.98		26.00	(-)33.50	53.25	(-)16.13	-	11	475.42	74
18.	भदोही वूलेंस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	14.06.1976	1994-95	-	(-)165.77	-	375.54	(-)1195.91	(-)49.09	85.35	-	7	26.72	अनुसलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)183.75 (+)280.63		16480.91	(-)19285.48	(-)49.09 (+)3897.85	(-)16.13 (+)1785.95			21360.05	
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डक्राफ्ट्स														
19.	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (विजौरी) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	13.09.1976	1989-90	2001-2002	(-)15.09	12.78	2.00	75.71	299.86	(-)4.04	-	1 ⁷	1750.24	62
	क्षेत्रवार योग					(-)15.09		2.00	75.71	299.86	(-)4.04	-		1750.24	62

86 लेखे आरम्भ से ही अन्तिमीकृत नहीं हुये ।

87 उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन में 01.04.1991 से संविधानी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	खान														
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	23.03.1974	1998-99	2001-2002	(-)1086.60	862.00	5640.48	(-)2642.29	2378.28	(-)743.44		3	181.79	399
21.	विन्ध्याचल अहोसिख लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	05.12.1985	1987-88	1995-96	(-)11.78	-	0.002 ⁸⁶	(-)11.30	0.79	(-)10.86	-	14	0.22	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)1098.38		5640.48	(-)2653.59	2379.07	(-)754.30			182.01	
	क्षेत्र विकास														
22.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1971	1991-92	1997-98	(-)8.72	-	123.30	(-)129.27	(-)0.98	(-)8.71	-	10	46.21	अनुपलब्ध
23.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1971	1987-88	1994-95	(-)13.64	-	114.80	(-)107.90	19.02	(-)13.64	-	14	130.37	अनुपलब्ध
24.	बुन्देलखण्ड कान्नीट स्क्रूचर(एल) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	क्षेत्रीय विकास	02.03.1974	1986-87	1993-94	(-)0.01	-	2.40	(-)0.65	4.45	(-)0.01	-	15	निल	अनुपलब्ध
25.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1983-84	1992-93	(-)11.42	-	67.00	(-)11.42	39.52	(-)3.97	-	18		अनुपलब्ध
26.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1984-85	1994-95	(-)69.26	-	125.00	(-)90.00	449.13	(-)56.84	-	17	386.95	अनुपलब्ध
27.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1981-82	1992-93	0.44	-	50.00	1.49	60.57	0.52	0.86	20	169.69	अनुपलब्ध
28.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1986-87	1989-90	11.24	2.51	100.00	(-)33.13	132.02	12.48	9.45	15	564.65	अनुपलब्ध
29.	मोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1985-86	1995-96	2.36	-	122.03	(-)118.16	61.31	2.36	3.85	16	353.94	अनुपलब्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1994-95	2000-2001	(-)1.12		100.00	(-)78.07	28.24	(-)1.12	-	7	0.70	1
31.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1987-88	1993-94	(-)2.71	-	70.00	(-)26.38	88.29	(-)2.71	-	14	147.02	अनुपलब्ध
32.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1978	1988-89	1999-2000	(-)11.23	-	25.00	(-)21.80	68.73	(-)0.57	-	13	146.74	अनुपलब्ध
33.	गंडक समारंश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	15.03.1975	1976-77	-	0.28	-	46.00	-	46.27	0.28	0.61	25		अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)118.11 (+)14.32		945.53	(-)616.78 (+)1.49	(-)90.98 (+)997.55	(-)87.57 (+)15.64			1946.27	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
34.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	02.08.1975	1982-83	1990-91	(-) 4.00	-	45.00	0.45	70.44	(-) 4.00	-	19	3.13	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)4.00		45.00	0.45	70.44	(-)4.00			3.13	
	सीमेण्ट														
35.	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	29.03.1972	1995-96	1996-97	(-)4775.52	-	6828.00	(-) 42599.38	(-) 23980.30	(-) 2291.33	-	6	11301.85	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)4775.52		6828.00	(-)42599.38	(-)23980.30	(-)2291.33			11301.85	
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स														
36.	रि इण्डियन टारपेटाइन एण्ड रोजन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	22.02.1924	2000-2001	2001-2002	(-)383.11	1.94	22.02	(-)3082.57	(-)2615.33	(-)372.67	-	1	393.93	314
37.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	12.01.1982	1996-97	1999-2000	(-)0.08	-	1.27	(-)0.10	1.76	(-)0.08	-	5	0.14	अनुपलब्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
38.	उत्तर प्रदेश कार्बाईड एंड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कांपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	23.04.1979	1992-93	-	(-) 617.54	-	658.73	(-) 3531.51	(-) 1844.86	(-) 50.57	-	9	226.21	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग				(-) 1000.73			682.02	(-) 6614.18	(-) 4460.19 (+) 1.76	(-) 423.32			620.28	
	वित्त														
39.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	1990-91	2002-2003	0.28	(-) 20.10	133.46	0.66	148.17	0.35	0.24	11	47.90	52
	विविध					0.28		133.46	0.66	148.17	0.35			47.90	52
40.	उत्तर प्रदेश चलाचित्र निगम लिमिटेड	संस्थागत वित्त	10.09.1975	1998-99	2001-2002	(+) 6.44	(-) 20.10	818.42	(-) 1004.71	125.14	56.89	45.46	3	71.20	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(+) 6.44		818.42	(-) 1004.71	125.14	56.89			71.20	
	योग-स (सभी कार्यविहीन कम्पनियाँ)					(-) 7850.09 (+) 312.38		38412.36	(-) 85798.52 (+) 78.31	(-) 11877.92	(-) 1483.78	-		39627.54	
	कुल योग (अ+ब +स)					(-) 6950.63 (+) 7817.94		199711.82	(-) 433799.54 (+) 51368.55	(+) 1434398.32	(+) 4295.26	0.30		496746.19	

नोट- (अ) क्रम सं०: अ-23,25,36,37,38,39,ब-2 और स-39 वाली वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी के कुल आरम्भिक शेषों और अन्तिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड्स, जमा तथा ऋणों (वित्त पुनर्पोषण सहित) के रूप में आगणित की जाती है, नियोजित पूँजी, कार्यशील पूँजी और निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

(ब) क्रम सं० स-17 एवं 19 की कम्पनियाँ विलय के अन्तर्गत हैं।

(स) क्रम सं० स-10,11,12,13,14,15,18,33 एवं 38 की कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत हैं। समापन की सम्बन्धित तिथियाँ हैं:

क्रम सं० समापन की तिथि क्रम सं० समापन की तिथि क्रम सं० समापन की तिथि क्रम सं० समापन की तिथि क्रम सं० समापन की तिथि

10 01.04.1978 11 01.09.1973 12 19.04.1986 13 09.01.1996 14 10.06.1996 15 10.06.1996

18 20.02.1996 33 07.06.1977 38 19.02.1994

परिशिष्ट-3

(पत्र संख्या 1.2.2 व 1.3.2 में संदर्भित)

प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमत्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूर्णी में परिवर्तन और प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को मार्च 2002 की समाप्ति पर दर्शाती हुई विवरणी

(संख्या 3 (अ) से 7 के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान ⁸⁹ व अनुदान				वर्ष के दौरान देयों की माफी				ऋण जिन पर विलम्बन अनुमत्य किया गया	वर्ष के दौरान ऋण जिन्हें अंशपूर्णी में परिवर्तित किया गया					
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	वैको से नकर साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयातों के सम्बन्ध में वैको द्वारा खोले गये लेंटर आफ क्रैडिट	विदेशी सलाहकारों/ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत पुगतान देयता			योग	अपलिखित तः ऋण पुनर्भुगतान	ब्याज माफी	दण्ड ब्याज माफी	योग
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	
अ. कार्यरत सरकारी कर्मचारियों																
1.	उत्तर प्रदेश एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	1411.78 (1411.78)	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	(2000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁸⁹ उपदान में, वर्ष की समाप्ति पर प्राप्य उपदान जिसको कोष्ठकों में दिखाया गया है, सम्मिलित है।
⁹⁰ कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते हैं।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(र)	4(व)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(र)	(6)	(7)
3.	उत्तर प्रदेश (परिव्यय) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	1200.00 (360.29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	(231.18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	500.00 (185.68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	218.38	-	23517.35 ⁹¹	218.38 23517.35 ⁹¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	आधुनिक इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश) इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	(3270.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पानिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	1380.00 (1380.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	301.74 ⁹²	301.74 ⁹²	1640.00 (1640.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल कार्टस फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	11277.84	11277.84	-	2748.85 (2748.85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

91 अनुदान I

92 अनुदान I

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(अ)	4(ब)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(अ)	5(ब)	5(क)	5(ख)	(7)
11.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	(37.83)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	5265.04 (3181.46)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	1000.00 (787.00)	600.00 (600.00)	1600.00 (1387.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	54135.00 (38388.95)	-	54135.00 (38388.95)	-	-	-	11181.80	-	-	-	11490.00
15.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड को सहायक)	-	-	-	-	-	-	(1912.47)	-	(1912.47)	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड को सहायक)	-	-	-	-	-	-	750.00 (586.96)	-	750.00 (586.96)	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.33
18.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	2459.00 ²	-	-	-	2459.00 ²	-	-	(8860.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	86200.00 17221.00 ²	-	-	-	86200.00 17221.00 ²	-	-	34149.00 (85253.00)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(र)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(र)	4(व)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(र)	(6)	(7)
21.	कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1088.91	216.00	-	1304.91	-	1428.00 (1428.00)	-	-	1428.00 (1428.00)	-	-	-	-	-	-
23.	दि प्रेसोय इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2603.00 ⁹³	-
24.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	50.00 ⁹⁴	-	50.00 ⁹⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	90.00 (196.30)	-	90.00 (196.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545.00	-
26.	उत्तर प्रदेश डेवसपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	-	105.00 ⁹⁴	-	105.00 ⁹⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	-	362.41 ⁹⁴	-	362.41 ⁹⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-अ	1307.29 (-)	97783.84 (196.30) 20499.15 ⁹⁴	-	99091.13 (196.30) 44016.50 ⁹⁴	62016.78 (52154.31)	44190.89 (102109.14)	(-)	(-)	106207.67 (154463.45)	-	11181.80	-	11181.80	3898.00	11538.33

93 अप्रतिदेय अग्रिम में परिवर्तित ऋण ।
94 अनुदान ।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(र)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(र)	4(च)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(र)	(6)	(7)
च. सांविधिक निगम																
1	उत्तर प्रदेश राज्य सहक परिचालन निगम	-	25.00 ^म	-	25.00 ^म	-	5120.00 (7788.70)	-	-	5120.00 (7788.70)	-	-	-	-	240.00	-
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	-	-	-	-	2050.00 (2000.00)	7040.00 (7040.00)	-	-	2050.00 (6000.00)	-	-	-	-	-	7985.96
3	उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डारगार निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	7040.00 (7040.00)	-	-	-	-	-	-
4	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	37626.92 ^म	-	37626.92 ^म	-	(704.78)	-	-	(704.78)	-	-	-	-	-	-
5	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	204.89	-	204.89	191.00 (200.00)	-	-	-	191.00 (200.00)	-	-	-	-	-	-
	योग व	-	37651.92 ^म	-	37651.92 ^म	9281.00 (9240.00)	5120.00 (86493.48)	-	-	14401.00 (95733.48)	-	-	-	-	240.00	7985.96
	कुल योग (अ+ब)	1307.29	97988.73 (196.30)	23517.35 ^म	99296.02 (196.30)	71297.78 (61394.31)	49310.89 (188602.62)	-	-	120608.67 (249996.93)	11181.80	-	-	11181.80	4138.00	19524.29
स. कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों																
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	(479.68)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट हायड्रोकार्बुर प्राइव्जुस मार्केटिंग एण्ड प्रासिसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	(55.51)	-	-	(55.51)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	(2200.00)	-	-	-	(2200.00)	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिन्टल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	(537.00)	-	-	(537.00)	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश काबाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	-	-	-	-	(335.00)	-	-	-	(335.00)	-	-	-	-	-	-
	योग स	(-)	(-)	(-)	(-)	(2535.00)	(1072.19)	(-)	(-)	(3607.19)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (अ+ब+स)	1307.29	97988.73 (196.30)	23517.35 ^म	99296.02 (196.30)	71297.78 (63929.31)	49310.89 (189674.81)	-	-	120608.67 (253604.12)	11181.80	-	-	11181.80	4138.00	19524.29

परिशिष्ट-4

(प्रस्तर संख्या 1.2.4 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
अ. देयतायें			
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	321.57	321.37	321.37
ऋण: सरकारी	11.71	9.96	11.80
अन्य	79.38	79.71	92.33
निधियाँ	0.35	1.42	0.49
व्यापारिक देय और अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित)	392.11	468.28	596.93
योग अ	805.12	880.74	1022.92
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	558.49	561.86	633.98
घटाया: हास	378.21	394.43	429.72
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	180.28	167.43	204.26
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	2.58	1.22	1.33
निवेश	0.87	1.04	1.75
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	116.76	106.39	109.69
संचित हानि	504.63	604.66	705.89
योग ब	805.12	880.74	1022.92
स. नियोजित पूँजी ⁹⁶	(-) 92.49	(-) 193.24	(-) 281.65

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	100.00	100.00	100.00
अंश आवेदन राशि	-	-	-
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	20.72	20.60	20.47
ऋण:			
(i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	777.53	817.83	763.48
(ii) स्थायी जमा	-	-	-
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	536.99	511.85	445.61

⁹⁶ नियोजित पूँजी, निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

विवरण	1997-98	1998-1999	1999-2000
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	17.35	-	-
(v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण			
(अ) राज्य सरकार	9.80	9.80	9.80
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	8.80	8.80	8.80
(स) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	-	-	20.00
(vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	40.76	74.76	75.25
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	249.08	300.22	306.61
योग अ	1761.03	1843.86	1750.02
ब. परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक अवशेष	66.20	83.28	81.06
निवेश	24.24	35.85	44.22
ऋण एवं अग्रिम	1310.81	1251.48	1103.44
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	61.83	41.68	31.74
अन्य परिसम्पत्तियाँ	29.44	37.04	40.56
विविध व्यय	-	-	-
लाभ एवं हानि खाता	268.51	394.53	449.00
योग ब	1761.03	1843.86	1750.02
स. नियोजित पूँजी⁹⁷	1459.38	1527.79	1442.99

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-00	2000-01
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	12.77	13.37	13.37
आरक्षण एवं आधिक्य	28.34	40.07	66.00
उपदान	0.30	0.30	0.30
ऋण: सरकारी	0.23	-	-
अन्य	1.50	1.16	10.00
व्यापार देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	16.62	27.05	37.66
योग अ	59.76	81.95	127.33
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	41.82	47.26	66.41
घटाया: ह्रास	10.22	11.80	13.88
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	31.60	35.46	52.53

⁹⁷

नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (उनको छोड़कर जिन्हें बाहर के निवेशों द्वारा स्पष्ट रूप से निधि प्रदान एवं समर्थन किया गया), बाण्ड्स, जमा एवं ऋण (पुनः वित्त पोषण को शामिल करके) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	0.77	1.48	10.03
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	27.39	45.01	64.77
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
योग ब	59.76	81.95	127.33
नियोजित पूँजी ⁹⁸	43.14	54.90	89.67

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
अ. देयताये			
आरक्षण एवं आधिक्य	287.35	323.15	352.45
ऋण:	0.16	0.16	0.16
चालू देयताये (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	73.52	103.87	147.54
अन्य देयताये	7.00	7.00	7.00
योग अ	368.03	434.18	507.15
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10.92	10.31	11.16
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	354.64	421.45	493.94
संचित हानि	-	-	-
विविध व्यय	2.47	2.42	2.05
योग ब	368.03	434.18	507.15
स. नियोजित पूँजी ⁹⁸	292.04	327.89	357.56

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
अ. देयताये			
आधिक्य	27.29	28.38	35.88
ऋण	249.78	195.49	158.75
जमा	38.90	39.40	46.82
चालू देयताये (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	218.13	247.41	250.78
देयताओं पर सम्पत्ति का आधिक्य	-	0.62	0.03
योग अ	534.10	511.30	492.26

⁹⁸ नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1.06	1.15	1.39
निवेश	29.78	49.33	84.29
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	503.26	460.82	406.58
योग ब	534.10	511.30	492.26
स. नियोजित पूँजी⁹⁹	286.19	214.56	157.19

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
अ. देयतायें			
ऋण	313.20	324.04	334.33
सरकार से अनुदान	3207.70	3527.26	4013.46
जमा	688.72	817.14	955.09
चालू देयतायें	868.12	1054.89	1287.08
अनुपभोगित सामग्री पर सेन्टेज	29.08	29.42	27.68
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	10.50	6.00	15.38
अवर्गीकृत आरक्षण	20.48	28.90	20.72
योग अ	5137.80	5787.65	6653.74
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	788.18	849.36	941.12
घटाया: हास	7.84	18.67	19.86
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	780.34	830.69	921.26
निवेश	302.75	286.72	278.31
चालू परिसम्पत्तियाँ	3960.27	4558.39	5327.92
घाटा	94.44	111.85	126.25
योग ब	5137.80	5787.65	6653.74
स. नियोजित पूँजी⁹⁹	3872.49	4334.19	4962.10

⁹⁹ नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रातिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

परिशिष्ट-5

(प्रस्तर संख्या 1.2.4 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
परिचालनगत			
(अ) राजस्व	650.21	701.82	677.45
(ब) व्यय	675.04	783.30	821.53
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	(-) 24.83	(-) 81.48	(-) 144.08
अपरिचालनगत			
(अ) राजस्व	15.42	16.84	61.07
(ब) व्यय	10.98	17.69	14.84
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	(+) 4.44	(-) 0.85	46.23
योग			
(अ) राजस्व	665.63	718.66	738.52
(ब) व्यय	686.02	800.99	836.37
(स) शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	(-) 20.39	(-) 82.33	(-) 97.85
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	10.98	17.69	(+) 14.84
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 9.41	(-) 64.64	(-) 83.01
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	-	-	-

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1. आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	151.42	142.35	156.05
(ब) अन्य आय	23.65	12.68	11.38
योग 1	175.07	155.03	167.43
2. व्यय			
(अ) दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	178.72	190.76	178.05
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	142.02	49.99	8.90
(स) अन्य व्यय	21.04	40.30	34.95
योग 2	341.78	281.05	221.90
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-) (1-2)	(-) 166.71	(-) 126.02	(-) 54.47

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
4. अन्य विनियोजन	-	-	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि ¹⁰⁰	-	-	-
6. अन्य विनियोजन	-	-	-
7. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	-	-	-
8 लाभांश दत्त/देय	-	-	-
9. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	12.01	64.74	123.58
10. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	0.82	4.24	8.56

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
1. आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	61.35	98.82	142.84
(ब) अन्य आय	0.28	0.77	0.95
योग 1	61.63	99.59	143.79
2. व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	12.76	16.39	20.16
(ब) ब्याज	0.26	0.19	0.16
(स) अन्य व्यय	39.74	66.45	98.48
योग 2	52.76	83.03	118.80
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	(+) 8.87	(+) 16.56	(+) 24.99
4. अन्य समायोजन			
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	7.26	13.03	24.57
6. वर्ष के लिए लाभांश	0.52	1.12	1.20
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	9.13	16.75	25.15
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	21.16	30.51	28.04

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. आय			
विक्रय	178.37	128.12	162.84
अन्य आय	29.86	27.84	35.43
अन्तिम रहतिया	67.92	106.77	147.67
योग 1	276.15	262.73	345.94
2. व्यय			

¹⁰⁰

कर निर्धारण के लिए विशिष्ट आरक्षित निधि एवं प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए लाभांश के लिए तैयार चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
क्रय	39.07	74.06	124.25
अन्य व्यय	75.25	84.95	85.62
प्रारम्भिक रहतिया	117.19	67.92	106.77
योग 2	231.51	226.93	316.64
शुद्ध लाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.29	10.92	8.19

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
1. आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	47.71	48.26	51.81
(ब) अन्य आय	10.57	14.25	15.89
योग 1	58.28	62.51	67.70
2. व्यय			
(अ) स्थापना	19.14	22.51	25.87
(ब) ब्याज	24.28	22.00	14.63
(स) अन्य व्यय	14.02	16.91	19.70
योग 2	57.44	61.42	60.20
3. आय का व्यय पर आधिक्य	0.84	1.09	7.50
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	25.12	23.09	22.13
5. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	8.78	10.76	14.08

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)	2000-2001 (अनन्तिम)
1. आय			
सेन्टेज	80.34	73.61	70.62
सर्वेक्षण एवं परियोजना शुल्क	9.29	5.44	4.33
ब्याज	25.37	30.43	47.23
अनुदान	19.31	37.95	53.40
अन्य	41.44	31.25	27.70
योग 1	175.75	178.68	203.28
2. व्यय			
स्थापना प्रभार	129.79	126.69	144.86
रख-रखाव पर व्यय	25.24	20.91	26.59

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)	2000-2001 (अनन्तिम)
ब्याज	36.12	29.07	27.39
अन्य व्यय	15.78	18.75	18.22
ह्रास	0.70	0.58	0.62
योग 2	207.63	196.00	217.68
घाटा	(-) 31.88	(-) 17.32	(-) 14.40
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	4.24	11.75	12.99
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	0.11	0.27	0.26

परिशिष्ट-6

(प्रस्तर संख्या 1.2.4.2.3 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की परिचालनात्मक कार्यसम्पादन को दर्शाती विवरणी

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या			
(अ) अपनी बसें	6531	6405	6186
(ब) किराये की बसें	1367	1396	1008
योग	7898	7801	7194
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	5804	5605	5460
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत	89	88	88
कर्मचारियों की संख्या	48792	47369	45960
कर्मचारी वाहन अनुपात	7.47:1	7.39:1	7.43:1
वर्ष के अन्त में परिचालित भागों की संख्या	2135	2022	2145
मार्ग किलोमीटर	465320	460385	470140
परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
(अ) सकल	7282	7076	6975
(ब) प्रभावी	7102	6895	6799
(स) मृत	180	181	176
मृत किलोमीटर का सकल किलोमीटर पर प्रतिशत	2.47	2.56	2.52
प्राप्त औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	245	241	258
प्रति किलोमीटर औसत परिचालन राजस्व (पैसे)	1012	1071	1068
प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	1128	1212	1247
प्रति किमी परिचालन व्यय पिछले वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	4.25	7.45	2.89
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(-) (पैसे)	(-) 116	(-) 141	(-) 179
परिचालित डिपो की संख्या	114	115	115
प्रति लाख किलोमीटर पर खराब होने की औसत संख्या	4.30	4.50	3.77
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.19	0.18	0.15
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	2316	2146	2043
धारित अनुपात	63	59	57
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटर:			
(अ) डीजल	4.69	4.72	4.82
(ब) इंजन तेल	894	935	1093

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98		1998-99		1999-2000	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	175	68.43	111	28.79	339	79.97
प्राप्त आवेदन पत्र	2077	581.87	1078	302.80	296	126.75
योग	2252	650.30	1189	331.59	635	206.72

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98		1998-99		1999-2000	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
स्वीकृत आवेदन पत्र	1741	360.26	560	106.18	219	73.17
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन पत्र	400	261.25	290	145.44	376	109.18
वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र	111	28.79	339	79.97	40	24.37
वितरित ऋण	1300	268.89	637	129.39	237	69.65
वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	21452	1310.81	20113	1251.48	17986	1103.44
वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि						
(अ) मूल	-	164.60	-	238.22	-	242.68
(ब) ब्याज	-	377.04	-	498.89	-	692.36
योग	-	541.64	-	737.11	-	935.04
वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि	-	280.03	-	-	-	-
योग	-	280.03	-	-	-	-
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत	-	41.32	-	58.90	-	84.74

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
आवृत केन्द्रों की संख्या	118	133	154
वर्ष की समाप्ति तक सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(अ) स्वामित्व में	11.81	11.94	12.90
(ब) किराये पर	1.72	5.97	10.76
योग	13.53	17.91	23.66
वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में)	11.91	15.25	21.46
उपयोग का प्रतिशत	88.03	85.15	90.70
औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	517.38	633.05	670.00
औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	443.16	544.33	541.00
लाभ(+)/हानि(-) प्रति टन (रुपये)	(+) 74.22	(+) 88.72	(+) 129.00

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1 लकड़ी, चिरान लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष ¹⁰¹	3.92	6.70	7.53
(ब) विक्रय	1.87	3.19	4.35
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-

¹⁰¹ प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान उत्पादन सम्मिलित है।

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
(द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन	0.02	0.01	-
(इ) अन्तिम शेष ¹⁰¹	2.03	3.50	3.18
2 तेन्दू पत्ता (भानक बोरे लाख में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष ¹⁰¹	4.41	4.40	5.61
(ब) विक्रय	4.19	3.97	5.23
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	0.22	0.43	0.38
3. बाँस (लाख बण्डल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष ¹⁰¹	2.51	3.44	2.07
(ब) विक्रय	0.90	2.63	1.47
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	1.61	0.81	0.60
4. कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष ¹⁰¹	0.38	0.22	0.22
(ब) विक्रय	0.33	0.20	0.21
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.05	0.01	0.01
5. बैली घास (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष ¹⁰²	0.30	0.42	0.36
(ब) विक्रय	0.15	0.19	0.22
(स) हानियाँ/कमिया	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.15	0.22	0.14
6. जड़ी-बूटी (लाख किग्रा में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष ¹⁰²	3.41	6.67	9.29
(ब) विक्रय	0.28	1.12	4.43
(स) हानियाँ/कमिया	0.01	0.03	0.34
(द) अन्तिम शेष	3.12	5.52	4.52

¹⁰² प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान उत्पादन सम्मिलित है।

परिशिष्ट-7

(प्रस्तर संख्या 1.7 में संदर्भित)

उन कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत 5 वर्षों से 5 करोड़ रुपये से कम था तथा जिनके लेखे प्रमाणित थे, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे (वर्ष)	व्यवसाय (लाख रुपये में)				
			अद्यतन वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2000-2001	107.96	142.66	171.84	198.60	296.67
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2001-2002	114.87	142.87	161.71	206.37	264.97
3.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2000-2001	18.74	29.09	36.18	46.16	60.96
4.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2000-2001	59.12	90.51	105.70	74.25	76.43
5.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1994-95	265.81	270.09	233.44	201.21	183.59
6.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	1990-91	16.50	19.59	15.80	9.86	57.21
7.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड	1996-97	28.55	19.78	19.87	19.69	35.58
8.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1995-96	349.65	357.13	435.71	444.40	290.01
9.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1998-99	66.53	71.00	67.90	70.20	40.84
10.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1990-91	36.11	24.57	28.62	11.31	5.73
11.	अपलीज फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड	1997-98	128.63	71.61	50.04	55.26	67.88
12.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	1999-2000	239.67	210.34	165.11	171.39	192.77
13.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1993-94	15.45	16.80	15.39	11.59	9.17
14.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1997-98	17.25	17.79	19.46	25.20	20.98
15.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2001-2002	256.10	238.52	395.24	235.93	320.79
16.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1996-97	19.31	72.85	14.06	2.66	0.31

परिशिष्ट-7अ

(प्रस्तर संख्या 1.7 में संदर्भित)

कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षों से घाटा दे रही हैं, जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लगातार 5 वर्षों की हानि, जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया					
			वर्ष	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
1.	अपट्टान इण्डिया लिमिटेड	18.10.1979	वर्ष	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
			शुद्ध मूल्य	(-) 14377.84	(-) 11165.41	(-) 8112.91	(-) 5653.09	(-) 4214.43
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 3212.23	(-) 3118.95	(-) 3044.82	(-) 2638.66	(-) 2855.52
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	20.08.1974	वर्ष	2000-2001	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97
			शुद्ध मूल्य	(-) 3384.15	(-) 4589.14	(-) 3682.32	(-) 2445.09	(-) 1900.04
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 806.23	(-) 906.82	(-) 1236.36	(-) 545.05	(-) 220.82
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	26.03.1971	वर्ष	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94
			शुद्ध मूल्य	(-) 56357.05	(-) 40663.00	(-) 20726.65	(-) 9525.82	(-) 5336.28
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 16090.88	(-) 19893.86	(-) 12036.63	(-) 4189.46	(-) 6028.96
4.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	18.04.1975	वर्ष	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
			शुद्ध मूल्य	(-) 2352.84	(-) 2038.89	(-) 1817.84	(-) 1178.92	(-) 1386.29
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 362.51	(-) 221.05	(-) 636.26	(-) 416.99	(-) 300.80
5.	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	18.04.1975	वर्ष	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94
			शुद्ध मूल्य	(-) 4845.62	(-) 4181.53	(-) 3255.51	(-) 3442.13	(-) 2878.16
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 809.13	(-) 830.09	(-) 759.71	(-) 562.09	(-) 303.74
6.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	30.05.1986	वर्ष	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96
			शुद्ध मूल्य	(-) 3521.21	(-) 894.86	(-) 2352.37	(-) 1948.29	(-) 1406.62
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 548.52	(-) 625.83	(-) 404.08	(-) 541.67	(-) 532.67
7.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	27.10.1979	वर्ष	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
			शुद्ध मूल्य	(-) 214.25	(-) 192.44	(-) 141.19	(-) 123.15	(-) 46.53
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 18.73	(-) 51.10	(-) 68.52	(-) 62.44	(-) 32.94
8.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	27.04.1976	वर्ष	1990-91	1989-90	1988-89	1987-88	1986-87
			शुद्ध मूल्य	(-) 196.48	(-) 149.43	(-) 129.77	(-) 93.44	(-) 68.13
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 47.05	(-) 36.67	(-) 36.33	(-) 26.57	(-) 36.64
9.	अपट्टान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	10.04.1977	वर्ष	अक्टूबर 1999 से मार्च 2001	अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999	अप्रैल 1996 से सितम्बर 1998	अप्रैल 1996 से मार्च 1997	अप्रैल 1995 से मार्च 1996
			शुद्ध मूल्य	(-) 148.21	(-) 34.46	(+) 59.08	(+) 72.90	(+) 106.94
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 108.63	(-) 92.63	(-) 13.81	(-) 33.99	(-) 5.98

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लगातार 5 वर्षों की हानि, जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया					
			वर्ष	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93
10	उत्तर प्रदेश डिजीटल लिमिटेड	08.03.1978	वर्ष					
			शुद्ध मूल्य	(-) 659.34	(-) 540.67	(-) 433.27	(-) 324.61	(-) 233.67
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 118.66	(-) 107.40	(-) 107.43	(-) 91.03	(-) 66.34
11.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	29.03.1972	वर्ष	2000-2001	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97
			शुद्ध मूल्य	(-) 10547.51	(-) 3665.22	(-) 196.46	(+) 5126.37	(+) 8920.55
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 6882.29	(-) 5968.76	(-) 5322.83	(-) 3794.18	(-) 2142.63
12.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	20.01.1966	वर्ष	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
			शुद्ध मूल्य	(-) 116.45	(+) 166.17	(+) 428.73	(+) 375.60	(+) 615.10
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 351.25	(-) 185.98	(-) 62.88	(-) 48.49	(-) 64.09

परिशिष्ट -8

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जबसे प्रस्तर अनिस्तारित हैं
1.	कृषि एवं समवर्गीय	6	29	143	1979-80
2.	चीनी एवं गन्ना विकास	8	208	582	1994-95
3.	सिचाई	1	7	41	1994-95
4.	मत्स्य	1	2	13	2000-2001
5.	ग्रामीण व लघु उद्योग	5	26	161	1980-81
6.	नियोजन	1	6	14	1992-93
7.	उद्योग एवं आद्योगिक विकास	12	94	574	1979-80
8.	निर्यात संवर्धन	2	16	67	1988-89
9.	वस्त्र	3	43	129	1985-86
10.	इलेक्ट्रानिक्स	5	29	110	1987-88
11.	लोक निर्माण	2	324	769	1979-80
12.	क्षेत्र विकास	1	4	10	1980-81
13.	हरिजन व समाज कल्याण	5	26	82	1986-87
14.	गृह	1	4	24	1995-96
15.	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	2	61	119	1978-79
16.	पर्यटन	1	4	10	1994-95
17.	अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ	2	12	40	1988-89
18.	परिवहन	1	156	714	1981-82
19.	सहकारिता	1	8	56	1991-92
20.	वन	1	28	100	1997-98
21.	पंचायतीराज	1	6	13	1983-84
22.	विद्युत	4	2291	8677	1981-82
	योग	66	3384	12448	

परिशिष्ट-9

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

विभागवार ड्राफ्ट प्रस्तारों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	विभाग का नाम	ड्राफ्ट प्रस्तारों की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	निर्गमन की अवधि
1.	कृषि		1	जुलाई 2002
2.	विद्युत	19	2	मई 2002 से अक्टूबर 2002
3.	वस्त्र	2	-	मई 2002 से अक्टूबर 2002
4.	परिवहन	1	-	जुलाई 2002
5.	लघु उद्योग	1	-	जून 2002
6.	उद्योग	2	-	जुलाई 2002
	योग	25	3	

परिशिष्ट-11

(प्रस्तर 2अ.1.5 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की 1996-97 से 2000-01 तक के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करती हुई विवरणी

(लाख रूपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
देयताये:					(अनन्तम)
(अ) प्रदत्त पूँजी					
(i) राज्य सरकार	2732.00	2732.00	4000.00	4000.00	4000.00
(ब) आरक्षित निधि एवं आधिक्य					
(i) पूँजीगत आरक्षित निधि	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
(ii) कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
(स) ऋण					
(i) उत्तर प्रदेश शासन से	1000.00	1500.00	1000.00	750.00	750.00
(ii) बैंकों से	1384.66	838.91	1102.99	930.09	3016.66
(iii) उपार्जित एवं देय ब्याज	527.46	600.93	362.93	396.68	487.93
(द) चालू देयताये एवं प्रावधान					
(i) चालू देयताये	7047.92	7513.41	10118.58	10545.88	7875.53
(ii) प्रावधान	84.14	81.75	72.74	68.50	68.50
योग	12777.02	13267.84	16658.08	16691.99	16199.46
परिसम्पत्तियाँ:					
(अ) कुल अचल परिसम्पत्तियाँ	228.20	251.23	322.72	325.02	334.06
(ब) घटाया: ह्रास	178.08	182.65	199.07	222.37	242.88
(स) शुद्ध अचल परिसम्पत्तियाँ	50.12	68.58	123.65	102.65	91.16
(द) पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	75.05	91.23	17.59	80.01	81.11
(य) निवेश	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26
(र) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम:					
स्कन्ध	1502.25	1400.78	1554.49	3155.43	2508.60
विविध देनदार	1553.67	1955.87	1422.99	1456.60	1692.60
नकद एवं बैंक जमा	2602.71	2871.15	6340.05	4395.89	3946.34
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	42.52	113.66	376.96	704.03	640.16
ऋण एवं अग्रिम	1248.09	1388.20	1553.93	1251.88	982.16
योग (र)	6949.24	7729.66	11248.42	10963.83	9769.86
(व) संचित हानियाँ	5638.35	5314.11	5204.16	5481.24	6193.07
योग	12777.02	13267.84	16658.08	16691.99	16199.46
नियोजित पूँजी ¹⁰⁵	(-) 585.11	(-) 306.62	(+) 835.41	(+) 135.43	(+) 1510.17
शुद्ध पूँजी ¹⁰⁶	(-) 2906.35	(-) 2582.11	(-) 1204.16	(-) 1481.24	(-) 2193.07

¹⁰⁵ नियोजित पूँजी का अर्थ है, शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों एवं प्रगतिगत पूँजीगत कार्य और कार्यशील पूँजी तथा उपार्जित व देय ब्याज का योग।

¹⁰⁶ शुद्ध पूँजी, प्रदत्त पूँजी तथा आरक्षित निधि एवं आधिक्य के योग से अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदर्शित की गई है।

परिशिष्ट-12

(प्रस्तर 2अ.1.5 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के 1996-97 से 2000-01 तक के पाँच वर्षों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(लाख रूपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
आय:					(अनन्तितम)
बिक्री एवं सेवाये	19215.46	23018.48	34127.88	29242.01	34571.45
अन्य आय	97.69	424.05	528.16	465.29	478.66
स्कन्ध में वृद्धि (+)/कमी (-)	-350.44	+80.19	+186.11	+1521.26	- 533.76
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	4.17	5.05	5.96	1.96	2.03
कुल आय	18966.88	23527.78	34848.11	31230.52	34518.38
व्यय:					
कच्ची सामग्री की लागत	2345.91	2047.33	2519.12	2669.12	1796.33
निर्माण व्यय	1981.27	1146.09	1712.36	1825.99	1206.97
उपयोजित सामग्री एवं भण्डार	13191.88	18496.56	28137.53	24436.24	29155.36
कर्मचारियों को भुगतान व प्रावधान	1305.73	1395.92	1544.92	1693.18	1897.88
प्रशासनिक व अन्य व्यय	303.68	371.79	633.55	533.24	766.23
विक्रय एवं वितरण व्यय	34.66	18.85	21.79	19.28	12.20
स्कन्ध में आग से हानि के लिए प्रावधान	00	0.73	00	00	00
किराया क्रय ब्याज हेतु प्रावधान	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	00	1.00	00	0.24	00
चोरीजनित हानि के लिए प्रावधान	0.04	00	00	00	00
कुल व्यय	19163.25	23478.36	34569.36	31177.38	34835.06
पीबीडीआईटी (परिचालन हानि/लाभ)	-196.37	+49.42	+278.75	+53.14	-316.68
बैंक व अन्य को ब्याज	47.20	82.58	92.24	196.28	302.33
शासन को ब्याज	133.68	125.04	75.00	86.35	91.48
मूल्य ह्रास	9.73	11.09	12.27	12.11	11.44
वर्ष का लाभ (+)/हानि (-)	-386.98	- 169.29	+99.24	- 241.60	-721.93
जोड़ा/घटाया- लाइन से नीचे दिखाये गये पूर्व वर्षों के व्यय/समायोजन	-0.87	+493.53	+10.71	- 35.48	+10.10
समायोजनों के बाद लाभ (+)/हानि (-)	- 387.85	+324.24	109.95	(-) 277.08	-711.83
पिछले वर्षों से अग्रसारित हानि	5250.50	5638.35	5314.11	5204.16	5481.24
बैलेंस शीट में प्रदर्शित की गई संचित हानि	5638.35	5314.11	5204.16	5481.24	6193.07
विक्रय लागत	19602.44	23187.78	34028.64	29483.61	35293.38
विक्रय लागत का बिक्री पर प्रतिशत	102.01	100.74	99.71	100.83	102.08

परिशिष्ट-13

(प्रस्तर 2अ.3.2.1 में संदर्भित)

जी आई ट्यूब्स का भार दर्शाने वाले मानक आईएस:1239 के अंश

मोटाई व द्रव्यमान पर सहनशक्ति

9.1 ट्यूब्स एवं साकेट्स के सम्बन्ध में निम्न निर्माण सहनशक्ति अनुमन्य होगी:

(अ) मोटाई:

(1) जोड़विहीन वेल्डेड हल्के ट्यूब्स	+ सीमित नहीं
मध्यम एवं भारी ट्यूब्स	- 8 प्रतिशत
	+ सीमित नहीं
	- 10 प्रतिशत
(2) जोड़विहीन ट्यूब्स	+ सीमित नहीं
	- 12.5 प्रतिशत

(ब) भार

(1) एकल ट्यूब (हल्की श्रेणी)	+ 10 प्रतिशत
	- 8 प्रतिशत
(2) एकल ट्यूब (मध्यम एवं भारी श्रेणी)	+ 10 प्रतिशत
(3) 10 टन के प्रत्येक भार की मात्राओं हेतु (हल्की श्रेणी)	+ 5 प्रतिशत
(4) 10 टन के प्रत्येक भार की मात्राओं हेतु (मध्यम एवं भारी श्रेणी)	+ 7.5 प्रतिशत

टिप्पणी: 10 टन वजन के ढेर की न्यूनतम तौल के अभिप्राय से निर्माता के विकल्प पर सुविधाजनक ढेरों में वजन किया जा सकता है।

परिशिष्ट-14


(प्रस्तर 2अ.3.2.1 एवं 2अ.3.3.1 में संदर्भित)

राइजर पाइप की विशिष्टतायें प्रदर्शित करने वाले मानक IS:9301 के अंश

5.4 राइजर पाइप, मानक आईएस 1239 (भाग-I):1979 मध्यम श्रेणी के समरूप 32 एमएम के न्यूनतम छिद्र वाला एवं $^{\circ}$ -25 एमएम की सहन क्षमता सहित 3 मीटर लम्बाई में पेंचदार तथा साकेट वाला हाट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप होगा। साकेट का निर्माण, आईएस 1239 (भाग-II):1982 में उल्लिखित आयामों (लम्बाई एवं व्यास) सहित आईएस 226:1975 के एफई 410-एस श्रेणी के समरूप जोड़ विहीन पाइप अथवा ठोस छड़ों से मशीनीकृत करके किया जायेगा और हाट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड होगा। राइजर पाइप का एक सिरा हाट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड कपलर के साथ एवं दूसरा एक थ्रेड प्रोटेक्टर के साथ जुड़ा होगा।

परिशिष्ट-15

(प्रस्तर 2अ.3.3.1 में संदर्भित)
हैडपम्प का छाया चित्र (इण्डिया मार्क II)



NOTES

- 1 The free end of the casing pipe shall be minimum 300 mm above the installation mark.
- 2 Casing pipe is not required when the bore pipe passes through rocks.
- 3 Separate platform for washing, clothes/tenish and cattle troughs may be provided if required.

All dimensions in millimetres.

FIG. 1 TYPICAL SET-UP FOR DEERWELL HANDPUMP

परिशिष्ट-16

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में मानकों से अधिक लाइनों के निर्माण के कारण हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाली विवरणी
(एकल फेज-2 तार के बजाय 2 फेज 3 तार और 3 फेज 4 तार)

(प्रस्तर 2ब.3[i] में संदर्भित)

खण्ड	वर्ष	गाँवों की संख्या	एल टी लाइनों की लम्बाई (किमी)	उपलब्ध कण्डक्टर ¹⁰⁷ (किमी)	रेस्यो के मानकों के अनुसार उपलब्ध किया जाने वाला कण्डक्टर (किमी)	कण्डक्टर का अधिक उपयोग (किमी)	प्रति किमी कण्डक्टर की दर ¹⁰⁸	अतिरिक्त लागत
विविख-I बलिया	1997-98	19	34.585	71.328	35.622	35.706	15695.00	560406.00
	1998-99	27	63.361	130.693	65.263	65.430	16377.00	1071547.00
	1999-00	30	79.058	163.887	81.429	82.458	16063.00	1324523.00
विविख-I जौनपुर	1998-99	3	6.675	20.025 (3Ø4W)	6.875	13.150	16377.00	215358.00
	1998-99	11	17.485	36.019	18.010	18.009	16377.00	294933.00
विविख इटावा	1999-00	5	13.835	43.834 (3Ø4W)	14.254	29.580	16377.00	484432.00
	1999-00	87	183.888	363.110	189.405	173.705	16377.00	2844767.00
विविख कुशीनगर	1997-98	15	33.305	68.110	34.305	33.805	15695.00	530569.00
	1998-99	29	108.415	227.988	111.667	116.321	16377.00	1904989.00
	1999-00	39	86.451	204.283	89.045	115.238	16377.00	1887253.00
	1999-00	1	0.570	1.174	0.587	0.587	17059.00	10014.00
	1999-00	2	3.870	7.252	3.988	3.264	19243.00	62809.00
विविख राबर्ट्सगंज	1999-00	3	9.600	19.776	9.888	9.888	16377.00	161936.00
विविख-I गोरखपुर	1997-98	19	23.859	49.150	24.575	24.575	16377.00	402465.00
	1998-99	16	33.470	68.948	34.474	34.474	16377.00	564581.00
	1999-00	16	28.600	58.916	29.458	29.458	16377.00	482434.00
विविख-II इलाहाबाद	1997-98	45	149.096	309.966	153.569	156.397	16377.00	2561314.00
	1997-98	4	6.804	15.746	7.008	8.738	15695.00	137143.00
	1998-99	25	73.580	151.243	75.787	75.456	16377.00	1235743.00
	1999-00	25	81.980	169.436	84.439	84.997	16377.00	1391996.00
योग		421	1038.487	2180.884	1069.648	1111.236		18129212.00

या 1.81 करोड़ रुपये

107

लाइने 2Ø3 डब्ल्यू की है जहाँ लाइन का प्रकार दर्शाया नहीं गया है।

108

उपरिव्ययों सहित (3%+32.5%)।

परिशिष्ट-17

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में उच्चतर लागत पर बोल्ट और
नट सहित एल टी क्लैम्प्स की अधिप्राप्ति को
दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 2ब.3[iv] में संदर्भित)

क्र०सं०	खण्ड	1997-98				1998-99			
		दर	मात्रा (संख्या)	अन्तर	आधिक्य	दर	मात्रा (संख्या)	अन्तर	आधिक्य
1	विविख-I गाजीपुर	38.50	2250	0.50	1,125.00	53.00	6500	0.20	1,300.00
2	विविख-II गाजीपुर	38.00 ¹⁰⁹				52.80 ¹⁰⁹			
3	विविख बाराबंकी	38.50	4000	0.50	2,000.00	60.42	500	7.62	3,810.00
		54.50	8000	16.50	132,000.00	54.50	6000	1.70	10,200.00
4	विविख-I जौनपुर	38.50	6000	0.50	3,000.00				
5	विविख-II जौनपुर								
6	विविख इटावा					68.00	7700	15.20	117,040.00
						64.00	2500	11.20	28,000.00
7	विविख बलिया	49.39	8000	11.39	91,120.00				
8	विविख-II इलाहाबाद	40.70	2000	2.70	5,400.00	65.00	5000	12.20	61,000.00
9	विविख बस्ती	38.50	5000	0.50	2,500.00				
10	विविख बहराइच								
11	विविख-II गोरखपुर	38.50	7000	0.50	3,500.00	66.90	8500	14.10	119,850.00
12	विविख-I शाहजहाँपुर								
13	विविख कुशीनगर	67.00	3000	29.00	87,000.00	63.81	7000	11.01	77,070.00
14	विविख-I गोरखपुर								
15	विविख-I इलाहाबाद					61.95	6000	9.15	54,900.00
16	विविख बरेली	41.00	2550	3.00	7,650.00	55.35	3800	2.55	9,690.00
		49.00	1775	11.00	19,525.00				
	योग		49,575		354,820.00		53,500		482,860.00
	जोड़ा: 5 प्रतिशत यूपीटीटी				17,741.00				24,143.00
	महायोग				372,561.00				507,003.00

परिशिष्ट-17 (जारी)

क्र०सं०	खण्ड	1999-2000				2000-2001			
		दर	मात्रा (संख्या)	अन्तर	आधिक्य	दर	मात्रा (संख्या)	अन्तर	आधिक्य
1.	विविख-I गाजीपुर	55.80	8722	6.90	60,181.80				
2.	विविख-II गाजीपुर					53.43	10000	1.43	14,300.00
3.	विविख बाराबंकी	54.00	16280	5.10	83,028.00				
4.	विविख-I जौनपुर	49.90	2000	1.00	2,000.00				

परिशिष्ट-17 (जारी)

क्र०सं०	खण्ड	1999-2000				2000-2001			
		दर	मात्रा (संख्या)	अन्तर	आधिक्य	दर	मात्रा (संख्या)	अन्तर	
5.	विविध-II जौनपुर	52.00	2200	3.10	6,820.00				
6.	विविध इटावा	64.00	14000	15.10	211,400.00				
7.	विविध-I बलिया	50.24 54.90	5000 5000	1.34 6.00	6,700.00 30,000.00				
8.	विविध-II इलाहाबाद	65.00	5000	16.10	80,500.00	52.00 ¹¹⁰			
9.	विविध बस्ती	68.00	6000	19.10	114,600.00	68.00	15250	16.00	244,000.00
10.	विविध बहराइच					55.95	7500	3.95	29,625.00
11.	विविध-II गोरखपुर	63.50	7850	14.60	114,610.00				
12.	विविध-I शाहजहाँपुर	66.00 68.00	7500 7500	17.10 19.10	128,250.00 143,250.00	66.00	7500	14.00	105,000.00
13.	विविध कुशीनगर	65.50	7000	16.60	116,200.00	64.75 63.25	7000 7000	12.75 11.25	89,250.00 78,750.00
14.	विविध-I गोरखपुर	63.50 64.00	3000 2500	14.60 15.10	43,800.00 37,750.00	64.65	2000	12.65	25,300.00
15.	विविध-I इलाहाबाद	48.90 ¹¹⁰							
16.	विविध बरेली	58.20	6000	9.30	55,800.00				
	योग		105,552		1234,889.80		56,250		586,225.00
	जोड़ा: 5 प्रतिशत यूपीटीटी				61,744.49				29,311.25
	महायोग				1296,634.29				615,536.25

महायोग= 27.92 लाख रूपये

परिशिष्ट-18

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में सामग्री की ढुलाई पर हुये अधिक व्यय को दर्शाने वाली विवरणी (प्रस्तर 2ब.3 [vi] में सन्दर्भित)

(धनराशि रूपये में)

विद्युत वितरण खण्डों के नाम	वर्ष	सामग्री	विद्युत भण्डार खण्डों की दूरी	दर	खण्ड द्वारा अनुमन्य दर	अनुमन्य अधिक दर	ढोई गई सामग्री (संख्या में)	अतिरिक्त व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
विविध-I, गाजीपुर	1998-99	पीसीसी पोल	60 किमी तक	61.00	120.00	59.00	750	44,250.00
	1999-00	पीसीसी पोल	60 किमी तक	66.00	199.00	133.00	815	108,395.00
	1999-00	पीसीसी पोल	20 किमी तक	36.00	145.00	109.00	300	32,700.00
	1999-00	पीसीसी पोल	30 किमी तक	40.00	155.00	115.00	100	11,500.00
	1999-00	पीसीसी पोल	40 किमी तक	43.00	165.00	122.00	260	31,720.00
	1999-00	पीसीसी पोल	50 किमी तक	56.00	175.00	119.00	140	16,660.00
	2000-01	पीसीसी पोल	20 किमी तक	36.00	190.00	154.00	200	30,800.00
	2000-01	पीसीसी पोल	50 किमी तक	56.00	199.00	143.00	670	95,810.00
	1998-99	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	100 किमी तक	125.00	700.00	575.00	25	14,375.00
	1999-00	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	100 किमी तक	125.00	745.00	620.00	17	10,540.00
	1999-00	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	20 किमी तक	50.00	690.00	640.00	8	5,120.00
	1999-00	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	30 किमी तक	70.00	710.00	640.00	3	1,920.00
	1999-00	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	40 किमी तक	70.00	730.00	660.00	8	5,280.00
	1999-00	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	50 किमी तक	80.00	750.00	670.00	6	4,020.00
	2000-01	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	20 किमी तक	50.00	725.00	675.00	6	4,050.00
	2000-01	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	50 किमी तक	80.00	745.00	665.00	19	12,635.00
								429,775.00
विविध-II, गाजीपुर	1997-98	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	20 किमी तक	50.00	700.00	650.00	3	1,950.00
	1997-98	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	40 किमी तक	70.00	700.00	630.00	64	40,320.00
	1997-98	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	60 किमी तक	90.00	700.00	610.00	14	8,540.00
	1999-00	पीसीसी पोल	30 किमी तक	40.00	155.00	115.00	225	25,875.00
	1999-00	पीसीसी पोल	40 किमी तक	43.00	165.00	122.00	2043	249,246.00
	1999-00	पीसीसी पोल	50 किमी तक	56.00	175.00	119.00	348	41,412.00
	1999-00	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	30 किमी तक	70.00	710.00	640.00	5	3,200.00
	1999-00	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	40 किमी तक	70.00	730.00	660.00	57	37,620.00
	1999-00	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	50 किमी तक	80.00	750.00	670.00	8	5,360.00
	2000-01	पीसीसी पोल	40 किमी तक	43.00	210.00	167.00	283	47,261.00
	2000-01	पीसीसी पोल	60 किमी तक	72.00	199.00	127.00	1594	202,438.00
	2000-01	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	60 किमी तक	100.00	745.00	645.00	30	19,350.00
								682,572.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विविध, बाराबंकी	1998-99	पीसीसी पोल	30 किमी तक 51.00	330.00	279.00	35	9,765.00
	1998-99	पीसीसी पोल	30 किमी तक 51.00	335.00	284.00	35	9,940.00
	1998-99	पीसीसी पोल	30 किमी तक 51.00	336.00	285.00	340	96,900.00
	1998-99	पीसीसी पोल	30 किमी तक 51.00	338.00	287.00	1314	377,118.00
	1998-99	पीसीसी पोल	30 किमी तक 51.00	365.00	314.00	30	9,420.00
	1998-99	पीसीसी पोल	60 किमी तक 64.00	379.00	315.00	260	81,900.00
	1998-99	पीसीसी पोल	60 किमी तक 64.00	380.00	316.00	1113	351,708.00
	1998-99	पीसीसी पोल	60 किमी तक 64.00	385.00	321.00	254	81,534.00
	1998-99	पीसीसी पोल	60 किमी तक 64.00	386.00	322.00	214	68,908.00
	1998-99	पीसीसी पोल	60 किमी तक 64.00	387.00	323.00	1494	482,562.00
	1998-99	पीसीसी पोल	60 किमी तक 64.00	388.00	324.00	689	223,236.00
	1999-00	पीसीसी पोल	30 किमी तक 51.00	338.00	287.00	1129	324,023.00
	1999-00	पीसीसी पोल	30 किमी तक 51.00	388.00	337.00	60	20,220.00
	1999-00	पीसीसी पोल	60 किमी तक 65.00	380.00	315.00	1527	481,005.00
	1999-00	पीसीसी पोल	60 किमी तक 65.00	387.00	322.00	239	76,958.00
	1999-00	पीसीसी पोल	60 किमी तक 65.00	388.00	323.00	649	209,627.00
	2000-01	पीसीसी पोल	30 किमी तक 51.00	338.00	287.00	116	33,292.00
	2000-01	पीसीसी पोल	60 किमी तक 65.00	388.00	323.00	170	54,910.00
विविध, बरेली	1997-98	पीसीसी पोल	70 किमी तक 68.00	185.00	117.00	1400	163,800.00
	1997-98	पीसीसी पोल	70 किमी तक 68.00	199.00	131.00	680	89,080.00
	1997-98	पीसीसी पोल	70 किमी तक 68.00	212.00	144.00	800	115,200.00
	1998-99	पीसीसी पोल	70 किमी तक 68.00	241.00	173.00	775	134,075.00
	1999-00	पीसीसी पोल	70 किमी तक 70.00	242.00	172.00	775	133,300.00
	1999-00	पीसीसी पोल	70 किमी तक 70.00	243.00	173.50	770	133,595.00
	1999-00	पीसीसी पोल	70 किमी तक 70.00	244.00	174.00	770	133,980.00
	1999-00	पीसीसी पोल	70 किमी तक 70.00	245.00	175.00	770	134,750.00
	1999-00	पीसीसी पोल	70 किमी तक 70.00	246.00	176.00	770	135,520.00
	1999-00	पीसीसी पोल	70 किमी तक 70.00	247.00	177.00	1540	272,580.00
विविध-I जौनपुर	1997-98	पीसीसी पोल	40 किमी तक 42.00	127.00	85.00	4000	340,000.00
	1997-98	पीसीसी पोल	80 किमी तक 65.00	127.00	62.00	300	18,600.00
							358,600.00
विविध-II जौनपुर	1997-98	पीसीसी पोल	40 किमी तक 42.00	146.00	104.00	500	52,000.00
	1997-98	पीसीसी पोल	80 किमी तक 65.00	156.00	91.00	800	72,800.00
	1998-99	पीसीसी पोल	50 किमी तक 56.00	150.00	94.00	800	75,200.00
	1998-99	पीसीसी पोल	70 किमी तक 60.00	156.00	96.00	200	19,200.00
	1998-99	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	80 किमी तक 80.00	1760.00	1680.00	12	20,120.00
	1998-99	ट्रान्सफार्मर 25केवीए	70 किमी तक 90.00	1760.00	1670.00	11	18,370.00
							257,690.00
योग							6,167,543.00

या 0.62 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-19

(प्रस्तर 2स.2.1 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के सम्बन्ध में समय और लागत अतिक्रमण दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (किलोवाट)	कार्य आरम्भ होने का माह	पूर्ण होने का निर्धारित माह	पूर्ण होने का वास्तविक माह	पूर्ण होने में विलम्ब (माह में)	मूल डीपीआर के अनुसार अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)	वास्तविक सम्पूर्ण लागत (लाख रुपये में)	अधिक लागत (लाख रुपये में)	वृद्धि का प्रतिशत
1.	सोबला चरण-I	पिथौरागढ़	6000	09/88	08/91	11/98	86	747.00	1218.76	471.76	63.15
2.	उरगाम	चमोली	3000	08/91	07/94	3/97	31	489.62	840.62	351.00	72.10
3.	कंचौटी	पिथौरागढ़	2000	12/87	11/90	12/92	24	284.99	507.43	222.44	78.05
4.	कुलागढ़	पिथौरागढ़	1200	03/89	02/92	2/94	23	259.22	374.42	115.20	44.44
5.	छिरकिला	पिथौरागढ़	1500	12/87	11/90	3/94	39	191.60	462.04	270.44	141.14
6.	बरार	पिथौरागढ़	750	02/92	01/95	7/96	17	218.04	487.08	269.04	123.39
7.	क्षरणदेव	पिथौरागढ़	400	12/91	11/94	6/99	54	145.21	219.57	74.36	51.16
8.	तालेश्वर	पिथौरागढ़	600	10/92	09/95	6/99	44	173.80	272.89	99.09	57.01
9.	गर्गौ	पिथौरागढ़	300	01/92	01/95	6/99	52	134.83	205.27	70.44	52.24
10.	सप्तेश्वर	चम्पावत	300	10/91	09/94	3/94	अनुपलब्ध	137.15	277.39	140.24	102.25
11.	कोटाबाग	नैनीताल	200	02/88	02/91	3/90	अनुपलब्ध	34.94	92.60	57.66	165.02
		योग	16250 या 16.25 मेगावाट					2816.40 या 28.16 करोड़ रुपये	4958.07 या 49.58 करोड़ रुपये	2141.67 या 21.42 करोड़ रुपये	

टिप्पणी: कम संख्या 9 तथा 10 की परियोजनायें कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से 3 वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरी हो गई थी।

परिशिष्ट-20

(प्रस्तर 2स.2.1 में संदर्भित)
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में समय और लागत अतिक्रमण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (किलोवाट)	कार्य आरम्भ होने का माह	पूर्ण होने का निर्धारित माह	जून 2001 तक पूर्ण होने में विलम्ब (माह में)	मूल डीपीआर के अनुसार अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)	जून 2001 तक किया गया व्यय (लाख रुपये में)	अधिक लागत (लाख रुपये में)	वृद्धि का प्रतिशत
1.	जुमागढ़	चमोली	1200	09/91	08/94	82	312.12	719.87	407.75	130.60
2.	बेलका	सहारनपुर	3000	11/88	10/91	116	734.05	1619.12	885.07	120.57
3.	बबेल उप-योग	सहारनपुर	3000	11/88	10/91	116	780.30	2336.86	1556.56	199.48
4.	सोनप्रयाग	रूद्रप्रयाग	500	04/98	04/2001	03	1826.47	273.58	2849.38	--
5.	सोबला-II	पिथौरागढ़	1500	05/99	04/2002	-	460.00	172.57	(-) 287.43	--
6.	रेलागढ़	पिथौरागढ़	3000	04/99	03/2002	-	776.86	622.65	(-) 154.21	--
7.	पिलानगढ़	उत्तरकाशी	2250	05/99	04/2002	-	617.95	558.46	(-) 59.49	--
8.	बद्रीनाथ-II	श्रीनगर	1250	05/2000	04/2003	-	422.42	79.66	(-) 342.76	--
9.	शीतला उप-योग	झाँसी	3600	03/2000	03/2003	--	1393.00	193.86	(-) 1199.14	--
	कुल योग		19300 या 19.30 मेगावाट				5774.95 या 57.75 करोड़ रुपये	6576.63 या 65.77 करोड़ रुपये	801.66 या 8.02 करोड़ रुपये	

परिशिष्ट-21

(प्रस्तर 2स.2.4 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदन की तिथि से निविदा/अनुबन्ध को अंतिम रूप देने में विलम्ब को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तिथि	अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने की तिथि	विलम्ब की अवधि (माह)	10 माह की अनुमति देने के बाद कुल विलम्ब की अवधि
1.	कंचौटी	26.3.86	1.12.87	20	10
2.	कुलागढ़	25.4.87	15.6.90	37	23
3.	छिरकिला	20.3.86	12.11.87	19	09
4.	बरार	27.3.89	5.12.91	32	17
5.	सोबला चरण-I	11.3.86	5.9.88	29	19
6.	क्षरणदेव	27.3.89	22.11.91	31	21
7.	तालेश्वर	27.3.89	10.9.92	41	31
8.	गराँव	27.3.89	21.3.92	35	25
9.	बेलका	18.9.86	6.7.88	21	11
10.	बबेल	18.9.86	28.9.88	23	13
11.	सोनप्रयाग	.1.12.90	14.4.98	87	77
12.	शीतला	25.11.98	11.2.2000	14	4

परिशिष्ट-22

(प्रस्तर 2स.5.1 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्षमता उपयोग में गिरावट दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	क्षमता (किलोवाट)	चालू करने की तिथि	अवधि (माह) मार्च 2001 तक	मूल डीपीआर के अनुसार वार्षिक उत्पादन (केडब्ल्यूएच में)	डीपीआर के अनुसार मार्च 2001 तक कुल उत्पादन (केडब्ल्यूएच में)	मार्च 2001 तक वास्तविक उत्पादन (केडब्ल्यूएच में)	उत्पादन में गिरावट (केडब्ल्यूएच में)
1.	कुलागढ़	1200	2/94	85	3327060	23566675	16859343	6707332
2.	बरार	750	7/96	56	4360000	20346667	6588774	13757893
3.	सप्तेश्वर	300	3/94	84	1582000	11074000	2498217	8575783
4.	उरगाम	3000	3/97	48	8902400	35609600	16443586	19166014
5.	क्षरणदेव	400	6/99	21	642000	1123500	184050	999450
6.	तालेश्वर	600	6/99	21	993000	1737750	113586	1624164
7.	छिरकिला	1500	3/94	84	3015000	21105000	17382632	3722368
8.	कोटाबाग	200	3/90	132	700800	7708800	2685949	5022851
9.	सोबला	6000	11/98	18	12877200	19315800	9741604	9574196
	योग					141587792 या 1415.88 लाख	72497741 या 724.98 लाख	69090051 या 690.90 लाख

परिशिष्ट-23

(प्रस्तर 2स.5.2 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में परियोजना को उसके सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद वाणिज्यिक भार पर रखे जाने में विलम्ब को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम/क्षमता (किलोवाट)	एक वर्ष में प्राप्त वास्तविक अधिकतम उत्पादन (केडब्ल्यूएच में)	परियोजना को चालू करने का माह	परियोजना को वाणिज्यिक भार पर रखे जाने का माह	चालू होने के बाद परियोजना को वाणिज्यिक भार पर रखे जाने में विलम्ब की अवधि (माह में)	परीक्षण अवधि अर्थात् परियोजना को चालू किये जाने के दौरान उत्पादित यूनिट	विलम्ब की अवधि में उत्पादित की जाने वाली यूनिट (केडब्ल्यूएच में)	कम उत्पादित यूनिट (केडब्ल्यूएच में)	विलम्बित वाणिज्यिक भार के कारण 1.70 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच की दर पर हानि का कुल मूल्य (लाख रुपये में)
1.	छिरकिला/1500	6107806	3/94	5/97	37	10110	18832402	1882292	319.98
2.	सप्तेश्वर/300	524178	3/94	9/94	5	1848	218408	216560	3.68
3.	क्षरणदेव/400	184050	6/99	12/2000	17	--	260738	260738	4.43
4.	तालेश्वर/600	113586	6/99	12/2000	17	--	160914	160914	2.74
5.	कंचौटी/2000	10667508	12/92	8/93	7	--	6222713	6222713	105.79
6.	सोबला/6000	6743562	11/98	7/99	7	59168	3933745	3874577	65.87
7.	उरगाम/3000	6990287	3/97	3/98	11		6407763	6407763	108.93
	योग					71126	36036683 या 360.37 लाख	35965557 या 359.66 लाख	611.42 या 6.11 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-24

(प्रस्तर 2स.5.3 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में अत्यधिक आउटेज के कारण उत्पादन की हानि दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रचालन पर प्राप्त वास्तविक अधिकतम उत्पादन (केडब्ल्यूएच में)	अवधि जब तक के अभिलेख जोड़े गये	3 प्रतिशत की दर पर होने वाला आउटेज (दिनों में)	वास्तविक आउटेज (दिनों में)	आउटेज का प्रतिशत	अधिक आउटेज (दिनों में)	उत्पादन की हानि (केडब्ल्यूएच में)	अधिक आउटेज के कारण 1.70 रुपये प्रति यूनिट की दर पर हानि का कुल मूल्य (रुपये में)
1.	कुलागढ़	3482064	1.6.94 to 31.5.2001	77	374	14.63	297	2833351	4816697
2.	सप्तेश्वर	524178	14.96 to 31.5.2001	56	153	8.24	97	139302	236813
3.	कोटाबाग	369335	1.4.95 to 31.5.2001	68	487	21.64	419	423976	720759
4.	कंचौटी	10667508	1.4.95 to 31.5.2001	68	89	3.95	21	613747	1043370
5.	सोबला	6743562	17.7.99 to 7.6.2000	10	31	9.25	21	387986	659576
6.	बरार	2284351	1.4.96 to 31.5.2001	57	178	9.44	121	757278	1287373
							योग	5155640 या 51.56 लाख	8764588 या 0.88 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-25

(प्रस्तर 2स.7.2 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त ऋण के कम उपयोग के कारण परिहार्य ब्याज देयता दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	वर्ष में लिया गया ऋण	संचित ऋण	14 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देयता	वर्ष के दौरान व्यय	संचित व्यय	उपयोजित ऋण पर ब्याज देयता	अनुपयोजित ऋण पर परिहार्य ब्याज देयता
1986-87	358.35	358.35	--	--	--	--	--
1987-88	--	358.35	50.17	--	--	--	50.17
1988-89	133.81	492.16	50.17	48.75	48.75	--	50.17
1989-90	24.86	517.02	68.90	29.15	77.90	6.83	62.07
1990-91	3.64	520.66	72.38	280.45	358.35	10.91	61.47
1991-92	19.97	540.63	72.89	133.81	492.16	50.17	22.72
1992-93	3.00	543.63	75.69	24.86	517.02	68.90	6.79
1993-94	13.45	557.08	76.11	3.64	520.66	72.38	3.73
1994-95	122.99	680.07	72.99	19.97	540.63	72.89	0.10
1995-96	180.65	860.72	95.21	3.00	543.63	75.69	19.52
1996-97	463.21	1323.93	120.50	13.45	557.08	76.11	44.39
1997-98	146.34	1470.27	185.35	122.99	680.07	77.99	107.36
1998-99	272.61	1742.88	205.84	180.65	860.72	95.21	110.63
1999-00	--	1742.88	244.00	463.21	1323.93	120.50	123.50
2000-01	--	1742.88	244.00	146.34	1470.27	185.35	58.65
योग			1634.20			912.93	721.27

टिप्पणी: परिहार्य ब्याज देयता = 1634.20 लाख रूपये-912.93 लाख रूपये = 721.27 लाख रूपये।

परिशिष्ट-26

(प्रस्तर 2द.1.4 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च 2001 तक के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम दर्शाती हुई विवरणी

(क) वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अन्तिम)
देयतायें					
(अ) प्रदत्त पूँजी					
• राज्य सरकार	5.90	5.90	6.40	6.40	6.40
• अंशदान प्रार्थनापत्र धन	4.97	4.97	4.47	4.47	4.47
(ब) चालू देयतायें और प्रावधान					
• चालू देयतायें					
i कार्य हेतु अग्रिम	37.45	42.99	47.58	64.63	115.56
ii अन्य देयतायें	5.46	5.12	7.31	8.71	16.03
• प्रावधान	0.49	0.52	0.55	0.82	0.82
उप योग (ब)	43.40	48.63	55.44	74.16	132.41
योग (अ+ब)	54.27	59.50	66.31	85.03	143.28
परिसम्पत्तियाँ					
(स)कुल परिसम्पत्तियाँ	6.52	7.11	7.33	7.70	7.81
घटाया: मूल्य ह्रास	3.95	4.20	4.45	4.70	4.95
(द) निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	2.57	2.90	2.88	3.00	2.86
(य) पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	0.45	0.33	0.37	0.21	0.14
(र) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	46.64	48.82	51.59	67.61	127.92
(ल) विविध व्यय	0.23	0.22	0.23	0.22	0.19
(व) संचित हानियाँ	4.38	7.21	11.25	13.99	12.18
(स) पूर्व अवधि के समायोजन	0.08	--	--	--	--
परिसम्पत्तियों का योग	54.27	59.50	66.31	85.03	143.28
(श) नियोजित पूँजी ¹¹¹	5.81	3.43	(-) 0.61	(-) 3.34	(-) 0.68
(ष) निबल पूँजी ¹¹²	6.26	3.43	(-) 0.61	(-) 3.34	(-) 1.49

¹¹¹ नियोजित पूँजी, निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) और कार्यशील पूँजी के योग को प्रदर्शित करती है।

¹¹² निबल पूँजी, प्रदत्त पूँजी और आरक्षित निधि एवं आधिक्य के योग से अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदर्शित होती है।

(करोड़ रूपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अनन्तिम)
1996-97 से वृद्धि	--	5.23	12.04	30.76	89.01
1996-97 से प्रतिशत वृद्धि	--	(12)	(28)	(71)	(205)
(ख) कार्यचालन परिणाम					
आय					
कृत कार्य का मूल्य	22.88	24.94	37.04	67.25	109.78
ब्याज एवं अन्य आय	1.30	1.06	0.87	1.16	1.25
योग	24.18	26.00	37.91	68.41	111.03
व्यय					
सामग्री का उपभोग एवं कार्य सम्बन्धी व्यय	16.23	19.27	31.60	59.42	98.94
वेतन	4.40	5.10	5.95	6.21	7.59
अन्य प्रशासनिक व्यय	3.99	4.17	4.15	3.78	3.76
मूल्य ह्रास	0.22	0.26	0.25	0.25	0.25
हानि (अपलिखित)	--	--	--	1.41	--
योग	24.84	28.80	41.95	71.07	110.54
हानि (-)/लाभ (+)	(-) 0.66	(-) 2.80	(-) 4.04	(-) 2.66	(+) 0.49
पूर्व अवधि के समायोजन	0.82	(-) 0.03	-	(-) 0.07	(+) 1.32
शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	(+) 0.16	(-) 2.83	(-) 4.04	(-) 2.73	(+) 1.81

परिशिष्ट-27

(प्रस्तर 2द.1.4 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में 2000-2001 तक के पाँच वर्षों के वर्ष-वार वित्तीय आवंटन को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त की गई निधियाँ	उपलब्ध कुल निधियाँ	उपयोजित निधियाँ	अन्तिम शेष	अन्तिम शेष कुल उपलब्ध निधियों के प्रतिशत के रूप में
1996-97	6.80	35.38	42.18	25.16	17.02	41
1997-98	17.02	16.68	33.70	28.77	4.93	15
1998-99	4.93	48.99	53.92	38.26	15.66	29
1999-2000	15.66	70.33	85.99	68.21	17.78	21
2000-2001	17.78	124.11	141.89	102.05	39.84	28

परिशिष्ट-28

(प्रस्तर 2द.2 व 2द.2.4 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1996-2001 के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर किये गये व्यय को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रूपये में)

योजनाएँ	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	योग
नाबार्ड एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण	16.54	14.65	8.60	19.61	5.10	64.50
डीआरडीए कार्य	2.12	3.72	15.67	32.89	79.52	133.92
अन्य/सिविल कार्य	4.22	6.57	12.77	14.75	25.16	63.47
योग	22.88	24.94	37.04	67.25	109.78	261.89

परिशिष्ट-29

(प्रस्तर 2द.3.2 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में सामग्री के परिवहन पर अतिरिक्त व्यय को दर्शाती विवरणी

(रूपये में)

कार्य स्थल	मद	मात्रा (घनमीटर)	दर प्रति घनमीटर	दूरी (किमी)	प्रदान किये गये परिवहन की वास्वविक दर प्रति घनमीटर	लोक निर्माण विभाग की दर सूची की प्रति घनमीटर दर	अन्तर (7-6)	धनराशि (3×8)	वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
गोण्डा इकाई (क)									
सरयू नहर टी/जी साइफन सिस्टम	20-40 मिमी पत्थर टुकड़े	532	821.80	293.00	695.80	554.25	141.55	75305	1999-2000
सरयू नहर टी/जी साइफन सिस्टम	12-20 मिमी पत्थर टुकड़े	1020	1100.80	323.00	731.80	603.75	128.05	130611	1999-2000
सरयू नहर टी/जी साइफन सिस्टम	4-75 से 10 मिमी पत्थर टुकड़े	710	1082.40	323.00	731.80	603.75	128.05	90916	1999-2000
सरयू नहर टी/जी साइफन सिस्टम	4-75 से 10 मिमी पत्थर टुकड़े	497.60	1082.40	323.00	731.80	603.75	128.05	63718	2000-2001
सरयू नहर टी/जी साइफन सिस्टम	10-20 मिमी पत्थर टुकड़े	320.40	821.80	293.00	695.80	554.25	141.55	45353	2000-2001

(रूपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सरयू नहर टी/जी साइफन सिस्टम	20-40 मिमी एकल	379.72	821.80	323.00	731.80	603.75	128.05	48623	2000-2001
सरयू नहर टी/जी साइफन सिस्टम	10-20 मिमी गिट्टी	759.20	1100.80	323.00	731.80	603.75	128.05	97216	2000-2001
सरयू नहर टी/जी साइफन सिस्टम	पत्थर बोल्डर	885.74	918.90	293.00	695.80	554.25	141.55	125377	2000-2001
साइफन एकवाडकट	मोरम	542.50	739.10	259.00	647.30	324.00	323.30	175390	2000-2001
साइफन एकवाडकट	मोरम	869.75	782.15	259.00	647.30	324.00	323.30	281190	2000-2001
सरयू लिंक चैनल	मोरम	2071.99	950.00	259.00	647.30	324.00	323.30	669874	2000-2001

उप-योग (क)

18.04 लाख रूपये

ललितपुर इकाई (ख)

25.94 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	20-40 मिमी गिट्टी	857.32	510.00	33.00	214.11	133.34	80.77	69245	2000-2001
25.94 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	20 मिमी गिट्टी	604.69	510.00	33.00	214.11	133.34	80.77	48841	2000-2001
25.94 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	10 मिमी गिट्टी	253.93	540.00	33.00	214.11	133.34	80.77	20510	2000-2001

(रूपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25.94 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	मौरम	2041.70	365.00	39.00	287.92	152.00	135.92	277508	2000-2001
40.82 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	मौरम	416.22	320.00	32.00	269.00	143.09	125.91	52409	2001-2002
40.82 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	10-16 मिमी गिट्टी	34.36	500.00	21.00	205.00	121.28	83.72	2877	2001-2002
40.82 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	16-22 मिमी गिट्टी	80.76	515.00	21.00	205.00	121.28	83.72	6761	2001-2002
5.607 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	20-40 मिमी गिट्टी	257.96	470.00	21.00	205.00	121.28	83.72	21596	2001-2002
5.607 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	मौरम	2417.39	390.00	50.00	318.27	171.12	147.15	355719	2001-2002
5.607 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	25-50 पत्थर टुकड़े	474.00	378.00	38.00	234.35	148.49	85.86	40697	2001-2002
5.607 किमी पर ड्रेनेज क्रासिंग	20 मिमी गिट्टी	826.14	596.00	48.00	276.43	166.64	109.79	90702	2001-2002

शुद्धिपत्र

क्रम सं.	संदर्भ	के स्थान पर	पढ़ें
1.	पृष्ठ 30 – ग्यारहवीं लाइन ऊपर से	(2 से 25 प्रतिशत तक)	(2 से 125 प्रतिशत तक)
2.	पृष्ठ 117 – पांचवीं लाइन नीचे से	रसीद बुक तक वापस नहीं की	रसीद बुक वापस नहीं की
3.	पृष्ठ 122 – सारणी के ऊपर दूसरी लाइन	7.69 करोड़ रुपये का परिहार्य संचय	7.69 करोड़ रुपये का संचय